खण्ड-277, अंक-2
गुरूवार, 2 श्रावण, शक संवत् 1891
(24 जुलाई, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 277 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार २४ जुलाई, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १०—३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—४१४

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ़्फ़ार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पाण्डेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अशफ़ाक अहमद, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री
(उर्फ़ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री

कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ़ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री

जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायणमणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ़्फ़रनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री

नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ़ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती , श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्या, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ़ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्तसिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफ़ा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उर्फ़ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री

राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजित राम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राजपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की संराय)
राममूर्ति 'अंचल,' श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास, श्री
राम शिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफ़ी खां, श्री
रियासतहुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राय, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रमसिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री

बीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शफ़ीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी,
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ़ शैरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतलाप्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह बानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ़ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्री निवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र , श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुखसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर वख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कान्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा, फ़तेहाबाद)
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २४ जुलाई, १९६९

तारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर जिले में कत्ल

*१—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में जनवरी, १९६९ से अब तक कितने कत्ल हुये और इनमें से कितनों में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

जिला बुलन्दशहर में जनवरी, १९६९ से अब तक (३०-४-६९) २३ कत्ल की रिपोर्टें दर्ज हुईं। इनमें से ५ मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

श्री हिम्मत सिंह—

जिन मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी है, क्या सरकार उनकी सी० आई० डी० द्वारा जांच करवायेगी ?

श्री कृष्णानन्द राय—

यह पांचों केसेज ऐसे हैं जिनमें एफ० आई० आर० में मुल्जिमों के नाम दर्ज नहीं हैं। तीन में तो अज्ञात लाशें मिली हैं जिनके वारिसियन तक का पता नहीं है। इसलिये इनमें सी० आई० डी० द्वारा जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह—

जो और दो मामले हैं, जो अज्ञात नहीं हैं, उनमें क्या मंत्री जी सी० आई० डी० द्वारा जांच करवायेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जो मामले अभी अन्डर इन्वेस्टीगेशन हैं, क्या सरकार उनकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करवायेगी ? और कितनों की अब तक करवाई है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

हर केस में सी० आई० डी० इन्क्वायरी नहीं होती। ऐसे केसों को लोकल पुलिस ही इन्वेस्टीगेट करती है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

जिन ५ मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी है उन थानों के नाम क्या-क्या हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

एक है थाना दादरी, एक है थाना दनकौर, दो थाना ककोड के हैं और पांचवां है थाना खुर्जा का।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार कोई और जुडिशियल इन्क्वायरी करायेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

जी नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितने केसेज नामजद थे और कितने केसेज गैर-नामजद थे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

ये जितनी भी थानों में रिपोर्ट लिखी हैं वे सब गैर-नामजद थे।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गैर-नामजद केसेज में अभी कितने तफतीश हो चुके हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष जी, मैं बता चुका कि जितनी थानों में रिपोर्ट लिखी हैं वे गैर-नामजद हैं और जितने नामजद हैं उसमें ११ चालान हो चुके हैं और सात अन्डर इन्वेस्टीगेशन हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मैंने यह निश्चित प्रश्न किया था कि जो मुकदमे अन्डर इन्वेस्टीगेशन हैं उनमें कितने सी० आई० डी० द्वारा इन्वेस्टीगेट हो चुके हैं और कितने साधारण पुलिस कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सी० आई० डी० द्वारा किसी का भी इन्वेस्टीगेशन नहीं किया गया और न सी० आई० डी० द्वारा इन्वेस्टीगेशन कराने का सरकार का कोई इरादा है।

बुलन्दशहर जिले में थाने बढ़ाने की आवश्यकता

*२—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में इस वर्ष कितने और थाने बढ़ाने की योजना है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

इस वर्ष बुलन्दशहर जिले में थाने बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह—

इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष कितने थाने बढ़ाये जायेंगे जरायम जुल्मों की तादाद देख कर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

माननीय सदस्य को कदाचित् यह ज्ञात होगा कि सरकार ने कुछ वर्ष हुए एक पुलिस आयोग नियुक्त किया था और उस आयोग ने कुछ सिफ़ारिशें इस प्रकार की की थीं कि प्रदेश में थानों की

[चन्द्रभानु गुप्त भी]

संख्या बढ़ाई जाय और थानों का जो क्षेत्र हो वह घटाया जाय। उसी सिलसिले में सरकार ने विचार किया और विचार करके तीन मर्तबे थानों के बढ़ाने के सिलसिले में नीति निर्धारित की। तो पहली जो योजना बनी वह १५ जिले हैं उसके सिलसिले में बनीं जिनमें ६९ थाने बनाये गये और दूसरी योजना इस वर्ष लागू हो रही है। उसमें १७ जिले रहेंगे और ५१ थाने बढ़ाये जायेंगे और तृतीय योजना जब प्रारम्भ होगी, इसकी तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। उसमें बुलन्दशहर का जिला भी आयेगा और उसमें तब पांच थाने और बढ़ाये जायंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार इस बात पर प्रकाश डालेगी कि सरकार अब किस आधार पर थाने बढ़ायेगी? संख्या के आधार पर या जुर्म अधिक बढ़ते जाते हैं उस आधार पर?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैंने बताया कि थानों का बहुत जगह क्षेत्र बढ़ा हुआ था और थानों का क्षेत्र घटा कर जहां घटाने के बाद थाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है वह योजना तैयार हुई है और उस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में थाने बढ़ रहे हैं।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कुछ कारणों से इस वर्ष थाने नहीं बढ़ाने जा रही है, तो क्या सरकार के लिये जनवरी से थाने बढ़ाना मुमकिन होगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह तो सब साधनों के ऊपर आश्रित है। यह सरकार एक साथ ही बढ़ा सकती थी यदि साधन उपलब्ध रहते। इनकी योजनाओं को तीन हिस्से में इसी कारण से बांटा है। ज्यों-ज्यों साधन हमारे बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों हम थानों की संख्या जगह-जगह पर, जहां हमने तय किया है, बढ़ाते जाते हैं।

हल्द्वानी थाने में डकैतियां

*३—श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)—

क्या पुलिस मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल के थाना हल्द्वानी में १ जनवरी, १९६९ ई० से २५ मार्च, १९६९ तक कुल कितनी डकैतियों की रिपोर्ट दर्ज हुई और उनमें पुलिस थाना हल्द्वानी द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री कृष्णानन्द राय—

इस अवधि में थाना हलद्वानी, जिला नैनीताल में डकैती की दो घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज हुई। दोनों मामलों में कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं और विवेचना की जा रही है।

श्री गोपाल दत्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये दोनों डकैतियां किन-किन तारीखों में हुईं और कौन-कौन व्यक्ति इनमें गिरफ्तार किये गये?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, एक डकैती में तो आठ मुल्जिम थे। श्रीमन्, जिसमें एक की मृत्यु मुकाबले में पुलिस के साथ हो गई और एक की मृत्यु थाने में हुई है। छः व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं। पहली डकैती २६/२७-२-६९ को हुई और दूसरी डकैती हुई थी ७ मार्च, १९६९ को। इसमें भी आठ मुल्जिम थे जिसमें से तीन गिरफ्तार कर लिये गये हैं और पांच अभी नहीं गिरफ्तार हो सके हैं।

श्री गोपाल दत्त---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस डकैती के सिलसिले में एक सब-डिप्टी इंस्पेक्टर का कत्ल हुआ था जिसकी कोई रिपोर्ट पुलिस में नहीं हुई ?

श्री कृष्णानन्द राय---

इसकी सूचना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस डकैती से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ५ डकैतों को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

ये अभी ट्रेस नहीं हो पाये हैं। प्रयास किया जा रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक डकैत की मुकाबले में थाने में मृत्यु हुई, तो क्या एन्काउन्टर थाने में हुआ था ?

श्री कृष्णानन्द राय---

मैंने कहा था कि एन्काउन्टर में एक डकैत तो वहीं मर गया और दूसरा जिसको एन्काउन्टर में चोट लगी थी, वह जेल में मरा।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय मंत्री जी घटना स्थल पर डकैतों के मारे जाने के लिये गांव वालों को कुछ पारितोषिक देने को तैयार हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

चिलवाड़ा, जिला सीतापुर में हत्याकांड

*५४---श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि ग्राम चिलवाड़ा, थाना खैराबाद, जिला सीतापुर में २७ मार्च, १९६९ को जिन्दा जलाकर एक ग्रामीण परिवार के ११ व्यक्तियों की हत्या कर दी गई ?

श्री कृष्णानन्द राय---

जी हां, इस प्रकार की घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई।

*५५---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या पुलिस मंत्री यह भी बतायेंगे कि उभय पक्ष या उनमें से केवल किसी एक पक्ष ने रिपोर्टों या शिकायत पत्रों द्वारा उपर्युक्त दुश्मनी की ओर स्थानीय पुलिस या अन्य अधिकारियों का ध्यान प्रश्नगत घटना के पूर्व आकृष्ट किया था ? यदि हां, तो इस संबंध में रोकथाम की कोई कार्यवाही की गई थी अथवा नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

एक पक्ष के कुछ व्यक्तियों की ओर से एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था जिसमें विपक्षियों से किसी प्रकार शान्ति भंग या जान के खतरे की आशंका प्रकट नहीं की गई थी बल्कि एक डकैती के मामले में पुलिस से मिलकर झूठा फंसाये जाने की आशंका प्रकट की गई थी। उक्त भयंकर दुर्घटना, जो अचानक घटी, की रोकथाम की कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिस दरख्वास्त का हवाला दिया गया है, क्या वह दरख्वास्त उन लोगों की तरफ से दी गई थी जिन लोगों को जला कर मार डाला गया है? (२) इस वारदात के कितने पहले यह दरख्वास्त दी गयी थी? (३) क्या उन लोगों को यह शक था कि अभियुक्त पक्ष के लोग उन पर शक करते हैं कि उनके घर की डकैती और कत्ल में उनका हाथ है?

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन, यह दरख्वास्त उन लोगों में से कुछ लोगों द्वारा दी गयी थी जो मारे गये हैं लेकिन उस दरख्वास्त में केवल यह था कि गांव सभा के जो प्रधान हैं उनकी पार्टी द्वारा इस बात की आशंका है और यह कि डकैती के मुकदमे में उनका चालान किया जायगा। उन लोगों को यह आशंका नहीं थी कि उनकी हत्या कर दी जायेगी या उनको मार डाला जायगा। इसलिये इसके पहले काई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या यह सही है कि अभियुक्त पक्ष के लोगों को यह शक था कि इब्राहीम का कत्ल इन्हीं लोगों ने किया जिन लोगों ने यह दरख्वास्त दी थी? क्या इस सिलसिले में उन लोगों का बहिष्कार भी किया गया था और कुंओं तक से पानी नहीं भरने दिया गया था?

श्री कृष्णानन्द राय---

यह सही है कि जो अभियुक्त पक्ष के लोग हैं उनको यह शुबहा था कि उस कत्ल में उन लोगों का हाथ है जिनको मारा गया है तथा इसके पहले एक अग्निकाण्ड जो दिसम्बर में हुआ था उसमें इन लोगों का हाथ था।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मैं कम से कम १० बार खड़ा हुआ लेकिन आपने मुझे अवसर नहीं दिया, और एक माननीय सदस्य को ही ४ बार प्रश्न करने देते हैं।

श्री अध्यक्ष---

वह तो प्रश्नकर्त्ता हैं उनको तो मौका मैं दूंगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद---

आपको औरों को भी अवसर देना चाहिये, आपने कांग्रेस के आदमियों को अवसर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष---

मुझे कांग्रेस से कोई द्वेष नहीं है।

श्री जगदम्बा प्रसाद---

जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं सबको समान अवसर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, आप अब कृपया बैठें।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

बैठ कैसे जायं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको बता दूं कि श्री जायसवाल के यह प्रश्न हैं और उन्हीं से संबंधित वह ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जो उपयुक्त मालूम होते हैं, उनकी जानकारी के लिये जो प्रश्न जरूरी मालम होते हैं उनके उत्तर के लिये उन्हें पहले अवसर दिया जा रहा है, उसके बाद आपको भी दिया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरा निवेदन है कि गांव में चौकीदार रहता है, बीट का कांस्टेबिल रहता है, वहां पानी नहीं लेने दिया जा रहा था और बहिष्कार की कार्यवाही चल रही थी, तो उन लोगों ने इसकी इत्तला क्यों नहीं दी ?

श्री कृष्णानन्द राय—

मैंने निवेदन किया कि जिनकी मृत्यु हुई उनको स्वयं यह आशंका थी कि गांव सभा का प्रधान उनको एक डकैती के मुकदमे में फंसायेगा और उन्होंने यह दरखवास्त पहले ही १२ मार्च, को दी थी और उन्हें शुबहा था कि गांव सभा का प्रधान उन को गलत डकैती के मामले में फंसायेगा। लेकिन चौकीदार ऐसी हालत में कैसे रिपोर्ट कर सकता था कि इतनी बड़ी घटना घटने जा रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि गांव के चौकीदार और बीट के कांस्टेबिल की तरफ से इस बहिष्कार और कुंए से पानी भरने की रोकथाम के बारे में कोई सूचना दी गई ?

श्री कृष्णानन्द राय—

गांव के चौकीदार ने कोई सूचना नहीं दी। पानी न भरने का प्रश्न तो उस दिन हुआ जिस दिन आदमी मारा गया, पहले तो हुक्का-पानी बन्द किया था।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या मंत्री जी शिकायत-पत्र की तारीख और जो दरखवास्त दी गई वह क्या थी, यह बतलाने की कृपा करेंगे ताकि यह पता चल जाय कि उस दरखवास्त में एलीगेशन्स क्या थे जिनके आधार पर कहा गया है कि जानमाल की रक्षा की आवश्यकता नहीं थी ?

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि जो व्यक्ति मारा गया है उसने प्रार्थना-पत्र दिया था और लिखा था कि गांव सभा का प्रधान जो ऐयार खां है, वह एक चालाक और मजबूत आदमी है और वह उनको डकैती में फंसायेगा, उसमें यह नहीं कहा था कि जान का खतरा है।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

मैं जानना चाहता हूं मूल प्रार्थना-पत्र में क्या लिखा था और क्या एलीगेशन्स थे ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं कि एक प्रश्न अनेक बार दोहराया गया कि जिस आदमी का कत्ल हुआ उसने दरखवास्त दी थी कि खतरा है गांव के प्रधान की तरफ से लेकिन आप किस लिये बैठे हैं इस प्रश्न की सफाई नहीं करा रहे हैं, आप उस आसन पर बैठे हैं आपका कर्त्तव्य है कि उत्तर दिलवायें।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे सिखा नहीं सकते हैं कि मैं क्या करूं क्या न करूं ?

श्री मैनजर सिंह—

मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं। मैं केवल आपके विवेक को जगाना चाहता हूं कि आप उनसे कहें कि वे अपने उत्तर स्पष्ट रूप से दें।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि "किसी प्रकार शान्ति भंग या जान को खतरे की बात नहीं थी"। तो मैं जानना चाहता हूं कि ओरिजिनल दरख्वास्त में क्या-क्या वाकई एलीगेशन्स थे जिनसे हम समझ सकें। मैं चाहूंगा कि इस दरख्वास्त को पढ़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप दरख्वास्त पढ़ दें।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, यह दरख्वास्त मकबूल अहमद आदि द्वारा हस्ताक्षरित है। यह इस प्रकार है—

'श्रीमान् जी,

सेवा में निवेदन है कि तारीख १९ दिसम्बर, सन् १९६८ मौजा (?) में इब्राहीम पुत्र नेवाज अन्सारी के घर पर डाका पड़ा था जिसमें उसको कत्ल कर दिया गया था। बाद अजां उसकी रिपोर्ट थाना खैराबाद में दर्ज करायी गयी, मगर पुलिस की तफतीश से कोई भी मुकदमा अभी तक चालान होकर अदालत में पेश नहीं हुआ है और न कोई चश्मदीद शहादत ही पुलिस को दस्तयाब हुयी है और न कोई गिरफ्तार ही हुआ है। यह वाकया साजिशन कुछ गांव वालों की वजह से किया गया था जो कि इब्राहीम के दुश्मन थे। अभी कल पुलिस के कर्मचारीगण गांव में आये और एक पंचनामा तहरीर कराया जिसमें गांव के बहुत से लोग थे और प्रतिपक्षीगण भी वहां पर मौजूद थे, पुलिस वालों ने कहा कि मामला की सुरागरसानी नहीं हो सकती है और जुर्म के इर्तिकाब करने वालों का पता लगना मुश्किल है। लिहाजा गांव वाले सब दस्तखत कर देवें कि कार्यवाही खत्म की जाय। सायलान इस पर रजामन्द नहीं हुए और कहा कि गांव के कुछ लोगों का यह फेल कराया है। पुलिस कार्यवाही करे, खवाह खुफिया पुलिस के सिपुर्द कार्यवाही कराई जावे और हर हालत में मुकदमा की सुरागरसानी की जावे। इस पर पुलिस वाले और गांव के लोग जिसमें उपरोक्त लिखित विपक्षीगण खासतौर से अगुवा थे कहने लगे कि सायलान बिल्कुल झूठ कहते हैं और खवामखवाह मुकदमा को तूल देना चाहते हैं।

इन्हीं लोगों पर डाका का मुकदमा कायम कर दिया जावे अगर यह पंचनामा पर दस्तखत नहीं करते हैं। सायलान खौफ खाकर वहां से भाग आये। सायलान को अंदेशा है कि गांव वाले लोग बिलखसूस विपक्षीगण नं० १ व २ पुलिस से साज करके खवामखवाह का झूठा मुकदमा खिलाफ सायलान कायम न करा देवें और उनको पुलिस से मिलकर तबाह व बरबाद न कर देवें। क्योंकि यही दोनों लोग मुकदमा डाका की तफतीश नहीं होने देना चाहते हैं और इब्राहीम के दुश्मनों से मिल गये हैं।

अतः सायलान दरख्वास्त हाजा पेश करके निवेदन करते हैं कि पुलिस सर्किल इंसपेक्टर पुलिस कुल हालात की जांच करा ली जावे और जो डाका गांव में पड़ा है उसकी तफतीश ठीक तौर से होकर मुरतिकवान के ऊपर मुकदमा चलाया जावे और सायलान के ऊपर खवामखवाह का झूठा मुकदमा महज विपक्षीगण की गलत बयानी पर पुलिस न कायम करे। वाजिबन अर्ज है।"

श्री अध्यक्ष---

जहां तक मुझे जानकारी है उन्होंने यह शिकायत की कि हम को डकैती में फंसाना चाहते हैं। आप इस पत्र को पढ़ दें वह क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, वह यही पत्र है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दरख्वास्त जो पढ़ी गयी है यह जलाये जाने की घटना जो हुई, उसके १५ दिन पहले की है ? और क्या इसकी जांच भी हुई ?

श्री कृष्णानन्द राय---

जी हां, श्रीमन्। २७ मार्च को यह घटना हुयी थी और दरख्वास्त १२ मार्च की थी अर्थात् १५ दिन पहले की थी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस जलाये जाने की घटना की पूर्व जांच भी करायी गयी या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

इस दरख्वास्त में केवल यह शिकायत थी कि ये लोग डाके के मुकदमे में फंसाये जा रहे हैं तो पुलिस द्वारा जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनन्तराम जायसवाल --

जो इसमें प्रार्थना की गयी है, उसे आप फिर पढ़ने का कष्ट करें।

श्री कृष्णानन्द राय---

इसमें यह दरख्वास्त की गयी है कि---

"कि सर्किल इंस्पेक्टर पुलिस द्वारा कुल हालात की जांच करा ली जाये और जो डाका गांव में पड़ा है उसकी तफ़तीश ठीक तौर से होकर मुरतिकवान के ऊपर मुकदमा चलाया जावे और सायलान के ऊपर खामखवाह का झूठा मुकदमा महज विपक्षीगण की गलत बयानी पर पुलिस न कायम करे।"

श्री हिम्मत सिंह---

क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो लोग पकड़े गये इनमें कितने आदमियों का चालान हुआ और कितने आदिमियों की जमानत हो गयी है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

इसमें जमानत किसी की नहीं हुई है।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

मंत्री जी ने अभी प्रार्थना-पत्र पढ़ा। १५ दिन पहले का प्रार्थना-पत्र है। जांच के बाद कोई विवरण नहीं बतलाया गया। १५ दिन बाद लोग जला दिये गये। डकैती हो चुकी थी पहले। तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस प्रार्थना-पत्र के देने के बाद और जलाने की घटना के पहले सरकार ने क्या जांच की और किस निष्कर्ष पर पहुंची ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जो डकैती दिसम्बर में हुई थी पुलिस उस संबंध में तफ़तीश कर रही थी और अप्रैल तक तफ़तीश करती रही और यह दरखवास्त मार्च की थी ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया । १२ मार्च के बाद और २७ मार्च के पहले १५ दिन के अन्दर पुलिस ने क्या जांच की और किस निष्कर्ष पर वह आई और इस दरखवास्त पर क्या कदम उठाया गया ?

श्री कृष्णानन्द राय—

यह प्रश्न पूछा गया था २७ मार्च को कि ११ आदमी मर गये हैं । फिर १२ आदिमियों की दरखवास्त आई शिकायत के बारे में और डकैती बहुत पहले पड़ चुकी थी । तो उसके बारे में जो यह प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

जो शिकायत थी कि झूठा मुकदमा हमारे ऊपर चलाया जाने वाला है डकैती का तो उसके बारे में पुलिस ने कोई जांच की और यह पाया कि झूठा मुकदमा कोई चलने वाला नहीं है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री कृष्णानन्द राय—

१२ मार्च को प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र दिया.....

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री कैसे उत्तर दे रहे हैं ? मैं लिखित सूचना दे दूंगा । माननीय अध्यक्ष, आप कृपा करके नियम ५० के अन्तर्गत इस पर विवाद करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

अभी प्रश्नों का समय बाकी है । मैंने उन्हें उत्तर स्पष्ट करने के लिये कहा है ।

श्री मैनेजर सिंह—

आप उनकी वकालत कर रहे हैं । माननीय सदन के समय का अपव्यय हो रहा है । या तो आप प्रश्न की सफ़ाई करायें अथवा बैठा दें ।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

सूचना इस संबंध में मंगा ली जायेगी बाद में और वह सदन को दे दी जायेगी ।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

११ आदमी जला दिये गये । यदि समय रहते इस दरखवास्त की जांच हो गयी होती तो इस घटना की नौबत न आती लेकिन जवाब से भागा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं जब कि दरखवास्त मौजूद है । सप्लीमेंटरी इनफारमेशन सरकार मंगा सकती थी ।

श्री अध्यक्ष—

सरकार सूचना मंगा रही है । आप उस समय प्रश्न कर लीजियेगा ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

यह जवाब जो आया है मुख्य मंत्री की तरफ से यह स्पष्ट नहीं है, इस पर विचार के लिये और समय दिया जाय ।

(श्री त्रिवेणी राय के कुछ बोलने की चेष्टा करने पर (व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्नोत्तर काल में किसी माननीय सदस्य को मंत्रि-मण्डल की ओर से उत्तर देने का अधिकार कैसे प्राप्त हो गया ?

श्री अध्यक्ष--

वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, वह तो वैधानिक आपत्ति कर रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न यहां सदन के सामने आया । हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने उसके उत्तर को टाला और जब कोई उत्तर नहीं सूझा तो वित्तमंत्री महोदय ने एक घिसा पिटा उत्तर दे दिया कि उसके लिये जानकारी की आवश्यकता है । ग्यारह आदमी जला दिये गये और मुख्य मंत्री वहां से तीन मील के फासले पर मौजूद थे । सारी पुलिस उनके इंतजाम में लगी हुई थी । सारा सदन उत्तर मांग रहा है और कोई उत्तर दिया न जाय तो फिर प्रश्नों का महत्व ही क्या रहा, उनको समाप्त कर दिया जाय ।

(शोर)

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

प्रदेश के ग्यारह व्यक्ति जला दिये गये । मामूली घटना नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि १५ दिन का जो मौका मिला और जब दोनों पार्टियों में तनाव था तो १०७ । ११७ की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस घटना में ११ आदमियों को जला कर मार दिया गया और आज उस घटना को दो महीने हो गये और उस पर कोई कार्यवाही संतोषजनक हुई या नहीं यह गवर्नमेंट को अब तक नहीं मालूम हुआ, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे बतलायेंगे कि वह स्वयं संतुष्ट हैं सरकार की इस परफामेंस पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, १२ से २७ तक क्या जांच हुई, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये माननीय सदस्य ने सवाल किया । मैंने यह उत्तर दिया कि इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये नोटिस की आवश्यकता है । जहां तक इब्राहीम के कत्ल और डकैती का संबंध है, इसकी जांच जारी है और १४ अप्रैल तक चलती रही तो इस बीच की जानकारी मेरे पास नहीं है । १४ तारीख को मुकदमा खत्म हुआ और १२ से २७ तक की जानकारी पास नहीं है ।

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, जब ११ आदमियों का वहां कत्ल हुआ तो ये बाराबंकी में थे या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद नहीं है कि मैं वहां था या नहीं ?

श्री चरण सिंह--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि ११ आदमियों के कत्ल की सूचना उनको कब मिली और इस पर उन्होंने तत्काल कोई कार्यवाही की या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जब मेरे सामने घटना आई तो जानकारी प्राप्त करने के लिये मैंने आदेश दिये। जब कोई घटना होती है तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये आदेश देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

वह पूछना चाहते हैं कि आपको सूचना कब मिली ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त-

मुझे याद नहीं है।

श्री चरणसिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा सवाल यह है कि किस रोज उन को सूचना हुई और जब उनको सूचना हुई तो उन्होंने फोन उठाकर आई० जी० को हुक्म दिया या नहीं ? यदि दिया तो उनको इत्तला कब मिली ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, जब मेरे पास इस प्रकार की सूचना आती है या जब मैं दौरे पर होता हूं तो अखबारों से मिलती है तो गृह सचिव को जानकारी प्राप्त करने के लिये आदेश देता हूं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २ मई को यह प्रश्न दिया गया था और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ६ तारीख की यह घटना है और उस दिन वह (सीतापुर) बाराबंकी में थे तो ऐसी स्थिति में पौने तीन महीने में उनकी तरफ से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मेरे पास इस मुकदमे में जो जांच होती रही है उसकी इत्तला है। १४ अप्रैल तक यह जांच चलती रही। इसके बाद मुकदमा, कोई गवाह न मिलने के कारण दाखिल दफ्तर हुआ। जहां तक इब्राहीम का ताल्लुक है और ज्यादा बात जानने के आवश्यकता नहीं थी।

श्री अशफ़ाक अहमद (जिला बरेली)--

मैं जानना चाहूंगा कि क्या मुख्य मंत्री जी इस घटना में शामिल थे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

११ आदमी जला दिये गये यह बहुत सीरियस मामला है। इसके बारे में वे जानना चाहते हैं कि आपके पास यह शिकायत आई है। डकैती के बारे में झूठा मुकदमा लगाया गया, यह हो, सकता है लेकिन ११ आदमी जलाये गये यहसीरियस मामला है और आपने कौन से स्टेप्स लिये उनको गिरफ्तार करने के लिये जिन्होंने जलाया। इसके बारे में क्या कार्यवाही आपकी तरफ से हुई, इसको वे जनाना चाहते हैं। दूसरी चीज यह है कि वे कहते हैं कि जब ये लोग जलाये गये तो उससे तीन मील की दूरी पर आप मौजूद थे तो अपको पुलिस ने सूचना

क्यों नहीं दी ? यह भी प्रश्न है । अगर ऐसी चीज हुई है कि पुलिस वाले की तरफ़ से जो ढील डाली गई उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई, इसको वे जानना चाहते हैं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मुझे याद नहीं है कि उस समय मैं वहां था या नहीं ? अगर मैं था (व्यवधान)...

मुझे कोई इत्तला नहीं दी गयी और न मुझे दूसरे दिन या तीसरे दिन तक मालूम हुआ कि इस तरह की कोई घटना हुई है । अगर ऐसी बात होती तो मैं गृह सचिव के जरिये आई० जी० से यह इत्तला मंगाता और जांच करवाता ।

(शोर)

श्री चरण सिंह--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जिस वक्त उनके सामने फ़ाइल आई, अगर उनकी नोटिस में पहले नहीं आया, तो जब सवाल और जवाब सामने आए, तो उनकी क्या तीव्र प्रतिक्रिया हुई, क्या उनकी फाइल में है कि उन्होंने कोई जवाब तलब किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मेरा ख्याल यह है कि जब यह सूचना मुझे मिली तब मैंने गृह सचिव को लिखा कि यह ऐसी बड़ी दुर्घटना है जिसके विषय में शीघ्र जानकारी करवायी जाय । उसके बीच में जब तक मेरे पास इत्तिला आए तब तक यह बात आ गयी । फिर उस मुकदमे के सिलसिले में जो सवाल आये, जवाब आये, तो मेरे पास इत्तिला आ गयी कि १४ अप्रैल तक इनक्वायरी हो कर केस दाखिल दफ्तर हो गया । यह पहले केस के सिलसिले में है । जहां तक दूसरे केस का संबंध है ७४ आदमी या कितने आदमी पकड़े गये ।

श्री अध्यक्ष--

आदमी पकड़े गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

पकड़े गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

तो आप कहते कहां हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष जी, दो मसले हैं । एक तो है दिसम्बर की डकैती का जिसमें एक आदमी मारा गया है । और दूसरा मसला है जिसमें ११ आदमी मारे गये हैं । मैं दूसरे मसले के सिलसिले में कह रहा हूं कि सब पकड़-धकड़ हो गयी ।

(शोर)

श्री चरण सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री ने....।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि अगर आपकी यह इच्छा हो कि इसी सवाल के ऊपर सब समय निकाल दिया जाय तो मैं इसके लिये तैयार हूं। कोई ऐतराज तो नहीं हो गया ? आगे के सवाल फिर नहीं लेंगे । आप पूछिए ।

श्री चरण सिंह--

माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फरमाया कि उन्होंने सख्त आर्डर दिया फ़ाइल पर। तो प्रश्नों की फाइल मौजूद है। क्या वह उस आर्डर को पढ़ने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने हुक्म दिया था।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इस वक्त वह फाइल नहीं है। प्रश्नों की फाइल में पहला मामला दफ्तर में दाखिल हो गया ...!

श्री अध्यक्ष--

अगर आपके पास फ़ाइल नहीं है तो कृपा कर इसके संबंध में जो आपने आर्डर्स दिये हैं उस फाइल को मंगा कर किसी दूसरे वक्त में सदन को सूचना दे दें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

दूसरे वक्त नहीं, अभी जानना चाहते हैं। फाइल में आर्डर हैं। कृष्णानन्द राय जी के पास फाइल है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों की फाइल में नहीं है। जो ११ आदमी जलाए गये, वह फ़ाइल मंगा कर माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को सूचना दे दें कि क्या-क्या कार्यवाही हुई। इसमें सदन को संतोष होगा कि आपने कार्यवाही की या नहीं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मेरे पास जानकारियां, जो वारदातें होती है, उनके सिलसिले में या तो अखबारों की कटिंग्स द्वारा आती हैं या सूचना द्वारा आती है, जब वह मेरे पास इस तरह से पहुंचती हैं तो उनके ऊपर मैं अपने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करता हूं और उस पर लिखता हूं, यह सब वाकया क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें पुलिस ने क्या किया। सवालों की फ़ाइल जो है उसमें सवाल के जवाब आये। एक केस में मुकदमा चल रहा है, उसमें लोग पकड़े गये हैं। दूसरे केस में जांच की गयी और १४ तारीख को दाखिल दफ्तर कर दिया।

श्री अध्यक्ष---

यह तो जो ११ आदमी जलाये गये उसके बारे में पूछ रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

वह तो मुकदमा चल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

उसी के बारे में पूछ रहे हैं। आप उसके बारे में सूचना किसी वक्त सदन को दे दें।

श्री मैनेजर सिंह --

माननीय अध्यक्ष जी, आपके बार-बार कहने पर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह सूचना देना स्वीकार नहीं किया कि अधिकारियों ने इत्तला न देकर सीतापुर में गलत काम किया। यह आपकी अवज्ञा हुई है। मैं प्रिनिलेज की सूचना देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रिविलेज का सवाल पैदा वहीं होता है।

(श्री कृष्णानन्द राय के खड़े होने पर) क्या अभी सूचना दे रहे हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय--

सूचना दे रहा हूं। २७ मार्च को घटना हुई। २८ मार्च को ७२ मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया और श्रीमन्, जो कि ६ बचे हुए थे, वे दूसरे दिन यानी २९ मार्च को गिरफ्तार कर लिये गये तथा उन्हें ९ जुलाई को कोर्ट से चार्जशीट भी दे दी गई है। तो यह सब मुल्जिमान जेल में हैं और उनकी जमानत भी नहीं हुई है।

श्री रियासत हुसैन--

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है कि उनकी जमानत हुई है या नहीं? मेरा तो कहना यह है कि जब यह निश्चित हो गया कि मुख्य मंत्री जी उस दिन वहां पर थे। और ६ बजे जब इस केस की रिपोर्ट की गई तो उनको इस मामले की सूचना पुलिस अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं मिल पाई? तो क्या मुख्य मंत्री जी इस बात पर उन पुलिस वालों के खिलाफ विशेष रूप से कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं?

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि उनको मालूम हो गया और अब वह जांच करेंगे कि क्यों नहीं उनको सूचना मिली।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गई इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यह वहां उस दिन नहीं थे। यह तो उनकी डायरी से, प्रोग्राम से बिलकुल साफ चीज है कि यह वहां उस समय थे। तो ऐसी अहम घटना की सूचना अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों ने सीतापुर में क्यों नहीं उन्हें दी। तो यह निश्चित रूप से नेग्लीजेंस आफ पुलिस साबित हो गया। तो क्या मुख्य मंत्री जी इस चीज को देखते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा (जिला फतेहपुर)--

अध्यक्ष महोदय, यह सदन इस बात के ऊपर अपनी चिन्ता प्रकट कर रहा है वह प्रश्न यह नहीं है कि इसमें अधिकारियोंने क्या क्या कार्यवाही की। प्रश्न यह है कि फौरन ही, अगर तीन मील के फासले पर वाकई में मुख्य मंत्री मौजूद थे तो क्या यह संभव है कि उनको यह बात नहीं मालुम हुई हो? यदि उस वक्त नहीं मालूम हुआ तो क्या दूसरे दिन जब इस घटना का विवरण अखबारों में छप गया, तब भी उनको नहीं मालूम हुआ? तो निश्चित रूप से उनको जानकारी मिली। अधिकारियोंने क्या किया, प्रश्न यह नहीं है, मुख्य मंत्री ने इस महत्व के सवाल पर क्या कार्यवाही की? हमारे सामने प्रश्न यह है। (व्यवधान) जब पहले ऐसी घटनायें हुई हैं तो उन्होंने उस आदमी के घर पर जाना मुनासिब समझा है। यहां पर ११ आदमी जिन्दा जला दिये गये, जिस पर साधारण रूप से कोई आदमी विश्वास नहीं कर सकता, यदि मुख्य मंत्री जी यह कहें कि मुझे मालूम नहीं हुआ। ऐसी भयंकर घटना के बारे में मुख्य मंत्री को कतई भूलना नहीं चाहिये था कि घटना कब हुई, उसमें क्या हुआ और उसमें क्या कार्यवाही हुई। यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है कि इसमें भी पार्टीबन्दी चलती है। आपकी पार्टी का आदमी मारा जायेगा तो उसके घर पर आप जायेंगे। उसके घर पर सूचना देंगे, संवेदना प्रकट करेंगे और ३ सौ मील के फासले पर जायेंगे लेकिन यहां पर आप ३ मील भी नहीं जा सके। ऐसा क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्नों का समय है, उसमें बहस नहीं होना चाहिये, उसमें विवाद नहीं होना चाहिये। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन टीका टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

हुजूरवाला, इस माननीय सदन में लोगों ने जैसी दिलचस्पी इस पर दिखाई, उससे स्पष्ट है कि प्रश्न कितना महत्वपूण है कितने लोक महत्व का है। माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत

[श्री अनन्तराम जायसवाल–]

व्यस्त आदमी हैं, जबकि कांग्रेस के अन्दर द्वन्द हो। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि दूसरे मंत्री उनका कार्य कर रहे हैं और यह भी मालूम है कि वह बाडिली डिसएबिलिटीज से सफर करते हैं। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज के अलावा इस लोक-महत्व के प्रश्न पर चर्चा के लिये एक घण्टा या दो घण्टा की चर्चा का समय आप अन्य किसी दिन के लिये निर्धारित कर दें, जिससे मुख्य मंत्री जी इस पर अपना वक्तव्य दे दें और दूसरे लोग उस में हिस्सा ले सकें।

श्री अध्यक्ष—

इस पर तो मैं पहले कह चुका हूं। घण्टे भर के लिये कहना था तो पहले उसी समय कहना चाहिये था। वह आज नहीं हो सकता है, कल हो सकता है। कल आप के ऊपर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मैं यह जरूर चाहता हूं कि जब इतने ज्यादा लोगों में इस बारे में इतना जोश है क्योंकि इतने आदमी जलाये गये और कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैं भी यह समझता हूं कि वे पहले इस बात की जांच कर लें कि वह स्वयं इसीलिये मौजूद थे या नहीं। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि वे ३ मील की दूरी पर थे और पुलिस ने उनको सूचना नहीं दी। अगर नहीं दी, तो उन्हें मुक्तकण्ठ से स्वीकार कर लेना चाहिये कि पुलिस को सूचना देनी चाहिये थी और उन्होंने नहीं दी। इस वक्त तो जैसा वे कहते हैं कि उनको याद नहीं है, तो ठीक है। लेकिन पहले वे उसकी जांच कर लें कि क्या यह सही है कि वे उस रोज ३ मील की दूरी पर उस घटनास्थल से थे और पुलिस ने उनको सूचना नहीं दी। अगर पुलिस का कसूर इसमें हो तो उन्हें मंजूर कर लेना चाहिये। यह दूसरी बात है कि पुलिस ने जो जलाये जाने के बाद कार्यवाही की वह यह है कि मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा चला दिया गया है और वे पकड़ लिये गये हैं तो उसके बाद तो मामला सबजुडिस हो जाता है और हम उसके डिटेल्स में यहां नहीं जा सकते लेकिन पुलिस ने अपने कर्त्तव्य को पूरा किया या नहीं, इस विषय में तो आप सदन को सूचना दे सकते हैं कि पुलिस ने आपको सूचना क्यों नहीं दी। जब आप स्वयं कह रहे हैं कि आप को याद नहीं है तो उसको मानना ही चाहिये। अगर उनको मालूम होता तो जरूर जाते। अगर पुलिस सूचना देती तो आप जरूर जाते। एक आदमी के लिये आप जाते हैं तो ११ आदमियों के लिये जब वह जल गये तो आप न जाते ऐसा विश्वास नहीं होता कि एक ही रोज में वे इतने कठोर हृदय हो गये हों, ऐसा नहीं हो सकता। वह तीन मील पर थे या नहीं, पहले इसकी जांच कर लें और उस तारीख की आपके पास डायरी भी होगी उसको देखकर फिर पुलिस से पूंछ लें कि उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी और अगर पुलिस ने गलती की है तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जनाबवाला, इस विषय की जो जान है वह तो श्रीमान् जी ने पकड़ ली। हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहते। असल बात यह है कि पुलिस गाफ़िल रही या नहीं इस बात की जानकारी होनी चाहिये और आपने उस पर क्या कार्यवाही की। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस बात की चर्चा के लिये कोई दिन निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप इसके लिये सूचना दीजियेगा कि आधा घण्टा का डिस्कशन इसके लिये कर दिया जाय।

खमियां ब्लाक की वन भूमि पर कब्जा

*६—श्री इन्द्र लाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक ५ जुलाई, १९६७ के प्रश्न सं० २१ के अनुपूरक के उत्तर के क्रम में क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा १ जुलाई, १९६७ को जो प्रमाण के कागजात उन्हें पेश किये गये थे, उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

नियोजन तथा श्रम मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

तत्कालीन वन मंत्री जी को इस संबंध में कोई प्रमाण के कागजात प्राप्त नहीं हुए इसलिये इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इन्द्र लाल---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि तत्कालीन वन मंत्री जी को इस संबंध में कोई प्रमाण-पत्र या कागजात नहीं मिले । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न की सूचना एकत्रित करते समय तत्कालीन वन मंत्री जी से जांच करवायी या प्रशासन की मशीनरी से ही इस बात की सूचना एकत्रित की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जो सूचना विभाग में प्राप्त है उससे पता चलता है कि इस प्रकार का कोई शिकायती पत्र या प्रमाण-पत्र के कागजात तत्कालीन वन मंत्री श्री रामचन्द्र जी विकल को प्राप्त नहीं हुए थे ।

श्री इन्द्र लाल---

क्या वन मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अगर सरकारी कागजात से साबित हो जाय कि यह कागजात उनके कार्यालय में पड़े हुए थे और उनको दिये गये थे तो इस संबंध में वे क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार कोई सूचना नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य कोई सप्रमाण सूचना देंगे तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है ।

चीनी मिल कर्मचारी यूनियन, बाजपुर की शिकायतें

*७---श्री इन्द्र लाल---

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि सरकारी चीनी मिल, बाजपुर में हजारों रुपये के गोलमाल होने की कोई सूचना चीनी मिल कर्मचारी यूनियन बाजपुर, जिला नैनीताल द्वारा सरकार को जून-जुलाई, १९६७ में मिली है ? यदि हां, तो इस यूनियन के मुख्य आरोप क्या हैं, और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कदम उठाया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री इन्द्र लाल---

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस क्रम पर जो सूचना एकत्रित की जा रही है तो क्या कोई आरोप-पत्र बहुत ज्यादा आये हैं जिसमें इतना अधिक समय लग रहा है और वे आरोप-पत्र किस-किस महीने में प्राप्त हुए हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

मुझे बड़ा दुख है कि इस प्रकार से फिर आप पूछ रहे हैं । यह प्रश्न एक कोआपरेटिव सोसाइटी की मिल से सम्बन्ध रखता है । उनका जवाब आने में देर हो गई । मैंने कल भी पता लगाया था । मैं इसका पूर्णरूप से उत्तर देना चाहता हूं । वह स्वयं इसको स्थगित करना चाहते थे मैंने उनसे कहा कि जल्दी ही सूचना मंगा कर जवाब दिया जायेगा ।

श्री रियासत हुसेन---

इस प्रश्न को सरकार को गये हुए २, १/२ महीने हो गये । तो कृपया आइन्दा के लिये कोई इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि एक प्रश्न का जवाब देने में कितना समय लेगा ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने साफ बता दिया । वह स्थगित करने की इजाजत चाहते थे तो इसकी इजाजत उन्होंने नहीं दी । वह जितना जल्दी हो सकेगा इसकी सूचना मंगाकर सदन के सामने रख देंगे ।

उसावां-कला सड़क पर बस दुर्घटना

*८—श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २४ जनवरी, १९६९ को बस नम्बर यू० पी० ओ० ८३० के उसावां से कला जाते समय जल जाने एवं ६५ सवारियों की वहीं घटना पर मृत्यु हो जाने के कारणों की जांच सरकार ने कराई है ? यदि हां, तो इस भयानक दुर्घटना का क्या कारण था ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इस दुर्घटना की मैजिस्टीरियल इनक्वायरी एस० डी० एम० जलालाबाद ने २६ जनवरी १९६९ को की थी। जब गाड़ी सड़क पर चल रही थी तो ड्राइवर के केबिन में यकायक आग लग गई, जिससे ड्राइवर जो कि नशे की हालत में था, उससे स्टियरिंग बे काबू हो गया और गाड़ी खड्ड में गिर कर जल गई । यह गाड़ी गैर सरकारी थी ।

*९—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त बस में मरे यात्रियों के उत्तराधिकारियों ने मुआवजे के दावे दायर किये हैं ? यदि हां ,तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यात्रियों के उत्तराधिकारियों ने १५ मुकदमें मुआवजे के संबंध में जिला जज, शाहजहांपुर के न्यायालय में दायर किये हैं ।

मऊ, जिला आजमगढ़ का दंगा

*१०—श्री यादवेन्द्र दत्त तथा श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च सन १९६९ में मऊ, जिला आजमगढ़ में कोई दंगा हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस दंगे का पूर्ण विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

जी हां । दंगे का तिथिवार विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ.१६०.पर) ।

गोंडा जिले में बस सर्विस

*११—श्री सूरज लाल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार ने गोंडा जनपद में उतरौला से गोंडा होते हुए , कानपुर तक मनकापुर होते हुए गोंडा तक बस सर्विस जारी करने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी नहीं । अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

नोट—तारांकित प्रश्न ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*१२—श्री सूरजलाल—

क्या सरकार गोंडा नगर में शीघ्र ही सिटी बस सर्विस जारी करने की कृपा करेगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इस समय गोंडा में सिटीबस सर्विस चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अजन्ता फिल्म कार्पोरेशन के लिए गाजियाबाद में जमीन

*१३—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), तथा श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि गाजियाबाद में सिनेमा स्टूडियों के लिये २०० एकड़ जमीन निकट भविष्य में दी जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और उसकी शर्तें क्या होंगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

राज्य सरकार ने अजन्ता फिल्म कार्पोरेशन के लिये गाजियाबाद में २०० एकड़ भूमि देने का निर्णय लिया है। दिनांक २ मई, १९६९ को १२० एकड़ भूमि उक्त कार्पोरेशन को दे दी गई है। शेष भूमि की आवश्यकता जब कार्पोरेशन को होगी वह उन्हें यथासमय उपलब्ध की जावेगी। भूमि देने की शर्तें निम्नलिखित होंगी :

(१) भूमि ९० वर्ष के लिये पट्टे पर दी जावेगी।

(२) भूमि उसकी अध्याप्ति के खर्चे से अधिक मूल्य न लेकर दी जावेगी और भूमि का मूल्य प्रीमियम के तौर पर लिया जावेगा। मूल्य का १० प्रतिशत भूमि देने के समय पर लिया जायगा और शेष ९० प्रतिशत आठ वार्षिक समीकृत किस्तों में जिनका भुगतान भूमि देने की तिथि के २ वर्ष बाद आरम्भ होता है, वसूल किया जायगा।

(३) पट्टे के पहिले ३० वर्ष में पट्टा किराया (lease rent) १०० रु० प्रति एकड़ वार्षिक की दर से लिया जावेगा। उसके बाद के ३० वर्षों में पट्टा किराया की दर बढ़ा कर १५० रु० प्रति एकड़ वार्षिक तथा अन्तिम ३०वर्षों में २२५ रु० प्रति एकड़ वार्षिक कर दी जायगी।

(४) पट्टेदार को पट्टे में निर्धारित अवधि के अन्दर भूमि का निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ उपयोग कर लेना पड़ेगा अन्यथा उससे जमीन वापस ले ली जायगी।

राजकीय रोडवेज क्षेत्र, कानपुर में परिगणित जातीय कर्मचारियों की नियुक्ति

*१४—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज बस सर्विस रीजन कानपुर के अन्तर्गत वर्ष १९६८ ई० से अब तक (मार्च, १९६९) परिचालक तथा बुकिंग क्लर्क के कितने स्थान भरे जा चुके हैं ? इन स्थानों के लिये कितने प्रार्थियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे तथा उनमें परिगणित जातीय प्रार्थी कितने थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

राजकीय रोडवेज क्षेत्र कानपुर के अन्तर्गत वर्ष १९६८ में अर्थात् १-१-६८ से ३१-३-६९ तक परिचालक के २२ स्थान तथा बुकिंग क्लर्क के १९ स्थान भरे जा चुके हैं। उपरोक्त स्थानों के लिये कोई प्रार्थना पत्र परिगणित जाति अथवा अन्य लोगों से नहीं प्राप्त हुए।

*१५—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील—

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नियुक्तियों में परिगणित जाति के कितने अभ्यर्थी लिये गये ? क्या इन नियुक्तियों में परिगणित जाति के संरक्षण का ध्यान रखा गया या नहीं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

बुकिंग क्लर्क के पद पर दो परिगणित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई तथा कन्डक्टर के पद पर किसी भी परिगणित जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की गई। ये नियुक्तियां करने में परिगणित जाति के संरक्षण का ध्यान रखा गया।

डुमरियाडीह ग्राम में देशी शराब बनाने वालों की गिरफ्तारी

*१६—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, सन १९६८ ई० से लेकर ३१ मार्च, १९६९ तक आबकारी विभाग के अधिकारियों ने थाना वजीरगंज, थाना कोतवाली, थाना नवाबगंज में कितने व्यक्तियों को देशी शराब बनाने में गिरफ्तार किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रश्नगत अवधि में तीनों थानों से कुल २४ व्यक्तियों को देशी शराब बनाने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया।

*१७—श्री गंगाप्रसाद (गोंडा)—

क्या आबकारी मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम डुमरियाडीह, थाना वजीरगंज में दिनांक ३०-३१ मार्च, १९६९ को आबकारी इंसपेक्टर ने छापा मारकर शराब बनाने के बारे में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और मौके पर जमानत लेकर छोड़ दिया ? यदि हां, तो इसके बारे में पूरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

आबकारी इन्सपेक्टर ने दिनांक ३० मार्च, १९६९ को ग्राम डुमरियाडीह में ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और सभी को मौके पर जमानत लेकर छोड़ दिया। पूरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६२ पर)

कुन्दन चीनी मिल, अमरोहा पर बकाया कर

*१८—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३१ मार्च, १९६९ को कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा, जिला मुरादाबाद पर राज्य सरकार का कुल कितना देय-कर शेष था तथा वह धन किन-किन वित्तीय वर्षों से सम्बन्धित है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

प्रश्नगत तिथि पर इस चीनी मिल पर राज्य सरकार का कुल उपकर एवम् क्रय कर का ३६.८७ लाख रुपया शेष था तथा यह धन १९६०-६१ तथा १९६४-६५ से १९६८-६९ तक के वर्षों से सम्बन्धित है।

पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद की उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आलोचना

*१९—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायाधीश श्री वी० वी० मिश्रा ने १० फरवरी, १९६९ को श्री के० सी० वर्मा बनाम सरकार नाम के मुकदमें में जिला फर्रुखाबाद के पुलिस कप्तान की अपने निर्णय में कड़ी आलोचना की है और लिखा है कि समस्त मुकदमें गलत हैं ? पुलिस कप्तान ने जानबूझ कर झूठे चालान कराये ? यदि हां, तो न्यायाधीश के निर्णयों के संबंध में सरकार ने पुलिस कप्तान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्री के० सी० वर्मा बनाम सरकार के मुकदमें में उच्च न्यायालय ने फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक की आलोचना की है। उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि उनके निर्णय में से उस भाग को निकाल दिया जाय जिसमें कि पुलिस अधीक्षक की आलोचना हुई है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय में उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की प्रार्थना विचाराधीन है।

तेन्दू की पत्ती का व्यापार

*२०—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या वन मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि तेन्दू की पत्ती के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना उनके विचाराधीन है? यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूप-रेखा क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

तेन्दू पत्ती के राष्ट्रीयकरण की योजना पर सरकार विचार नहीं कर रही है। किन्तु तेन्दू पत्ती के व्यापार के नियमन का प्रश्न अवश्य विचाराधीन है। इसकी विस्तृत रूपरेखा अभी निर्धारित नहीं हुई है।

शराब की दुकानों के स्थित स्थान के लिये सुझाव

*२१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शराब की दूकानों को घनी बस्तियों तथा सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थानों के समीप से हटाने के प्रश्न पर सरकार कोई विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं।

ग्राम ऊन, थाना फिफाना के गोली कांड की जांच

*२२—श्री वीरेन्द्र वर्मा तथा श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि भारतीय क्रांति दल के ९८ विधायकों ने प्रस्ताव द्वारा महामहिम राज्यपाल जी से २३ फरवरी, १९६९ को प्रार्थना की थी कि मुजफ्फरनगर जिले में मध्यावधि चुनाव के दौरान ९ फरवरी को ग्राम ऊन, थाना फिफाना में गोली-कांड एवं लाला सलेकचन्द संगल की मृत्यु की जांच सी० बी० आई० द्वारा कराई जाय? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। इस मामले पर पूर्णतया विचार किया गया। सी० आई० डी० द्वारा जांच में काफी प्रगति हो चुकी थी और यह मामला साधारण दंगा तथा हत्या का था जिसकी तफतीश में कोई कठिनाई नहीं मालूम पड़ी जिसके लिये केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो की सहायता की आवश्यकता महसूस होती। इसलिये यह निश्चय किया गया कि जांच पूर्ववत् सी० आई० डी० द्वारा हो।

नसबन्दी

*२३—श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में १ जनवरी, १९६८ से ३१ मार्च, १९६९ तक कितने लोगों की नसबन्दी की गई?

श्री कृष्णानन्द राय--

इस अवधि में २,२७,६५१ व्यक्तियों की नसबन्दी की गई ।

*२४--श्री जगन्नाथ खन्ना--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंग कि १ अगस्त, १९६८ से ३१ मार्च, १९६९ तक जिन लोगों की नसबन्दी की गई है, उसमें से कोई अविवाहित भी हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री कृष्णानन्द राय--

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बिल्हौर तहसील के अस्पतालों में डाक्टर

*२५--श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें मालूम है कि अब इन दिनों कानपुर जिलान्तर्गत तहसील बिल्हौर के किसी भी सरकारी अस्पताल में डाक्टर नहीं है और तहसील के सभी सरकारी अस्पताल केवल कम्पाउन्डर के सहारे चल रहें हैं ? यदि हां, तो वहां डाक्टरों की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री कृष्णानन्द राय--

यह सही नहीं है । स्थिति इस प्रकार है :--

बिल्हौर तहसील में ४ प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हैं, । इनमें से तीन, जो बिल्हौर, शिवराजपुर तथा चौबेपुर में स्थित है, में डाक्टर तैनात हैं । चौथा प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, जो कफवान में है बगैर डाक्टर के है और जल्द वहां डाक्टर तैनात करने की कोशिश की जा रही है ।

उपरोक्त प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के अलावा इस तहसील में दुन्डावा जमौली में एक इन्टीग्रेटेड डिस्पेन्सरी है, जहां चिकित्साधिकारी तैनात हैं ।

उत्तरकाशी जिले में मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता न मिलना

श्री इन्द्रमणि बड़ौनी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

*२६--क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी है कि उत्तर काशी जिले में मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कृष्णानन्द राय--

जी हां, उक्त कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता इस कारणवश नहीं मिलता है कि, शासन के आदेशों के अनुसार, यह आवश्यक है कि कर्मचारियों का मुख्यालय (हेडक्वार्टर्स) उत्तराखंड मंडल में स्थित हो । मलेरिया विभाग का सुसंगत मुख्यालय देहरादून में स्थित है ।

खीरी जिले में कागज का कारखाना खोलने का विचार

*२७--श्री रामसागर (जिला जौनपुर) तथा श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखमपुर खीरी में कागज का कारखाना खोलने का विचार सरकार कर रही है ? यदि हां, तो वह निजी क्षेत्र में होगा अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में ? यदि निजी क्षेत्र में होगा तो सरकार किस व्यक्ति अथवा फर्म को लाइसेन्स दे रही है तथा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता अथवा कर्ज दिया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

लखीमपुर खीरी में कागज का कारखाना खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। हां सर्वश्री सूरज इन्डस्ट्रियल पैकिंग लि०, लखनऊ ने उक्त जिले में मलानी के पास कागज और लुग्दी बनाने के लिए निजी क्षेत्र में एक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है। कागज का कारखाना बनाने के लिये लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है। उक्त पार्टी ने सरकार से किसी कर्जे की मांग नहीं की है।

मुरादाबाद में विभिन्न उद्योगों के लिये ई० सी० सर्टीफिकेट

*२८--श्री महीलाल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर मुरादाबाद के बर्तन निर्माताओं को १ अप्रैल, १९६८ से ३१ मार्च, १९६९ तक किस-किस को कितना-कितना कच्चा माल पीतल-जस्ता इत्यादि का कोटा दिया गया है? उनमें से किन-किन को ई० सी० सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की गई थी और वे कितने-कितने मूल्य के थे?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

नगर मुरादाबाद के बर्तन निर्माताओं को अप्रैल, १९६८ से ३१ मार्च, १९६९ तक किसी भी इकाई को पीतल, जस्ता इत्यादि का कोटा नहीं दिया गया है। ऐसी दशा में प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता।

*२९--श्री महीलाल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर मुरादाबाद में उक्त अवधि में बेकरी व आइसक्रीम बनाने वालों में से किस-किस को कितने-कितने सूखे दूध (मिल्क पाउडर) विदेशों से मंगाने के लिये ई० सी० सार्टिफिकेट प्रदान करने के लिये केन्द्रीय प्रशासन से संस्तुति की गई?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

नगर मुरादाबाद में अप्रैल, १९६८ से ३१ मार्च, १९६९ तक बेकरी व आईस क्रीम बनाने वाली ८ इकाइयों के लिये ३४ हजार रुपये की धनराशि की ई० सी० की संस्तुति केन्द्रीय प्रशासन को भेजी गई।

देहरादून गोलीकांड

*३०--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार बतायेगी कि ६, ७ सितम्बर, १९६६ को देहरादून में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई? यदि हां, तो उससे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा क्या सरकार मृतकों के परिवारों को मुआवजा अथवा आर्थिक सहयोग देने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

देहरादून में दिनांक ६, ७ सितम्बर, १९६६ को तो नहीं किन्तु ६ अक्तूबर, १९६६ को शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु पुलिस द्वारा गोली चलाने की एक घटना हुई जिसमें ३ व्यक्ति मारे गये। ऐसे मामलों में मृतक व्यक्तियों के परिवारों को मुआविजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

सुनौली–नौतनवा मार्ग पर बसों का चालान

*३१—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि नैपाल राज्य के नम्बर प्लेट लगी हुई डाज गाड़ियां गोरखपुर जिले के उत्तरी भाग में स्थित फरेंदा तहसील के सुनौली, नौतनवां, कोल्हई तथा नौतनवा–ढुढ़िवारी मार्ग पर किराये पर यात्री ढोने का कार्य कर रही हैं तथा उनको रजिस्ट्रेशन अथवा अनुमति-पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, जिसके कारण सरकार को हजारों रुपया प्रति वर्ष करों के रुप में क्षति उठानी पड़ रही है? यदि हां, तो सरकार ने इस क्षति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नैपाल राज्य की नम्बर प्लेट लगी हुई कुछ गाड़ियां सुनौली से नौतनवा सवारी ले जाती हुई पकड़ी गई थीं। उनका चालान करके मामला संभागीय मजिस्ट्रेटों को निस्तारणार्थ भेज दिया गया।

शाहजहांपुर जिले में बोगस पर्चियों पर गन्ने की सप्लाई

*३२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या यह सही है कि जिला गन्ना अधिकारी, शाहजहांपुर को ये शिकायतें अप्रैल, १९६९ में प्राप्त हुई हैं कि बोगस पर्चियों पर गन्ना सप्लाई किया गया और उनका भुगतान किया गया? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रतापगढ़ जिले में 'अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन' संबंधी मुकदमें

*३३—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार कृपया बताने का कष्ट करेगी कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत १९६७ ई० में अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन के क्रम में कितनी गिरफ्तारियां हुई थीं, क्या आन्दोलनकारियों पर से मुकदमें उठा लिये गये थे? यदि हां, तो क्या ऐसे भी आन्दोलनकारी हैं, जिन पर अभी तक मुकदमें चल रहे हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

सन १९६७ में अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन के सिलसिले में प्रतापगढ़ में ३ विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये थे। उनमें से केवल २ के विरुद्ध चार्ज शीट अदालत भेजी गयी। यह मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

बलिया में रोडवेज यात्रियों के लिये शेड न होना

*३४—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया यह बतलायेंगे कि बलिया रोडवेज के बलिया डिपो पर यात्रियों के लिये यात्री शेड कब तक बनेगा?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यात्रियों के लिए शेड बनाने के लिये अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

कुन्दन चीनी मिल, अमरोहा पर सरकारी बकाया

*३५—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा, जिला मुरादाबाद पर अप्रैल, १९६९ तक राज्य सरकार की कितनी धनराशि बकाया थी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

अप्रैल, १९६९ तक कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा, जिला मुरादाबाद पर राज्य सरकार का उप-कर एवं क्रय कर के रूप में ३७.९१ लाख रुपए बकाया था।

*३६—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त धनराशि किस-किस वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

उपरोक्त धनराशि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ तथा १९६४-६५ से १९६८-६९ तक से सम्बन्धित है।

जाट कर्मचारियों से सम्बधित आयुक्त मेरठ मण्डल को कथित आदेश

*३७—श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ), श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ) तथा श्री बीरेन्द्र वर्मा—

क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आयुक्त, मेरठ मण्डल को ऐसा डी० ओ० अथवा आदेश जारी किया है कि वह अपने मण्डल के समस्त जाट कर्मचारियों व अधिकारियों की ऐसी सूची तैयार करके भेजे कि वे कर्मचारी, मेरठ मण्डल में कहां-कहां और किस-किस समय से नियुक्त हैं ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

जी नहीं।

गोरखपुर जिले में जंगल विभाग के ठेकेदारों पर सरकारी बकाया

*३८—श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में जंगल विभाग के ठेकेदारों पर पिछले वित्तीय छः वर्षों के अन्दर का सरकार का धन बाकी है ? यदि हां, तो कितना और क्या सरकार कोई उचित कार्यवाही करने का विचार कर रही है और सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

जिला गोरखपुर में जंगल विभाग के ठेकेदारों पर सन् १९६२-६३ से १९६७-६८ तक का २,३२,८२२ रुपया सरकार का धन १ जून, १९६९ को बाकी था। इस बकाया धनराशि में से अधिकांश धन (१,६९,३४६ रुपया) को भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल करने की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जा रही है। शेष धनराशि को ठेकेदारों के माल को जो वन विभाग के कब्जे में है उसे बेच कर के, बल्ली आदि के मूल्य का विद्युत् विभाग द्वारा भुगतान को मुजरा करके तथा ठेकेदारों द्वारा जमा की गई जमानत को मुजरा करके वसूल किया जा रहा है।

देवरिया जिले में गन्ना तौल केन्द्रों पर कार्टेज की कटौती

*३९—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि क्या यह सही है कि देवरिया जिले के मिल मालिकों ने गन्ना काश्तकारों से गन्ना तौल केन्द्र पर इस वर्ष शुरू में ३२ पैसे प्रति कुन्टल कार्टेज काटे और फिर बाद में ५० पैसे प्रति कुन्टल काटने लगे ? क्या इस प्रकार की कटौती का कोई सरकारी आदेश था ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

राम कोला खेतान एवं परताबपुर मिलों को छोड़ कर देवरिया जिले में अन्य सभी मिलों ने काश्तकारों से गन्ना क्रय केन्द्रों पर वर्ष १९६८–६९ सीजन में आरम्भ से ही ५० पैसे प्रति कुन्टल कार्टेज काटा है। राम बोला (खेतान) चीनी मिल ने २४ पैसा प्रति कुन्टल काश्तकारों से गन्ना क्रय केन्द्रों पर कार्टेज काटा है एवं परताबपुर चीनी मिल ने विभिन्न केन्द्रों पर २४ पैसे से लगा कर ५० पैसे प्रति कुन्टल तक कार्टेज काटा है।

भारत सरकार ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य पर केवल रेल तथा रोड द्वारा ढुलाई पर ३२ पैसे प्रति कुन्टल तक ढुलाई भाड़े की कटौती के आदेश दिये थे।

पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति के निरीक्षक

*४०—श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में क्रमशः कितने-कितने आरक्षी अधीक्षक, उप-अधीक्षक, आरक्षी निरीक्षक तथा आरक्षी उप निरीक्षक हैं और उनमें से क्रमशः कितने-कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में १४९ पुलिस अधीक्षक, ३६६ उप-अधीक्षक, २९३ निरीक्षक तथा ४,०३० उप निरीक्षक हैं तथा इनमें क्रमशः अनुसूचित जाति के ८ पुलिस अधीक्षक १८ उप अधीक्षक, ३ निरीक्षक तथा १९४ उप निरीक्षक हैं।

*४१—श्री रामप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचमहानगरियों में अनुसूचित जाति के कितने आरक्षी निरीक्षक तथा आरक्षी उप-निरीक्षक वर्तमान समय में थानों के इंचार्ज हैं ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

पंच महानगरियों में अनुसूचित जाति के वर्तमान समय में कोई निरीक्षक थाना इंचार्ज के पद पर कार्य नहीं कर रहा है। केवल ७ उप-निरीक्षक अनुसूचित जाति के थाना इंचार्ज के पद पर कार्य कर रहे हैं।

हजरतगंज थाने में मूर्तियों की चोरी

*४२—श्री सजीवन लाल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि धार्मिक मूर्तियों की चोरी के कितने मामलों की रिपोर्ट जनवरी, १९६९ में लखनऊ के विभिन्न थानों में की गई ? तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

लखनऊ जिले में माह जनवरी, १९६९ में धार्मिक मूर्तियों की चोरी की केवल एक घटना की रिपोर्ट थाना हजरतगंज में अंकित कराई गई।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त थाने पर धारा ३७९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गई। सबूत की कमी के कारण अन्त में विवेचना समाप्त की गई और अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

देवरिया जिले में शिव नन्दन गौड़ के परिवार को पेन्शन

*४३--श्री दीपनारायण--

क्या गृह मन्त्री बताने की करेंगे कि दिनांक १ सितम्बर, १९६६ को देवरिया जिले के पांडेपुर ग्राम, थाना कोतवाली देवरिया का शिवनन्दन गौड़ को गल्ले के तस्कर व्यापारियों द्वारा मार डाला गया था, उसमें शासन की ओर से शिवनन्दन के निःसहाय परिवार को कोई सहायता नहीं दी गई है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--

जी हां, श्री शिवनंदन गौड़, निवासी ग्राम पांडेपुर, थाना कोतवाली, जिला देवरिया ३१-८-६६/१-९-६६ की रात्रि में गल्ले के तस्कर व्यापारियों द्वारा मारे गये। उनके परिवार को शासन ने पेंशन स्वीकृत की है।

*४४--श्री दीपनारायण--

क्या यह सही है कि उनके चचेरे भाई रामदौड़ गौड़ ने शासन से उस मृत व्यक्ति के बच्चों एवं विधवा स्त्री के भरण-पोषण के लिये पेंशन की मांग की है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--

जी हां, श्री राम दौड़ गौड़ ने अपने चचेरे भाई स्व० श्री शिवनंदन गौड़ के परिवार के लिये पेंशन हेतु शासन को प्रार्थना-पत्र भेजा था।

*४५--श्री देवकी नन्दन विभव--

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

नक्सलवादी उपद्रवकारी

*४६--श्री देवकी नन्दन विभव--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या नक्सलवादी उपद्रवकारी प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में सक्रिय हैं और खूनी क्रान्ति का प्रचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--

जीं हां।

तल्लानागपुर पेयजल योजना

*४७--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी (जिला चमोली)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद चमोली में कुछ गांवों के समूह के लिये पेय जल की व्यवस्था करने के लिये तल्ला नागपुर पेयजल योजना कब कार्यान्वित हुई थी और इस पर कुल कितना रुपया लगा था ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--

तल्लानागपुर पेय जल योजना ६ मार्च, १९६२ को कार्यान्वित हुई। इसके कार्यान्वयन पर १,४०,००० रु० व्यय हुआ।

*४८—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को मालूम है कि इन गांवों में आज भी पेय जल की कठिनाई हैं ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

जी हां। इस कठिनाई को दूर करने के लिये एक योजना बनाई गई है जो कि शासन के विचाराधीन है।

चीनी मिलों द्वारा गन्ना न लेने की शिकायत

*४९—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सारे उत्तर प्रदेश में लाखों मन गन्ना खेतों में खड़ा सूख रहा है और मिलों ने गन्ना लेना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

न्यू विक्टोरिया मिल कानपुर बन्द होने से क्षति

*५०—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विक्टोरिया मिल्स (कानपुर) के विगत १७ माह से बन्द होने से सरकार को कर सम्बन्धी कितनी क्षति हुई है और कितने मजदूर बेकार हो गये हैं तथा उक्त मिल को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह निश्चित रूप से बताना मुश्किल है कि न्यू विक्टोरिया मिल के विगत कई महीनों से बन्द होने के कारण प्रदेशीय सरकार को कर संबंधी कितनी हानि हुई है। लेकिन विगत तीन वर्षों (१९६५, १९६६, १९६७) में कम्पनी द्वारा जो कर देय था उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि मिल चालू रहती तो प्रदेशीय सरकार को हर वर्ष सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, टर्मिनल टैक्स आदि से औसतन लगभग २५.०५ लाख रु० की आमदनी होती।

इस मिल के बन्द होने से लगभग ५,९४६ श्रमिक प्रभावित हुये हैं। राज्य सरकार ने इस मिल को सरकारी नियन्त्रण में लेने तथा अथराइज्ड कंट्रोलर शीघ्र नियुक्त करने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार को भेज दी है।

*५१—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या उद्योग मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मिलके कर्मचारियों को अर्जित बकाया वेतन दिलाने का सरकार ने क्या प्रयत्न किया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

न्यू विक्टोरिया मिल के कर्मचारियों के अर्जित बकाया वेतन दिलाये जाने के संबंध में वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत प्रमुख कारखाना निरीक्षक द्वारा नगराधीश, कानपुर के न्यायालय में ४,४७,८६५ रु० २५ पै० के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में डाइरेक्शन केसेज दायर किये गये हैं। उपरोक्त मुकदमों की सुनवाई के समय नगर धीश, कानपुर के प्रतिष्ठान के फैक्टरी मैनेजर के खिलाफ कार्यवाही इसलिये स्थगित कर दी गई कि वे अब प्रतिष्ठान से अलग हो गये हैं। अब डाइरेक्टर्स को प्रतिवादी बनाया गया है।

बस्ती जिले में चेचक

*५२--श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में सन् १९६८-६९ में कितने गांवों में चेचक का प्रकोप था ?

श्री कृष्णानन्द राय--

बस्ती जिले में सन् १९६८-६९ में पांच गांवों में चेचक का प्रकोप हुआ।

मेरठ क्षेत्र में आर० टी० ए० के विचाराधीन परमिट प्रार्थना-पत्र

*५३--श्री धर्म सिंह--

क्या यातायात मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ रीजन आर० टी० ए० द्वारा अक्तूबर, १९६८ में कुछ नये रूटों के स्टेज कैरेज परमिट दिये जाने के प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे जिनकी संख्या प्रकाशित २२ मार्च, १९६९ के गजट में ८,८८६ थी ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

मेरठ रीजन की आर० टी० ए० द्वारा अक्तूबर, १९६८ में कुछ नये मार्गों के स्टेज करेज परमिट देने के लिये प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे जिनकी संख्या प्रकाशित २२ मार्च, १९६९ तथा १९ अप्रैल, १९६९ के गजट में दोनों दिनों को मिला कर लगभग १०,००० थीं। वे प्रार्थना-पत्र अभी आर० टी० ए० के विचाराधीन हैं।

लीसा का मूल्य

*५४--श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) तथा श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६८-६९ में उत्तराखंड के रिजर्व तथा वन पंचायतों का लीसा आई० टी० आर०, बरेली तथा सहकारी समितियों को कितना और प्रति क्विन्टल किस भाव पर दिया गया है तथा बचा हुआ शेष लीसा जो खुले आम नीलाम हुआ उसका मूल्य सरकार को प्रति क्विन्टल क्या मिला ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

नसबन्दी तथा लूप

*५५--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में गत दो वर्षों में कितनी नसबन्दियां हुई हैं तथा कितने लूप लगे हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय--

उत्तर प्रदेश में गत दो वर्षों में निम्नलिखित नसबन्दियां व लूप निवेशन हुए :--

	नसबन्दी	लूप
१९६७-६८	१,५९,१६८	१,०३,०४२
१९६८-६९	१,५५,८८३	९०,७९२

सोरों नगरपालिका संबंधी उच्च न्यायालय के फर्जी आदेश की जांच

*५६—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सोरों नगरपालिका, जिला एटा में अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिये बुलाई गई दिनांक २ दिसम्बर, १९६७ की बैठक की कार्यवाही को स्थगित किये जाने सम्बन्धी उच्च न्यायालय के फर्जी आदेश को लाने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई जा रही थी क्या उसकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच जारी है और जांच पूर्ण होने के उपरान्त दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायगी ।

बस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग तथा परिवार नियोजन अधिकारी द्वारा कोषागार से लिया गया धन

*५७—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बतानेकी कृपा करेगी कि जिला स्वास्थ्य विभाग बस्ती, द्वारा फरवरी तथा मार्च, १९६९ में कोषागार से कितना रुपया निकाला गया तथा मार्च, अप्रैल व मई, १९६९ में कितने रुपये का भुगतान किया गया ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जिला स्वास्थ्य विभाग, बस्ती द्वारा फरवरी, तथा मार्च, ६९ में क्रमश: रु० ५८,५०७.३७ तथा रु० १,८९,६४१.१७ कोषागार से निकाले गये और मार्च, १९६९ में रु० १,८५,८०५.७०, अप्रैल १९६९ में रु० १,१३,६४९.५० और मई, १९६९ में रु० १,१२,८११.८३ का भुगतान किया गया है ।

*५८—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिवार नियोजन बस्ती द्वारा फरवरी तथा मार्च, १९६९ में कोषागार से कितना रुपया निकाला गया तथा मार्च, अप्रैल व मई, १९६९ में कितने रुपये का भुगतान किया गया ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जिला परिवार नियोजन अधिकारी, बस्ती द्वारा फरवरी, तथा मार्च, १९६९ में कोषागार से ६६,५९६.८४ रु० निकाला गया तथा मार्च, अप्रैल व मई, १९६९ में ८२,३६३.२३ रु० का भुगतान किया गया ।

चीनी मिलों से कर की वसूली

*५९—श्री रामधारी (जिला देवरिया) तथा श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर प्रदेशीय सरकार को मिलने वाले टैक्स की कुल बकाया धनराशि कितनी है और उसकी वसूली के लिये कौन-कौन से कदम अब तक उठाये गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उत्तर प्रदेश सरकार को मिलने वाले टैक्स की कुल बकाया धनराशि ३१ मई, १९६९ तक ४२६.९३ लाख रुपये थी । इस धनराशि में से १११.८९ लाख रुपयों के वास्ते नौ चीनी

मिलों ने सक्षम न्यायालयों से रोधनादेश प्राप्त कर रक्खा है। १४०.५४ लाख रुपये के वास्ते गन्ना आयुक्त द्वारा संबंधित जिलाधिकारियों को वसूली प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके है तथा बाकी धनराशि के वसूली के लिये भी हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

देवरिया जिले में विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड की आर्थिक स्थिति

*६०—श्री रामधारी तथा श्री शिवराज सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जनपद की खड्डा स्थित विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे अपने निन्यत्रण में लेने का इरादा रखती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं, ऐसा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी बसों से आय

*६१—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी बसों का किराया निर्धारित करने में किन-किन बातों का आधार माना जाता है तथा क्या उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों से भी इस संबंध में परामर्श लिया जाता है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

किराये के निर्धारण में मुख्यतः परिचालन व्यय एवं उचित लाभ को ही आधार माना जाता है। इसके अतिरिक्त, दूसरे यातायात के साधनों के किराये, मार्गों का वर्गीकरण एवं दशा, यात्रा की दूरी तथा विशेष अवसरों को भी ध्यान में रक्खा जाता है। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत एक विज्ञप्ति का आलेख सरकारी गजट में प्रकाशित करके प्रस्तावित दरों पर उपभोक्ताओं, मोटर आपरेटरों आदि सबको अपनी आपत्तियों तथा सुझाव देने का अवसर दिया जाता है। जो आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त होते हैं उनपर राजकीय परिवहन प्राधिकारी के परामर्श से विचार करने के पश्चात किराये की दरें शासन द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को इस सम्बन्ध में अपनी राय देने का समुचित अवसर मिल जाता है।

*६२—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि १९६८-६९ में सरकारी बसों से कुल कितनी आय हुई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

उक्त वर्ष में सरकारी बसों से कुल आय १९.२३ करोड़ रुपये हुई। नेट लाभ (Net Profit) करीब २.२६ करोड़ रुपया हुआ।

नैनीताल जिले में यूकेलिप्टस पेड़ों की लकड़ी

*६३—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल में (यक्यूलिप्टस जंगल विभाग के) गम के पेड़ों की बिक्री ३० साल के लिये बिड़ला को कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के निकट २०० टन प्रतिदिन क्षमता का एक रेयन ग्रेड पल्प यूनिट लगाने के लिये मेसर्स केसोराम इन्डस्ट्रीज एन्ड काटन मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता जिसके मैनेजिंग एजेन्ट्स मेसर्स बिरला ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, को सन् १९७२–७३ में १ लाख ३४ हजार टन, १९७३–७४ में १ लाख ४३ हजार टन तथा १९७४–७५ से १९७९–८० तक प्रति वर्ष २ लाख ८० हजार टन यूकेलिप्टस की लकड़ी २२ रुपया प्रतिमन की दर, जो सप्लाई शुरू होने के ३ साल बाद पुनरीक्षित की जायगी, पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह मूल्य शिवालिक, पश्चिमी, केन्द्रीय तथा पूर्वी चारो वृतों में लगाये गये यूकेलिप्टस के वृक्षारोपण के औसत खर्च तथा औसत उपज के आधार पर निकाला गया है।

अलीगढ़ जिले में क्षेत्र अधिकारयों का स्थानान्तरण

*६४—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि जिला अलीगढ़ में कितने ऐसे क्षेत्राधिकारी (एस० डी० एम०) हैं जो तीन अथवा तीन से अधिक वर्षों से कार्य कर रहे हैं और क्या सरकार को इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दिनांक २५ मार्च, १९६९ और ४ अप्रैल, १९६९ के ज्ञापन प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ऐसे तीन अधिकारी थे जिनका स्थानान्तरण किया जा चुका है। प्रश्नकर्ता के दोनों ज्ञापन शासन को प्राप्त हुए थे और उन पर यथोचित विचार किया गया।

प्रतापगढ़ जिले में डकैतियां

*६५—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ फरवरी, १९६९ ई० से ३१ मई, सन् १९६९ ई० तक प्रतापगढ़ में थानावार कितनी डकैतियों की रिपोर्ट दर्ज की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रतापगढ़ में १५ फरवरी १९६९ से ३१ मई, १९६९ तक कुल २३ डकैतियों की रिपोर्ट दर्ज की गई जिनका थानेवार विवरण संलग्न तालिका में दिया गया हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६४ पर)

झांसी मेडिकल कालेज की इमारत

*६६—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी में बन रहे मेडिकल कालेज की इमारत का काम सन् १९६५ से प्रारम्भ हुआ था और क्या आज तक इमारत नहीं बन सकी ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त काम कब तक पूरा होना था और अब कब तक पूरा होने की आशा है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

इस कालेज की इमारत का निर्माण कार्य जुलाई, १९६७ में आरम्भ हुआ था और अब भी चल रहा है। पूर्व अनुमानों के अनुसार यह कार्य १९७०–७१ तक पूर्ण होने की आशा थी लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण अब यह कार्य १९७२–७३ तक पूरा हो सकेगा।

*६७—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेडिलक कालेज, झांसी की कक्षायें क्या जुलाई, १९६९ से झांसी में ही लगाने की व्यवस्था हो जायगी ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी नहीं। अभी इस कालेज के छात्रों की पढ़ाई की अन्तरिम व्यवस्था मेरठ मेडिकल कालेज में की गयी है और जैसे ही झांसी में आवश्यक भवन बन कर तैयार हो जायेंगे, इन छात्रों को वहां स्थानांतरित कर दिया जायेगा ।

आजमगढ़ जिले के फर्रुखाबाद गांव में भगरूदास की हत्या

*६८—श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि आजमगढ़ जिले के थाना निजामाबाद के ग्राम फरहाबाद में फरवरी, १९६९ में भगरूदास नामक एक साधू को जिन्दा जला दिया गया ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या सरकार द्वारा जांच कराई गई ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ग्राम फरहाबाद, जिला आजमगढ़ में दिनांक २४ फरवरी, १९६९ को जब पुलिस श्री भगरू खां की आग लगने से हुई मृत्यु की रिपोर्ट के सम्बन्ध में पंचायतनामा की कार्यवाही के लिये पहुंची, तो उसकी पत्नी ने पुलिस को यह बताया कि उसके पति को लाठी देकर मारा गया तथा जला दिया गया। दूसरे दिन दिनांक २५ फरवरी, १९६९ को मृतक की पत्नी ने एक लिखित सूचना थाने पर दी कि अमुक व्यक्तियों ने मड़ई का दरवाजा बन्द करके उसके पति को जला डाला। इस पर धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई, जो अभी जारी है ।

फर्रुखाबाद जिले में आर्म्स लाइसेन्स की स्वीकृति

*६९—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जनपद के वर्तमान जिलाधीश ने अपने कार्यकाल में फायर आर्म्स के कुल कितने लाइसेंस स्वीकार किये ?

श्री चन्द्र भानु गप्त—

फर्रुखाबाद जनपद में वर्तमान जिलाधीश के कार्यकाल (१-९-६७ से ३०-६-६९ तक) में ३,६३६ आर्म्स लाइसेंस स्वीकृत किये गये ।

*७०—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जनपद में कितने आवेदन-पत्र हैं जो दो वर्ष अथवा इससे भी अधिक समय से पेंडिंग हैं ? क्या यह सही है कि बाद के आवेदन पत्रों के आधार पर लाइसेंस दिये गये ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

दो साल या उससे अधिक के समय से पेंडिंग (pending) कोई आवेदन-पत्र नहीं हैं। आवेदन-पत्रों का निस्तारण, उनके बारे में आवश्यक आख्याएं आ जाने पर किया जाता है और जिन आवेदन-पत्रों पर पूरी आख्या आ जाती है, चाहे वह बाद के ही क्यों न हों, उनका निस्तारण पहले हो जाता है ।

ट्रक दुर्घटनाओं को रोकने पर प्रयास

*७१—श्री जगदीश गांधी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े मार्गों पर आये दिन ट्रकों की बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े मार्गों पर ट्रकों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है :—

१—शहरी क्षेत्रों में मोटर गाड़ियों की गति सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं।

२—सड़कों पर अन्धे मोड़ कम किये जा रहे हैं।

३—सड़कों को यथासम्भव चौड़ा किया जा रहा है।

४—पुलिस द्वारा यातायात सम्बन्धी नियमों का ड्राइवरों से कठोरता पूर्वक पालन कराया जा रहा है और जो ड्राइवर उनका उल्लंघन करके गाड़ियां चलाते पकड़े जाते हैं उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाती है।

५—इस बात पर अधिक बल दिया जा रहा है कि गाड़ियों के चालक अधिक से अधिक 'डिपर' का प्रयोग करें।

६—नगरों के मुख्य-मुख्य चौराहों पर स्वचालित नियंत्रण प्रथा लागू कर दी गई है।

७—यातायात पुलिस द्वारा "यातायात सप्ताह" मनाकर जनता को अधिक से अधिक "यातयात नियमों" से अवगत कराया जाता है ताकि वे दुर्घटनाओं से अपने को बचा सकें।

८—बड़े-बड़े मार्गों पर गाड़ियों की सीमा गति आदि 'चेक' की जाती हैं।

९—परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा में इंफोर्समेन्ट स्क्वाड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट ऐण्ड रूल्स के अन्तर्गत किये गये अपराधों का अधिक सफलता से पता लगाया जा सके और सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्डित किया जा सके।

चिरैयाकोट थाने में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*७२—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में अप्रैल सन् १९६८ से १५ जून, १९६९ तक कितनी चोरी, राहजनी, डकैती, कतल, बलवे आदि की घटनायें हुई हैं और उनमें से कितनों पर मुकदमे चलाये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत चिरैयाकोट थाने में अप्रैल, १९६८ से १५ जून, १९६९ तक ३२ चोरी, ३ डकैती, ८ कत्ल और १३ बलबों की रिपोट दज हुई। राहजनी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इनमें से चोरी के १०, डकैती के २, कत्ल के ४ तथा बलवा के ६ मामलों में चालान अदालत भेजे गये।

मधुवन थाने में गोपाल चौबे की हत्या

*७३—श्री श्यामलाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़, थाना मधुवन के अन्तर्गत ग्राम नेवादा गोपालपुर में दिनांक २३ मई, १९६९ को गोपाल चौबे आदि तीन छात्रों पर गुंडों ने हमला किया और घायल गोपाल चौब थाने में घटना का बयान करते-करते मर गया ? यदि हां

तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त घटना के संबंध में अब तक स्थानीय पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ग्राम नेवादा गोपालपुर, जिला आजमगढ़ में दिनांक २३ मई, १९६९ को कुछ व्यक्तियों ने गोपाल चौबे तथा उनके दो अन्य साथियों पर हमला किया । इस हमले के कारण श्री गोपाल चौबे को गम्भीर चोटें आईं । जब वे थाने पर आये तो बोलने की स्थिति में नहीं थे । उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां अचेतावस्था ही में उनकी मृत्यु हो गई । इस कारण उनका कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं हो पाया । स्थानीय पुलिस ने सूचना प्राप्त होत ही मुकदमा दर्ज किया तथा विवेचना आरम्भ की । एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया और शेष अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया । विवेचना अभी जारी है ।

गोरखपुर जिले में विभिन्न अपराध

*७४—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में १ जनवरी, १९६९ से ३१ मई, १९६९ तक कितने कत्ल डकैती की घटनायें हुईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

गोरखपुर जिले में जनवरी १९६९ से ३१ मई १९६९ तक की अवधि में २६ कत्ल तथा २३ डकैती की घटनाए हुईं ।

गोरखपुर जिले में आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

*७५—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में आर्म्स ऐक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत जनवरी, १९६९ से १५ जून, १९६९ तक कितने लोग गिरफ्तार किये गये और कितने मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई तथा कितने चल रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

गोरखपुर जिले में आर्म्स ऐक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत जनवरी १९६९ से १५ जून १९६९ तक ४९ आदमी ४५ मुकदमों में गिरफ्तार किये गये । किसी भी मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाई गई । ४१ मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा ४ मुकदमों में जांच अभी जारी है ।

श्री हरज्ञान सिंह के कत्ल के सम्बन्ध में श्रीमती ज्ञानवती का पुलिस अधीक्षक बदायूं को प्रार्थना-पत्र

*७६—श्री शिवराज सिंह—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को श्रीमती ज्ञानवती, निवासी ग्राम दांवरी, थाना बिसौली ,जिला बदायूं की माह अगस्त, १९६८ म यह शिकायत मौसूल हुई कि उसके पति श्री हरज्ञान सिंह, पुत्र श्री उत्तम सिंह, निवासी दांवरी को माह अगस्त, १९६८ में बिसौली थाने के दो थानेदार तथा सिपाहियों ने पीट-पीट कर जान से मार डाला ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां , श्रीमती ज्ञानवती निवासिनी ग्राम दावरी, थाना विसौली, जिला बदायूं ने पुलिस अधीक्षक बदायूं को जुलाई १९६८ में एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था ।

*७७—श्री शिवराज सिंह —

यदि हां, तो उपरोक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

उपरोक्त शिकायत से संबंधित मामलें में सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई गई । दो सब-इन्सपेक्टर व एक सिपाही निलंबित किये गये । उनके विरुद्ध दर्ज धारा ३०४/४४५/४५२/३४२/२२० भा० दं० वि० के मुकदमें में जांच समाप्त हो गई और चार्जशीट शीघ्र ही न्यायालय भेजी जायेगी ।

इसके अतिरिक्त इस मामलें के संबंध में कागजात में गड़बड़ी इत्यादि करने के बारे में उपरोक्त तथा कुछ अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध धारा १२० बी/२१८,१९३/२११/१०९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया है । और कुछ औपचारिकताओं के पूरा होने के उपरान्त मुकदमें की चार्जशीट न्यायालय भेजने की कार्यवाही की जायगी ।

कानपुर तथा आगरा रोडवेज क्षेत्रों में कर्मचारियों की भर्ती

*७८--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के अन्त होने के दिन से दिनांक १५ जून, १९६९ तक राजकीय यातायात विभाग के कानपुर, आगरा तथा इलाहाबाद रीजनों में पृथक-पृथक कितने अपरेंटिस, क्लर्कों व कंडक्टरों की भरती की गई ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के अन्त होने के दिन से १५-६-६९ तक राजकीय रोडवेज क्षेत्र कानपुर में १२३ व्यक्तियों को कंडक्टर के पद पर भरती किया गया तथा आगरा क्षेत्र में २७ कंडक्टरों को भरती किया गया और इलाहाबाद क्षेत्र में कोई भरती नहीं की गयी । रोडवेज में अपरेन्टिस क्लर्कों के पद की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः उनकी नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

*७९--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनमें से किस-किस रीजन में कितने-कितने नाम सेवा योजन विभाग (Employment Exchange) से मांगे गये थे और क्या उम्मीदवारों की भर्ती उसी सूची में से की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

कानपुर, आगरा तथा इलाहाबाद रीजनों में से केवल कानपुर रीजन में ही सेवा योजन कार्यालय से कंडक्टरों के पद के लिये उम्मीदवारों की मांग की गई । चूंकि कानपुर क्षेत्र में सेवा योजन कार्यालय से निश्चित समय के अन्दर उम्मीदवार नहीं भेजे, अतः बस सेवाओं के संचालन में कोई रुकावट न पड़े इसलिये सीधे नियुक्तियां कर ली गयी । आगरा क्षेत्र में मैरिज सीजन तथा मेले पड़ जाने के कारण उत्पन्न समयाभाव में, सेवा योजन कार्यालय से उम्मीदवारों के नाम मांगे बिना, सीधे नितांत अस्थायी रूप की नियुक्ति कर ली गयी किन्तु भरती किये गये व्यक्तियों के नाम सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत हैं इलाहाबाद क्षेत्र में कोई नियुक्ति नहीं हुई ।

अतारांकित प्रश्न

परगनाधिकारी , तिलहर द्वारा आग्नेयास्त्रों की स्वीकृति

१--श्री सुरेंद्र विक्रम--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगनाधीश के पास कितने प्रार्थना-पत्र बंदूक, राइफिल आदि के दिनांक १ नवम्बर, सन् १९६८ से ५ अप्रैल,

सन् १९६९ तक पुलिस द्वारा रिकमेन्डेड प्राप्त हुये ? उनमें से परगनाधीश महोदय ने कितने स्वीकार किये और कितने खारिज किये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

परगनाधिकारी, तिलहर, के पास १ नवम्बर, १९६८ से ५ अप्रैल, १९६९ तक पुलिस द्वारा रिकमडेड बन्दूक, राइफिल आदि के ३५३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से उन्होंने ८३ प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार किया और शेष प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया ।

तम्बौर तथा थानगांव थाने में कत्ल डकैतियां

२—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सरकार इस बात की जानकारी देने की कृपा करेगी कि जून, १९६८ से मार्च १९६९ तक सीतापुर जिले के थाना तम्बौर तथा थानगांव म महीनावार कितने कत्ल तथा डकैतियों की घटनायें हुई ? प्रत्येक पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६५ पर)

कसिया थाना क्षेत्र मे चोरियां

३—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के कसिया थाने के क्षेत्र म ४ फरवरी, सन् १९६९ से लेकर १५ अप्रैल, १९६९ तक कितनी चोरी, कितनी नकबजनी हुई और इस संबंध में कितने रपट दज किये गये और कौन-कौन सी कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

थाना कसया के क्षेत्र में उक्त अवधि में चोरी की ७ व नकबजनी की ११ घटनायें होने की सूचनाए थाने पर प्राप्त हुईं और अंकित की गईं । चोरी के ७ मुकदमों में से ५ में जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट लगाई गई तथा २ में अभी जांच जारी है। नकबजनी के ११ मुकदमों में से १० में जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट लगाई गई और १ में अभी जांच जारी है ।

देवरिया जिले में अपराध

४—श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, सन १९६९ से ३१ मार्च, सन् १९६९ तक देवरिया जिले में कितने कत्ल हुए और कहां-कहां डकैतियां पड़ीं कितनी चोरियां हुईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

देवरिया जिले में १ जनवरी, १९६९ से ३१ मार्च, १९६९ की अवधि में ११ कत्ल व २५२ चोरियां होने की सूचना विभिन्न थानों में प्राप्त हुई । चोरी के ५ मामले जांच से झूठे पाये गये तथा खारिज किये गये ।

उक्त अवधि में ग्राम सिरसिया काहिया, गोपवापार, मुहांव, खामराभार तथा खोटही में एक-एक डकैती पड़ी । कुल ५ डकैतियां पड़ीं ।

तराई भाबर वन खण्ड में फारेस्ट गार्डों का निलम्बन

५—श्री इन्द्र लाल—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तराई भावर वन खंड में १९६६-६७ तथा १९६७-६८ व ३१ मार्च, १९६९ तक कुल कितने फारेस्ट गार्ड निलम्बित हुए और कितनों की सेवायें समाप्त की गई ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

तराई भावर वन खंड में १९६६-६७ तथा १९६७-६८ व ३१ मार्च, १९६९ तक कुल ७ फारेस्ट गार्ड निलम्बित हुए और उनमें से २ फारेस्ट गार्डों की सेवायें समाप्त की गईं । दो और फारेस्ट गार्डों की सेवायें विभाग को आवश्यकता न होने के कारण समाप्त की गई ।

६—श्री इन्द्र लाल—

क्या वन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वन खंड के जिन फारेस्ट गार्डों की सेवायें समाप्त की गई हैं ? उन पर क्या चार्ज लगाये गये ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

उपरोक्त वन खंड में जिन ४ फारेस्ट गार्डों की सेवायें समाप्त की गई थीं उनमें से २ फारेस्ट गार्डों के विरुद्ध अवैध कटान, कर्तव्यहीनता तथा अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप थे। शेष २ फारेस्ट गार्डों की सेवायें, जिनकी विभाग को और आवश्यकता नहीं थी, नियमानुसार समाप्त की गई ।

रामनगर वन खंड में आग लगने से क्षति

७—श्री इन्द्रलाल—

क्या वन मंत्री बतावेंगे कि वेस्टर्न सर्किल के रामनगर वन खंड में १ अप्रैल सन् १९६९ से दिनांक १० मई, १९६९ तक किन-किन रेंजों के वनों में आग लगने से क्षति हुई है ? और इस आग लगने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वेस्टर्न सर्किल के रामनगर वन खंड में, १ अप्रैल, १९६९ से १० मई, १९६९ तक कालाडूंगी, मलानी फतेहपुर, देचौरी तथा कोटा रेंजों के वनों में आग लगने से क्षति हुई है। अनुमान है कि आग राहगीरों, ग्वालों एवं ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा असावधानी से जली हुई बीड़ी सिगरेट आदि फेंक देने के कारण लगी। आग लगने का दूसरा कारण तीव्र गर्मी और सूखे का प्रभाव भी था ।

थाना वजीरगंज जिला गोंडा में अपराध

८—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि निर्वाचन क्षेत्र १६८ महादेवा में थाना वजीरगंज, जनपद गोंडा में १ अक्तूबर सन् १९६८ ई० से लेकर दिनांक ३१ मई, १९६९ तक कितने चोरी, कितने डकैती और कितने राहजनी तथा कितने कत्ल की रिपोर्ट लिखी गई है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

उक्त अवधि में थाना वजीरगंज, जिला गोंडा में चोरी की २२ तथा डकैती की एक रिपोर्ट लिखी गई । राहजनी और कत्ल की कोई रिपोर्ट उक्त अवधि में इस थाने पर नहीं अंकित कराई गई ।

आजमगढ़ जिले में डकैतियां

९—श्री रामवचन यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जनवरी सन् १९६९ से मई, १९६९ तक कितनी डकैतियां पड़ीं और उनमें कितनी सम्पत्ति लूटी गई, कितनी जानें गई तथा कितने डाकू गिरफ्तार किये गये ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

आजमगढ़ जिले में जनवरी १९६९ से मई १९६९ तक ३२ डकैतियों की रिपोर्ट हुई। उसमें रु० २,४२,३७५.५० पैसे की सम्पत्ति लूटी गई । ६ व्यक्तियों की जाने गईं तथा १९६ डाकू गिरफ्तार किये गये ।

बाराबंकी जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें

१०—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी में दिनांक १ अप्रैल, १९६८ से दिनांक ३० अप्रैल, १९६८ की अवधि में अलग-अलग थानों के अन्तर्गत कत्ल, डकैती, नकबजनी, सरका और बलवा की कितनी वारदातें हुईं और कत्ल की कितनी वारदातें विवरण सहित ऐसी हुईं जिनमें एक से अधिक व्यक्ति मारे गये ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १९६ पर)

सिकन्दराराऊ तथा हसायन थाना क्षेत्रों में डकैतियां व कत्ल

११—श्री जगदीश गांधी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ में थाना सिकन्दर राऊ तथा हसायन के अन्तर्गत इलाकों में वर्ष १९६६, ६७, ६८, एवं ६९ (दिनांक १५ जून, १९६९ तक) कितनी डकैतियां और हत्यायें हुईं ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

इस अवधि में जिला अलीगढ़ के थाना सिकन्दराराऊ तथा हसायन के अन्तर्गत क्षेत्र में २५ डकैतियों और ३३ हत्याओं की सूचना प्राप्त हुई ।

१२—श्री जगदीश गांधी—

इनमें से कितने मामलों में चालान होकर अपराधियों को सजा हुई तथा कितने छूट गये ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

डकैती के २० मामलों में चालान किया गया जिनमें से ७ सजायाब हुए, ११ रिहा हुए और २ न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

हत्या के २५ मामलों में चालान किया गया । ५ मामले सजायाब हुए, १६ रिहा हुए और ४ न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज के दिन के लिये ७९ प्रश्न मुकर्रर थे जिनमें से दो प्रश्नों को छोड़कर, जो बड़ लोक महत्व के थे और जिनमें यकीनन समय ज्यादा लग गया, कुल ६ ही प्रश्न हो सके । बाकी प्रश्नों के जवाब नहीं हो सके । तो मैं यह चाहता हूं कि या तो इतने प्रश्न रखे ही न जायं जिनका उत्तर न हो सके या इतने प्रश्न रखे जायं जिनके मुताबिक यहां पर उत्तर का समय मिल सके । इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे और सारे प्रश्न बेकार न होन पावें ।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे चैम्बर में आकर मुझसे इस विषय में बात कर लें । वहां पर इसको तय कर लें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

श्रीमन्, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । मऊ में भी इस प्रकार के दंगे हुये हैं जिनमें बहुत सारी जानें गई हैं । मेरा भी उस विषय में प्रश्न था लेकिन उसका उत्तर भी पुलिस की लापरवाही के कारण नहीं आ सका । यह भी उसी प्रकार की लापरवाही का उदाहरण है जिस प्रकार का पुलिस की लापरवाही का उदाहरण सीतापुर के विषय में अभी चल रहा था । मेरा प्रश्न भी नहीं आ सका । तो मेरा निवेदन है कि उसके ऊपर भी क्या आप हम लोगों को विवाद करने का समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप नोटिस दीजिये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, एक और व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय उद्योग मन्त्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सूचना एकत्रित की जा रही है । अगर आप प्रश्न पर निगाह डालें तो यह प्रश्न जून, जुलाई, १९६७ का है जब उनको भेजा गया था । उसके लिए सूचना अब एकत्रित की जा रही है । अभी तक उसका उत्तर उनको नहीं मिला है । तो आप कृपया इस प्रकार की व्यवस्था करें कि इस प्रकार का उत्तर माननीय मन्त्री जी भविष्य में देनेका कष्ट न करें ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

चौधरी साहब से पूछ लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जब चौधरी साहब मुख्य मन्त्री बनेंगे तो उनसे पूछ लूंगा लेकिन अब तो उनसे ही पूछूंगा ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ १६७ पर ।)

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) अध्यादेश, १९६९

नियोजन मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) अध्यादेश, १९६९ को सदन के पटल पर रखता हू ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ १६९ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९६९

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ १७३ पर)

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, १९६९

नियोजन मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी "झ" आगे पृष्ठ १७६ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन जारी की गयी विज्ञप्तियां†

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की उत्तर प्रदेश, बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन जारी की गयी—

(१) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० १६०८/दस ९०० (१२)-६७, दिनांक २ अप्रैल, १९६९ तथा,

(२) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-१६०८/दस-९०० (१२)-६७, दिनांक २ अप्रैल, १९६९ को उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयीं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (गांव सभाओं में अनुदानों का वितरण) नियमावली, १९६९†

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ११२५—बी०/३३—२—२४५—६४, दिनांक ७ मार्च, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (गांव सभाओं में अनुदानों का वितरण) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति†

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं उद्योग (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७५७—आई०/१८—ए०—१९२—६८, दिनांक २४ मार्च, १९६९ को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० की धारा ३ की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९†

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८०३—टी०/३०—ख, दिनांक १७ मार्च, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ की उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हू।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९†

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४५५२—टी०/३०—ख—३—पी०—६७, दिनांक ११ फरवरी, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वैहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

हरिद्वार अर्द्ध कुम्भ मेला नियम, १९६८†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं स्वायत्त शासन (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७९—एम०/९—क—१८—ए० के० एम०—६७, दिनांक ३० दिसम्बर, १९६७ द्वारा प्रख्यापित हरिद्वार अर्द्ध-कुम्भ मेला नियम, १९६८ को यू० पी० मेलाज ऐक्ट, १९३८ की धारा ९ की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के गठन संबंधी आदेश †

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन १९६५–६६ को उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के गठन सम्बन्धी आदेश संख्या ए०–३००१/२५–सी० एक्स०-/ए-१६४, दिनांक ८ जुलाई, १९६४ के पैरा ४ (च) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हू।

विनियोजन लेखे एवं वित्त लेखे, १९६६–६७ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६८‡

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से विनियोजन लेखे एवं वित्त लेखे, १९६६–६७ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६८ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कर जांच समिति प्रतिवेदन, १९६८–६९‡

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कर जांच समिति प्रतिवेदन, १९६८–६९ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९६९‡

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३६५/१–क—२(२)-६८, दिनांक २८ जनवरी, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९६९ को जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार, दिनांक २५ मार्च, १९६९ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अभिलेखों का अनुरक्षण तथा निदान) नियमावली, १९६८‡

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज (२) विभाग की (क) विज्ञप्ति संख्या ६८९४–बी/३३—३–आर–६६, दिनांक ३० नवम्बर, १९६८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अभिलेखों का अनुरक्षण तथा निदान) नियमावली, १९६८ को, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार, दिनांक २५ मार्च, १९६९ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी। ‡छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६९ ††

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से (ख) विज्ञप्ति संख्या ४८६-बी०/३३—२ (९५)-६८, दिनांक ३१ जनवरी, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६९ को, जो यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक २५ मार्च, १९६९ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली, १९६९†

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से (ग) विज्ञप्ति संख्या ७४१३-बी०/३३-२-११(५)-६६, दिनांक ४ फरवरी, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली, १९६९ को, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक २५ मार्च, १९६९ को सदन के पटल पर रखी गयी थी, और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कृतज्ञता के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष—

दिनांक १७ मार्च, १९६९ को विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति इस सदन ने जो उन्हें धन्यवाद का प्रस्ताव भेजा था उसके सिलसिले में महामहिम राज्यपाल ने जो उत्तर भेजा है वह मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं ।

"प्रिय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके पत्र दिनांक २९ मार्च, १९६९ के लिये जिसे आपने, श्री उपाध्यक्ष ने, तथा सदन के सचिवों ने स्वयं आकर मुझे भेंट किया, अनुग्रहीत हूं । मैंने विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष जो अभिभाषण १७ मार्च, १९६९ को दिया उसके प्रति विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान सभा की २४ मार्च, १९६९ की बैठक में तद्-विषयक प्रस्ताव स्वीकृत करके धन्यवाद की जो अभिव्यक्ति की है, उसे मैंने परम सन्तोषपूर्वक प्राप्त किया । उसमें निहित भावना के लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं ।"

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, जो उसमें सदन की भावनायें निहित थीं, वह सारी की सारी कार्यवाही उनको क्या भेजी गयी थी ?

श्री अध्यक्ष—

उनको सारी प्रोसीडिंग्स भेजी गयी थी ।

---

††छापी नहीं गयी ।

यूनाइटेड प्राविंसेज कोर्ट आफ वार्ड्स (निरसन) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त यूनाइटेड प्राविन्सेज कोर्ट आफ़ वार्ड्स (निरसन) विधेयक, १९६७ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ १७८ पर)।

संविधान (बाइसवां संशोधन) विधेयक, १९६९†

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (बाइसवां संशोधन) विधेयक, १९६९, द्वारा भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों को जो संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के विधि मन्त्रालय से राज्य सरकार को प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि को, उक्त विधेयक एवं तद्विषयक संसद की कार्यवाहियों सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १८२ (१) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने २५ मार्च, १९६९ के उपवेशन में पारित किया था, जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, और विधान परिषद् से बिना किसी सिफ़ारिश के २६ मार्च, १९६९ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २७ मार्च, १९६९ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६९ को उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

चतुर्थ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष (श्री वासुदेव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चतुर्थ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास दो-तीन विशेषाधिकार की सूचनायें आयी हैं, लेकिन मैंने उनको स्वीकार नहीं किया है। वे सभी व्यक्तिगत हैं और उनमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता नहीं है। एक में यह है कि सदन के बाहर किसी आफ़िसर ने माननीय सदस्य का अपमान किया। एक इसी सदन के माननीय कृषि मंत्री के बारे में है कि उनके कमरे में उन्होंने माननीय सदस्य से कहा कि चले जाओ क्योंकि उनकी शायद कुछ बहस हुई हो। अब किसी के घर पर जाकर कोई चीज हो तो उससे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। उसकी जांच हो सकती है। इसकी मैं जांच करूंगा। जो दूसरा है कि बाहर किसी आफ़िसर ने माननीय सदस्य का अपमान किया तो उसकी जांच माननीय मुख्य मंत्री जी करें और उसकी जांच करके जिनका अपमान हुआ है उनको उसकी सूचना दें और मुझे भी जो कार्यवाही करें उसकी सूचना दें।

जो माननीय मंत्री जी वाली बात है उसकी जानकारी मैं हासिल कर के सदन को दे दूंगा कि उनका क्या कहना है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

इस विषय में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि कोई भी शासन का कार्यालय किसी मंत्री का घर माना जायेगा या सार्वजनिक उपयोग का स्थान माना जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

अगर उनके दफ्तर में भी जाकर बात की है तो भी वह विशेषाधिकार का सवाल माना जायेगा।

श्री शम्भुनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मैंने कृषि मंत्री के विरुद्ध जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है और आपके पास भेजा है वह आप सदन में पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

पहिले मैं उनको लिख कर भेजूंगा और फिर प्रश्न व उत्तर दोनों ही सदन के समक्ष पढ़ूंगा।

श्री हरिवंश (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं १८ अप्रैल को देवरिया के जिलाधीश के यहां गया था। आपको चिट्ठी दी थी। मुख्य मंत्री को भी चिट्ठी दी थी। उसे आप इन्क्वायरी के लिये लिखिये। मुख्य मंत्री जी के पास मैंने चिट्ठी लिखी थी उसका उत्तर मेरे पास आया है—उसमें लिखा है "आपका दिनांक १९ अप्रैल का पत्र प्राप्त हुआ। यह मुझे जानकर अफसोस हुआ कि जिलाधिकारी देवरिया के यहां मिलने के लिये जाने पर आपको कष्ट हुआ। इस सम्बन्ध में मैं उचित कार्यव ही कर रहा हूं।" अब इसे आप पुनः मुख्य मंत्री के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि मुख्य मंत्री भी उचित निर्णय करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैंने जो विशेषाधिकार की अवहेलना संबंधी पत्र आपको दिया है उसकी आप ही इन्क्वायरी करें। मैं देवरिया के जिलाधीश के यहां गया था। और उनको उसके पहले मैंने कहा था और लिखा था कि देवरिया के जिलाधीश और उनकी बीबी पूरे जिले में अत्याचार फैलाये हुए हैं। मिल मालिकों और वहां की राशन के दूकानदारों से रुपया लेते हैं, उनपर रोक लगाइये। इसलिये मुझसे

कहते हैं कि तुमको मैं विधान सभा की सदस्यता से मुअत्तल करा दूंगा और आपके ऊपर मुकदमा चलाऊंगा। जरा देखिये कि मेज की पार्लियामन्टरी प्रेक्टिस में लिखा है..... अध्यक्ष जी, जरा सुन लीजिये.....

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिवंश—

इसमें लिखा है कि "इट इज आलसो दि ब्रीच आव पीस" धमकी देना भी ब्रीच आफ पीस है। और हम तो जनता के काम के लिये गये थे और वे हमको विधान सभा की सदस्यता से मुअत्तली की धमकी देते हैं....

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी फैसला दिया कि यहां विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। अगर आप इस विषय में यह कहना चाहते हैं कि उठता है तो आप मेरे कमरे में आकर बहस कर सकते हैं लेकिन यहां पर नहीं कर सकते हैं। मेरे कमरे में आप यह साबित कर दें कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तो मैं आपको इजाजत दे दूंगा।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमान जी, वे जिलाधीश देवरिया के पास तशरीफ जनता के कार्य के लिये ही ले गये थे। उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उसकी सूचना तार द्वारा श्रीमान् जी को और मुख्य मंत्री जी को उन्होंने दी। मुख्य मंत्री जी ने उस सूचना को प्राप्त किया और उत्तर भी दिया लेकिन अभी तक वे कोई कार्यवाही कर सकने में असमर्थ रहे। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा तो स्वाभाविक है श्रीमन् कि ऐसी दशा में उनके ऊपर भी वे कैसे विश्वास कर लें। इस लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ही इसकी जांच करा लें। जैसा कि पहले मामले में आप ने कहा वैसे ही इस मामले में भी आप जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष—

पहले मामले में तो माननीय मंत्री बैठे हुये हैं तो मैं उनसे पूछ सकता हूं। मैं जिला मैजिस्ट्रेट के पास कहां जाऊंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

किसी को आप डायरेक्ट कर देंगे। जो परिस्थिति है उसमें कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानकारी हासिल करके आपके सामने रख दूंगा जल्दी ही। बहुत देर नहीं लगेगी। दो एक रोज के अन्दर ही बता दूंगा आपको। क्योंकि मैंने पहले एक दफा लिख दिया है कि जानकारी हासिल करके दे दिया जाय और दूसरा पत्र फिर आया है। उस पर भी यह बात जो लिख कर आपने भेजी है उसका उत्तर मेरे पास आ जायेगा। दूसरा पत्र भी मेरे पास उनका आया और मन उसको माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया। अब उसका जवाब मेरे पास आ जायगा। किसी माननीय सदस्य का अगर अपमान होता है तो वह कोई छोटी बात नहीं है, उसके ऊपर शीघ्र ही कार्यवाही होनी चाहिये। मैं इसको देखना चाहता हूं कि इन बातों में शीघ्र कार्यवाही हो। इसलिये मैंने मंत्री जी के पास भेजा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसमें इस सदन की गरिमा है और इस सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा बनी रहे, इसमें भी इस सदन की गरिमा है। यदि कोई जिलाधीश अथवा कोई अधिकारी या मंत्री किसी माननीय सदस्य के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते तो उस पर समुचित कार्यवाही तुरन्त ही होनी चाहिये। सदन जो इतने दिनों तक नहीं बैठा, उस बीच में ही इस बारे में कार्यवाही हो जानी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में मैं पता लगा कर उनको कल परसों तक बता दूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, यह सवाल भी काबिले बहस है इसलिये इस तरह के वाद आत प्रिविलेज की बीच करते हैं या नहीं, इस संबंध में भी आप इस सदन में चर्चा करा लें, ताकि यह मामला हमेशा के लिये साफ हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में बहुत निश्चित फैसले हो चुके हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं विधान सभा का अध्यक्ष हूं, चाहे मैं होऊं और मैं अपने किसी काम के सिलसिले में किसी अधिकारी के पास जाता हूं और उनसे कोई बात कहता हूं किसी मामले में और वह अपमान कर देता है तो उस बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। विशेषाधिकार की अवहेलना तो किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में ही होती है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इस समय आप इस संबंध में कोई रूलिंग न दें। हम लोगों को सुनने के बाद ही कोई बात कहें।

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में बनिस्बत यहां के आप मेरे कमरे में शांत वातावरण में मुझे किताब दिखायें। जब प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है तब मैं यहां पर उसको अस्वीकार करता हूं। उसके बाद भी आपको यह अधिकार रहता है कि आप मुझे बतायें कि वह प्राइमाफेसी केस किस प्रकार से बनता है। अगर आप उसको मुझे समझा देंगे तो मैं अपने फैसले को रिवाइज कर दूंगा। गलती को कबूल करने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कोई चीज शान्त वातावरण में ही होनी चाहिये, जोर से बोलने से मैं किसी बात को स्वीकार कर लूंगा, यह नहीं होगा। जिन रूलिंग की बिना पर आप अपनी बात कहते हैं उनको आप बता दें और मैं भी आपको बता दूंगा।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, इस प्रकार के जो प्रस्ताव आपके पास आते हैं उनको अगर आप यहां पढ़ दिया करें तो अन्य माननीय सदस्य भी आपके चेम्बर में जाकर आपसे डिसकस कर सकें।

श्री अध्यक्ष--

वह तो आपको बता ही दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सिलसिले में मेरा यह कहना है कि सौभाग्य से वे जिस कुर्सी पर विराजमान हैं, उन पर हम लोगों में से कोई भी बैठ सकता है और आपकी प्रतिष्ठा सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा है। यदि किसी भी जिला अधिकारी के जरिये किसी का भी अपमान या मानहानि हो जाती है, उसमें यह प्रश्न नहीं होता कि वह मानहानि किसी माननीय सदस्य की हुई है, वह तो आपकी हुई, तो उस संबंध में तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये। वह चाहे कोई जिला अधिकारी हो अथवा कोई माननीय मंत्री हो। हम लोग यहां पर जन प्रतिनिधि की हैसियत से बैठे हैं और हमारी वही हैसियत है जो माननीय मंत्री जी की है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि किसी भी सदस्य की मानहानि आप की स्वतः भी मानहानि है, इस दृष्टि से आप इस मामले में दिलचस्पी लें और जिस तरह से संसद में माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा की जाती है उसी प्रकार की रक्षा की हम आप से भी आशा करते हैं।

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं बता दूं कि इस संबंध में मैंने कुछ बातचीत माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी से की थी कि तमाम दलों के नेता और चौधरी साहब व हम सब मिलकर एक कोड आफ कान्डक्ट लाने जा रहे हैं। अभी चूंकि वह बातचीत पूरी नहीं हुई है इसलिये अभी नहीं बता सकते हैं लेकिन मैंने चौधरी साहब से और श्री वीरेन्द्र वर्मा जी से कहा था कि हम सब मिलकर बैठेंगे और शिमले में चीफ व्हिप्स की जो कांफ्रेंस हुई थी उसमें एक कान्डक्ट का कोड तैयार हुआ था, जिसमें सब दिया है कि अफसरों का कैसा बरताव माननीय सदस्यों के प्रति होगा और माननीय सदस्यों का किस प्रकार से होगा और कैसे एक दूसरे को मान देंगे, यह सब चीजें उसमें हैं। मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर शीघ्र ही जितने नेता हैं उसमें गुप्ता जी भी होंगे, भविष्य के लिये बातचीत कर के एक कोड निश्चित कर लेंगे और उस की अवहेलना होगी तो हम देखेंगे। जहां तक मंत्रियों की बात होगी सरकार देखेगी और नेता लोग भी अपने साथियों को देखेंगे। जब कोड आफ कान्डक्ट आ जायगा तब उसके अनुसार कार्य हो तो उचित होगा।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)-

अध्यक्ष महोदय, आगे तो जो होगा वह होगा लेकिन सवाल यह है कि अभी तक कोई कोड आफ कान्डक्ट अफसरों के लिये है या नहीं है और अगर है तो उसका पालन हुआ या नहीं हुआ और यह प्रश्न अभी क्यों आये हैं। यह क्या बात हुई कि पहले हमारा कोड आफ कान्डक्ट बन जाय, हमारा तो जब बनेगा तब बनेगा लेकिन जो अफसरों के लिये अभी तक है उसका पालन हुआ या नहीं हुआ, अभी प्रश्न इतना है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मंत्री जी जो कह रहे हैं कि कोड आफ कान्डक्ट बनेगा, वह ठीक है वह आपस में राय सलाह करेंगे और वह जब बनेगा तब बनेगा लेकिन यह जो मंत्रिगण बने हैं और जो हमारे चुने हुये प्रतिनिधि हैं और ऐसे-ऐसे मिनिस्टर यहां हो गये हैं जिनका शरीर कांपता है और पता नहीं क्या कब हो जाय। हम उनके पास जाते हैं तो यह आशा करते हैं कि वह उचित व्यवहार करेंगे और आदरसूचक भाषा का प्रयोग करेंगे। वह चाहे हमारा काम करें या न करें लेकिन झूठे आश्वासन तो उन्हें नहीं देने चाहिये। कांग्रेस के सदस्यों को वह मान देते हैं वह उनकी जी हजूरी करते हैं। डाक्टर सीताराम मंत्री अपने को डिक्टेटर समझते हैं और प्रजातन्त्र का नाम लेते हैं, उनका बिलकुल डिक्टेटरी का बरताव है। अगर उन्हें काम करना हो तो साफ कहें कि हो जायगा या साफ मना कर दें कि नहीं होगा, बात खत्म हुई, हमसे उनको चापलूसी का बरताव नहीं हो सकता। यह डाक्टर सीताराम न मालूम अपने को क्या समझते हैं...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलते रहने पर व्यवधान।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बांके लाल]

वह मिनिस्टर हैं यह ठीक है लेकिन उनको किसी भी माननीय सदस्य को अपमानित करने का हक नहीं है। उनके विरुद्ध मैं जो विशेषाधिकार का प्रश्न लाया हूं. . . .(व्यवधान)

*श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

अध्यक्ष महोदय, एक घटना ऐसी घटी है जिससे निश्चित रूप से इस सदन का अवमान हुआ है और हमारे विशेषाधिकारों की अवहेलना हुई है। घटना इस प्रकार है :---प्रश्न ६ का उत्तर देते हुए माननीय वन मन्त्री ने "नहीं" कहा।

श्री अध्यक्ष---

अब तो बजट का समय आ रहा है। इसके लिये निश्चय कर लिया जाय कि माननीय सदस्य कितना-कितना समय बोलने के लिये लेंगे। नेता विरोधी दल के लिये कोई समय निर्धारण नहीं होगा। वे जितना समय लेना चाहते हैं, ले सकते हैं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजबिहारी सिंह (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, यह सवाल माननीय सदस्यों के सम्मान का है। यह सवाल इधर के भी माननीय सदस्यों का हो सकता है। उन्होंने अभी कहा है कि कांग्रेस के मेम्बर दरबारी हैं। मैं समझता हूं इससे सारे कांग्रेस के सदस्यों का अपमान हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अगर आप इस तरह से शोर करते रहेंगे और बजट पर विवाद नहीं होने देंगे तो मैं सदन को इस समय स्थगित कर दूंगा। इसलिए आप बैठ जाइये और शान्त हो जाइये। आप कहते थे कि बजट पर बहस के लिए ज्यादा समय चाहिए। तो वह इस प्रकार की बहस में क्यों बरबाद किया जाय। मैं अभी नेता विरोधी दल को बुलाना चाहता हूं और वे बोलना आरम्भ करेंगे। अगर आप बोलने नहीं देंगे तो समय इसमें ही खर्च हो जायगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, डाक्टर सीताराम जी के बारे में जो कहा गया है, मैं चाहूंगा कि उसको कार्यवाही में नहीं आना चाहिये। उसको कार्यवाही से निकलवाने की आप आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें। मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है। आप कृपा करके उनके भाषण को सुनें।

श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)---

श्रीमन्, आपने माननीय त्रिवेणी जी को आज्ञा भी नहीं दी लेकिन वे तब भी बोलना आरम्भ कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैंने उनको इजाजत नहीं दी। उन्होंने बोलने का प्रयास तो किया लेकिन मैंने बोलने नहीं दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, एजेन्डा के बारे में मैं एक मिनट लेना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय नेता विरोधी दल को बुलाया है । कृपया आप उन्हें सुनें ।

श्री रियासत हुसेन—

श्रीमन्, एजेन्डा में कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष—

आप सब लोग बैठें और व्यवस्था का मैंने कोई प्रश्न स्वीकार नहीं किया क्योंकि बजट के वक्त सब चीजें बहस में आ सकती हैं । अब आप नेता विरोधी दल को शान्ति से सुनें ।

(पुनः शोरगुल के उपरान्त)

१९६९–७० के आय–व्ययक पर सामान्य विवाद

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं बजट पर कुछ विचार प्रकट करूं, मैं एक प्रोटेस्ट करना चाहता हूं । मैंने माननीय चन्द्रभानु गुप्त से यह प्रार्थना की थी । इसके पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी की तरफ से एक पत्र चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया था और उनके जवाब पर मैंने माननीय चन्द्रभानु गुप्त को लिखा था कि चीफ सेक्रेटरी की ओर से जो जवाब मिला है उस पर क्या उनकी स्वीकृति है ? इस पर उन्होंने कहा "हां" । दरख्वास्त हमारी यह थी कि बजट बहुत बारीक और बहुत कठिन होता है । आसान चीज नहीं है । इतना बड़ा साहित्य होता है कि आदमी उसे पढ़ने से हिचकता है । हमारे जो विधायक हैं उनमें दो तिहाई ऐसे हैं जो पहली बार इस सदन में आये हैं । बजट पर विवाद सबसे अधिक महत्व रखता है । मुझे इतने दिन तक असेम्बली का मेम्बर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है फिर भी मैं अपनी नाकाबलियत और अयोग्यता का इजहार करता हूं कि जब बजट मेरे सामने आता है तो उसके आकार को देख कर उसको छूने की तबीयत नहीं होती । फाइनेन्स विभाग के अधिकारियों से समझने की कोशिश भी की तो वह समझ एक साल से आगे नहीं चली । हर साल पूछना पड़ता है कि ऋण की क्या पोजीशन है ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं ? कैपिटल रिसीट्स कितने प्रकार की होती हैं ? शेड्यूल फार न्यू डिमांड्स किस तरह के होते हैं ? तीन, चार वाल्यूम्स हैं उनमें किस वाल्यूम में क्या चीज है ? मैंने सविनय निवेदन किया कि वित्त विभाग का कोई अधिकारी आ जाय और अपोजीशन के सारे मेम्बर्स एक बार इकट्ठा हो जायं और वे अपनी कठिनाइयां उनसे पूछ लें । लेकिन मना कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

कांग्रेस वाले भी नहीं समझ पाते हैं । सबके सामने यह होना चाहिये ।

श्री चरण सिंह—

वह और भी अच्छा होता और पहले ऐसा हुआ भी है । फाइनेन्स सेक्रेटरी ने, गालिबन जो अब हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, दारुलशफा में जाकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को बजट लिटरेचर के बारे में समझाने की कोशिश की है । मुख्य मंत्री ने इस बार यह जबाव दिया कि ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं रही है । पहले इतना बड़ा सदन नहीं होता था । पहले चन्द लोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरण सिंह]

बहुत पढ़े लिखे, वकील वगैरह आया करते थे। इतना बड़ा बजट नहीं होता था, तो पहले ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन आपने उसको समरीली जवाब भिजवा दिया कि "नहीं"। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की भी कोई तकलीफ नहीं है कि उन्होंने इन्कार कर दिया। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जो जहनियत मुख्य मंत्री जी की इस इन्कार के पीछे काम कर रही है। क्योंकि वह मुख्य मंत्री हैं, उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है लिहाजा वह मालिक हैं, इस सूबे के, वह बराबर के नहीं हैं और ये एम० एल० एज० जो हैं ये सेकेण्ड ग्रेड के हैं, फर्स्ट क्लास एम० एल० एज० हमारे कांग्रेस के मित्र हैं। हमारी तरफ से दरख्वास्त हो तो कैसे मंजूर हो जायगी? फिर कांग्रेसमैन और नान-कांग्रेसमैन तो एक ही लेविल पर हो जायेंगे और फिर चीफ मिनिस्टर और अपोजीशन लीडर में फर्क क्या हुआ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की इस बात को समझ नहीं पाया। हां, कभी-कभी मुझे एक शक होता है, (श्री चन्द्रभानु गुप्त के खड़े होने पर) मैं ईल्ड करने को तैयार नहीं हूं। मैं पूरी बात कह लूं तब आप जवाब दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बजट स्पीच के बाद उनको मौका देंगे या इस प्रश्न के पूरा हो जाने पर देंगे?

श्री चरणसिंह—

मैं एक बात और जरा सी कह कर बैठ जाता हूं। अगर वह यह चाहते हैं कि परफजफुल डिबेट हो, सार्थक वादविवाद हो, तो सार्थक वादविवाद होगा तो गवर्नमेंट को सही नीतियों के निर्धारण करने में विरोधी पक्ष की भावना को समझने में आसानी होगी। तो क्या आपके जरिये मैं जान सकता हूं कि वह डिबेट अगर अच्छी हो जाती? तो क्या उनको यह मंजूर नहीं था? मुझे कभी कभी शक होता है अगर्चे मुझको लगता है कि इस शक को कर के मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूं लेकिन फिर भी अर्ज करता हूं कि उनका इन्कार समझ में आया नहीं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता.....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

इस विषय पर और लोगों को सुनने के बाद तब मुख्य मंत्री को बुलवायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

वह दूसरी डिबेट हो जायगी। नेता विरोधी दल का प्रश्न है, आपने तो किया नहीं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

माननीय विरोधी दल के नेताजी ने कुछ इस बात पर सदन के समक्ष आपत्ति उठायी है कि मैंने इस बात के लिये इन्कार किया कि हमारे अधिकारीगण उनके दल के बीच में जायं और बजट के विषय में जो बात वे पूछना चाहें उसका जवाब दें या उसके ऊपर प्रकाश डालें। जिस दिन की यह बात है उस दिन मैं दिल्ली जा रहा था और माननीय शिवराजसिंह जी मुझसे मिलने आये थे और चौधरी साहब का लिखा हुआ एक कागज था। तो यह सही है कि मैंने यह कहा कि पहले यह परम्परा नहीं रही है। पर ज्यों ही घर में पहुंचा वैसे ही मैंने शान्तिप्रपन्न शर्मा जी को फोन किया और उनसे कहा कि यदि अब तक यह परम्परा नहीं भी रही है तो क्यों नहीं इस प्रकार की परम्परा डालते कि सदन के सारे साथी चाहे वे इधर के हों या उधर के, सब बजट के विषय में तिलक हाल में ५–७ रोज इकट्ठा हों और हमारे अधिकारीगण से कुछ पूछना चाहें और वे कुछ प्रकाश डाल सकें तो क्यों न यह प्रथा हम चालू कर दें?

मैं स्वतः बहुत समय से इस बात का समथक रहा हूं कि हमारे साथियों को केवल बजट का ही अध्ययन नहीं करना चाहिये वरन अन्य विषयों का भी अध्ययन करना चाहिये। इसमें सेमिनार के रूप में या पार्लियामेन्टरी क्लब के रूप में सब साथी इकट्ठा हुआ करें और समय-समय पर आपस में अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया करें। यह कह कर श्रीमन्, मैं दिल्ली चला गया और माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी से कह गया था कि अगर लोग सहमत हों तो तिलक हाल म जल्से रखे जाया करें। उसमें अधिकारी आयें और हम भी आयेंगे। हम स व जो प्रकाश चाहेंगे तो नीति के विषय में हम उनको बतला सकते हैं। इस तरह से वह एक डिबेटिंग क्लब बन जायगा और बजट के सिलसिले में प्रकाश डाल दिया जायेगा। किसी खास दल के बीच में अधिकारी जायें तो यह ठीक नहीं रहेगा। यह मैं कह गया था।

हां, इतनी बात सही है कि जब माननीय शिवराजसिंह जी मेरे पास गये थे तो मैंने उनसे यह जरूर कहा था कि यह प्रक्टिस नहीं रही है। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने अपना विचार माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी पर प्रकट किया और उन्होंने विरोधी दल के साथियों तक मेरा विचार व्यक्त भी कर दिया था। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। हमारे साथी मिल कर समय निर्धारित कर ल और वहां हमारे अधिकारी आ ज यं और हम भी आ जायं और जितना प्रकाश वे जानना चाहेंगे उसको डालने की हम चेष्टा करेंगे।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझको माननीय गुप्ता जी ने इंकार कर दिया उससे मुझे तकलीफ हुई लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया उससे मुझे और भी ज्यादा तकलीफ हुई और वह क्यों हुई? इसलिये कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यों ही नहीं मना कर दिया कि इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है। हमारी तरफ से जो पत्र लिखा गया था चीफ सेक्रेटरी को उसमें यह लिखा गया था कि बी० के० डी० पार्टी के लोग यह चाहते हैं कि आप फाइनस सेक्रेटरी से कह दें कि वे आकर समझा जायं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुख्य मंत्री जी का यह कहना है कि अगर एक पार्टी के लोगों को फाइनेंस सेक्रेटरी समझाने जात हैं तो कल को जन संघ तथा अन्य पार्टी के लोग भी चाहेंगे तो इतना समय उनके पास कहां से आयेगा। तब मने अपने साथियों से पूछा कि क्या उस खत में बी० के० डी० का नाम लिखा गया था? वह पत्र मिला नहीं तो दूसरा पत्र यह लिखा गया कि सारे विरोधी दल के लोग इस बात को चाहते हैं। (व्यवधान) (कांग्रेस पक्ष से आवाजें कि हमारी तरफ से क्यों नहीं लिखा गया?) मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कोई खत लिख सकता था तो इनकी तरफ से लिख सकता था। आप तो स्वयं मालिक हैं। आपकी तरफ से नहीं लिख सकता था, यह मोटी सी बात है। दूसरा पत्र यह लिखा गया कि सारे विरोधी दलों की मीटिंग हो जायेगी लिहाजा इजाजत दी जाय। इस पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी राजी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि चीफ सेक्रेटरी की समझ में या मेरी समझ में गलती है। लिहाजा मैंने तीसरा पत्र आपको लिखा। आपने उस पत्र को पढ़ा और मना कर दिया। एक बार पत्र लिखने पर मना, दूसरी बार लिखा गया फिर मना और जब मैंने इनसे तस्दीक करनी चाही तब फिर मना, तो बिना सोचे विचारे इन्होंने मना कर दिया, 'नहीं' बल्कि डेलीबरेटली यह किया गया।

दूसरी बात है कि इसके बाद मेरी मुलाकात माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी से हुई। मुझ से वह बहुत छोटे हैं। मैंने उनसे ऐसी बात कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिये थी मंत्री जी से। लेकिन मैं हमेशा उनको मंत्री नहीं समझता। मैंने कहा कि आपके लीडर साहब का रवैया यह है। मैंने कहा—शान्तिप्रपन्न, तुम्हारी तरफ से शिकायत नहीं है, सारी तकलीफ दे रही है टोटैलिटेरियन मेंटेलिटी, इस तरह से जवाब देने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान) मैं कोई अनपार्लियामेंटरी चीज नहीं कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब मैंने फलां से कह दिया कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने कहा कि आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं समझता हूं कि जो १५ मिनिस्टर हैं उनमें से किसी से कहता या मैं आचार्य जी से कहता तो राजी हो जाते। मुझे शिकायत है गुप्ता जी से। उस वक्त शान्तिप्रपन्न जी ने कहा कि

[श्री चरणसिंह]

गुप्ता जी से पूछ लूंगा। अब सवाल यह है कि गुप्ता जी कहते हैं कि खुद उन्होंने फोन किया। शान्तिप्रपन्न शर्मा जी कह कर गये कि मैं पूछ लूंगा गुप्ता जी से। तो मेरी समझ में नहीं आया गुप्ता जी ने तीन बार विचार करने के बाद मना कर दिया और दिल्ली जाकर उनको खयाल पदा हुआ और उन्होंने शान्तिप्रपन्न को फोन किया कि भाई इसके मानने में क्या हर्ज है। वह तो इस ढंग से बात है कि शान्तिप्रपन्न जी नहीं मान रहे थे और मुख्य मंत्री जी समझा रहे हैं कि मान जाओ, इसमें क्या दिक्कत है। जो सारी बातें हैं, उनसे ९९ परसेंट यह है कि फोन किया शान्तिप्रपन्न जी ने। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री को समझाया तब माननीय मुख्य मंत्री राजी हुए होंगे। राजी हो गये या नहीं, इसकी मुझे इत्तला नहीं थी सिवा इसके जो उन्होंने इस वक्त कहा है। माननीय शान्तिप्रपन्न ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री राजी हो गये। अब आप मीटिंग कर लो। सारे जो वाकयात हुए हैं उसमें सम्भावना यह है कि शान्ति प्रपन्न जी ने फोन किया न कि यह सम्भावना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने फोन किया।

श्री अध्यक्ष—

वह मंजूर करते हैं यह तो साफ बात है। तो अब काम शुरू होना चाहिए। सब लोग जमा हों और वह आफिसर्स भेजने को तैयार हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सफाई कर दूं कि विरोधी दल के नेता ने दो दफे चीफ सेक्रेटरी से कहा और दो दफे उन्होंने जो मेरी बातें चीफ सेक्रेटरी से हुईं उनको दोहराया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि न मैंने, उन्होंने क्या लिखा चीफ सेक्रेटरी को उसको देखा, केवल मेरी बात फोन पर चीफ सेक्रेटरी से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा और स्वतः अपना विचार भी दिया कि साहब दलों की तरफ से मांग की पहले प्रथा रही नहीं है, तो मैंने कहा कि पहले यह प्रथा नहीं रही है। तो इस प्रथा को चालू नहीं कर सकते हैं। दोबारा जब माननीय शिवराज सिंह जी गये तब भी चलते वक्त ही बात हुई। चौधरी सहाब ने किसी कागज पर लिखा था। तो मैंने यह कहा कि यह प्रथा तो रही नहीं है। यह बात मैंने उनसे कही और आज भी उस बात को दोहराता हूं। अगर एक दल अधिकारियों को बुला कर बात करेगा, तो दूसरा दल, तीसरा दल और चौथा दल भी बुलायेगा। तो मुझे यह बात मान्य नहीं है, न अधिकारियों क पास इतना समय हो सकता है। आखिर को यह सही है कि जब तब मैं इस प्रदेश का मुख्य मंत्री हूं और इस दल का नेता हूं, नीतियों को बरतना और अपनाना मेरा अधिकार है और उसको चलाऊंगा। लेकिन जो ससदीय परम्पराएं हैं उनके अनुकूल चलने की बराबर चेष्टा करूंगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक बात निवेदन करना चाहता हूं। माननीय विरोधी दल के नेता किसी समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। जब वह नहीं समझ पाये तो दूसरे सदस्यों की क्या हालत होगी यह समझा जा सकता है। माननीय नेता विरोधी दल ने मुझसे भी परामर्श किया था। हमने कहा कि हम समझ नहीं पायेंगे अच्छा होगा, वित्त सचिव आ कर समझा दें। तो उस वक्त तात्पर्य इसका यह था कि जितने विरोधी दल के लोग हैं। उनको विचार व्यक्त करने की ज्यादा आवश्यकता है बनिस्बत सरकारी पक्ष के। इधर के माननीय सदस्यों को उसे समझना अच्छी तरह से बहुत जरूरी था क्योंकि उन्हें उसकी रचनात्मक आलोचना करनी थी, उस पर अपने सुझाव देने थे। इसलिये यह आवश्यक था कि वह उसे अच्छी तरह से जान लें, पूरी तरह से समझ लें। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ऐसी अब तक प्रथा नहीं रही, कोई नई परम्परा नहीं बनाई जा सकती और जब तक मैं सरकार का नेता हूं, मुख्य मंत्री हूं नई प्रथा नहीं डाल सकता। मैं समझता हूं कि उनका यह कथन उचित नहीं है क्या कोई नई बात भले ही वह लाभकारी और जनहित की हो केवल इसलिये वह नहीं मानेंगे कि वह नई प्रथा होगी। माननीय सदस्य ने कहा कि कोई ऐसा समय था जब कि वित्त सचिव जाते थे और समझाते थे, वह दारुलशफा में गये, कामन-रूम में गये। तो क्या कोई

नई परम्परा जो सदन के लिये लाभकारी हो वह नहीं डालेंगे ? तो उनकी यह बात कुछ मेरी समझ में नहीं आती। यह बात स्पष्ट है, चाहे कोई मुझे अयोग्य ही क्यों न कहे, जो बजट ब्यूरोक्रेसी ने बनाकर दिया है, उस पर हमें समझना था। हमने यह अवसर दिया था कि हमें समझाया जाए। वह चीज कागज पर थी और जिन्होंने उसे बनाया था वह अधिकारी भी थे, वह हमें समझाना चाहिये था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसमें कौन सी हानि थी इस प्रथा के बनने से, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय नेता विरोधी दल जब कांग्रेस की केबिनेट में थे, तो क्या उनको यह बजट समझ में आता था और अब नहीं आने लगा है। माननीय त्रिपाठी जी ने जो कहा, माननीय जनसंघ के नेता जब उनकी सरकार थी, और जब उनकी पार्टी के लोगों ने बजट बनाया था तब बजट उनके समझ में आया था ?

श्री अध्यक्ष---

क्या आप बात बढ़ाना चाहते हैं ? ताना देने से कुछ नहीं होगा। आप केवल इतना बताइये कि क्या होना चाहिये ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं समझता हूं कि जब मुख्य मंत्री जी ने तिलक हाल की बात कही तो यह प्रकरण यहीं बन्द हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

तो यह बात मान ली गयी। उन्होंने शान्तिप्रपन्न शर्मा से यह कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं और इसको मान लिया जाए, इसलिये यह प्रथा अब चालू होगी। एक ही पार्टी वाले नहीं सब पार्टी वाले एक जगह जमा हों, फाइनेन्स विभाग के अधिकारी भी उसमें होंगे और मुख्य मंत्री जी भी उसमें होंगे, उसमें सारी बात समझ ली जाए। यह कठिनाई तो सभी के सामने है। मैं भी इसमें ढूंढ़ रहा हूं, भारत स्काऊट्स ऐण्ड गाइड्स को अमुक संख्या में रुपया हर साल मिलता था, लेकिन इस बार मैं उसे ढूंढता ढूंढता हैरान हो गया, मुझे नहीं मिला, मैं फिर आज उसमें देखूंगा। यह कठिनाई सभी को होती है। इसलिये यह तकलीफ विरोधी दल के सदस्यों की ही सारी नहीं है। तकलीफ इस तरफ के सदस्यों को भी है, चाहे वह गवर्नमेंट के हों, वह भी सीखकर नहीं आए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

यह नेता जी का काम था कि वह स्वयं ही इस प्रकार का इंतजाम करवाते।

श्री अध्यक्ष---

अब आप शिकवा शिकायत खत्म कीजिए। आपका जो प्रबन्ध बताया गया है वह होगा। वह बताने को तैयार हैं, वह आने को तैयार हैं, वह समझाने को तैयार हैं। चाहे जिस दल के लोग हों, रोज एक जगह जमा होकर पूंछतांछ कर सकते हैं। फिर मैं समझता हूं बजट पर अच्छी बहस हो सकेगी।

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---

मैंने तो ठीक ही कह दिया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

आपने बहुत अच्छा कहा लेकिन मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि वर्मा जी और स्वामी जी और हम सब लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब हम आपस में मिलते हैं तो सब मसले वैसे ही ठीक हो जाया करते हैं। मैंने सुझाव दिया था, जब आपने कहा था कि मीटिंग होनी चाहिये और जो लोग भी बजट को समझना चाहते हैं वह समझें, वह जरूर होना चाहिये और मैंने यह भी कहा था कि उसमें दिक्कत नहीं है। हमने एक पार्लियामेंटरी पार्टी बनाई है वह इसीलिये बनायी है कि जो पार्लियामेंटरी विषय है चाहे यहां के हों, पार्लियामेंट के हों या दूसरी जगह के हों उन सब पर हम बातचीत करें। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिस वक्त भी आप कहें सब आफिसर लोग आ जायेंगे और हम सब लोग इकट्ठा हो जायेंगे और जितना आप पूछना चाहते हैं उनसे पूछें और अगर किसी दूसरे आफिसरों को बुलाने की जरूरत हो तो वे भी बुलाये जा सकते हैं। और इस मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी मैंने अपने ऊपर ले ली थी। वर्मा जी से मैंने बातचीत की थी और चौधरी साहब से भी अर्ज किया था कि मुझको मालूम नहीं था कि क्या बात हुई जरा मैं पूंछ लूं। मैंने यह भी कहा था कि यह मीटिंग कल बुला ली जाय, परसों बुला ली जाय। आपने कहा था कि नहीं २४ को बुलाना चाहिये। तो अभी इसके बाद मैं आपके पास आने वाला था लेकिन क्या कहूं, यह मेरा दुर्भाग्य है कि यह बात शुरू हो गयी। लेकिन आप विश्वास रखिये कि हम लोग आपस में मिलेंगे, आफिसरान को इकट्ठा कर लेंगे। वैसे तो दारुलशफा में कभी हम इस तरह इकट्ठे हुये हों, ऐसा मुझे मालूम नहीं है लेकिन अगर पहले कभी नहीं हुआ हो तब भी हम वहां ही आ सकते हैं लेकिन वैसे तिलक हाल बढ़िया जगह है मिल कर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष---

अब शान्त वातावरण में भाषण शुरू करिये, गरमागरमी खत्म करिये।

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं दो बातें कहूंगा। माननीय गुप्ता जी ने यह कहा कि वे एक एक पार्टी के लिये सेक्रेटरी से नहीं कह सकते कि वह उनसे जाकर मिले। तो यह तो मुझे तसलीम था। मैंने दूसरा खत लिखा था सारे अपोजीशन के लिये जो आपके चीफ सेक्रेटरी के पास मौजूद है लेकिन जिस चीज पर मेरा एतराज था उसका जवाब नहीं दिया।

दूसरी बात मैं उनसे यह जानना चाहता था कि यहां से जाने के बाद आपको खयाल हुआ और आपने शान्ति प्रपन्नजी से यह फरमा दिया था। मैं गुप्ता जी से पूछूंगा और जो वह फरमा देंगे वह मैं मान लूंगा कि उनको यह खयाल कैसे बाद में आया जब वह पहले इन्कार कर चुके थे। उन्होंने फरमाया कि जब तक वे चीफ मिनिस्टर हैं तब तक वह उन परम्पराओं को चलायेंगे। वह तो हुजूर हम को मालूम ही हैं कि जब तक आप चीफ मिनिस्टर हैं तब तक इस प्रदेश में कोई अच्छी परम्परा पड़ने वाली नहीं है। यह अधिकार तो आपको है ही। अनडिस्प्यूटेड, इसमें किसी को क्या संदेह है। (व्यवधान)

मैं अपने माननीय दोस्तों से यह दरख्वास्त करूंगा कि क्योंकि यह मेरा प्रोटेस्ट था इसलिये उसके सिलसिले में मैंने इतना कहा बाकी अगर उधर के दोस्त इधर के लोगों की बातों को ठंडे दिल से नहीं सुनेंगे तो काम चलनेवाला नहीं है। सुनना तो जरूरी है, यह जरूरी नहीं है कि हर चीज पर अमल ही किया जाय।

दूसरा सुझाव आपके जरिये खास तौर से लक्ष्मीरमण जी आचार्य को देना चाहता हूं और वह यह है कि बजट भाषण की भाषा इतनी क्लिष्ट हिन्दी में है कि मैं सच कहता हूं कि एक दफा पढ़ने के बाद और एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद यह पता नहीं लगता कि इसमें क्या कहा गया है और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। हिन्दी का मैं भी हामी हूं, हिन्दी होनी चाहिये लेकिन इतनी क्लिष्ट, इतनी गरिष्ठ कहिये, इतनी कठिन हो जाय कि लफ्जों के माने न जानें और उनके माने पूछने में ही समय

निकल जाय तो फिर भाव ही खत्म हो जायगा। मसलन एक जगह लिखा जा सकता है कि "ऐसा दिखाई देता है" या "ऐसा मालूम पड़ता है" लेकिन उसी बात के लिये कहा गया है कि "ऐसा परिलक्षित होता है"। अब बताइये "परिलक्षित" कैसे समझा जाय? मैं समझता हूं कि हिन्दी के प्रचार के खिलाफ जो सबसे बड़ा आर्गूमेंट है वह यही है कि बहुत संस्कृतनिष्ठ, बहुत क्लिष्ट भाषा इस्तेमाल की जाती है। उस एतराज को इससे बहुत बल मिल जाता है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये।

मैं यह उम्मीद करूंगा कि अगली बार वित्त मन्त्री जी जब बजट पेश करेंगे तो उसकी भाषा सरल होगी। टैक्नीकल शब्द हो सकते हैं उन पर कौन एतराज कर सकता है। उसमें अंग्रेजी के भी शब्द आ सकते हैं लेकिन सारी भाषा एक मामूली भाषा होनी चाहिये जिसको हर एक आदमी मामूली पढ़ा लिखा भी समझ सकता हो।

श्रीमन, यह बजट का विषय बहुत व्यापक क्षेत्र है। २०–२१ महकमे हैं। उन सब के विषय में कुछ न कुछ कहा जा सकता है लेकिन मैं किसी महकमे विशेष के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उस पर काफी कहा जा सकता है और उसमें काफी समय लग सकता है। किसीभी महकमे की वर्किंग के विषय में कि किस तरह से इकानामी उसमें हो सकती है उसके विषय में अगर सुझाव दिया जाय तो उसमें भी वक्त लग सकता है। इसलिये मैं ऐसा नहीं करता हूं क्योंकि दूसरे लोगों के लिये बहुत कम समय रह जायगा। इस वजह से किसी महकमे विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इस बजट के अन्दर जो प्वाइन्ट उठाये गये हैं या बजट भाषण में जो प्वाइन्ट उठाये गये हैं कि हम यह करने जा रहे हैं उसके बारे में ही कुछ जिक्र करना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने लिखा है कि "प्लान्ड सोशलिस्टिक इकानामी" यानी नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जिसका उद्देश्य एक निश्चित समया के अन्द र समाज के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में उत्तरोत्तर सुधार करना होत है, वार्षिक बजट का बनाना विशेष महत्व रखता है। मालूम होता है कि कहीं से लफ्जों को उठा-कर रखा गया है। क्या यह प्लान्ड सोशलिस्टिक इकानामी है? क्या आज इसको सोश-लिस्टिक इकानामी कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। तो फिर इन बड़े बड़े शब्दोंके इस्तेमाल करने से क्या फायदा है? हम किसको धोखा देना चाहते हैं, यह इसलिये कि अपनी तबियत खुश हो जाय। हम चाहे बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर लें या बड़े बड़े हिन्दी के शब्दों का प्रयोग कर लें लेकिन क्या इसका वास्तविकता से कोई संबंध है? सोशलिस्टिक इकानामी क्या है, क्या हम अपने यहां उस सोशलिस्टिक इकानामी को करना चाहते हैं जिस तरह की सोशलिस्टिक इकानामी उन सोशलिस्टिक कन्ट्रीज में होती है? हां हम ऐसे लफ्जों को जरूर इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनको इस्तेमाल करके आमतौर पर लोग प्रगतिशील माने जाते हैं। पिछले २० साल में जैसा कि सरकार ने तसलीम किया है और जैसा कि सरकार की रिपोर्ट हैं उनसे साबित है कि उत्तर प्रदेश की आमदनी या उसका स्थान देश के दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में जो ५०–५१ में था आज उसका कोई मुकाबला नहीं है। वह बहुत पीछे हट गया है। केवल बिहार को छोड़ कर हम आज सब से पीछे हैं। हम चाहे बड़े बड़े शब्दों का, सोशलिस्टिक इकानामी जैसे शब्दों का प्रयोग कर लें लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आगे चल कर इसमें तीन जगह लिखा है कि जो कपड़े के कारखाने हैं या चीनी के कारखाने हैं उनके उद्धार के लिये हम कारपोरेशन कायम करना चाहते हैं। हमारी फैक्टरियां जो हैं वह दो प्रकार की ह। एक टैक्सटाइल और दूसरी शुगर की हैं। इसमें आगे तीन जगह लिखा है और दोहराया गया है कि बड़े पैमाने पर उद्योगों को उत्तर प्रदेश में आक-र्षित करने के लिये सस्ती जमीन, सस्ती बिजली और सस्ता ऋण अर्थात सूद नाम मात्र का उनसे हम लेंगे और यह सब देंगे उन उद्योगपतियों को। और आगे लिखा है कि ३ साल तक हम सेल्स टैक्स जो कच्चा माल फैक्टरीज को दिया जायगा उसका उनसे नहीं लेंगे। यह औद्योगी-करण की बाबत दो बातें हैं—एक के लिए कारपोरेशन और दूसरों के लिए प्रलोभन ताकि

[श्री चरणसिंह]

हमारे यहां आ जायं। अध्यक्ष महोदय, यह दूसरे सफे पर २-३ फिकरे ही हैं जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेन्ट के सारे दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। यानी जाहिर करता है, इंडीकेट करता है। तो हमारी गवर्नमेन्ट और हमारे माननीय गुप्ता जी को बड़े लोगों की जो तकलीफें और आर्थिक कठिनाइयां हैं वह आसानी से समझ में आ जाती हैं बमुकाबले सर्वसाधारण की तकलीफों के और इस बात को हमारे बिग बिजनेस वाले बड़े-बड़े उत्तर प्रदेश के कारखाने वाले भलीभांति जानते हैं और लखनऊ की आबोहवा से परिचित रहते हैं और वह इससे भी परिलक्षित होता है कि जैसे ही मिड-टर्म इलेक्शन के नतीजे घोषित हुए सारे उत्तर प्रदेश में तो १२ ही तारीख को गन्ने की फैक्टरियों के मालिकों ने गन्ने के दाम घटा दिये और किसान की पैदावार जो खेत में खड़ी हुई थी उसके दाम घट गये और जो किसानों के घरों से आ कर पैदावार दूकानदारों के यहां जमा हो चुकी थी उसके दाम बढ़ गये। मैं अन्याय करूंगा गुप्ता जी के साथ अगर मैं कहूं कि गुप्ता जी ने टेलीफोन से कह दिया फैक्टरी वालों से कि तुम दाम घटा दो या लखनऊ के दूकानदारों से कह दिया कि तुम दाम बढ़ा दो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे लोग तो खुद बड़े समझदार हैं, उन्होंने खुद घटा दिये और बढ़ा दिये क्योंकि वह जान गये कि अब पांसा हुकूमत का पलट गया, अपने दोस्त आ गये।

यह बात तो फरवरी की है। मैं अगस्त को बतलाता हूं कि एक पब्लिक सर्वेंट की धर्म-पत्नी जो मेरी लड़कियों के बराबर की है और उसके साथ पढ़ी थी वह कभी-कभी मेरे यहां आ जाती थी। शाम का वक्त था और यह २६-२७ अगस्त की बात है। बरांडे में मैं बैठा था और मुझे यह लगा कि मेरी पत्नी किसी से बात कर रही है और बड़े जोर से बात हो रही है। उनसे मैंने पूछा कि किससे बात कर रही हो? तो उन्होंने उस बहू या लड़की का नाम बतलाया। वह आ गयी मेरे पास। उन्होंने कहा कि "पिता जी मैं हूं"। मैंने कहा कि क्या कह रही थी इतने जोर से। तो उसने कहा कि मै अरहर की दाल खरीदने के लिये गयी थी। उस वक्त मैंने उससे मोहल्ले और दूकानदार का नाम नहीं पूछा दूसरी सितम्बर से ५ सितम्बर तक मैं प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और रायबरेली बी० के० डी० के प्रचार के लिये गया हुआ था। बाद में उस बहू को बुलवाया और उस दूकानदार का नाम पूछा और मोहल्ले का। तो उसने बतलाया कि मैं अरहर की दाल लेने गयी तो फलां दूकानदार ने अरहर के डयोढ़े दाम बतला दिये। मने उससे कहा कि १५ दिन पहले ये ये थे, अब इतने क्यों दाम बतलाते हो। तो कहने लगा कि आज बहूजी इलेक्शन, चुनाव, होने जा रहा है। उसमें कांग्रेस वाले भी लड़ रहे हैं। तो हमें मालूम था कि चुनाव होने जा रहा है और कांग्रेस वाले भी लड़ रहे हैं, फिर उससे कहा, तो कहने लगा कि हम को रुपया देना होगा। वह रुपया आप बतलाइये कहां से लायें---यह दूकानदार ने पूछ लिया। यह अगस्त की बात है, दाम तभी बढ़े थे।

कहा यह जाता था कि बारिश नहीं हुई इसलिये दाम बढ़ रहे हैं जब कि १९६७-६८ में रबी की इतनी पैदावार हुई थी जिसने रेकार्ड ब्रेक कर दिया और गल्ले की किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, अरहर की कमी नहीं थी, अरहर बहुत पैदा हुआ था। और अगर बारिश नहीं हुई थी तो उसका असर खरीफ की फसल के ऊपर तीन महीने बाद पड़ना चाहिये था। लेकिन उस दूकानदार ने यह नहीं देखा कि बारिश हुई या नहीं, उससे उसका कोई मतलब नहीं था। यह तो बाद में चीफ सेक्रेटरी ने बयान दिया कि बारिश नहीं हुई जिसके कारण दाम बढ़ गये। उस दूकानदार ने तो यह कहा कि हमने रुपया दिया है, वह कहां से आवेगा। तो जिन बेचारों ने रुपया एलेक्शन के नाम पर दिया था, वे अपना रुपया कहां से निकालें। एलेक्शन हो चुका और दूकानदार देख रहा है कि किसकी गवर्नमेन्ट बनने जा रही है। इसी तरह से फिर आलू का दाम बराबर गिरता चला गया। इसका एक ही रास्ता था। मेरा तो विश्वास नहीं था लेकिन श्री गेंदा सिंह जी जो मेरे बाद कृषि मंत्री हुए थे, ने मिनिमम प्राइस गारंटी की बात कहीं थी कि किसानों को आलू का इतना बाम दिया जायेगा। मैंने उसी वक्त कहा था कि यह गलत स्कीम है जो कामयाब होने वाली नहीं है। लेकिन हमारी बात को कौन सुनता।

दाम मुकर्रर करने का नतीजा यह हुआ कि उल्टा किसानों का बहुत नुक्सान हो गया। मिनिमम प्राइस मुकर्रर करने के बहुत बड़े कम्पलिकेशंस होते हैं।

एक बात गुप्ता जी जरूर कर सकते थे और वह यह कि बाहर आलू की बहुत मांग थी। वे गवर्नमेंट आफ इंडिया से कह कर बाहर आलू भेजने के लिये रेलवे वैगन्स ले सकते थे। गवर्नमेंट आफ इंडिया कांग्रेस की है, और वे हाई कमांड में भी हैं, यहां तक कि अखबारों में यह भी पढ़ने को मिला है कि एक बार हमारे मित्र ने कह दिया कि मुझे ही हाई कमांड समझा जाय। तो हाई कमांड में होने की वजह से उन्हें आलू भेजने के लिये वैगन्स फौरन मिल सकते थे। हो सकता है कि उन्होंने इसके लिये कोशिश की भी होगी लेकिन शायद बहुत धीमी रफ्तार से की होगी और इतनी धीमी रफ्तार से की होगी कि किसान लुट गये। और जब उसका आलू दूकानदारों के पास पहुंच चुका तो आलू के बाहर जाने का मूवमेंट खुल गया और फिर उसका लाभ दूकानदारों ने उठाया जब कि वह लाभ किसानों को होना चाहिये था।

जहां तक गल्ले की बात है, डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर ने यह बतलाया कि पिछले साल से इस साल अच्छी फसल होने वाली है ब वजूद कुछ जिलों में बारिश न होने के, क्योंकि हमने अच्छे किस्म के बीज अधिक क्षेत्रफल में इस साल बोने का प्रबन्ध किया है। और बो रहे हैं। पिछले साल से अच्छी फसल इस साल होने वाली थी और मेरा ख्याल है कि १९६९ में रबी की अच्छी फसल हुई। फरवरी में गल्ले के दाम बढ़ने लगे। मार्च में गवर्नमेन्ट बनी और फिर भी दाम बढ़ते ही गये। क्योंकि दूकानदारों को किसी की भृकुटी टेढ़ी होने का डर तो रह नहीं गया था। नतीजा यह हुआ कि ५ अप्रैल को सिटी कांग्रेस कमेटी, लखनऊ को एक प्रस्ताव पास करना पड़ा क्योंकि वे बेचारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनका जनता से रात और दिन का सम्बन्ध है। यह प्रस्ताव दिनांक ६ अप्रैल के "स्वतंत्र भारत" अखबार में छपा है जो इस प्रकार है:—

"बढ़ती हुई मंहगाई से कांग्रेस जन क्षुब्ध,
मुख्य मन्त्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग,

लखनऊ, ५ अप्रैल। शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण वर्मा, महापालिका बल के कोषाध्यक्ष, श्री विश्वंभर दयाल अग्रवाल और कार्यालय मंत्री श्री छेदी लाल बाजपेयी ने एक संयुक्त वक्तव्य में मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त का ध्यान शहर में बढ़ी हुई मंहगाई की ओर आकृष्ट कर इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वक्तव्य में कहा गया है कि मध्यावधि चुनाव के पूर्व गेहूं ८५ पैसे प्रति किलो बिक रहा था जब कि अब उसकी दर ११० पैसे प्रति किलो हो गयी है जब कि नयी फसल भी बाजार में आ गयी है। इसी प्रकार से चना और चावल भी तेज हो गये हैं जिससे कांग्रेस बदनाम हो रही है।" अध्यक्ष महोदय, मेरे कांग्रेस के मित्र, जो उधर बैठे हैं, उन्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं तो ठीक वही कह रहा हूं जो बात ये महसूस करते रहे हैं और अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठकों में कहते रहे हैं। अब यह क्यों हो रहा है? मुझे हमदर्दी है माननीय गुप्त जी के साथ, उनकी कठिनाइयां थीं, मगर उनकी कठिनाई और मजबूरी मुसीबत हो जाती है उत्तर प्रदेश की जनता की।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक गन्ने की कीमत का सवाल है, बिहार और उत्तर प्रदेश के १५ एम० पीज ने एक बयान दिया जो नेशनल हैराल्ड के ४ मार्च के पेपर में छपा है, उन्होंने कहा है कि चीनी की दर २४६ रुपये फी क्वीन्टल मानकर १० रुपये प्रति क्वीन्टल गन्ने का दाम मुकर्रर किया था कांग्रेस सरकार ने अब चीनी की कीमत ३४० रुपये प्रति क्वीन्टल हो गयी है। इस प्रकार गन्ने का दाम १३ रुपये होना चाहिये था, लेकिन १० रुपये प्रति क्वीन्टल भी नहीं मिल रहा है। चीनी के दाम २४६ से ३४० और गन्ने के दाम इतने कम, कहां है खराबी? मेरा विश्लेषण गलत हो सकता है, लेकिन मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि कभी आपने बैठ कर सोचा भी है इस प्रश्न पर कि आखिर इसका कारण क्या है? मेरी समझ में जो इसका कारण था वह मैंने बता दिया। वे आज यह समझते हैं कि आप उनके प्रति अनुग्रहीत हैं और जब आप का उनके लिये अनुग्रह है तो आपको उनको भी अनुग्रहीत करना पड़ेगा।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, मई में गन्ने के दाम और घटे और वह बराबर घटते चले गये। उन एम० पीज की किसी ने नहीं सुनी। हुआ यह कि गिरते गिरते वह दाम ७.३५ रुपये प्रति क्वीन्टल हो गये। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि कहीं कहीं ६ रुपये क्वीन्टल तक दिये गये हैं विजनौर में किसानों को। एक अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात है कि जो साबित नहीं हो सकती, लेकिन है, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि फैक्टरी वालों से जब यह कहा गया कि गन्ने का दाम क्यों गिरा रहे हो, शुगर कन्टेंट तो बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमको गन्ने का दाम ज्यादा देने में कोई एतराज नहीं था लेकिन. . . . उन्होंने उसी तरफ संकेत किया, अगली बार हमसे फिर रुपया लिया जायेगा। यह क्या है? सन् ७४ में न सही ७२ में। फिर परचेज टैक्स मई के दूसरे पखवारे में ५१ पैसे की बजाय ३२ पैसे कर दिया और पहली जून से बिलकुल माफ कर दिया। जब कि अध्यक्ष महोदय, वाकया यह है कि किसी एक दो फैक्टरी को छोड़ कर अधिकतर फैक्टरियों को लाभ हुआ है। जो कि फर्जी उनके अफसर मेम्बर थे। फ़ैक्टरी को इन पांच-सात साल के अन्दर कितना लाभ हुआ है? जितने रुपये में उनकी फैक्टरी बनी थी एक एक साल में इतना लाभ हुआ। मुझे बहुत विश्वास के साथ पता है कि फैक्टरी को लखीमपुर खीरी में दो करोड़ रुपये का लाभ अब की बार १९६८-६९ में हुआ है और अब वे पलिया के किसान कोआपरेटिव फैक्टरी बनाना चाहते थे और फ़ैक्टरी के मालिक श्री रामेश्वर प्रसाद नेवटिया हीं चाहते थे। वे कांग्रेस के एम० पी० वगैरह रहे तो वह नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि अगर वहां फ़ैक्टरी पलिया में हो गई तो सम्पूर्णानन्द नगर का जितना गन्ना है वह नहीं आयेगा। क्योंकि वहां दो आना फ्री मन गन्ना के दाम कटते थे। गोला में दो आना फ्री मन जो दाम देने पड़ते थे। इस तरह दो साल में ही फ़ैक्टरी बन जाती थी। साढ़े बाईस लाख रुपया इकट्ठा हो गया था। कोआपरेटिव ने इकट्ठा कर लिया। तो मेरे पास खबरें तो आती रहती हैं कि जिस तरह से कोआपरेटिव को प्रोत्साहन देते हैं। खास तौर से उनकी नजरे-इनायत तो उन मालिकों पर रहती है। मैं कोआपरेटिव सोसाइटीज का मुखालिफ़ नहीं हूं। आप इस बात को पिछली फ़ाईल उठा कर देख लें कि अपना फ़र्ज उन्होंने कैसे किया और फ़ैक्टरीज नहीं बन पायी और नीति कांग्रेस गवर्नमेन्ट की रही कि कोआपरेटिव शुगर फ़ैक्टरी बनेगी एक पलिया में और एक अलीढ़ में जहां के किसान उसके मेम्बर्स हों और उनको उसका लाभ होगा। रुपया इकट्ठा कर के नहीं बनने दी फ़ैक्टरी इन हूज इन्टेरेस्ट" किसके हित में, किसके हक में, केवल एक आदमी के हक में। और अब जो फ़ैक्टरी खोलने की इजाजत दी है उसमें ५१ परसेन्ट तो शेयर होगा नेवटिया साहिब के और ४९ प्रतिशत होंगे किसानों के। मैनेजर साहब तो यहां रहें लखनऊ में। कन्ट्रोलिंग शेयर सेठ जी का रहेगा। अध्यक्ष महोदय, तो यह कुछ साफ्ट कार्नर हमारा है उद्योगपतियों के प्रति।

बुलन्द रजा फ़ैक्टरी एक रामपुर में है। १,७७ लाख के उस पर ड्यूज थे। किसान के, गवर्नमेन्ट के, स्टेट के, सेन्टर के। प्रेसीडेन्ट के रूल में, उनके जमाने में, राष्ट्रपति के शासन में, एक कन्ट्रोलर मुकर्रर हो गया एडमिनिस्ट्रेटर। उसने ४१ लाख रुपये प्राफ़िट करके दिखा दिया एक फसल में। जब एक एडमिनिस्ट्रेटर ने केवल पांच महीने के अन्दर ४१ लाख रुपये का नफा कर के दिखा दिया तो क्यों नहीं उसी के पास काम रहने दिया गया? क्या हमको जल्दी पड़ी थी। कांग्रेस गवर्नमेन्ट जो सोशलिस्ट पैटर्न की बात बहुत करती है, क्या वह कन्ट्रोलर जिसने इतना अच्छा काम करके दिखाया उसको हटाने की क्या जल्दी पड़ी थी? वह फ़ैक्टरी पूंजीपति को वापिस करने में कोई न कोई तो कारण रहा होगा। बहुत से इस प्रकार के कारण हैं जिसके कारण इस प्रदेश में विपदा आई। अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में और अधिक न कह कर आपका जो दृष्टिकोण है पूंजीपतियों के तईं, या उद्योगपतियों के तईं, मेरा उद्योगपतियों से कोई विरोध नहीं है, मैं पूंजीपतियों का विरोधी नहीं हूं लेकिन जिस तरह से बेजा उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, उसका मैं विरोधी हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं एग्रीकल्चर का मिनिस्टर था तो दौराला में एक शुगर फ़ैक्टरी का फ़ार्म था २,४०० एकड़ का। पांच सौ, छः सौ एकड़ जमीन नाकाबिल काश्त थी और १८ सौ एकड़ काबिले काश्त थी तो मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से कह कर एक हजार एकड़ जमीन गवर्नमेन्ट के लिये रिजर्व करा दी और उसके लिये आर्डर्स हो गये कि यह जमीन किसी को तकसीम न की जाय। हमारे गन्ने के सिलसिले में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे किसानों को फ़ेन सीड अच्छा नहीं मिल पाता। १–२–५ एकड़ वाले किसानों से कहा जाता है कि तुम अच्छा बीज पैदा करो, तुमको अनुदान देंगे, जिसमें भी १०० करप्शन हैं। इससे हमारे किसानों को अच्छा बीज नहीं मिल पाता। मेरा विचार यह था कि एक हजार एकड़ में से ३–४ सौ एकड़ जमीन गन्ने के बीज के लिये सुरक्षित कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, आलू के विकास के सिलसिले में भी यू० पी० सब से पीछे है, करीब करीब सब से पीछे, उसमें भी बीज का ही सवाल है। क्योंकि उसका न्यूक्लीयर अथवा दूसरा उसका कुछ नाम है, वह पहला बीज तो पहाड़ों में पैदा होता है, फिर दूसरी स्टेज में उसको मल्टीप्लाई मैदान में कराया जाता है। इसके लिये हमारे पास कोई जमीन नहीं थी, इसलिये किसानों को इम्प्योर बीज मिलता है। इस बारे में मेरा विचार था कि ३–४ सौ एकड़ जमीन आलू के बीज के लिये सुरक्षित कर दी जाय। रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट इसके लिये राजी हो गया और उसने यह जमीन डाइरेक्टर आफ़ एग्रीकल्चर को दे दी।

एक तीसरी बात और है और वह यह कि यू० पी० के लड़के आर्मी में काफ़ी बड़ी तादाद में जाते हैं। लेकिन जो कमीशन्ड आफ़ीसर्स हैं, उनमें यू० पी० वालों की तादाद बहुत कम है। उसमें पंजाब, राजस्थान वगैरा के लोग ज्यादा होते हैं। आफ़ीसर्स में यू० पी० के बहुत कम हैं। मुझे मालूम है, मैं तो उसकी सेक्शन कमेटी में रहा हूं। यू० पी० के जो थोड़े बहुत आते भी हैं तो वे उन अधिकारियों के लड़के ही होते हैं जो पंजाब वगैरा से यहां आये हुए होते हैं और जिनके लड़के अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिये जरूरत थी कि हमारे यहां एक आर्मी स्कूल खोला जाता। एक घोड़ खाल में कायम भी किया गया। वहां होना भी चाहिये था क्योंकि गढ़वाल के बहुत से लड़के आर्मी में जाते हैं। इसके बाद मेरठ डिवीजन आता है जहां के लड़के भी बहुत बड़ी तादाद में आर्मी में जाते हैं। सुचेता जी ने उसके बारे में लिखा भी लेकिन सेंटर से यह कह दिया गया कि उसके लिये उनके पास फ़ंड्स नहीं हैं। लेकिन मेरा खयाल था कि गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया को इसके लिये मजबूर किया जाता कि उस क्षेत्र में एक मिलिटरी स्कूल कायम किया जाता। अगर वह खोला जायगा तो सवाल यह उठेगा कि उसके लिये जमीन कहां से लायी जाय इसके लिये ३०० एकड़ में सुरक्षित कर देना चाहता था। फ़िलहाल वह भी एग्रीकल्चर विभाग के पास रहती, जिसमें आलू और गन्ने का बीज पैदा किया जाता।

अध्यक्ष महोदय, अब मैंने सुना है। मैं मेरठ १३ तारीख को गया था, तब मैंने सुना कि उस एक हजार एकड़ में, जो इन तीन उद्देश्यों के लिये सुरक्षित की गयी थी, उसमें से ४०० एकड़ मोदी को दी जा रही है एक फ़ैक्ट्री के लिये। मैं यह मानता हूं कि मोदी ने इस प्रदेश की बहुत भारी सेवा की है। उसने १७ फ़ैक्ट्रियां लगायी हैं। लेकिन जितने विस्तार में उसकी ये सब फ़ैक्ट्रियां हैं वह भी ४०० एकड़ न होगा। लेकिन उसको भी गवर्नमेन्ट एक फ़ैक्ट्री के लिये ४०० एकड़ जमीन देने जा रही है। उनको चीप लैंड, चीप पावर और चीप लोन देने जा रहे हैं। यह जमीन कम से कम ५० लाख रु० कीमत की होगी। मेरी राय है कि वह जमीन नहीं देनी चाहिये। ऐसी चीजों के लिये जमीन गैर-मजरुआ दी जानी चाहिये, लैंड एक्विजिशन ऐक्ट और रेवेन्यू मेनुअल के मातहत जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने लैंड एक्विजिशन ऐक्ट में संशोधन भी किया था और उसकी एक धारा को संशोधन किया है और उसमें रखा गया है कि पहले पूरी कोशिश होनी चाहिये कि पब्लिक परपज के लिये वह जमीन ली जाय जो गैरमजरुआ हो, अगर मजरुआ जमीन लेनी पड़े मजबूरन तो वह बहुत कम ली जाय, जमीन चाहे किसान की हो या सरकार की हो, सरकार की भी होगी तो आई होगी कभी किसान से ही।

[श्री चरणसिंह]

मैंने सुना है कि एक फैक्टरी बाराबंकी में पास में ही बननी है और उसको २०० एकड़ जमीन दे दी गई है जबकि उस के लिये १० एकड़ जमीन की भी जरूरत नहीं है किसान की तकलीफ़ तो बाराबंकी से मिनिस्टर साहब के कान तक और सेक्रेटेरिएट आने तक धीमी होती जाती है। वह कांटा जो गरीब के पांव में लगता है वह लखनऊ पहुंचते पहुंचते गुम हो जाता है फ़ैक्टरी में बहुत मिलेगा तो २०० आदमियों को रोजगार मिल जायगा, आजकल आटोमेटिक मशीनरी का जमाना है। २०० एकड़ में क्या होगा, टेनिस कोर्ट लान्स, बगीचे, बंगले, स्विमिंग पूल और न मालूम क्या क्या ऐश आराम के साधन बनेंगे, जिस किसान की रोजी हमेशा के लिये छिन जायगी उसकी कौन सुनेगा ? मैं बात कर रहा था हमारे मित्र श्री दीप नारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि ३०० एकड़ जमीन बिरला जी को दी जा रही है देवरिया में शुगर फ़ैक्टरी फ़ार्म से लेकर प्रताप नगर तक। यह ठीक है कि अपनी जगह पर बड़ी फ़ैक्टरीज भी चाहिये लेकिन इस प्रदेश की ही नहीं बल्कि इस देश की समस्या अधिकतर छोटे उद्योगों से ही हल हो सकती है।

मोटी सी बात है कि हमारे यहां जमीन कम है बमुकाबले आदमियों के और बमुकाबले पंजाब के भी हमारे यहां जमीन कम है। इसलिये जमीन की व्यवस्था ऐसी हो कि जो उत्पत्ति का मूल साधन हो उस की प्रति इकाई का सब से ज्यादा सदुपयोग हो। हमारे यहां छोटी और निजी होलडिंग्ज हैं, हमारे यहां औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी और श्रम की जरूरत होती है, श्रम हमारे यहां बहुत है पूंजी कम है इसलिये हमारी औद्योगिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जिससे पूंजी की फ़ी इकाई पैदावार ज्यादा बढ़ाये और पूंजी की फी इकाई ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। ऐसा छोटे उद्योगों में ही सम्भव हो सकता है। हम पंजाब और बिहार को देखें, पंजाब में ज्यादातर छोटे और मीडियम साइज उद्योग घर-घर लगे है। लुधियाने का छोटा आर्टिजन अपने दिमाग और बाहुबल के द्वारा जो मेहनत करता है उसके बल पर वह आज जर्मनी और जापान के आर्टिजन से किसी हालत में कम नहीं है, वह उनसे पीछे नहीं है। प्रदेश की जो आर्थिक प्रगति हुई है इस में कोई मुबालगे की बात नहीं है---उसका तीन चौथाई श्रेय पंजाब को ही है, उन्होंने छोटे उद्योग लगाये हैं और वह मेहनत करते हैं और इसी कारण उन की परकेपिटा आय सब से अधिक है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय पंजाब की ही सब से ज्यादा है, यह ठीक है कि उनके पास जमीन भी फ़ीकस ज्यादा है लेकिन इसका बड़ा कारण उनके छोटे उद्योग हैं। बिहार जहां देश की सब से ज्यादा फ़ैक्टरीज हैं, लोहे और स्टील के तमाम कारखाने होने के बावजूद वह सब से ज्यादा गरीब है।

तो मैं बा अदब आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी नीति पर पुनर्विचार करें। इन्डस्ट्रीयलाइजेशन की बात जब आप करें तो बड़ी फ़ैक्ट्रियों की ओर ध्यान मत ले जायें। संभावना है १०-१२ फ़ैक्ट्रियों के आने की। तो आप हिसाब लगाइये कि कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। बड़ी फ़ैक्ट्रीज से जनता की जो आय में खाई है उसे कम करने के बजाय ये चौड़ा ही करेंगी। कुछ लोगों के पास बेशक बहुत ज्यादा धन हो जायगा और कुछ के पास बहुत कम। फ़िर आप हिसाब लगाकर बतायेंगे कि पर कैपिटा इन्कम बढ़ जायेगी लेकिन मासेज की आय में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुए।)

मैं चाहूंगा कि आप अपनी एनर्जी, अपनी बुद्धि छोटी फैक्ट्रीज की ओर ही केन्द्रित करें। अगर ऐसा हो जाय तो आप देखेंगे कि यू० पी० की दशा ५-७ साल में ही बदल जायगी। इसलिए हमारी पार्टी का एक सिद्धान्त यह है कोई नयी बात नहीं है, गांधी जी ने भी कई बार कहा है कि बड़ी फैक्ट्रीज न लगनी देनी चाहिए अपने मुल्क में उन चीजों को बनाने के लिए जिनको छोटे पैमाने पर बनाया जा सकता है। जिन चीजों को छोटे पैमाने पर नहीं बनाया जा सकता है केवल उन्हीं को

बड़े पैमाने पर बनाया जाय। चाहिए तो यह था कि एक ऐक्ट गवर्नमेंट आफ़ इंडिया द्वारा बना दिया जाता और अगर ऐसा हो जाता तो आज जो १ करोड़ ३० लाख लोग बेरोजगार हैं जिसमें ३० लाख लोग पढ़े लिखे हैं, ५० हजार इन्जीनियर बेकार हैं, ये हरगिज न होते। बेशक स्टील बड़े पैमाने पर बन सकती है, इलैक्ट्रीसिटी बड़े पैमाने पर हो सकती है, हवाई जहाज, रेलवे इन्जिन बड़े पैमाने पर बनाये जा सकते हैं, कौन मना करता है।

गन्ने की जो फैक्ट्रीज हमारे यहां हैं, उनसे किसान का शोषण हो रहा है। सरकार को भी उनसे पूरा टैक्स नहीं मिलता है। उपभोक्ताओं को भी ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। तुलाई में बेइमानी होती है। आप कहेंगे कि इसके लिए केन कमिश्नर्स हैं इन्सपेक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी वाकया यह है कि गन्ने के तोलने में सरासर बेइमानी की जाती है और जब शूगर बनती है तो जो शूगर उनके पास बचती है फ्री मार्केट से उससे ५० लाख या १ करोड़ रुपया फ़ैक्टरी वालों को मिल जाता है जिससे प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती है जिससे गन्ने का दाम मुकर्रर होता है और तरह तरह के सरकार की एक्साइज ड्यूटी जो होती है या परचेज टैक्स होता है वह नहीं मिलता है और उपभोक्ता को ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। एक एक फ़ैक्ट्री उस समय तक जो १९३० या १९३५ में लगी थी, १० गुना ये रूपया ज्यादा कमा चुके हैं लेकिन हमारी नजर अब भी उनकी तरफ़ ही रहती है।

मैं सुझाव देता हूं कि आगे को कोई नयी शुगर फ़ैक्ट्री इस प्रदेश में न लगने देनी चाहिए बल्कि यह होना चाहिए कि क्रशर्स ज्यादा से ज्यादा लगाये जायें। उनके बारे में कहा यह जाता है कि एक्सटेक्टशन उसका कम होता है। अर्थात उसका रस १ फ़ीसदी या डेढ़ फ़ीसदी बरबाद हो जाता है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आजकल तकनीकी ज्ञान तरक्की कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में जहां यह खयाल था कि इडवान्स्ड टेकनोलाजी केवल बड़े कारखानों में ही इस्तेमाल हो सकती हैं यह खयाल खत्म हो चुका है। और अब उनके यहां छोटे छोटे कारखानों में भी एडवान्स्ड टेकनोलाजी इस्तेमाल की जाती है। हमारे यहां क्रशर जो है लाख, दो लाख के उनमें हम टेकनोलाजी इस्तेमाल कर सकते है, इक्सपेरीमेंट कर सकते हैं।

मिस्टर हक एक अफसर थे। ऐसे अफसर जिनकी तारीफ जितनी की जाय थोड़ी है। मैंने संविव के जमाने में उनको पी० आर० ए० आई० का डायरेक्टर मुकर्रर किया था। पहिले डायरेक्टर ने कोई काम नहीं किया था। मैंने मिस्टर हक के सुपुर्द दो काम किये थे। एक तो क्रशर्स पर एक्सपेरिमेंट करो। दूसरा काम यह था कि ऐसे चूल्हे तैयार करो, डाक्टर रामदास के यहां से जाने के बाद यह काम खत्म हो चुका था–जिनमें गांवों में जो ईंधन आज कल इस्तेमाल होती है उसमें बचत हो और फिर धुंवे से माताओं के स्वास्थ्य पर जो बुरा असर पड़ता है वह भी खत्म हो जाय। मैंने कहा कि अगर इतना काम कर लोगे तो जब रिटायर होगे तो तुमको खुशी होगी। वह इस पर काम कर रहे थे। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से कोई टीम आई थी। फोन पर उन्होंने बतला दिया था, मेरे पास तो आये नहीं, कि जो काम मैंने उनके सुपुर्द किया था वह इस हद तक हो गया है। मैंने कहा कि कोई रिपोर्ट आये तो भेज देना। लेकिन आपने उनका ट्रान्सफ़र कर दिया पी० एस० सी० के सेक्रेटरी के पद पर। मैं उस आफ़िसर में कोई दिलचस्पी नहीं रखता लेकिन आपको सुझाव दूंगा कि उस सेक्रेटरीशिप के पद पर कोई भी काम कर सकता था लेकिन उस आफिसर को किसी और जगह पर इस्तेमाल न किया जाता तो उचित होता।

मैं यह कह रहा था कि क्रशर का काम होने दीजिये और बड़ी फ़ैक्टरीज कायम न होने दीजिये और आज बड़ी फ़ैक्टरीज जो इनएफिशिएन्सी से चल रही हैं, जिनसे जनता, प्रोड्यूसर तथा सरकार सभी को नुकसान हो रहा है उसे देखते हुए पब्लिक इन्टरेस्ट का तकाजा यही है कि इन शुगर फ़ैक्टरीज का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय।

आगे बजट भाषण में यह लिखा है कि पर केपिटा इनकम हमारी बहुत कम है। सही बात लिखी गयी है। हमारी आबादी की रफ़्तार हायर है बमुकाबले ग्रोथ इन इकोनामी की

[श्री चरण सिंह]

रफ्तार से। कहां जायगा यह प्रदेश, इस पर हमें सोचना है। २० साल से हम से क्या गलतियां हुई हैं। हर साल वही पुराने किस्म का बजट। आप बैठ कर सोचेंगे, हमें और आपको वक्त मिलेगा? आखिर सारे प्रदेश तरक्की कर रहे हैं। उड़ीसा हमसे पीछे था। वह भी हमारे पास आ गया है। मध्य प्रदेश और हम बराबर हैं। बिहार से हम कुछ आगे हैं। माननीय आचार्य जी ने पहले भी यह कहा था और फिर यह बात दोहराई है कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से जो सहायता प्लानिंग कमीशन के जरिये मिलती है वह बहुत कम मिलती है, यह मुख्य कारण हमारे पिछड़ेपन का है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हमारे साथ अन्याय हुआ और सरकार इस बारे में जो भी लड़ाई का तरीका सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अपनायेगी मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि हम आपका साथ देंगे। लेकिन यह खयाल खाम है कि वह मुख्य कारण है आपके आर्थिक प्रगति न करने का। और बहुत से कारण हैं उन पर ध्यान दीजिये। और अगर आपको सेन्ट्रल असिस्टेन्स प्लानिंग की न भी बढ़ी और जो दूसरे कारण हैं उन पर आपने ध्यान दिया तो इस सूबे का आर्थिक विकास हो जायगा। और अगर आपको सेन्ट्रल असिस्टेन्स बढ़ भी जाय मगर दूसरे फ़ैक्टर्स पर आप ध्यान न दें तो सूबे का आर्थिक विकास होने वाला नहीं है। ४–५ चीजें गिनाना चाहता हूं, उनकी तफ़सील में नहीं जाऊंगा। पहली बात तो है रेट आफ़ सेविंग्स। स्माल सेविंग्स ठीक नहीं हो रही हैं और साथ ही हम कहते हैं कि जब चाहे वह वापस ले सकता है। तो कम रियल सेविंग्स हो पाती हैं। उसमें भी हम अफ़सरों के जरिये दबाव डलवाते हैं जो कि नहीं होना चाहिये। अंग्रेजों के जमाने में हमको बड़ी शिकायत थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वार लोन्स के लिये जनता पर दबाव डलवाती है। लेकिन ईमानदारी की बात है कि स्वराज्य के बाद हम भी कर्जा लेने के लिये, स्माल सेविंग्स के लिये अफ़सरों पर जोर देते हैं जिसकी वजह से अफ़सरों को पूंजीपतियों का एहसानमन्द होना पड़ता है। अगर उनके ऊपर दबाव न डाला जाता तो वह कभी भी पूंजीपति के आगे सिर न झुकाता या उनसे कार मांगने न जाता।

खैर, यह तो अलग बात रही, मैं तो यह कह रहा हू कि यह बचत नहीं हुई। क्या कारण है कि बचत नहीं होती? असली कारण यह है कि आमदनी हम लोगों की बहुत कम है। लेकिन जिन दस फ़ीसदी की आमदनी अच्छी है वे भी बचत नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के रहन सहन में कहीं भी कोई रुकावट है? बैंकिंग सिस्टम ही ले लें। अब तक गांव के लोग जिनके पास पैसा हो जाता है उन्हें बैंक में जाने की आदत नहीं पड़ी। यह बात ठीक है कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने अपने बैंक की ब्रान्चेज तहसीलों में खोल दी हैं। मेरा मतलब यह है कि अगर आचार्यजी सब बातें छोड़ दें और केवल इन्टर्नल वालंटरी सेविंग्स में ही कामयाबी हासिल कर लें तो बड़ी भारी सेवा हो। दूसरी बात यह कि अगर एक करोड़ रुपये की एक बड़ी फ़ैक्टरी लगायें और ५०–५० हजार की दो सौ फ़ैक्टरीज लगा दें तो सारा सर्वे बताता है कि दूनी पैदावार होगी। लिहाजा छोटी फ़ैक्टरीज की तरफ़ ध्यान देना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि टाप प्रायोरिटी आप किस को देंगे? खुशी की बात है, अब तक यह नहीं था, लेकिन अब दो-चार साल से सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि टाप प्रायोरिटी ऐग्रीकल्चर को देंगे। मैं बराबर दस साल से यह कहता रहा कि खेती पर एम्फ़ैसिस हो ताकि गैरजराती पेशे बढ़ें। केवल खेती से ही नहीं बल्कि नान-ऐग्रीकल्चरल आक्युपेशन्स जब बढ़ेंगे तब देश मालदार होगा। लेकिन पहले ऐग्रीकल्चर बढ़ जाय तभी नान-ऐग्रीकल्चरल आक्युपेशन्स बढ़ेंगे। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि सही तरीका आर्थिक विकास का यही है। लेकिन अभी मैंने "नेशनल हेराल्ड" में एक आर्टिकल देखा कि जिसमें हमको क्रिटिसाइज किया गया है कि वह ऐग्रीकल्चर ओरियन्टेड एकोनामी चाहते हैं। किसी अंग्रेज साहब ने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है और यही हाल हमारे यहां के लोगों का है। यही हाल यहां के पोलिटिकल वर्कर्स का है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि क्या रुकावट है और किस तरह से आपके यहां तरक्की होगी? खेती का संबंध गैर जरायती पेशे से यह नहीं है कि गल्ले की कीमत बढ़

गई है इसीलिए अपने मुल्क में खेती बढ़ाई जाय । आज इसके लिये जरूरत है कि सब पोलिटिकल पार्टीज की तरफ़ से सेमिनार्स होने चाहिये और खेती पर इम्फ़ेसिस होना चाहिये । इसके लिये ठीक प्रायोरिटी दी जानी चाहिये । इसके अलावा आपका लेबर भी अच्छा होना चाहिये । इसमें आपका कुछ हाथ है या नहीं । मेरा खयाल यह है कि हमारे प्रदेश का लेबर हाइ एस्ट पेड है । एक दफ़ा मैंने इंडस्ट्री सेक्रेटरी से भी कहा था । लेकिन उनको फ़ुर्सत नहीं मिल सकी । सब से पहली बात तो विचार करने के लिये यह है कि हमारे यहां लोगों ने फैक्टरी लगानी चाहीं लेकिन यहां के लेबर की हालत को देखकर यहां से फैक्टरी उठाकर दूसरी जगह ले गये । इसके अलावा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के ऊपर भी विचार करने की जरूरत है । पहले नैपाल के किसी आदमी ने खरीदी इसके बाद सेठ लोगों ने खरीदी और अंग्रेजों के जमाने में उनको मुनाफ़ा होता था । लेकिन अब नुकसान हो रहा है । इसलिये कि ये लोग आपस में भी बेईमान है और एक दूसरे को धोखा देते है । फ़ैक्ट्री चल नहीं रही है । कानून में भी खराबी है । लेकिन अंग्रेजों के जमाने में लोग ईमानदारी से काम करते थे । लेकिन अब ठीक नहीं है और अब खराबी है तो इस खराबी को दूर कीजिये । बेईमानों को मुंह नहीं लगाना चाहिये । चाहे वह कितना ही रुपया पैसा वाला या दानी क्यों न हों ।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ एक और फैक्टर है कि गवर्नमेंट का किस तरह का नेतृत्व है और आपके ऐडमिनिस्ट्रेशन की, आपके प्रशासन की कैसी एफीशियेंसी है । लोगों को आपके ऐडमिनिस्ट्रेशन पर इस बात का विश्वास है या नहीं कि लोगों की जान माल और इज्जत महफूज है या नहीं और जो वह कमायेंगे वह उनके पास रहेगा या नहीं । आज आपके एडमिनिस्ट्रेशन का, आपके प्रशासन का क्या हाल है ? अगर कोई आदमी लाइसेंस के लिये दरखवास्त दे तो उसके मिलने में उसको कम से कम दो साल लग जायेंगे । इसके बरअक्स मद्रास और पंजाब में यह है कि वहां केवल तीन महीने ही लगते हैं । लेकिन यहां पर लोग टक्कर मारते फिरत हैं । कभी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो कभी डायरेक्टर के पास जाते हैं, कभी किसी अफसर के पास और कभी किसी अफसर के पास जाते हैं । यहां पर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने फैक्ट्री कायम करनी चाही लेकिन परेशानियों के कारण वे मद्रास वगैरह चले गये । एक लखनऊ के रहने वाले पंजाबी ने जो मुझे अपना रोना सुनाया तो उससे मुझे बड़ा दुख हुआ । जरा सी चीज के लिए उसको दुनिया भर की टक्कर खानी पड़ी और जगह-जगह पर उसको रिश्वत देनी पड़ी । सब से बड़ी चीज आपके ऐडमिनिस्ट्रेशन की इंटेग्रिटी की है ।

अध्यक्ष महोदय, आज सब से ज्यादा जरूरत अपने वहां के लोगों के मानसिक दृष्टिकोण में रिवोल्यूशन लाने की है । असली चीज ह्यूमन फैक्टर है । हमारे प्रदेश का मनुष्य बड़ा निकम्मा है । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के मनुष्य बड़े निकम्मे हैं । जापान में आज प्राकृतिक साधन बहुत कम हैं लेकिन वहां का आदमी इतना मेहनती और ईमानदार है कि वहां की रेट आफ इकोनोमिक ग्रोथ सब से ज्यादा है । आपके यहां रेट आफ परकैपिटा इनकम बढ़ी नहीं जब कि वहां ९ परसेंट बढ़ा है । वह हवा हम क्यों नहीं पैदा कर सकते । ध्यान नहीं हमारा उधर । हम समझ रहे हैं कि वहां से रुपया आ जायेगा । बाहर से टेक्निकल नो हाऊ आ जायगा । कर्जा या अनुदान दे देंगे । प्लानिंग कमीशन नहीं देगा तो हम दे देंगे । असली चीज है आदमी । प्राकृतिक साधन और सहूलियतें बाद में । हम को टैक्स्ट बुक्स बदलनी होंगी । पालिटिकल पार्टीज को प्रोपेगंडा करना पड़ेगा । लोगों को ईमानदारी सिखानी होगी । जब तक हमारे मानसिक दृष्टिकोण एटीट्यूड्स नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है । उधर ध्यान नहीं है । जो मैंने कहा कि इसका भी कोई न कोई जवाब बड़े अच्छी भाषा में हमारे आचार्य जी दे देंगे । लेकिन जड़ क्या है हमारी अनेक समस्याओं की, हमारे मनुष्य के करेक्टर

[श्री चरणसिंह]

की कमी । उस तरफ ध्यान दीजिये । मेरी बात का जवाब न दीजिये । वाकया यह है कि सोचिये ।

अध्यक्ष महोदय, एक यह कि बैकवर्ड एरिया का बहुत काफी जिक्र किया गया । मेरे दोस्त जो यह समझते हों कि बैकवड एरियाज से आ रहे है वह मुझे मिसअंडरस्टेंड नहीं करेंगे। मेरा कोई पक्षपात नहीं है। किसी खास क्षेत्र से मोह नहीं है । मैं जानना चाहता हू कि एडवांस्ड एरिया कौन-सा रहा गया ? बुंदेलखंड बैकवर्ड एरिया । चतुभुज जी भी कहते हैं और उदितनारायण जी भी केबिनेट में लड़ा करते थे। पूर्वी जिले बैकवर्ड हैं ही । सारा कुमायू बैकवड है । तो फिर कौन सा रह गया एडवांस्ड एरिया ? बैकवर्ड एरियाज की यह हम मेंटलिटी पैदा कर रहे हैं इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । फैक्ट्स एंड फीगस जरा देखिए । जो सारे स्टेट का औसत है, दूना तिगुना जिन एरियाज पर खच हो रहा है, उनकी मांग यह है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि कह दे उसके खिलाफ, नाराज हो जायेंगे । तीन जिले ऐसे हैं जिनम आबादी के लिहाज से भी और क्षेत्र के लिहाज से भी सबसे ज्यादा सड़कें हैं । और वह भी बैकवड एरियाज में अपने को बलेम करते हैं। इस तरह से विषमतायें पैदा होंगी, मनपुटाव होंगे, आन्दोलन चलेंगे । आप एक जगह डेवलपमेंट बोर्ड करेंगे, आपने कहा कि हिल डेवलपमेंट बोर्ड को एग्जिक्विटिव पावर्स होंगी । कांस्टीट्युशन में किस तरह से मुमकिन होगा ? बुदेलखड वाले कहेंगे, फिर दूसरे कहेंग। इसके अलावा जिन एरियाज को एडवांस्ड समझा जाता है, मेरठ और आगरा डिवीजन रह गये। जरा आगरा डिवीजन में मथुरा और आगरा को देखिए, मैनपुरी और एटा को देखिये, किस तरह से एडवांस्ड हैं। इस तरह की बात कही जाती है कि यू० पी० में पहले गवर्नमेंट की तरफ से बजट उधर ज्यादा खर्च किया जाता था । यह भी सब बात गलत है । अगर इस तरह की होड़ लगेगी, सब अपने-अपने एरियाज की बात कहेंगे तो बेडलम को जायगा। कैसे चलेगा शासन ? इस बात को ज्यादा बढ़ावा न दें ।

आपने लिखा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मंडी का जो कानून है, उसके बारे में आपने लिखा है "इट विल एश्योर बेटर एग्रीकल्चरल प्राइसेज टू दी प्रोड्यूशर्स अर्थात् किसान को अच्छे दाम दिलाने में यह सहायक होगा यह आचार्य जी ने लिखा है । मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, यदि गलती कर रहा हूं तो बता दीजियेगा । यह जो लिखा है उसका क्या मतलब है । सन् ३८ में ही मैंने यह आवाज उठाई थी । पंजाब ने यह आवाज उठाई और लोगों ने भी उठाई । इसमें २६ साल लग गया है, ६४ में ही यह बन जाना चाहिये, जिस पर आपने अब ध्यान दिया। इन मंडीज कमेटी के जरिये किसान को बेटर दाम मिल जायंगे यह बात मेरी समझ से परे है। ट्रेडर्स द्वारा किसान का अनेक प्रकार से शोषण होता था तौल आदि में किसान को नुकसान उठाना पड़ता था और न जाने कितनी कटौतियां यह ट्रेडर्स करते रहे हैं । तो इसलिये बना दी गई, जिसमें किसानों की संख्या ज्यादा है और उनकी कम । तो इस प्रकार से उसका जो एक्सप्लाएटेशन होता था वह तो बन्द हो सकेगा । लेकिन उसको बटर दाम किस प्रकार मिल सकेंगे यह मैं नहीं समझ पाता ।

जब हमने यह प्रोपोजल रखा था तो बड़ी मुश्किल से यह बना । लेकिन हमने कभी यह क्लम नहीं किया कि किसानों को इसके जरिये अच्छ दाम मिल जायेंगे । यह बात साफ हो गई । एक इससे फायदा यह होगा कि कोई दुकानदार अब गवर्नमेंट का टैक्स नहीं चुरा सकेगा । लिहाजा मैं चाहता हूं कि जहां पर यह कमेटियां बन गई अब आप वहां देखिये कि पहल कितना टैक्स आता था दुकानदारों से और अब कितना आता है । यह गवर्नमट का प्रत्यक्ष लाभ होगा । किसानों की जो लूट होती थी वह अब बन्द होगी, लेकिन आप यह कहें कि किसानों को इससे ऊंचे दाम मिल जायेंगे यह चीज गलत है । म नहीं समझता कि गवर्नमेंट की तरफ से बजट के भाषण मे यह बयान क्या समझ कर दिया गया है । मैं इस सिलसिल मे अपनी एक तकलीफ का इजहार करना चाहता हू कि जो कमेटिया

पहले बनी थीं उनके पर्सन्स में चेंज कर दिया गया । एसे लोग हैं जिनका खती से कोई ताल्लुक नहीं है, लकिन वह चेयरमन आफ दी मार्केटिंग कमेटीज बने हुए हैं। एक ऐसा भी उदाहरण है कि एक आदमी १४ जून को जमीन खरीदता है और पहली जुलाई को वह चेयरमैन नामिनेट हो गया । तो यह है दृष्टिकोण आपका । क्या, जो मशा कानून का था वह उससे पूरा होगा ? कहां आपकी तस्वीर में किसान है ? लक्षमण स्वरूप जी ने सवाल जैसा कि किया मेरठ के एक साहब ने १५ सौ रुपया कांग्रेस के लिय दिया और अगले दिन नामिनेट होकर चले गये चेयरमैन, हापुड़ मार्कटिंग कमेटी । क्या यह पैट्रोनेज का रास्ता खोला गया है ? इसके लिये तो और आपके पास रास्ते हैं । क्या इसक जरिय भी यही किया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी लिखा है स्लोगन-नारों के मातहत कि छोटे किसानों क फायदे के लिये या सभी किसानों के फायदे के लिये स्टेट्स बेस्ड लोन नहीं दिये जायेंगे, नीड बेस्ड लोन दिये जायेंगे । किसान जितना कर्जा मांगेगा, उतना कर्जा उसको दिया जायगा । यह वही नारा है, जिस प्रकार की चीजों ने देश को बर्बाद किया । हमारे पंडित जी, स्वर्गीय नेता एक बयान दे गये थे कि लबरर्स के नीड बेस्ड वेजेज होने चाहिये और जो करोड़ों मासेज के लोग हैं, उनकी नीड को कौन देखेगा ? एकानामी बढ़ी नहीं, तनख्वाहें बढ़ाकर और तनख्वाहें बढ़ाने के लिये कानून बनाकर और बजट के जरिये से ज्यादा तनख्वाहें दे कर हम यह समझ रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। हमारे प्रगतिशील कहलाने वाले भाई कहते हैं कि किसान के पास कैपिटल की कमी है । कैपिटल सरकार जायदाद के लिहाज से देती है, जायदाद नहीं देखनी चाहिये, जितनी उसकी जरूरत है दे दो । गवर्नमेंट कहती है कि हम नीड बेस्ड देंगे । अब अगर रुपया देन का आपका इरादा है और उसको वसूल करने का नहीं है तब तो बात ठीक है, तो उसको कर्जा नहीं कहना चाहिये उसको अनुदान कहिये लेकिन मैं कहता हूं कि पहले खुली आंख से देखिये तब दीजिये। अगर कर्जा दोगे तो देखना पड़ेगा कि वह वसूल हो सकता है या नहीं, उसको वसूल करना पड़ेगा और वसूल करने के लिए देखना पड़ेगा कि उसके इम्मूवबिल असेट्स कितने हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट यह करे कि चाहे जायदाद कुछ हो या न हो उसकी जरूरत जितनी है तो उसको थोड़ी सी जमीन पर कर्जा दे सकते हो । वह ट्यूबवेल तो नहीं लगायेगा २ एकड़ वाला या ५ एकड़ वाला किसान . और अगर १० हजार रुपया आपने उसको दे दिया तो वह क्या करेगा ? वह कुआं लगायेगा और तीन आदमी मिल कर अगर वहां कुआं लगावेंगे तो उसकी सिक्योरिटी हो जावेगी । फिर उसमें ट्यूबवेल हो भी नहीं सकता, गवर्नमेंट ट्यूबवेल लगायेगी, गवर्नमेंट नहरें खुदवायेगी, गवर्नमेंट सीड्स देगी, कोआपरेटिव सोसाइटीज सीड्स दगी और उर्वरक जो हों वह गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फिर उत्पादन की कौन सी फैसिलिटीज है, उसक उत्पादन के कौन से साधन हैं जिनके लिए उसको अनलिमिटड, जरूरत के मुताबिक कर्जा देना है ? नारे हमारे कुछ दोस्तों ने तैयार किये हुए हैं और आचार्य जी उन नारों के शिकार हो गये और ऐलान कर दिया कि वह किसानों को कर्जा नीड बेस्ड देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझा जाता हूं और बात भी सही है कि मैं किसानों का एक बड़ा एडवोकट हू लकिन म हमेशा नारों में बहकने वाली बात की मुखालिफत करता रहा हू । यह कहा गया कि मिनिमम एग्रीकल्चरल ईल्ड की, प्राइसेज फिक्स करो, न्यूनतम कृषि वस्तुओं की कीमतें मुकर्रर करो, लेकिन म कहता रहा हूं कि यह नामुमकिन है । मेरे मित्र किसानों की समझ में बात नहीं आ सकती खासकर शिवराज सिंह जी ने मुझसे कहा कि यह होना चाहिये लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि यह प्रैक्टिकेबिल नहीं है बल्कि छोटे किसानों के हित में भी नहीं है, प्रैक्टिकेबिल नहीं है और डिमोक्रटिक सिस्टम में यह मुमकिन भी नहीं है । श्रीमन्, मैं खतरा उठाता हूं इस देश और प्रदेश के लांगर इंटरेस्ट में और आपको जोर के साथ सलाह देता हू।I will advise you not to promise need-based credit to the farmers.

[श्री चरणसिंह]

इससे बड़ा नुकसान होगा । आपके सब आफिसर्स आपको यही ऐडवाइज करेंगे । फाइनेंस डिपाटमेंट आपको सही स्टेटिस्टिक्स देगा और आपसे कहेगा कि नीड-बेस्ड कर्जा देना खतरे से खाली नहीं है और आप नारों में न आइये । मैं भी उसी आधार पर इसका विरोध करता हू ।

उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया कि हम फाइव थाउजेन्ड ट्यूबवेल्स बना रहे हैं कंज्यूमर्स डिपाजिट स्कीम के मातहत । बहुत अच्छी बात है । बिलकुल कल तक नुक्ताचीनी एस०वी०डी० गवर्नमेंट की इसी बात पर होती थी कि कंज्यूमर्स डिपाजिट स्कीम चला दी गयी है और ऐलक्शन में तो मेरे खिलाफ बड़ा भारी प्रोपेगन्डा इस बात का भी किया गया कि किसानों देखों ये तुम्हारे बड़े चाहने वाले हैं लेकिन आज ठीक वही यह करने जा रहे हैं हमारे लिये कहते थे कि इनका यह तो मंशा नहीं था कि हजारों ट्यूबवेल्स बनायें । अब आपको भी इसमें यह करना पड़ेगा । जब आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं और अनलिमिटेड डिमांड्स हैं और अगर आप किसी से कहें कि तुम रुपया जमा कर दो हम ट्यूबवेल्स लगा देंगे तो निश्चय ही साढ़े तीन प्रतिशत पर वह आपको रुपया देगा और आप उसके रुपये को जमा करेंगे उसको सूद देंगे और ट्यूबवेल्स भी उसके यहां लग जावेंगे । मैं उपमुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने भी आखिर इस स्कीम को मंजूर कर लिया और अपने बजट में उसको शामिल कर लिया । मैं उम्मीद करता हूं कि जबान से ही सही, मन से नहीं करना चाहते न करो, यह कह दो कि जितनी आलोचनायें अब तक होती रहीं वह इल-फाउन्डेड थीं, वेल फाउन्डेड नहीं थीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बन रही है । इसमें आपने वादा किया है । मैं जानना चाहता हूं कि इससे लाभ क्या है ? मैं भी जब सन् १९६७ के अक्टूबर के महीने में नैनीताल गया था अक्टूबर के महीने से वहां के बार एसोसियेशन और कालेज के प्रोफेसरों ने सदा यह मांग रखी है कि वहां पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिये । क्या आपने इसको समझने की कोशिश की कि इससे किसका लाभ होगा ? आपने कमिटमेंट कर दिया । रानीखेत गये होंगे और वहां पर लोगों ने जोर दिया तो कह दिया और अब उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी बनने जा रही है । इसका रियल एडवांटेज प्रोफेसरों को होगा जो आज वहां पर कालेजों में काम करते हैं । जब यह यूनिवर्सिटी बन जायगी तो उनकी तनख्वाह बढ़ जायगी । कुछ वहां पर बिल्डिंग्स बन जायगी, कुछ रजिस्ट्रार मुकर्रर हो जायेंगे । जो वहां के लोग हैं आज की अपेक्षा उनको कौन सी ज्यादा सहूलियत मिल जायगी । उत्तराखंड में जितने भी बड़े-बड़े इलाके हैं वह दूर-दूर पड़ते हैं । टेहरी गढ़वाल, उत्तर काशी वालों को सहूलियत होगी देहरादून जाने में । अब चूंकि सड़क बन गई है तो उधर कुछ सहूलियतें समझी जाय लेकिन बहुत बड़ी सहूलियत उनको इधर देहरादून आने में ही पड़ती है या बरेली में भी उनको सहूलियत हो सकती है । बरेली यूनिवर्सिटी कायम करने से उनको ज्यादा सहूलियत हो सकती थी । बरेली, झांसी या फैजाबाद में यूनिवर्सिटी होने से उनको ज्यादा लाभ हो सकता था । मगर उन लोगों को मना करने में संकोच है । मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी के अन्दर इसको रेजिस्ट करने का पोलिटिकल करेज होना चाहिये । श्रीनगर गये वहां भी कह दिया कि यूनिवर्सिटी श्रीनगर में हो जायगी । उधर नैनीताल वाले कह रहे थे कि वहां पर ३,४ कालेज हैं तो वहां पर होने की बात थी और वहां पर होनी चाहिये लेकिन वहां वादा कर आये । नैनीताल की अपेक्षा श्रीनगर में होने से जनता का क्या लाभ है । कुछ कांग्रेसमैन ने वहां पर कहा होगा तो वहां वादा कर दिया । मुख्य मंत्री जी, यह भारी स्टेट है तो इसकी समस्यायें भी बड़ी हैं । जहां पर भी जायंगे तो वहां की बहुत सी मांगें होंगी । आपके अन्दर यह साहस होना चाहिये कि इस प्रकार की मांगों को मना कर दें । आपके अन्दर नैतिक और राजनैतिक हिम्मत होनी चाहिये कि इस प्रकार की नाजायज मांगों को मना कर दें । इसमें कुछ राजनैतिक नुकसान होता दिखाई देगा लेकिन

अन्त में जाकर इससे नुकसान नहीं होगा। अगर सही बात करेंगे तो अन्त में जाकर उससे लाभ ही होगा। मैं समझता हूं वहां पर यूनिवर्सिटी की कोई जरूरत नहीं है।

एक आप यूथ वैलफेयर कौंसिल खोलने जा रहे हैं जो लड़कों को डिसिप्लिन सिखायेगी। जो लड़के स्कूल और कालेजों में पढ़ते हैं उनको भी डिसिप्लिन सिखाई जाती है। इस कौंसिल से यह होगा कि कुछ इसमें नियुक्तियां हो जायंगी। कुछ स्टाइपेंड हो जायेंगे। और कुछ लोगों का टी०ए० बन जायगा। कुछ अफसरों को भी इसमें स्थान मिल जायगा। मुख्य मंत्री जी या रामजी लाल जी सहायक की स्पीच हो जायगी। क्या इसको आप जरूरी समझते हैं ? प्रदेश में जरूरत तो हजार हैं लेकिन हमारे पास फंड लिमिटेड ही हैं तो फिर हमको तय करना होगा कि उसमें किसको किया जाय। एक एक पैसा जो इस कौंसिल में खर्च किया जायगा उससे लाभ क्या होगा। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की तरफ से इस बात की सिफारिश आनी शुरू हो जायगी कि यह गरीब आदमी का लड़का है इसको चीफ मिनिस्टर फंड से रुपया दिला दिया जाय या किसी सेठ साहूकार से कह दिया जायगा इसको इतना रुपया दे दिया जाय क्योंकि बहुत सारे इस तरह से दोस्त हैं जिनसे कहा जा सकता है। यही काम यह कौंसिल करना शुरू कर देगी। एक स्पोर्ट्स कौंसिल तो पहले से है ही वही सब इस तरह से काम सिखाती रहती है। मैं समझता हूं यह बिल्कुल वेस्ट है रुपये का।

मेडिकल और हेल्थ के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दानी लोगों को प्रेरणा देकर बहुत अस्पताल खोले गये हैं। किसी प्रशासनिक कठिनाई के कारण बहुत से अस्पताल बिना डाक्टर के पड़े हुए हैं। कुछ स्कीम बनी और जहां पर डाक्टर गये हैं वहां पर भी लोगों को कठिनाई है। जितने डाक्टर गये और मरीज आते हैं उनको वहां पर दवा नहीं मिल पाती है।

इसके अलावा करप्शन बहुत है और आज मेडिकल डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट से कम नहीं है जो कि करप्शन के लिये बदनाम रहा है। कहीं गरीब की सुनवाई नहीं है बिना सिफारिश के कहीं कोई काम नहीं होता। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में बड़ी एफिश्येंसी लाने की जरूरत है। जैसे कि ट्रांस्फर्स हुए हैं, वह तो मैं बाद में अर्ज करूंगा। इस सिलसिले में सुझाव यह है कि होम्योपैथी पर नाम-मात्र के लिये खर्चा न हो। दो चार एमीनेंट होम्योपैथ्स हैं। एक बड़े विद्वान, चरित्रवान और निर्लोभी व्यक्ति मौजूद हैं और ऐसे ही आदमियों की गाइडस में यह काम हो और उसके लिए करोड़, दो करोड़ रुपया भी रख दें तो भी ज्यादा न होगा क्योंकि उस बेहतर इलाज की पद्धति बहुत लोगों की निगाह में नहीं है, लेकिन हमारे यहां इस सिलसिले में कुछ हो नहीं रहा है।

ट्रांस्पोर्ट में किसी जमाने में २० फीसदी का मुनाफा होता था इनवेस्टमेंट में और होते होते सन ६७-६८ में वह जीरो हो गया, कोई मुनाफा नहीं। कितनी वेहिकिल्स आउट आफ आर्डर, कितना मिस्मैनेजमेंट, कितना करप्शन किस की वजह से हुआ ? बात परसनल हो जायगी। आप जब पेट्रोनेज डिस्ट्रिब्यूट करें तो देखें कि यह आदमी उसके लायक है या नहीं। यह आपका सवाल नहीं है, सारी जनता का सवाल है। क्या वजह है, किसकी नाकाबिलियत है, कभी विचार किया ?

इसमें जिक्र है इतना सा कि ४५० कोआपरेटिव सोसाइटीज हरिजनों के लिये कायम हुई थर्ड प्लान में। लेकिन हमें ऐसा मालूम होता है कि इस बजट में भी कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज आप कायम करने जा रहे हैं। लेकिन आपने यह भी एग्जामिन कराया कि ४५० जो कायम हो चुकी हैं उनका वर्किंग कैसा है ? क्या कामयाबी हुई है और गरीब लोगों को जिनके लिये बनी थीं उनको क्या फायदा पहुंचा है उसको पहले एग्जामिन करा लीजिये। अगर सक्सेसफुल हो गयी हों तो बेशक कायम कर दीजिये लेकिन मेरा हंच है, तजुर्बा है कि अगर बारीकबीनी से देखेंगे तो उनमें नुक्सान होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं

[श्री चरण सिंह]

कि दुनिया भर में किसी मुल्क में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट नहीं है। कहीं भी यह आफिश्यल मूवमेंट नहीं है, नान-आफिश्यल मूवमेंट है। जर्मनी, इंगलैन्ड से शुरू हुआ और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नार्वे, स्वीडन और डेनमार्क में सबसे ज्यादा फैला हुआ है और उनकी समृद्धि का एक बड़ा कारण उनका कोआपरेटिव मूवमेंट है। उनका वे आफ लाइफ यह हो गया है और एशिया में जापान में तो ९० फीसदी किसान कोआपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर हैं। लेकिन सब जगह नान-आफिश्यल है, गैर-सरकारी है। केवल एक रजिस्ट्रार है, उसे भी वह करने वाले हैं। डिपार्टमेंट कहीं नहीं है। हमारे यहां यह फुल-फ्लेज्ड डिपार्टमेंट है और हमारी पब्लिक लाइन में करप्शन बढ़ाने का यह एक कारण है। पुराने जो ईमानदारी से काम करने वाले वर्कर्स थे वह जब इस डिपार्टमेंट के करीब आये तो जैसे वह नमक की खान में आ गये, इतनी बेईमानी है। तो मेरा सुझाव यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटी को बहुत कठोरता के साथ जिनमें इनएफिश्येंसी है, बेईमानी है चाहे आपको एक-बार नुकसान ही सहना पड़े—उनको बन्द कर दीजिये। क्योंकि अगर कायम रखा तो उससे ज्यादा बड़ा नुक्सान होने वाला है।

माननीय श्री लक्ष्मीशंकर यादव जहां भी स्पीचेज देते हैं तो एक बात नहीं भूलते। एक तो मुझ पर बहुत बरसते हैं। उनको हक है। मेरे ऊपर और कोई मिनिस्टर इतना मेहरबान नहीं है जितना कि श्रीमन् जी। उसके लिये मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन जहां वे और तरह तरह की बातें मेरे लिये कहते हैं उसमें एक बात यह भी कहते हैं कि वे कोआपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ हैं। मैं कोआपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ नहीं हूं, बेईमानी के खिलाफ हूं यादव जी। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के अन्दर बेईमानी है, इन-एफिशिएंसी है। इसके लिये तो हमने अपने मेनिफेस्टो में कहा है कि हम यह डिपार्टमेंट नहीं रखेंगे। जहां तक कोआपरेटिव सोसाइटीज की बात है, जहां लेबर और कैपिटल का एक साथ पूलिंग हो जाय वह कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं है, वह तो मर्जर है। जो ईकाई उसमें शामिल हो उसका अस्तित्व बना रहे उसका इंडिपेंडेंट एक्जीस्टेंस बना रहे। इसलिये इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव तो शायद कामयाब हो जाय लेकिन कोआपरेटिव इंडस्ट्रीज कामयाब नहीं होंगी। अगर कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिए अच्छा ऐटमोसफियर पैदा हो जाय तो कामयाब हो सकती है लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग कामयाब नहीं हो सकती। दुनिया में कहीं कामयाबी नहीं हुई है। हमारे लीडरों ने नागपुर में एक प्रस्ताव पास कर दिया और उसका किसी ने विरोध नहीं किया और आज तक किसी को यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि इसको बन्द कर दिया जाय क्योंकि कामयाबी नहीं हो रही है कोआपरेटिव डिपार्डमेंट में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जिसका कोई ठिकाना नहीं है।

३९ करोड़ रुपये की डैफिसिट है १२ करोड़ रुपया रिजर्व में से लेने के बाद, क्या आप समझते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट आयोग से इसके लिये सिफारिश कर देगा कि उत्तर प्रदेश को इतना रुपया दे दिया जाय ताकि वह कभी पूरी हो जाय? मुझे नहीं मालूम कि क्या आधार है आपके इस विश्वास का। हो सकता है कि कुछ हद तक पूरा हो जाय लेकिन अधिकतर तो नहीं पूरा होगा। साधन आपको चाहिये। मैं तसलीम करता हूं कि फाइनेंस रिसर्सेज के बिना कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आपने अच्छा किया कि कोई नये टैक्स नहीं लगाये बुद्धिमानी की बात की। लोगों पर और कर भार डालने के पहले आपको उन्हें कनविंस करना होगा, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि जितना रुपया हम दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल हुआ है। उनका यह विश्वास सही है कि उनके द्वारा दिये हुए रुपयों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर लोगों में यह विश्वास हो जाय कि करप्शन मिनिमम रह गया, पूरा तो कभी मुल्क से मिटेगा नहीं, लेकिन उसकी कोशिश हो कि करप्शन मिट जाय, इनएफिशिएंसी न रहे, सारे राज कर्मचारियों में पुरुषार्थ और ईमानदारी की हवा पैदा हो जाय, आपके उन साथियों में, कांग्रेस पार्टी में, दूसरी पार्टियों में, जनता में यह हवा पैदा हो

जाय कि अपने मुल्क में मितव्ययिता और किफायतशारी बरती जाय, फजूलखर्ची को रोका जाय, जो टक्स लग उसका सही असेसमेंट हो और उसकी सही तौर पर वसूली हो तो मरा यकीन है कि जनता दूसरे टैक्स भी बर्दाश्त करने को तैयार हो जाय।

माननीय आचार्य जी ने फरवरी–मार्च में एलान किया था कि सेल्स टैक्स व एक्साइज टैक्स का जो बकाया पड़ा है उसकी वसूली सख्ती के साथ की जायेगी। आज उसके ४ महीने हो गये, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी और माननीय वित्त मंत्री जी से कि उन्होंने कौन सा कदम सख्ती का उठाया है कि उसकी वसूली हो सके। हम जानना चाहते ह कि कितने लोगों को कुर्की हुई है? कितने लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है? और उसके आधार पर आप कितनी वसूलयाबी कर पाये? मुझे तो पता चला है बड़ी बड़ी लम्बी रकमों की वसूली को रोकने के लिये आर्डर्स हुये हैं। मुझे नहीं मालूम कि मुकदमें में लोगों से दरियाफ्त किया गया या नहीं, लेकिन अगर कानपुर के एक भी बड़े व्यापारी के लिये वसूली रोकने के आदेश दिये गये हैं तो उसका असर कानपुर के सारे बाजार पर पड़ेगा। अगर सही तरीके से असेसमेंट हो और सही तरीके से उसकी वसूली हो तो आमदनी दुगनी हो सकती है। हुआ क्या है? जिन पर आप ने सेल्सटैक्स की बड़ी बड़ी रकमे निकाली हैं वह फर्म को ही डिजाल्व करक बैठ गया। आपने उनके रेजिस्ट्रेशन के लिये कानून बनाया है, उसमें रेजिस्ट्रेशन न कराने पर एक साल की सजा भी रखी है, किन्तु आज तक, माननीय आचार्य जी पता लगा लें, कितनी फर्म्स अनरजिस्टर्ड है और कितनों क खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गयी है, कितनों को सजा मिली है। अगर किसी को नहीं दी है तो फिर आप यह लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं कि सख्ती करेंगे। मैं चाहता हूं २९ तारीख को आचार्य जी मालूम कर के बतायें कि कितने केसेज ऐसे पकड़े हैं और क्या सजा दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, तमाम रुपया इन्डस्ट्रियल लोन के लिये दिया गया। मगर कितना वसूल हुआ? मैं जानना चाहता हूं कि इन ५ महीनों में आपने कितना रुपया वसूल किया?

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, उलटे फिजूलखर्ची आप बढ़ा रहे हैं। माननीय भक्त दर्शन साहब कांग्रेस के चूंकि मिनिस्टर हैं, इसलिये वे गढ़वाल डिवीजन बनाना चाहते है, शायद उससे उनका कद ऊंचा हो जायेगा। मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती। आपने उत्तराखंड डिवीजन बनाया, ठीक है, वह नेशनल फैक्टर है, लेकिन गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल को डिवीजन बनाना मेरी समझ में नहीं आता। मैं नहीं समझता कि उससे वहां के लोगों की क्या सेवा होगी। उसके लिये मेरी समझ से केवल पोलिटिकल रीजन ही हो सकता है। उससे एक आदमी का जो सेन्स आफ प्राइड है वही फुलफिल हो रहा है। और यह सब राष्ट्रपति शासन के दौरान हुआ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप उसको कार्यान्वित न होने दीजिये, उससे जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने देहली में लियाजन आफिसर की पोस्ट को खत्म कर दिया था। आपने फिर उसको क्यों कर दिया? क्या जरूरत आपको उसकी पेश आ गई? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बार तय किया था, नाम मैं नहीं लेना चाहता कि कुछ के रिकाड्स और एन्टी-सीडेंट मैं मंगाऊं, मेरे पास लम्बी उनकी फेहरिश्त है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। जो लियाजन आफिसर थे, एस० वी० डी० सरकार के जमाने में कोई इरादा उनके बारे में कुछ करने का नहीं था, कोई शिकायत भी सामने नहीं थी, कोई तहकीकात भी नहीं चल रही थी, फिर भी किन्हीं वजहात के कारण उन आफिसर ने खुद ही वालन्टरीली रिटायरमट लना आवश्यक समझा और मैंने उसको मंजूर कर लिया क्योंकि मैं कम से कम ऐसे आफिसरों को नहीं रखना चाहता जिनको मैं यह समझता हूं कि जिनके जाने से जनहित को नुकसान नहीं होगा। आज उन्हीं को आप तबर्रूक करते हैं शोभा देते हैं। सभी चले गये थे, जिन कारणों से चल गये थे, दुनिया जानती है, क्यों चले गये थे। फिर मुकर्रर कर दिये गये। कौन सा जनहित का सम्पादन हो रहा है, कौन सा कांग्रेस पार्टी का यश बढ़ रहा है? इनको एक हजार रुपया

[श्री चरण सिंह]

अलाउन्स और अढ़ाई सौ रुपया माहवार आनरेरियम, फ़्री कार, फ़्री रेजीडेन्स जो कि दो हजार से कम की नहीं मिलेगी, दगे। जब कार फ़्री होगी तो पान लाने के लिये कार जाया करेगी और नाई को बुलाने के लिये भी कार जाया करेगी। इट इज ए वेस्ट।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे अप्वाइन्टमेंट आफ सेक्रटरी लेजिस्लेचर जो किया गया है यह क्या जरूरी था? लेजिस्लचर के एक सेक्रेटरी की जगह खाली हुई थी। आपने एक साहब की नियुक्ति कराई। उनके आने के पहले जगह खाली पड़ी थी। सेक्रेटरी जुडिश्यल सेक्रटरी लेजिस्लेचर का काम कर रहा था। दो सेक्रेटरी हैं ही उसकी कोई विशेषता नहीं है। आपने यह कर दिया। मैं उस व्यक्ति के बाबत ज्यादा नहीं जानता। हर्गिज उसके सिलसिले में, जाती बात के सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, जरूरी नहीं थी उस पद के बनाने की। सवाल यह नहीं है कि एक पद से कितना खर्चा बढ़ेगा। सवाल यह है कि आप हवा क्या पैदा करना चाहते हैं? क्लाईमेंट आफ इकानामी आप पैदा करना चाहते हैं या क्लाईमेट आफ वेस्ट? की पैदा करना चाह रहे हैं। फिर यह कहते हैं कि ३९ करोड़ का घाटा है और रिसोर्सेज की जरूरत है।

इसी तरह एक सीटिजन्स काउन्सिल है। कोई जरूरत नहीं है उसकी। सन् १९६२ में माननीय जवाहरलाल जी को खयाल हुआ नहीं कि कर डाला। जब चीन का अटैक हुआ था। यहां मुकर्रर हो गयी। तब से वह कोई काम वह नहीं कर रही है। सन् १९६७ म एस० वी० डी० की गवनमेंन्ट थी। मेरे सामन एक फाइल आई। मने चीफ सेक्रेटरी को कहा। हमारे यहां से दो तीन केस गय। हमने गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया को लिखा। इनसे एकानामी नहीं हो रही थी। इनको अबालिश करो इसकी आवश्यकता नहीं है। आप फाइल उठा कर देख लीजिये। उसको क्यों कायम रक्खा और उनका खर्चा पहिले से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं उससे क्या कोई खेत की पैदावार बढ़ेगी या कारखाने की? कुछ लोगों को आप और रख पायेंगे। यह स्टेट इसी के लिये है क्या? यह बड़ा क्षेत्र इसी के लिये है क्या इतनी बड़ी स्टेट का और इतने बड़े आर्गेनाइजेशन का उपयोग यही होना है कि आप ऐसे रास्ते खोजें?

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा जानता नहीं, बता भी नहीं सकता कुछ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया लेकिन जो एक्जिस्टिंग रिसोंसेज हैं रेवेन्यू के उनकी आप टैकिल करें। उनको बन्द कर रहे हैं। श्री आचार्य लक्ष्मी रमण जी का एक व्याख्यान हुआ। एक अखबार में निकला। माननीय पन्त जी के जमाने में हम लोगों ने यह तय किया था अगर्चे उस पर बहुत ज्यादा अमल नहीं हो पाया, होना चाहिये था, पुल जहां बने, टॉल लगाकर खर्चा निकल जायेगा। ऐसे ही दूसरे पुल बनाये जांय। यमुना नदी पर मथुरा में एक पुल बना उस पर टॉल लगा हुआ था। आपन जा कर कह दिया कि खत्म होता है। अगर वह अपना पूरा रुपया वसूल कर चुका था उससे तो अपने आप खत्म हो जाता। कोई सेरीमनी की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिस तरह से एक सेरीमनी हुई है रस्म हुई है और आप का भाषण हुआ उससे यह लगता है कि उसके टैक्स की मियाद खत्म नहीं हो रही थी। बल्कि आप ने किसी मोह की वजह से उसको जल्दी खत्म करना जरूरी समझा। ऐसा अखबार से लगता है। अगर यह बात सही नहीं है तो आई स्टैंड टु करेक्शन।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि वहां कोई सेरेमनी नहीं हुई थी। म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से मुझे वहां बुलाया गया था और उस समय मैंने यह ऐलान जरूर किया था। इस सदन को मैं यह सूचना जरूर देना चाहता हूं कि उस पुल से जितना रुपया वसूल होना चाहिये था, उससे ज्यादा रुपया वसूल हो चुका है।

श्री चरण सिंह---

जरा और हो जाता तो क्या बात थी ? लेकिन आप का वहां जो व्याख्यान हुआ उससे तो दूसरी बात ही टपकती है। आपके व्याख्यान के बारे में जो निकला है वह इस प्रकार है--- मथुरा-उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा यमुना पर बने पुल से टाल टैक्स समाप्ति की घोषणा। श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ने इस अवसर पर भाषण करते हुए कहा कि 'मैं इसी क्षण से मथुरा पुल पर से टाल टैक्स समाप्त होने की घोषणा करता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता अपना कार्यालय तुरन्त हटा लेंगे।" क्या जरूरत थी इतना कहने की ? आप को करना तो केवल यह था कि आप पी० डब्लू० डी० से बात करते और कहते कि वह रुपया वसूल हो गया है। और यहां से आर्डर्स चले जाते, वह खत्म हो जाता। लेकिन जिस गाजे बाजे के साथ वह ऐलान किया गया, उसकी क्या जरूरत थी ? उसके द्वारा आप जनता को क्या सहूलियत देने जा रहे थे ? इस भाषण से तो यही ध्वनि निकलती है कि आप जनता को बड़ी सहूलियत देने जा रहे थे। आपने हुक्म कर दिया पी० डब्ल्यू० डी० हट जाओ यहां से और वह चला गया।

अध्यक्ष महोदय, कर्जे की ओर टैक्सेज की वसूलयाबी, असेसमेंट और उसकी वसूली में जितने भी सूराख हैं, उनको बन्द करने की जरूरत है। हमें देखना होगा कि एकोनामी होनी चाहिये। रिसोंसेज बढ़ाये जायं या सेविंग्स की जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि इन पांच महीनों में आपने कितनी एकोनामी की है ? मैं आप को यकीन दिलाता हूं, इसकी बहुत गुंजाइश है। बहुत से लोग खाली बैठे हैं, उनके पास काम नहीं, उनको काम क्रिएट करके दीजिये। लेकिन यहां हो क्या रहा है। मैं आप से पूछता हूं कि रुपये को रियेलाइज करने में आप ने क्या किया है ? आपने आर्डर कर दिया कि कान्टिजेंसी में १० फीसदी कमी कर दी जाय। आपने एक जनरल आर्डर कर दिया। किसी महकम म १० फीसदी से भी ज्यादा बचत हो सकती है और किसी में बिलकुल भी गुंजाइश नहीं हो सकती है। अगर वहां होगी तो काम सफर करेगा, ऐफीशियेन्सी सफर करेगी लेकिन आपने यह डिक्टेटोरियल आर्डर कर दिया कि सब विभागों में १० फीसदी कमी की जायगी।

एकानामी के और दूसरे रास्ते भी हैं वह हमें सोचने होंगे और खोजने होंगे। वित्त मन्त्री जी ने कहा कि इस गर्मी के मौसम में अब की बार हम नैनीताल नहीं गये। इसमें नई क्या बात है, पहले भी नहीं गये थे, आप इसका श्रय क्यों ले रहे हैं और इस लालच का संवरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस मामले पर श्री सम्पूर्णा नन्द जी के जमाने से ही लड़ता रहा था कि सरकार को पहाड़ जाने की जरूरत नहीं है और मेरा कहना उसी वक्त था कि अगर पहाड़ पर सरकार नहीं जायगी तो वहां पर प्राइवेट टूरिस्ट्स आयेंगे। आज यह बात साबित हो चुकी है कि जबसे गवर्नमेंट का वहां जाना रुका है और जितना नफा पहले होता था उससे अब दुगुना और तिगुना होता है। डेढ़ माह के लिये गवर्नमेन्ट के कर्मचारी और यह पब्लिक वर्कर्स, माननीय सदस्य चले जायं तो उससे क्या लाभ सरकार को और वहां के लोगों का होगा। जब यह चीज बरसों पहले से तय हो गई है और लागू चली आ रही थी तो आप ने "दिस समर" कैसे लिख दिया ? आपने अपने भाषण में एक बच्चन की कविता दोहराई है, असिल में साहित्य की कमी थी इस में, जब तक समझा जाता था कि बजट एक फैक्ट्स एन्ड फीगर्स की चीज होती है लेकिन इसमें आपने दिल दे दिया, क्या कहूं दिमाग तो इसमें नहीं है। आपने इसमें लिखा है कि "हमको स्मरण रखना चाहिये कि हम एक नया समाज बनाना है और साथ ही हमको यह न भूलना चाहिये कि हम उस गांधी शताब्दि के वर्ष में रह रहे हैं जिसके लिये कवि बच्चन ने कहा है--

'तुम उठा लकुटी खड़े हुए चौराहे पर,
बोले, वह साथ चले जो अपना ढाये घर"।

अच्छा होता कि आप सही बात कबीर की कहते कि--

"कबिरा खड़ा बजार में गहे सबन को हाथ
जो घर फूक आपना चल हमारे साथ"।

[श्री चरणसिंह]

बच्चन ने तो घर ढाने की ही बात कही है, ढाकर तो घर फिर बन जायगा लेकिन जलकर फिर नहीं बन सकता। ऐसी बातों से क्या लाभ? आप किसको धोखा दे रहे हैं? आज हम में से कितने आदमी हैं जो अपना घर ढा रहे हैं, घर तो बन रहे हैं नये बन रहे हैं बल्कि महल बन रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, भाषण की एक बात और ले लीजिये। इसमें कहा गया है कि करप्शन को मिटाने के लिये सरकार ने बड़े बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। २ कदम इस तरह के बताये गये वह क्या हैं एक तो यह कि एडीशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कायम किया, मद्रास में भी २ हैं, हम भी चाहते थे कि हों, बकाया बहुत थी अब तो शायद उतनी नहीं होगी। आप के कुछ अफसर खाली होंगे, आपको उन को रखना होगा बस ऐसा कर दिया गया लेकिन इसका करप्शन मिटाने से क्या मतलब है? इतने से ही करप्शन कैसे मिट जायगा? आप ने भाषण भी करप्शन मिटान के ही दिये हैं तीन जुलाई का भाषण है जो गुप्ता जी का ४ जुलाई के नेशनल हेराल्ड में छपा है उसमें लिखा है कि :

"Sri C. B. Gupta said that he was distressed to find corruption from top to bottom and (gave a pledge) that the Government will not hesitate to take strongest action against those found guilty of corruption."

इसकी हिन्दी किये देता हूं।

माननीय गुप्त जी ने कहा कि उनको बड़ा मानसिक कष्ट है कि चोटी से लेकर नीचे तक प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उन्होंने अपने भाषण में अफसरों से यह कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये कठोर से कठोर कदम उठायेगी। हम इतने पर भी आप के द्वारा उपाध्यक्ष महोदय उनको बधाई दे सकते थे लेकिन एक पुरानी कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और और दिखाने के और, दो तरह के दांत होते हैं। ये आपके दिखाने के दांत हैं। क्योंकि मेरा चार्ज है कि आप ने हर काम वह किया जिससे करप्शन बढ़ता हो न कि घटता हो और वह कर रहे हैं। आज हमारी सोसाइटी और हमारा देश जर्जरित हो चुका है। टाप टू बाटम करप्शन है यह बात तो ठीक है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हू इज रेस्पान्सिबिल फार इट? अगर पुराने हम सब लोग जिम्मेदार हैं तो आपकी गवर्नमेन्ट क्या कदम उठा रही है? आप जो भी कदम उठा रहे हैं उससे करप्शन बढ़ रहा है। इन ४ महीनों में तो ज्वाला और तेज हो गयी है।

आपने विजीलेन्स डिपार्टमेन्ट में, जैसा कि आप कहते हैं, पिछले साल राष्ट्रपति के शासन में ६० केसेज भेजें। आपने उससे पहले साल १९६७ का बताया होता कि कितने केसेज भजे गये थे और उससे भी पहले वर्ष में कितने केसेज भेजे गये। साल भर म आप न ६० कसेज राष्ट्रपति शासन में। वह शासन भी चाहे आप टैक्नीकली राष्ट्रपति का शासन कहें लेकिन मैं तो आप का ही शासन मानता हूं। काम हुए ह चह्वान के जरिये और चह्वान मीन्स गुप्ता जी। हमारी स्टेट में कम से कम २० हजार गजटेड आफिसर्स है और साल भर में केवल ६० ही ऐसे आदमी पाये गये हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही के लिए आपने विजीलेंस कमीशन को रेफर किया। अब आप ने ४ महीने में या ३ महीने में केवल १३ केसेज भेजे हैं। क्या प्रदेश में करप्शन इतना कम है कि १३ अफसर आप की निगाह में आय जिनके केसेज को आपने रेफर किया। आप ने कोई हवा पैदा की है कि आप विजीलैन्स की बात मानेंगे। आपने उसके डायरेक्टर को पी० टी० सी० का प्रिंसिपल बना कर भेज दिया है। वह डायरेक्टर जिसकी काब्लियत एफिशियेन्सी और इमानदारी पर प्रदेश ही नहीं मुल्क भी गर्व कर सकता है, उसकी आपने जलील करने के लिए पी० टी० सी० का प्रिंसिपल बना कर भेज दिया। वह इस लिए नहीं कि उसकी राय तो गलत हो सकती है लेकिन उससे बेइमान अफसर कांपते थे। आपकी उससे नाराजगी थी। वह एक सीनियर अफसर था। उसके नीचे जो सुपरिन्टेन्डेन्ट रह चुका है उसको आपने आई० जी० बनाकर भेजा और उसको गोरखपुर में डी० आई० जी० जिसके लिए बहुत ही जुनियर डी० आई० जी० रखा जाता है। यह आप ने उसकी हिम्मत बढायी, उसको इनाम

दिया। उसके ऊपर आरोप यह लगाया जाता है कि वह चरण सिंह का बड़ा लौयल था। क्या मैंने उनसे जाती काम कराया और क्या वह मेरा लगता है ?

एक अफसर जिसका ट्रांसफर हो गया था, जो जन्म से ही इतना गरीब है और जिसकी जाति वालों को सजा दी जा रही है, वह आप के पास जाता है तो उसे कहा जाता है कि तुम एस० वी० डी० के बड़े लौयल अफसर थे तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे बतलायेंगे कि मैं आप का लायल रहूं या न रहूं। बहुत से अफसरों पर यह चार्ज है कि ये बी० के० डी० के बड़े लौयल रहे हैं और यह मेरे आदमी हैं। हर इमानदार अधिकारी मेरा आदमी है।

जब हमने चार्ज लिया है अप्रैल, ६७ में तो सुचेता जी के जमाने की दो महीने से ले कर २६ महीने तक की पुरानी रिपोर्टस होम डिपार्टमेंटस में जमा हो गयी थी और फाइल में देखा कि डायरेक्टर महोदय तीन बार लिख चुके थे कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और अगर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है तो फिर विजिलेंस डायरेक्टोरेट को खत्म कर दिया जाय और मेरा ट्रान्सफर कर दिया जाय क्योंकि मेरा कोई यूज नहीं है। लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। मैंने उन फाइलों को निकाल कर कार्यवाही की। नाराजगी यह है कि आपने चरणसिंह जी से कह कर बहुत लोगों को सजा दिलवाई। मेरे सामने जो तहकीकात के हुक्म हुए थे उन पर फायनल रिपोर्ट मेरे सामने आई ही नहीं। ६६ में सुचेता जी से जिक्र आया डाइरेक्टर विजिलेंस की रिपोर्टस का। पूछा कि सजा क्यों नहीं मिल रही है तो उन्होंने जवाब दिया कि एक साहब हैं वे नहीं होने दे रहे हैं। मेरा किसी से न द्वेष था, न राग लेकिन नाराजगी उस गरीब पर उतरी। उन डायरेक्टर महोदय के जाने के बाद हुआ यह कि जिन अफसरान के खिलाफ बड़ी अच्छी रिपोर्टस थीं, जिनके खिलाफ कार्यवाही हो रही थी करीब करीब वे सभी छूट गये और मैंने देखा कि छूटने के बाद बड़े बड़े पदों पर उनकी तरक्की हो गयी। फर्ज कर लिया जाय कि अक्विटल मेरिटस पर हुए और यह भी सही है कि एडमिनस्ट्रेटिव ट्रायबुनल ने ईमानदारी से काम किया तो कम से कम टेक्निकल अक्विटल और चीज होती है। इन अफसरों को इनाम तो नहीं देना था लेकिन इनाम दे दिया गया। आपने हवा पैदा की है करप्शन बढ़ाने की या करप्शन घटाने की ?

उपाध्यक्ष महोदय, एक दो कामों का जिक्र करके मैं यह जानना चाहूंगा कि उनसे करप्शन, नीपोटिज्म और फेवरटिज्म बढ़ेगा या घटेगा ? एक बार हुआ था कि आर० टी० ए० की जरूरत नहीं है। फाइल में यह भी मौजूद है, गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा गया था कि इस ऐक्ट को अमेंड किया जाय कि आर० टी० ए० की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपने एक के बजाय तीन कर दिये हैं। मेरठ में कांग्रेस के एम० एल० ए० पहले से ही आर० टी० ए० थे लेकिन आपने एक और एड कर दिया जिनके पास पहले से बस का पर्मिट मौजूद है और मैंने सुना है कि आर० टी०ओ० ने लिखा है कि इसको क्यों मुकर्रर कर दिया। यहां से कोई जवाब गया या नहीं, यह पता नहीं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ही आदमी पहले से रहता चला आ रहा था तो फिर समझ में नहीं आता कि तीन आदमी होने से एफिशियेंसी कैसे बढ़ेगी ? क्या यह पेट्रोनेज की एक्सरसाइज नहीं है, क्या यह लोगों की वफादारी खरीदने की कोशिश नहीं है ?

दूसरी बात यह है कि माननीया सुचेताजी के जमाने से जिले के सरकारी वकीलों के इन्तखाब के लिये एक कमेटी बनी हुई थी। गालिबन उसमें ऐडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और एल० आर० जैसे हमारे उच्च से उच्चतम अधिकारी इंटरव्यू किया करते थे और उनसे कोई गलती नहीं हो सकती थी। संविद के जमाने में जो हमारे न्याय मंत्री थे उन्होंने यह सुझाव रखा था कि यह कमेटी खत्म कर दी जाय, कोई जरुरत नहीं है क्योंकि जो मिनिस्टर आफ जस्टिस है उसका डिस्क्रिशन सरकमस्क्राइब हो जाता है, उसका अखितयार तमीजी कम हो जाता है। हमने कहा नहीं, यह प्रथा ठीक है। उल्टे मैंने मना कर दिया। फाइल मौजूद है, उसमें देख लीजिये। लेकिन आपने उस कमेटी को खत्म कर दिया और नतीजा यह होता है कि मैं मेरठ की बात आपको बताता हूं कि जो सीनियर मोस्ट वहां पैनल लाइयर है जिसको बाबत बार असोसियेशन

[श्री चरण सिंह]

की राय है कि यह एबुलेस्ट आदमी है उसको आपने नहीं अप्वाइंट किया और अप्वाइंट किया एक उस आदमी को जिसकी वकालत नहीं चलती, जिसका बाप अच्छा वकील था लेकिन जिसने जायदाद बेचकर खा लिया। वह आदमी अप्वाइंट होता है। उसके पीछे एक और भी कंसीडरेशन हो सकता है जिसको मैं कहना नहीं चाहता। वह भी कंसीडरेशन उसके पीछे जरूर होगा। अगर यह कमेटी काम करती होती तो हर्गिज हर्गिज वह आदमी अप्वाइंट नहीं होता जो आपने कराया। यही सब जगह हुआ है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि रूल आफ ला और उसका मतलब यह है कि पर्सनल डिस्क्रिशन जितना कम होजाय उतनी परफेक्ट डेमोक्रेसी होगी। इस कमेटी के बने रहने से मिनिस्टर आफ जस्टिस का डिस्क्रिशन कम होगा। असल में यह अधिकार तो गवर्नमेंट को रहना ही नहीं चाहिये। इसीलिये संविद के जमाने में इस तरह का प्रोपोजल चल नहीं पाया आप देख लीजिये फाइल। माननीय गुप्ता जी, हम आपसे कहते हैं कि आप ही नहीं, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, इट विल लीड टु नेपोटिज्म, इट विल एन्करेज करप्शन इन ए वे। आपको कोई नया काम नहीं करना था, कमेटी बनी हुई थी, उसे जारी रखते। आपने उसको बरखास्त कर दिया। तो आप नेपाटिज्म करप्शन, इनएफिशेन्सी, फेवरटिज्म मिटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं? एक बात आपने किया है जो मैं बताना चाहूंगा और जो माननीय त्रिपाठी जी ने पी०सी०सी० में स्पीच दी थी कि जो हम लोगों ने किया था उसको आपने उधेड़ दिया है। तो इससे नेपोटिज्म बढ़ा है कम नहीं हुआ है।

हरदोई के जिला परिषद के अध्यक्ष जो कि एक कांग्रेसमैन हैं संविद के जमाने में भी वह जिला परिषद के अध्यक्ष थे। उनके खिलाफ शिकायत हुई कि जिला परिषद की सड़कों के दरख्त काट कर उनके घर में आ गये। कुछ इस तरह की बात थी। पुलिस गयी मौके पर। मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई। उनका चालान हुआ। सेशन जज के सामने केस पहुंच गया। अब शायद वह एम०एल०ए० चुनकर आ गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह वाकया है या नहीं कि आपने उसके खिलाफ केस विवड्रा किया है। पहले श्रीचन्द अग्रवाल के खिलाफ केस वापस लिया गया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिफारिश नहीं कर सकता था लिहाजा हुक्म हो गया कि उनके खिलाफ केस वापस ले लिया जाय। इस पर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ केस वापस हो गया तो हमारे खिलाफ क्यों वापस नहीं हुआ इसलिये दूसरे स्टेज पर उनके खिलाफ भी केस वापस ले लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इस तरह की कार्य-वाहियों से हमारे प्रदेश में करप्शन बढ़ेगा या घटेगा? हमारे जुडीशियल प्रोनाउन्समेंट्स पर एक्जीक्यूटिव का इंटरफिरेंस क्यों किया जाता है? म बहस के लिये माने लेता हूं कि वे निर्दोष हैं लेकिन इसको अदालत को तय करना चाहिये कि वे दोषी हैं या नहीं? आप इस चीज को तय करने वाले कौन होते हैं, आपकी गवर्नमेंट इस चीज को तय करने वाली कौन होती है? अगर इस तरह से गवर्नमेंट पार्टी की तरफ से केसेज वापस लिये जायेंगे तो फिर प्रदेश की जनता को कोर्ट पर कैसे इत्मीनान होगा और आपके ऊपर कैसे इत्मीनान होगा कि आपके दरबार से उनको इंसाफ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय पंत जी के जमाने में यह उसूल तय हो गया था कि किस तरह के कैसेज कोर्ट से वापस लिये जांय। इसकी फाइल भी गृह विभाग में होगी। ऐसे केसेज वापस लिये जांय जिनमें दोनों तरफ के काफी लोग इनवाल्व्ड हों और जिनमें मुलजिम का जाती स्वार्थ न हो। जैसे कहीं हिन्दू मुस्लिम दंगा हो गया और बड़े पैमाने पर दोनों तबकों के लोगों के खिलाफ केसेज हों तो वे वापस लिये जा सकते हैं। ऐसी रूलिंग माननीय पंत जी ने कर दी थी। मैं भी श्रीमन् होम मिनिस्टर रहा हूं और उस दिनों जिन केसेज को वापस लेने की कोशिश की गई थी, उनका मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूं। लेकिन जब आपने इनके खिलाफ केसेज वापस लिये हैं तो फिर सब कांग्रेस वालों के खिलाफ कैसेज वापस क्यों नहीं लेते हैं? चाहे कैसे ही उनके खिलाफ कैसेज चल रहें हों और जब उनके खिलाफ केसेज वापस लेते हैं तो नान कांग्रेस वाले लोगों

के खिलाफ केसेज वापस क्यों न लिये जांय ? एक एम० एल० सी० थे उनके खिलाफ मर्डर का केस चल रहा था। उन दिनों एक डी० आई० जी० श्री मिश्रा जी थे। वे मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि आपकी इस केस के बारे में क्या राय है। मैंने कहा कि आप जानते नहीं हैं कि इसमें क्या होना चाहिये ? मने कहा कि आप अपने कांशस, देश के कानून और परमात्मा को ध्यान में रखते हुए जो जनहित में हो वह करें। कितना दबाब उसके ऊपर पड़ा था। मुझे कांग्रेस के आ मी ने बताया कि १४ साल के अन्दर एक बड़े जिम्मीदार को जेल में डाल दिया और उसकी जमानत नहीं होने दी। अगर उस जिले के लोग मौजूद हों तो उनसे पूछिये कि क्या इस काम से कांग्रे। गवर्नमेंट का मस्तक ऊंचा हुआ है ? फिर जिला परिषदों के खिलाफ जांच करने के लिये जो सुपुर्द किये गये थे केसेज उनमें से एक के खिलाफ तो रिपोर्ट आ गई थी और दूसरे के खिलाफ आने वाली थी। लेकिन प्रेसीडेंट रुल में उसको रुकवा दिया गया।

पूरब से लेकर पश्चिम तक अगर सारे जिलों के जिला परिषदों के अध्यक्षों को देखें तो मालूम होगा कि किस तरह से उन्होंने पब्लिक प्रापरटी को चौपट किया है। आप जिला परिषदों के अध्यक्षों के खिलाफ केसेज वापस लेते हैं और इसलिए करप्शन मिटाना चाहते हैं तो यह कैसे धोखे की बात है ? एडमिटस्टेटिव आफिसर्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूं गुप्ता जी, वह मुह में रूमाल देकर हंसे होंगे, जब आपके मुंह से यह अल्फाज निकले होंगे। एक नटराज होटल है कानपुर में। नाम का होटल है। वह जगह है जहां हर तरह का जुर्म होता है, औरतों के खिलाफ और और। आपकी नजरेइनायत है उसके मालिक या मैनेजर पर। बीकेडी के लोगों ने, कांग्रेसमैन ने मांग की कि वहां आप न जाइये। मुझे यकीन है कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिट्रेट या पुलिस से पूछा होता कि चीफ मिनिस्टिर का वहां विजिट करना, चाय पीना क्या मुनासिब है तो आपको ऐडवाइज करते कि न जाइये। पुलिस उसकी निगरानी करती है। जुर्म होते है हजार। आपके जाने से आप अपने को क्या कहना चाहते है ? एस०एस०पी से आपने जाने से क्या कहना चाहते है, डिप्टी कमिशनर से आप क्या कहना चाहते है ? मैन इज अंडर माई प्रोटेक्शन। मेरा वरदहस्त है उस पर। उसकी तरफ निगाह डालने पर पुलिस हजार बार सोचेंगी। पब्लिक लाइफ्स में करप्शन इससे बढ़ता है या घटता है ?

फिर, जो इलाहाबाद में, जो सेक्रेटेरिएट में, जिलों में नियुक्तियां हुई है, क्योंकि मेरे सामने जनहित है, और प्रशासन का हित भी है उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनका मेरिट्स से कोई ताल्लुक नहीं, आप के कंसीडरेशन चाहे जो कुछ रहे हों। पब्लिक इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं था। कोई भी डिसइंटरेस्टेड आदमी अगर उसके सामने सारे फैक्टस रखे जायं तो वह आपसे सहमत नहीं होगा। फाइंडिंग आपके खिलाफ होगी। मेरे दोस्त माने न माने, बहुत से पुराने साथी होंगे, कुछ नये लड़के होंगे। वह भी ऊंचा मस्तक करके नहीं चल पाते जब यह बातें उनके सामने उनके कांस्टीटुएंटस या पढ़े लिखे लोग उनके सामने रखते हैं। इससे करप्शन और नेपोटिज्म बढ़ेगा। और नेपोटिज्म का रेजल्ट है इनएफीशेंसी और करप्शन। उसके साथ अच्छे अच्छे अफसरों को, उनके भी नाम नहीं लेना चाहता, सक्सेना का नाम ले लिया, उनको आपने ऐसी जगह भेजा है जहां उनको ऐडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा मौका न हो, जहां ज्यादा काबिलियित और टेलेंट का एक्सप्रेशन न कर सकें। एक केस मुझे ऐसा भी मालूम है कि प्रोमोशन होना था नीचे की पोस्ट से। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कैरेक्टर रोल्स मंगाए। करेक्टर रोल देखकर कमीशन ने सात आदमियों में पांच या छ आदमियों को बुलाया। एक को नहीं बुलाया बाद में सिफारिश जनाव के पास आयी। और भी जितने कंसीडरेशंस हैं उनको कहना नहीं चाहता। उसकी नियुक्ति हो गयी और जिनकी काल आ गयी थी, जिनका केरक्टर रोल ऐसा था कि उनका इंटरव्यू करना चाहिए, उनकी नियुक्ति नहीं हुई। उसकी नियुक्ति हो गयी जिसका कैरेक्टर रोल देख कर पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस लायक नहीं समझा कि उसका इंटरव्यू हो। (शेम की आवाज) कहां तक शेम करोगे। ए टू जेड सब यही हालत है। किसी जिले में पहुंच जाइये। इससे ज्यादा मिसालें मिलेंगी।

कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट में कुछ आदमियों को निकाला गया, सर्विसेज टर्मिनेट की गयीं। इनएफीशेंसी थी करप्शन था। टेम्पोरेरी हैण्ड्स होते हैं, उनके लिये प्रोसीडिंग्स करने की

[श्री चरण सिंह]

जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर करप्शन के बहुत से चान्सेज हैं, इसलिये वह डिपार्टमेंट परमानेन्ट हो भी नहीं सकता, लेकिन उसमें से फिर कुछ लोग रख लिये गये। कौन आदमी और किस आधार पर रखे गये यह वह जानें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जितनी बातें कह रहा हूं ये कांग्रेसमैन की हैं, यहां बैठ कर यह माने या न मानें। लेकिन मैं अखबार पढ़कर सुनाये देता हूं। यह है "पायनियर" ५ जून, सन् १९६९ का, इसमें लिखा है, यह पी० सी० सी० की एक्जीक्यूटिव कमेटी की रिपोर्ट है जिसके बारे में मैं सुना रहा हूं—

"But the more important part of the deliberations was the awareness showed by members to the growing lawlessness, laxity in administration and the falling standards of governmental control over the administrative machinery. Members criticised the government for its inability to achieve anything tangible in this regard so far while instances were growing in number which suggested that popularly elected governments had a poor record to ginger up the bureaucracy."

इसमें यह लिखा है इसका अर्थ यह है कि इसमें ज्यादा जोर इस बात पर है—"बदअमनी बढ़ती जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन में ढील आ रही है, गवर्नमेंट का नियंत्रण ढीला होता जा रहा है और मेम्बरों ने गवर्नमेंट की इस बात के लिये भी आलोचना की कि वह कोई खास काम इस समय में नहीं कर पायी है तथा राज्य कर्मचारियों के रवैया में कोई अन्तर नहीं आया है और गवर्नमेंट का कोई भी प्रभाव नौकरशाही पर नहीं पड़ा है।

"Members, however, felt concerned with the growing corruption at various levels of administration and suggested to the Chief Minister that special efforts should be made to cleanse the administration."

मेम्बरों ने कहा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और उन्होंने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि वह ऐसे कदम उठायें कि प्रशासन स्वच्छ हो। अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो मैं उतना ही दोषी हूं जितना की पी० सी० सी० कमेटी के मेम्बर्स। अध्यक्ष महोदय, १६/१७ जून को पी० सी० सी० की मीटिंग हुई, उसमें भी यही है:

"Mr. Kishore (means Naval Kishore) pointed out corruption had reached such limits that all the money spent on development schemes, 50 per cent went to line the pockets of engineers and contractors. He appealed to the Prime Minister to give more industrial licences to the state."

नवल किशोर जी सेक्रेटरी रह चुके हैं कांग्रेस के, उनकी बयान देने की बहुत आदत रही है। उन्होंने लिखा है कि करप्शन इतना बढ़ गया है कि जितना रुपया डेवलपमेंट स्कीम में जनता का खर्च किया जा रहा है, उसका ५० फीसदी ठेकेदारों और इंजीनियर्स की जेबों में जा रहा है। बड़ा अच्छा वर्ड went to line इस्तेमाल किया है। मैं अगर ५० फीसदी कहता और अगर मेरे पास ये जीचें न होतीं तो त्रिपाठी जी नहीं मानते, शान्ति प्रपन्न जी नहीं मानते और खैर गुप्ता जी तो मानते ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिकमेन्स इन्जायरीज, आर्डिनेंस जैसी नेस्टी जीज का जिक्र करना पड़ा। संविद के जमाने में हमने सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच के सम्बन्ध में गालिबन अक्तूबर के महीने में एक अध्यादेश जारी किया था। यहां असेम्बली में वह दिसम्बर के महीने में पेश हुआ। फिर वह तैयार नहीं हो सका और होता भी कैसे। अगर असेम्बली से भी पास हो जाता तो कौंसिल से नहीं होता। इसलिये हम लेजिस्लेशन कर नहीं पाये। जब राष्ट्रपति का शासन हो गया अर्थात् कांग्रेस का शासन हो गया, १५ अप्रैल को तो १६ अप्रैल को जो पहला काम हुआ वह यह था कि पब्लिकमेन्स एन्क्वायरीज आर्डिनेस अलफाज मुझे याद नहीं, पर कार्यवाही नहीं की जायगी यानी उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। जब हमने वह बिल पेश किया था तो जो सारी पार्टियां उसमें शामिल हुई थीं उन्होंने उसका समर्थन किया था और अगर विरोध हुआ

तो केवल कांग्रेसमैन की तरफ से। जब असेम्बली में पेश हुआ तो विरोध हुआ केवल माननीय त्रिपाठी जी और उनके दोस्तों की तरफ से। मैं आपका नाम इसलिये ले रहा हूं कि गुप्ता जी कहेंगे कि सब बातें मुझी को कह रहे हो। तो विरोध हुआ कांग्रेसमैन की तरफ से। आखिर आप ही क्यों विरोध कर रहे थे ? उसकी दो, तीन खूबियां थीं। एक तो यह था कि जो कमीशन आफ एन्क्वायरीज ऐक्ट था इस सिलसिले में उसमें गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि किसी व्यक्ति की जांच करायें या न करायें। हमको यह हक हासिल था कि किसी भी अपने पुराने साथी के खिलाफ एक दरख्वास्त मंगा लेते और उसकी तहकीकात करा देते कमीशन आफ एन्क्वायरीज ऐक्ट के मातहत। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा हरगिज नहीं, चरणसिंह हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लिहाजा हमने ऐसा कानून बनाया कि जिसमें गवर्नमेंट आफ दि डे और जो उनके मुखालिफ पालिटिशियंस हैं वह सब एक लेविल पर हो जाय और कानून में यह रखा गया कि जो आदमी चाहे थोड़ी सी जमानत पेश कर दे, हमने एक हजार रुपया रखा था और सोचा था कि असेम्बली में लाकर ५ सौ रुपया कर देंगे क्योंकि कुछ तो जमानत होनी ही चाहिये, वह जमानत देकर गवर्नमेंट के यहां दरख्वास्त देता कि फलां उस वक्त का मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, या पुराना चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर और यहीं नहीं एम० एल०एज० भी और यहीं नहीं कि नान आफिशियल्स भी उसमें आते थे कि उनके खिलाफ इन्क्वायरीज हों और इन्कक्वारीज होतीं।

आफिसर्स भी इस करप्शन के बहुत हद तक जिम्मेदार हो सकते हैं लेकिन मैं बहुत दिनों से कहता रहा हूं और मेरे पुराने साथी जो कांग्रेस में थे देवरिया के रामलाल चतुर्वेदी और मंगल उपाध्याय जब मैं वहां सन १९५६ में गया था तब मैंने उस जिले में कहा था, प्लेन पर बहस हो रही थी इसी बात पर तब मैंने उनसे कहा था कि चतुर्वेदी जी और उपाध्याय जी अगर गजटेट आफिसर्स को किसी कड़ाह में डाल दिया जाय और उनमें से रस निकाल लिया जाय और किसी हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और पी०सी० सी० के किसी मेम्बर का रस निकाल लिया जाय तो इन गजटेड आफिसर्स की बनिस्बत करप्शन और भ्रष्टाचार ज्यादा पड़ेगा हम कांग्रेसमैनों के जिम्मे। यह हमारी राय है। वह नाराज हो गये प्लेन तो चल दिया लेकिन मुझे मालूम हुआ कि वे नाराज हो गये थे लेकिन बाद में सन १९६२ में उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी राय सही थी। पोलिटिकल पार्टीज के दफ्तर में उतनी बेइमानियां होती नहीं जितनी कानूनगो के दफ्तर में नहीं होंगी और जितनी तहसीलदार के दफ्तर में नहीं होंगी। असल जिम्मेदारी उस आदमी की है जिस आदमी के हाथ में अथारिटी होती है। असल अथारिटी तो आज पालिटिशियंस के हाथ में है, आफिसर्स के नहीं है। काश आफिसर्स में मारलकरेज होता, काश कि वे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के नाजायज हुकुम को न मानते। मुझे मालूम है कि टेलीफोन उठाया, या तो खुद या अपने पी० ए० से कहलवा दिया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस को हुकुम दे दिया कि फलां काम करो। रिटिन आर्डर्स भी नहीं हैं, जबानी हुकुम मिला है लेकिन आफिसर्स की हिम्मत नहीं है कि वह हुकुम अदूली करें। होना चाहिये, यह सही है उन आफिसर्स के अन्दर यह करेज होनी चाहिये कि वह अनुचित बात को नहीं मानें। उनके अन्दर अगर यह करेज होगी तो तभी वह ऐसा कर सकते हैं यह बलिदान आफिसर्स को करना होगा। वह मुल्क उनका भी है, केवल यह मुल्क पोलिटिशयन का ही नहीं है लेकिन वह नहीं कर पा रहे हैं। एक शिवराम सिंह आफिसर थे। उन्होंने बहुत से किस्से सुनाये थे। वे बेचारे मर गये। यह आफिसर्स की भी जिम्मेदारी है, केवल पोलिटिशियन्स की नहीं है कि वह वही ज्यादा त्यागी और तपस्वी हैं।

जिस प्रकार की त्याग और तपस्या की हवा ऊपर से शुरू होगी उसी तरह की हवा नीचे आयेगी। अगर ऊपर से भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती की हवा शुरू हो जाती है तो वह नीचे की तरफ को फिर फैलने लगती है और फिर वह सारे समाज को दूषित और कलंकित कर देती है। इसलिये फर्स्ट क्लास म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन, जिला परिषद् के अध्यक्ष, कोआपरेटिव इस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डाइरेक्टर, महापालिका के मेयर सभी को उसमें शामिल किया गया था। यह समझा गया था कि इसमें नान आफिशियल अधिक होंगे तो सभी यह

[श्री चरणसिंह]

ठीक रहेगा। बहुत से प्रतिबन्ध भी लगाये गये थे कि अन्याय न हो। परन्तु क्यों विरोध किया गया ? अगरचे चादर साफ थी और खतरा नहीं था तो क्यों विरोध किया गया ? एक बात मैं मान सकता हूं कि एक बार जो गलती हो गयी सो हो गई। आग तो सावधान रहें। अगर बदनामी से बचना चाहते हैं तो यह अच्छी बात थी। अगर कांग्रेस लीडरशिप की यह गलती रही है शुरू से कि अगर किसी बड़े मिनिस्टर ने कोई गलती की तो उसको दबाया गया कि इससे कांग्रेस की बदनामी हो जायगी। यह गलत राय थी। अगर उसको दबाते नहीं और कार्यवाही करते तो कांग्रेस आज बहुत मजबूत होती और कमजोर नहीं होती। लेकिन यह बात भी सही ऊपर से दबाये लेकिन अन्दर से तो कार्यवाही होती। पर वह नहीं किया गया उसका परिणाम सामने है।

यहां पर राष्ट्रपति का शासन आया और आपने पहला काम यह किया कि उसको रद्द कराने की कोशिश की। एक दिन अखबार वालों ने माननीय गुप्ता जी से पूछा कि उस पब्लिक मैन इन्क्वायरी आर्डिनेंस को आप रिइनेक्ट करेंगे या नहीं ? आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि गुप्ता जी फरमाते हैं कि इसकी क्या जरूरत है पोलिटिशियन्स को जनता वय ही जज करती है। अदालत के सामने क्यों भेजते हो ? आज हमारी इतनी जनता है वह क्या जज कर सकती है जब यहां पर हम देखते हैं कि अयोग्य व्यक्ति चुनकर आ जाते हैं और अच्छे से अच्छे व्यक्ति हार जाते हैं। उनके जजमेंट को हमें फालो करना चाहिये। ड्रमोक्रेसी क अलावा और कोई रास्ता नहीं है यहां पर अपने प्रतिनिधि भेजने का तो फिर जनता को हर समय यहां पर भेजने का अधिकार है। उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वह सही आदमी को भेज सकते हैं और गलत को नहीं भेजेंगे। जिसके पास रुपया होगा उसको चुनने में आसानी हो जायगी। जहां की जनता इतनी गरीब है, जाहिल है और गैर ईमानदार है तो वहां पर चालाक और बईमान आदमी उनकी गरीबी का लाभ उठाकर चुनकर आ सकता है। गरीबी की वजह से फायदा उठाया जाता है। अगर पोलिटिशियन बेईमान है तो उसका हारना बहुत मुश्किल है। बड़ा जोर लगाना पड़ता है।

श्रीमन्, फर्ज कर लीजिये कि किसी मिनिस्टर ने २५ लाख रुपया कमा लिया, फिर खड़ा नहीं होता। आपके पास पब्लिकमैन इन्क्वायरी आर्डिनेंस है नहीं। गुप्ता जीचीफ, मिनिस्टर हैं, कार्यवाही कोई होने वाली नहीं है तो फिर जनता किस प्रकार से जज करेगी उसको टिकट भी दे दिया लेकिन वह फिर खड़ा नहीं होता। जनता जज भी कर ले तो भी क्या होता है ? मैं निवेदन करता हूं कि अगर तीसरी जुलाई को एडमिनिस्ट्रेटिव कांफरेंस के सामने आपका व्याख्यान सही है और वाकई आपकी मन्शा है उस भ्रष्टाचार को मिटाने की तो जितनी गलती हो चुकी वह हो चुकी उनको दोहरायें नहीं, बढ़ायें नहीं और पब्लिक मैन इंक्वायरी आर्डिनेंस की लाइन पर कानून बना दीजिये।

हमारे उस आर्डिनस की उड़ीसा में नकल हो रही है। इसी तरह से केराला में नकल हो रही है जहां पर कम्युनिस्ट और सी०पी०आई० में इसी बिल की वजह से झगड़ा हो रहा है और यह देखिये कि मैं और आप ईमानदार हो जायेंगे तब कमिश्नर, आई० जी० और कांस्टेबिल तक ईमानदार हो जायगा। तब भ्रष्टाचार मिटेगा, वरना नहीं मिटने वाला है। नवल किशोर जी तो ५० फीसदी कह रहे हैं, मेरी राय में टू थर्ड है। परसों राजा यादवेंद्र दत्त दुबे, मेरे पुराने मेहरबान हैं, वह एक मिसाल दे रहे थे ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम की। वह खूब बयान करें। कौन से डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है। कौन सा डिपार्टमेंट है जहां मेरिट्स पर काम होता है, जहां ईमानदार परेशान नहीं है और बेईमानों ने घेरा न डाल रखा हो और जहां बिना रिकमेंडेशन काम होता हो ? कौन सा है? और तमाम रुपया जा रहा है इन लोगों की तनख्वाहों में और वह सब खाली बैठे हैं, करप्ट हो गये हैं। मैं फिर कहता हूं कि इतना दोष मैं उनका नहीं मानता, जितना कि पालिटीशियंस का मानता हूं।

रही करप्शन मिटाने की बात। अब ट्रांस्फर्स जिस तरह से हुए हैं, ओफओह जिस कांग्रेसमैन ने जो आकर कह दिया ईमानदार से ईमानदार अफसर के खिलाफ उसका ट्रांस्फर।

अगर उसमें हुज्जतें की गयीं तो बी० के० डी० का सपोर्टर है। फिर तो वह तीर लग गया उसको रामवाण कि कोई नहीं बचा सकता। दूसरे कांग्रेसमन ने यह सुन लिया कि कृष्णानन्द राय के पास फलां चला गया और ट्रांस्फर करा लिया और फिर पता चलता है कि फलां पी०सी० सी० के मेम्बर का रिश्तेदार भी है तो फिर ट्रांस्फर रोक दिया। इस बीच में गरीब ने चार्ज ले लिया था वहां फिर वापस मेरठ में यही हुआ सिविल सर्जन राधेमोहन का। वह वहां से पहुंच गया, चार्ज ले लिया, यहां आया तो ट्रांस्फर कैंसिल और जिसने चार्ज दे दिया था वह जाये। मुरादाबाद में यही हुआ। कोई डा० गुप्ता थे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने लिखा तो यह हुआ कि कृष्णानन्द राय ने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया कि ट्रांस्फर कर दिया और डा० मित्रा पहुंच गये जो कि सुपरिंटेंडेंट बलरामपुर के थे और चार्ज ले लिया। अब दूसरे दोस्त आये भागे हुए। दूसरे दोस्त ने कहा कि हम तो मिनिस्टर हैं, क्या समझ रहे हो? तो ट्रांस्फर कैंसिल, मित्रा वापस। एक बाराबंकी में चार्ज ले लिया सिविल सर्जन ने। फिर हुक्म हुआ कि अब तुम फैजाबाद जाओ तो मैंने सुना है कि उन्होंने यह कहा कि मैं जब जाऊंगा जब मुझे यह आश्वासन मिल जायगा कि वहां से फिर न ट्रांस्फर हो जाऊंगा, पता नहीं कहां तक सही है। तीन ए०सी०सी० हो गये इटावा में और बुलन्दशहर में तीन सिविल सर्जन हो गये। और मैं तो त्रिपाठी जी और श्यामधर मिश्रा जी की बात कह रहा हूं। वैसे जितनी गवर्नमेंट यह आपकी है उतनी ही हमारी भी है और जो बात गलत हो उसको गलत मान लो। यह लिखा है इस अखबार में ६ जुलाई के कि—

"This was confirmed by the speeches made at last month's U. P. C. C. general body meeting when Mr. Shyamdhar Misra, M. P. said that he had found ministers in the state devoting three-fourths of their time to the business of transfers. Deputy Chief Minister Kamlapati Tripathi, who was presiding over the meeting, cut in and admitted, 'The ministers devote all their time to the work of transfers.' Chief Minister C. B. Gupta said that practically all the U. P. C. C. members (they number over 700) had come with requests for transfers or stay of transfers of even petty officials."

तो यह मैं कह रहा हूं और मैं गुप्ता जी का मशकूर हूं कि उन्होंने यू० पी० सी०सी० के मेम्बर्स के लिये स्वयं बतला दिया। मैंने सुना है कि २०७ ट्रांस्फर्स एक साथ हुए। और उसमें १५० कैंसिल हो गये ट्रांस्फर। मुरादाबाद के किसी आफिसर का ट्रांस्फर हुआ रुड़की को। फिर वहां के एक एम० एल० ए० ने कहा कि देखो मैं मेरठ के एक्जीक्यूटिव आफीसर्स का रुड़की को ट्रांस्फर कराता हूं। मैं नहीं जानता कि बाद में क्या हुआ लेकिन दोनों का ट्रांस्फर रुड़की को हुआ। यह श्री अतीकुर्रहमान साहब के मुहकमें की बात है। इसके लिये कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। कहा यह जाता है कि संविद सरकार के जमाने में भी काफी ट्रांस्फर हुए। जरूर ट्रांस्फर हुए, लेकिन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी कोई चीज नहीं हुई। बड़े आफीसरों के कम ट्रांस्फर हुए। हां, नीचे के लेविल पर काफी ट्रांस्फर हुए। हमारी नोटिस में ऐसी कोई बात लायी गयी तो उसे हमने रोका। लेकिन आप देखें कि उस गवर्नमेंट का कुछ लिमिटेशन था। ८ पार्टीज को लेकर हम चल रहे थे लेकिन आपका तो बड़ा पुराना आर्गनाइजेशन है। आप अनडिस्प्यूटेड मोनार्क हो अपनी पार्टी के, चीफ मिनिस्टर होकर जो चाहो कर सकते हो। किसी आफिसर ने किसी कांग्रेस मैन का कोई काम नहीं किया और वह आपके पास पहुंच गया कि फलां आफिसर का ट्रांस्फर कर दो या फलां आफिसर का ट्रांस्फर कैंसिल कर दो और आप ने उसे कर दिया। आप जानते हैं कि इन सब का असर जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर क्या पड़ता है? जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन चौपट हो जाता है। इसके लिये आप क्या यह कहेंगे कि मिनिस्टर जिम्मेदार है? नहीं, माननीय गुप्ता जी उसके लिये आप जिम्मेवार हैं क्योंकि यह अखबार आगे चल कर यह कहता है।

"A minister admitted to a friend that these days he was making transfers and cancelling them on orders from above. He added that he was merely a clerk."

[श्री चरणसिंह]

अब आप जानते हैं कि मिनिस्टर के ऊपर कौन सी ताकत हो सकती है। माननीय कृष्णानन्द राय जी, आप इसको बतलावें। तो ट्रांस्फर की जिम्मेदारी आपकी है। अगर मेरिट के ऊपर किसी का ट्रांस्फर होता है तब तो ठीक है लेकिन अगर कोई ईमानदार आफिसर है जिसने किसी कांग्रेस मैन का काम नहीं किया तो वह कहता है कि अच्छा यह हिम्मत, अभी लो ट्रांस्फर। वह आफिसर को चैलेंज करता है कि तुम्हारा ट्रांस्फर करा देंगे। फिर ऐसी हालत में कैसे जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन कायम रह सकता है?

मैं तो कहता हूं कि आप अपने को उस स्थिति में रख कर सोचें कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या डी० आई० जी० पुलिस होते तो किसी बेईमान आदमी के कहने पर, वह आदमी चीफ़ मिनिस्टर से कह कर आपका ट्रांस्फ़र करा देता तो आपके मन में कैसा लगता, क्या आप एफ़िशिएंसी से काम कर सकते थे? ऐसी हालत में कोई क्यों काम करे?

मैं आपको सन् ५९ की एक बात बतलाता हूं जो मेरे पी० ए० ने बतलाया—मेरे सामने एक बड़ा अच्छा आफ़िसर काम कर रहा था लेकिन बाद में उसकी रिपोर्ट बिलकुल गड़बड़ कर दी गयी। उसने मुझे यह बतलाया कि यह पता नहीं पड़ता है कि कौन आदमी किस पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का किस तरह का रिश्तेदार हैं। जहां कोई ऐक्शन लिया गया कि फ़ौरन सिफ़ारिश, फ़ौरन टेलिफोन, फिर हम कोई कार्यवाही करें तो कैसे करें हम कुछ नहीं कर सकते। सब का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तीन चार का मैंने लिख रखा है। एक सब इंस्पेक्टर जो निहायत अच्छा आदमी था उसने कुछ बदमाश लोगों को पकड़ा और उनके खिलाफ़ कार्यवाही करनी चाही लेकिन डी०आई०जी० से कह कर कैंसिल करा दिया गया। अगर कोई ईमानदार सुपरिंटेंडेंट पुलिस होता है तो इंटरेस्टेड लोग उसका भी ट्रांस्फर करा देते हैं क्योंकि वह उनके मन की बात नहीं कर पाता। चांदपुर की बात हो, देवरिया की बात हो, या हापुड़ और बरेली की बात हो, हर जगह यही देखने को मिलता है। फ़िर कोई सुपीरियर आफ़िसर डिसिप्लीन में रह कर कैसे काम कर सकता है, डिसिप्लीन कैसे रहेगी, वह तो चौपट हो जायेगी। जब सुपीरियर आफ़िसर के खिलाफ़ कोई बेईमान आदमी चीफ़ मिनिस्टर के पास पहुंच कर उसका ट्रांस्फर करवा देता है तो वह काम की परवाह क्यों करे। आज आपको सोचना चाहिये, अरबों रुपया आप टैक्स में गरीब जनता का ले रहे हैं और उसको दे क्या रहे हैं? जब एडमिनिस्ट्रेशन चौपट हो गया है, बिना सिफ़ारिश के कोई काम नहीं हो रहा है। क्या इससे, मैं पूछता हूं, आपको आत्मा को शांति मिलेगी? क्या जनता को इससे हित होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा। एक साहब थे जिनकी १५ साल से लखनऊ में पोस्टिंग थी। सन् ६७ में हमने उनका ट्रांस्फ़र कर दिया। उसके खिलाफ़ इन्क्वायरी हुई, विजिलेंस के सिपुर्द उसका केस हुआ, लाखों रुपया उसने कमाया, और अब उसी आदमी का फ़िर डेढ़ साल बाद, बैक टु लखनऊ ट्रांस्फ़र कर दिया गया। वह माननीय कृष्णानन्द राय ने किया है अगर तो गुप्ता जी आ की जिम्मेदारी है, और अगर आपने किया है तो आपकी जिम्मेदारी भी है। यही नहीं, उसका ट्रांस्फर एक उच्च पद पर और ऐसे उच्च पद पर किया गया कि जिसके हकदार और उससे कई सीनियर आफ़िसर्स मौजूद थे। इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या यह साबित करना चाहते हैं कि चरण सिंह के सामने जमाने में यह हुआ, हम यह कर के दिखायेंगे? नियम यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से उसकी जरूरत हो तब भी ५ साल से पहले उसको वापस उसी जगह पर नहीं लिया जायेगा। मगर आपने डेढ़ साल में ही कर दिया। जो आदमी १५-२० साल से आपके बल पर पोस्टेड था, हमने उसका ट्रांस्फ़र किया, आ ने उसे फ़िर वापस बुला लिया और फिर ऊंचे पद पर जब कि उस पद पर एक निहायत ही एफ़ीशियेंट आदमी काम कर रहा था जिसको आपने निकाल दिया। क्यों? दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट में अगर यह होता तो उसके

छेपीएक पब्लिक स्कैन्डिल हो जाता, पब्लिक उसे रहने नहीं देती और पार्टी उसके लिए जवाब तलब करती, मगर यहां क्या होता है ? आखिर आप क्या करना चाहते हैं ? क्या मिसाल पैदा करना चाहते हैं ? क्या इससे एफ़ीशियेंसी बढ़ेगी या घटेगी ? मैं माननीय गुप्ता जी से माफी चाहता हूं और अपने उन सारे दोस्तों से माफी चाहता हूं कि अगर मेरे कहने में कुछ गर्मी आ गयी हो या गुस्सा आ गया हो तो उसे क्षमा करें, मगर इस पर विचार करें, कि आखिर वे कर क्या रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, जाति-पांति की बड़ी बात माननीय गुप्ता जी ने कही । उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू और मुस्लिम का प्रश्न मैं नहीं लाना चाह ा । मैं शिया या सुन्नी की बात नहीं कहना चाहता । मुल्क तकसीम हो गया । हम समझते थे कि बिरादरीवाद धीरे–धीरे मिटेगा । लेकिन वह मिटा है या बढ़ा है और अगर बढ़ा है तो उसके लिये कि सकी जिम्मेदारी है ? मैं यह कहूंगा कि गुप्ता जी, कास्ट फ़ीलिंग और कास्ट हेटरेड आप बढ़ा रहे हैं, जाति पांति को आप बढ़ा रहे हैं और फिर कितना झूठा प्रच र कर रहे हैं, इलेक्शन में कितनी झूठी बातें कही गयी हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि उससे प्रदेश का क्या होगा ? प्रदेश कहां जायेगा । आज एडमिनिस्ट्रेशन में जो आप कर रहे हैं उसी में मालूम हो जायेगा कि आपके क्या विचार हैं । जो आपने असर डालने की कोशिश की थी उसके पीछे कितना तथ्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सिलसिले में इनकी स्पीचेज हुईं गढ़मुक्तेश्वर में, बाबूगढ़ में और जगह । आपने सब जगह वह कहा कि ऐ लोगों, खतरा है । तो जो गैदरिंग होती है, मैमथ गैदरिंग होती है, तो आखिर लोगों को कैसे याद है, यहां एक वर्ग ने गरीब लोगों को राज नहीं दे दिया । तुम लोगों को घबड़ाने की जरूरत नहीं है । हम उनको अच्छी तरह देखेंगे । क्या मतलब ? बाबूगढ़ में कही बात की तो स्पैसिफ़िक रिपोर्ट मेरे पास है। किस आदमी ने डाइस में उसको खड़े होकर कहा । एक हरिजन कैन्डीडेट उनका था, एक रिपब्लिकन का था, एक बी० के० डी० का था । उसकी राय आई । वे वोट कहां से आ गये ? एक वर्ग जब आप कह रहे हों तो उसका मतलब लोग समझ जाते हैं । आप कहते हैं इसलिये कि लोग समझ जायं । मैं जरूर समझता हूं । तो आप एक बिरादरी के खिलाफ़, आपका यह प्रचार है, यह किसी एक वर्ग के कुछ लोगों ने ऐसा किया है, अगर किया है यों कहो, क्योंकि उस वर्ग के लोगों ने आपको भी खड़ा किया था । दो आदमी कामयाब होकर भी आये । उस वर्ग का बहुत ज्यादा प्रतिशत था । उस वर्ग के दो आदमी खड़े नहीं किये गये थे । हमने ब्राह्मण कैन्डीडेट खड़ा किया था । एक ब्राह्मण ने दूसरे को जिताकर भेजा । सब ने तो नहीं किया । तो सारे वर्ग को आप कैसे एक्यूज कर रहे हो । फ़िर मैं जानना चाहता हूं रायबरेली की और प्रतापगढ़ की बाबत । आपकी क्या राय है ? जब मैं सितम्बर, १९६८ में रायबरेली और प्रतापगढ़ में गया था तो उसमें गरीब लोगों की राय नहीं पड़ पाई थी ।

सन् ६७ में कांग्रेस के खिलाफ़ मेरठ से जो कांग्रेस के कैन्डीडेट चुनकर आये हैं यह मालूम करो कि मुझको शिकायत थी या नहीं थी और वह कौन सा वर्ग था जिसका वह कैन्डीडेट था । यह जो एक वर्ग की सिंगिल आउट करके चल रहे हो यह आपका अन्याय था या नहीं था । चीफ़ मिनिस्टर आप एक वर्ग को छोड़कर बाकी सब के हैं । उस वर्ग का कसूर यह है कि "उसमें मैंने जन्म लिया है" और नहीं कहना चाहता मैं । जैसे सुल्तानपुर में आपने कैन्डीडेट खड़ा कर लिया पार्लियामेंट के लिये, ओ हो– कितना नेक नाम, ऐसा आदमी भेजा जायेगा पब्लिक को रेप्रेजेंट करने के लिये । गवर्नमेंट सर्वेंट, गालिबन मेरे ही हाथ का इन्क्वायरी का आर्डर, लाखों रुपये का डिफाल्केशन पब्लिक फ़ंड्स का और डिपार्टमेंट के हेड के पास वह फ़ाईल जाये कि डिस्मिस करने जा रहे हैं हुजूर का मंजूरे ईनाम हो जाता है और कांग्रेस का कैन्डीडेट खड़ा कर दिया जाता है, और क्योंकि उसके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं थी उसने बिरादरी का सहारा लिया, हमारा कैन्डीडेट खड़ा था उसका रिएक्शन उसकी बिरादरी में भी यह हुआ कि उधर से भी बिरादरी के बेसिस पर प्रचार और इधर से भी बिरादरी के बेसिस पर प्रचार ।

[श्री चरणसिंह]

मुझे जिम्मेदार आदमियों ने बतलाया कि जब इलेक्शन के बीच में आप तशरीफ़ ले गये और ठाकुर एडवोकेट के साथ का खाना हुआ और सब ठाकुर ही ठाकुर इकट्ठे किये गये तो आपने यह रिमार्क किया, बताया जाता है कि कहो जी, ठाकुरवाद खूब चल रहा है या नहीं चल रहा है। मतलब चलना चाहिये, यह आशय हो सकता है। और क्यों रिपोर्ट नहीं हुआ, रिपोर्ट क्यों हुई चीफ़ मिनिस्टर के खिलाफ़ तो आदमी रखकर खड़े होकर डरते हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मुझे यह कहनी है अगरचे थोड़ी सी तैयारी कर चुका हूं, तो बिरादरी के लोगों के लिये हुक्म हो कि जिस जगह एक खड़ा हो वहां दूसरा नहीं रहना चाहिये ख्वाह वह कितना ही योग्य हो, ख्वाह वह कितना ही चरित्रवान क्यों न हो, ख्वाह उसकी पोस्टिंग वहां ६ या १० महीने पहले ही क्यों न हुई हो, ख्वाह वह इलाहाबाद या रामपुर का ही क्यों न हो, और यह बात ऊपर से नीचे तक की गयी है। चाहे वह लखनऊ ही का क्यों न हो, अगर वहां पर बी०के०डी० का आदमी कामयाब हो गया है तो अवश्य ही उस पर पक्षपात का इल्जाम लगाया गया और उसका ट्रान्सफर कर दिया गया, एक ब्रुश से ही सब को क्रिमिनल पेस्ट कर दिया गया, क्योंकि उसने फ लां बिरादरी में जन्म क्यों लिया? इस बारे में मैंने सवाल भी किया है लेकिन मैं जानता हूं महीनों में आप उसका जवाब देंगे। ट्रान्सफर्स हुए हैं, क्या यह सही नहीं है। क्या वह ट्रान्सफर्स आपके बिना हुक्म के हुए हैं? बड़े ही आफीसर्स के ट्रान्सफर्स हुए हों, ऐसी बात नहीं है, विलेज लेविल वर्कर्स, कामदार्स, सुपरवाइजर्स, टाइपिस्ट्स, ट्यूबवेल आपरेटर्स, सब को उनके जिलों में से निकाल निकाल कर, पड़ोस के जिलों में भेज दिया गया हो, यह बात भी नहीं है, उनको भेज दिया गया है, बनारस, बहराइच, देवरिया में।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

बनारस देवरिया क्या खराब जगह हैं?

श्री चरणसिंह—

प्वाइन्ट यह है कि क्या देवरिया, बनारस का कोई कान्स्टेबिल मेरठ को भेजा गया? कांस्टेबिल, ट्यूबवेल आपरेटर, कामदार, सुपरवाइजर, सब इंसपेक्टर के लिये क्या आर्डर्स हैं कि उनको अपने घर के पास ही रखा जाय। क्या आपने उनको कैंसिल कर दिया है? फिर यह एक जातिवालों को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? मेरी माननीय यादवेन्द्र दत्त दुबे जी से बातें हो रही थीं, उन्होंने बताया कि अब तो हमारे यहां पश्चिम के बहुत से लोग आ रहे हैं। उनका क्या कसूर? यही कि उसने एक विशेष जाति में जन्म लिया। एक कान्स्टेबिल को सहारनपुर से जौनपुर बदल दिया गया। उससे पूछा कि क्या कसूर तुमसे हुआ तो उसने बताया कि उसने एक खास बिरादरी में जन्म ले लिया है। वह जब कल बोलेंगे तो उसके बारे में बतायेंगे। मैं गेंदा सिंह जी को बताना चाहता हूं कि ९० रुपया पाने वाले एक टाइपिस्ट को जौनपुर भेज दिया गया है, उसका कहना है कि मेरे बूढ़े बाप मां कैसे जियेंगे। क्या आजतक कभी ऐसे ट्रान्सफर्स हुए थे?

शांतिप्रपन्न जी एक सिलसिले में मेरे पास आये थे, उनसे मैंने कहा कि मेरी रिपोर्ट तो इस प्रकार है। उनकी कहां हिम्मत कि कुछ कहें। केवल यह कहा कि पूंछूगा। मैंने कहा कि उनके दरबार में मैं आपके द्वारा कोई दरख्वास्तें देने नहीं जा रहा हूं, केवल पूछ रहा हूं। जब फाइनेंस सेक्रेटरी की बातें हो रही थीं तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा था तो आर्डर्स यह हैं कि जहां एक बिरादरी के बहुत से लोग हों उनको एक जगह न रखा जाय। इस तरह से पी०ए०सी० की तो सारी कंपनी ही चली जायगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देवरिया, गोरखपुर से भी कोई ऐसा मेरठ गया। लोगों की जो आपकी ओर से फीलिंग हैं उसकी यह प्रतिक्रिया है। इसलिये केवल यह कहना चाहता हूं कि इससे प्रदेश में द्वेष फैलेगा, ऐडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ होगा।

एक बात सही है और आप के नोटिस में आना चाहिये लेकिन मै नाम नहीं लेता और कहता कि वह अफसर लोकेट हो जायगा और नतीजा यह होगा कि वह बरखास्त हो जायगा और आपके पास वह आयेगा तो आप उस को माफ नहीं करेंगे। एक बड़े अफसर के पास एक आदमी गया किसी काम के लिये तो वह अफसर उससे पूछते हैं कि "व्हाट इज योर कास्ट" आपकी जाति क्या है ? उस ने कहा कि आप यह क्यों पूछ रहें हैं और उसने बताया कि आई० एम० ए० जाट, उसका नाना एक एस० पी० रह चुके थे। तो उस से कहा जाता है कि क्या तुम जानते हो कि गवनमेंट की पालिसी जाटों के सबंध में क्या है ? मेरठ में कोई नहीं रहने दिया जायगा और उस को जब कि केवल १ ही साल वहां हुआ था उसे १५ दिन के अन्दर ट्रान्सफर कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के १० कांस्टेबिलस का ट्रान्सफर सबके सब का कर दिया गया। एक कांस्टेबिल मिला उसको मेरठ से उत्तर काशी भेजा गया। उसन कहा कि मेरा तबादला ठहरी को हुआ था लेकिन अब उत्तरकाशी में हुआ है। अलीगढ़ में ऐसा हुआ कि जितनों के नामों के आगे 'सिंह' लिखा था सब का ट्रान्सफर कर दिया गया चाहें उनमें बनिये रहें हों या ब्राम्हण बाद में जिन जाटों क नाम सहाय और चन्द्र पर थे उन की लिस्ट गई। एक वी० एल० डब्लू० कम्पोस्ट थे जिन को अलीगढ़ से उत्तरकाशी भेज दिया गया जिस गरीब को मुश्किल से सवा सौ रुपया वेतन मिलता होगा। १८ एक्सटेंशन टीचर्स के मेरे पास नाम हैं मेरठ जिलें के ये बेचारे अपने अपने इलाकों में रहते रहें हैं जहां वे पैदा होते हैं क्योंकि इन का काम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, उन को हटा दिया गया वहां से।

अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने बी०के०डी० का काम किया ही है तो आप उस की इन्क्वायरी करो और उसको सजा दो। मैं आप के द्वारा श्रीमन् बताना चाहता हू कि सन् ५७ में जब कि ट्रान्सपोर्ट विभाग मेरे पास था उस वक्त मैं उस विभाग को छोड़ने ही वाला था तो एटा से मेरे पास एक शिकायत आई कि फलां फलां अफसर ने कांग्रेस को मदद की है, यह शिकायत नान-कांग्रेस केन्डीडेट की आई, मैंने उस अफसर का जवाब तलब किया कि उसने कांग्रस की मदद क्यों की ? मैं हरगिज हरगिज नहीं चाहता कि चुनावों में सरकारी अफसरों की मदद ली जाय, मैं आज तक नहीं चाहता कि ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो यह डेमोक्रेसी टूट जायगी। अगर इस तरह से अफसर एलेक्शन में भाग लेंगे तो यह चल नहीं सकती लेकिन अफसोस है कि लेते हैं और कुछ लोग उनके बल पर जीत कर भी आते हैं। अगर किसी के खिलाफ इस तरह की शिकायत आती है तो उसकी तहकीकात की जाय और साबित होने पर उसे सजा दी जाय। लेकिन एलेक्शन की बिना पर, बिरादरी की बिना पर ट्रान्सफर करना कहां तक उचित है ? सारी कम्युनिटी के तबादले मास स्केल पर किये जांय। एक लेखक ने कहा है कि "इनडिविजुल कैन बी कंडेम्ड बट आई नो आफ नो मेथड आफ कन्डेमनिंग दि होल कम्युनिटी" उस ने कहा है कि मैं कोई ऐसा तरीका नहीं जानता कि जिस से सारी बिरादरी और कौम को कनडेम किया जा सके। आज चाहे आप इस तरह की जबरदस्ती कर सकें लेकिन आप को यह समझ लेना चाहिये कि आप यह चौपट कर रहें हैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन को और आज शायद आप समझते नहीं हैं कि यह जहर कहां जा रहा है ? आप समझ लें कि आप भी हमेशा चीफ मिनिस्टर रहने वाले नहीं हैं, हमेशा कोई नहीं रह सकता, मनुष्य मार्टल है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपने जो जहर दिया है उस का क्या नतीजा होगा ? मैं परमात्मा से केवल यह प्रार्थना कर सकता हूं कि आपके बाद जो इन अख्तियारात को ले वह सोच कर काम करे वरना प्रदेश रसातल को चला जायेगा। जरूरी नहीं है कि आपकी नकल करे।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके विचार में दो बिरादरी वाले तो बी० के० डी० के वर्कर हैं। १० सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया। मैं तो यह कहूंगा कि किसी कर्मचारी ने अगर बी०के० डी० का काम किया है तो तहकीकात की जाय और उसको सजा दी जाय। सुल्तानपुर में यह आम बात है। आपकी राय में 'दे आर क्रिमिनल ट्राइब्स आल ओवर दी स्टेट"। मुझ तो कहत हुए शर्म आती है लेकिन पब्लिक हित को देखते हुए मुझे यहां कहना पड़ता है। सुल्तानपुर में क्या किया ? चूंकि हमारे कैंडिडेट ने ब्राम्हण घर में जन्म लिया था लिहाजा जितने ब्राम्हण अफसर थे उनका ट्रान्सफर किया गया। लेकिन एक का ट्रांस्फर हुआ और उसकी जगह पर फिर

[श्री चरणसिंह]

ब्राम्हण ही आ गया। फिर उसका भी ७ दिन बाद ट्रांस्फर किया गया। एक नहीं अनेकों ट्रांसफर्स किए गये। बरेली में भी क्या हुआ ? वहां पर हमारे एक साथी, श्री ओम प्रकाश सिंह, एक अच्छे कंडिडेट हैं, उन्होंने अच्छे नतीजे भी दिखाये हैं। लिहाजा जिस बिरादरी में वे पैदा हुए हैं उस बिरादरी के न मालूम कितने आदमी वहां से निकाल दिए गये। यही नहीं अब हैरेंस्मेंट के लिये मुकदमेबाजी हो रही है और गलत और छोटे छोटे मुकदमें, जिनकी कोई सीमा नहीं है, चलाये जा रहें हैं।

मामूली मामूली बातों पर कि हमारे कांग्रेस के झंडे फाड़ दिए ५०-५० आदमी बिना तहकीकात किए जेलखानों में बन्द कर दिए जाते हैं। मामूली ओफन्सेज में, फर्ज कर लो कि वे सही भी हों, ईमानदारी से रिपोर्ट भी की गयी हो लेकिन तब भी तहकीकात तो जरूर होनी चाहिए। पुलिस की नान कोग्निजिबिल आफेन्स है, पुलिस चालान करती है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए लेकिन यह बात तय है कि पहले वे जेलखाने में जायेंगे। उसक बाद जमानत ली जायेगी। और जमानत भी एक एक आदमी की नहीं बल्कि २-२ आदमियों की ली जायेगी। इस तरह से सैकड़ों आदमी मेरठ और मुजफ्फरनगर में जलील किए जायेंगे। कहा जाता है कि चूंकि वे बी० के० डी० के लिए वोट मांगने आये, हमने मना किया तो हमारा सामान और बर्तन उठा ले गये। यह मुजफ्फरनगर की हालत है। दफा १०७ और ११७ के मुकदमों में भी तारीखें लगायी जाती हैं, उनको परेशान करने के लिए। कभी कभी कम्पलेनेन्ट आता है और कहता है कि हम मुकदमा नहीं चलाना चाहते हैं लेकिन फिर भी चलाये जाते हैं। फिर तारीख लगेगी। अब आप अन्दाज कीजिए कि उन लोगों के साथ क्या अन्याय हो रहा है उससे सोसाइटी पर क्या असर पड़ सकता है ? मैंने अपनी पार्टी वालों को रोका कि आपको गल्ती नहीं करनी चाहिए, भले ही गुप्ता जी जो करें।

(इस समय ३ बजकर ३९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आपने यही समझा है कि प्रदेश आपका है। कांग्रेस आपकी है। कांग्रेस को जिसने राय नहीं दी है उसने जुर्म किया है और उसे सजा मिलनी चाहिये और उसे सबक सिखाना है। यह नहीं है कि मुल्क सारी जनता का है और हर आदमी को कहीं भी राय देने का अधिकार है। लेकिन आप समझते हैं कि गवर्नमेंट आपकी हो गयी तो सूबा आपका हो गया और कोई कायदा कानून नहीं रह गया, जो मनमानी चाहें करें। आपको मालूम होना चाहिये कि जनाब गुप्ता-जी जहां टूर पर जाते हैं तो हरेसमेंट का कम्पेन और तेजी पकड़ लेता है। मेरे जिले के एक मोअ-ज्जिज बी० के० डी० के वर्कर हैं, अच्छे किसान हैं। नवम्बर में रिपोर्ट लिखा दी गयी कि ट्रेक्टर छीन लिया और भैंस ले गये। झूठा इल्जाम उन पर लगा दिया गया। उनके भट्ठा भी है। वे अच्छे किसान हैं। ग्रुजेएट हैं। ३५ साल की उम्र है। जैसे तैसे फ़ायनल रिपोर्ट पुलिस ने दे दी। अब जनाब वहां गये ५, ६ जुलाई को और नतीजा यह हुआ कि दफ़ा ६९ की फ़ायनल रिपोर्ट निकाल कर फ़िर उनका चालान कर दिया गया। इसी तरह से इलेक्शन के जमाने में एक आदमी ने बिलकुल झूठी रिपोर्ट लिखा दी और वहां ५ महीने के बाद १७ आदमियों का चलान कर दिया गया। आपके जाने के बाद अफ़सरान बड़े एक्टिव हो जाते हैं बी० के० डी० के विक्टमाइजेशन के सिलसिले में।

डाक्टर सीताराम के संबंध में मैंने यह सुना है कि सरोजनीनगर का इलेक्शन चल रहा था। एक कालेज में आप गये और वहां एक टीचर बी० के० डी० का बिल्ला लगाये हुए थे। आपने कहा कि अगर यह बिल्ला नहीं उतारोगे तो एड खत्म कर दी जायगी। मैं इसके खिलाफ़ हूं कि टीचर हमारे इलेक्शंस में हिस्सा लें लेकिन अगर आपका ला यह इजाजत देता है तो फिर वह कांग्रेस के खिलाफ़ और माफिक दोनों काम कर सकते हैं। या आप तय कर दें कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ़ कोई टीचर किसी और पार्टी का मेम्बर बनेगा अथवा काम करेगा तो उसकी एड खत्म कर दी जायगी तब तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है।

झांसी में भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र है। जिसमें स्वायल कंजर्वेशन इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है। उसमें ९ लड़के मेरठ के भी थे। उन्होंने मुझे लेटर लिखा, कई जगह लिखा, जनाब के पास मैंने वह भेज दिया लेकिन आपने न अब तक कोई जवाब दिया और न कोई कार्यवाही की। जवाब कैसे देते? वह जब ट्रेनिंग कर के निकले तो उनकी पोस्टिंग बांदा या और दूर दूर जगहों पर कर दी गयी। डिपार्टमेंट का तरीका है कि बहुत छोटे आफ़िशियल्स को अपने जिले के आसपास ही पोस्ट करते हैं। आगरा के रहने वालों की पोस्टिंग को बुलन्दशहर या मुरादाबाद में कर दिया और मेरठ जिले के तीन, चार बिरादरियों के लड़के, उन सब की पोस्टिंग अपने जिले से दूर।

एक डाक्टर दुबे हैं देवरिया में। मैं नहीं जानता। हिन्दी अकादमी, दिल्ली में प्रोफ़ेसर हैं। उनकी चिट्ठी मेरे पास रखी हुई है। मैंने जनाब के पास वह भेज दी है। चिट्ठी में लिखा था कि जब मैं एलेक्शन में वहां गया तो उनके घर वालों ने मेरा स्वागत किया था, आदर सत्कार किया था। उन्हें नहीं मालूम कि उनके घर वालों ने मेरे कैन्डिडेट को राय दी या नहीं लेकिन उनके यहां डाका पड़ा १८ मई को। उसकी नामजद रिपोर्ट लिखायी गयी। कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह दिल्ली से पहुंचते हैं। एस० पी० से मिलते हैं। एस० पी० मौके पर डी० एस० पी० को भेजता है। गवाह पेश होते हैं। वह डाकू था। उसकी एक चिट्ठी भी पायी जाती है। और डी० एस० पी० यह आर्डर दे आता है एस० ओ० को कि इनका चालान करो। मगर चालान नहीं होता है। फिर लेटर आता है कि मुझ को कत्ल की धमकी दी गयी है क्योंकि जैसा डाक्टर दुबे ने लिखा है वहां के एम० एल० ए० साहब इंटरेस्टेड हैं उसमें। लिहाजा उसका चलान नहीं हुआ। कह दिया होगा कि यह डाकू नहीं है, यह कांग्रेस का एक अच्छा वर्कर है।

एक हमारे मनोहरलाल जी हैं। वह एक इंस्टीट्यूशन के मैनेजर हैं। उनके इंस्टीट्यूशन का आडिट कराया आपकी गवर्नमेन्ट आ जाने के बाद। आडिट में कुछ नहीं निकला। दूसरे आडिट का हुक्म हुआ। और उनसे कई दोस्तों ने कहा कि अगर तुम कांग्रेस में आ जाओ तो सब आडिट वगैरह खत्म हो सकता है।

श्री रामबिलास (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन् मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बजट बहस से पूर्व माननीय चौधरी साहब ने इस बात की जोरदार शब्दों में मांग की कि जो नये सदस्य हाउस में आये हैं वित्त सचिव मंत्रीजी दारुलशफ़ा में या तिलक हाल में बैठ कर उनको बतायें कि बजट में कौन कौन चीजें हैं। माननीय विरोधी दल के नेता चार घंटे से यहां पर बोल रहें हैं लेकिन मैं समझता हूं कि बजट पर कोई बात नहीं हुई। अपने लम्बे भाषण में माननीय नेता, विरोधी दल यह कहने के अतिरिक्त कि मा० गुप्ता जी के राज्य मे जाति वाद पनपा है और मंत्रीगण अमुक अधिकारी का अमुक स्थान तथा अमुक का अमुक स्थान पर ट्रान्सफ़र किया है और भ्रष्टाचार बढ़ाया है, आदि आदि। किन्तु बजट पर प्रकाश डालने से दूर रहे। श्रीमन् बहस की दिशा दूर जा रही है। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय चौधरी साहब बजट पर भाषण दें। ताकि यहां सही जातिवाद चला रहें हैं (व्यवधान) सही दिशा में माननीय सदस्यों को मिल सके। (व्यवधान)

श्री चरणसिंह—

मैं एक बात यह बताना चाहता था कि कानपुर में बी०के०डी० का एक आदमी है उस पर २१ मुकदमें चलाये गये हैं एलेक्शन के बाद डकैती में। एलेक्शन से पहले उसका कोई रेकार्ड नहीं था। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एक बी०के०डी० का अच्छा काम करने वाला वर्कर था (व्यवधान)। एक बच्चा बाबा इंटर कालेज, वाराणसी में है। उसके लड़कों की दरख्वास्त मेरे पास आई थी जो स्टाइपेंड के रोकने के सिलसिले में थी। मैंने उसको बहिन विद्यावती राठौर जी के पास भेज दिया है। इनको क्यों रोका गया है? इसके अलावा बहुत से एलीगेशन्स थे जिनका मैं यहां पर जिक्र नहीं करना चाहता हूं। बिनौली में माननीय गुप्ता जी गये

[श्री चरणसिंह]

और जब वे मीटिंग से चल दिये तो किसी लड़के ने उनकी तरफ़ एक कंकड़ फ़ेंक दिया जिससे उनके चोट आई। मैं तफ़सील में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन वहां पर २३ आदमियों के अलग अलग चालान हुये हैं। एक ही मामले में इस तरह से हो यह बड़ी मुश्किल बात है। जब एक ही केस है तो कैसे अलग अलग इतने चालान हो गये। इसके मैरिट्स को मैं छोड़े देता हूं लेकिन यह हैरेसमेंट है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि (व्यवधान)

श्री चरणसिंह—

जी हक नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि (व्यवधान) आप एक सभ्य पार्टी के नेता हैं। यह नहीं हो सकता है कि अगर उस तरफ़ के कोई माननीय सदस्य प्वाइंट आफ़ आर्डर रेज करते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो इस ओर के २०-२५ आदमी बोलें। यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाया था और वह बहुत देर तक कहते रहे और आपने देखा कि इधर के लोगों को मैंने रोका था।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, वे रुके नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री चरणसिंह—

अच्छा ठीक है। अध्यक्ष महोदय, यही तो मैं कहना चाहता था कि प्वाइंट आफ़ आर्डर के अधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये और वे ५ मिनट तक बोलते रहे और वे नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने रोका। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने खुद ही उनसे कहा।

श्री अध्यक्ष—

शिकायत इस बात की है कि वे रुके नहीं।

श्री चरणसिंह—

मैंने तो उन्हें रोका लेकिन, आपने उनको नहीं रोका।

श्री अध्यक्ष—

मैं कैसे कहता? एक बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि आप वैयक्तिक बातें कह रहें हैं। बजट पर कोई बात नहीं कह रहें हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे अपने विचार से इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोल सकता है जब तक कि आपसे आज्ञा न ले ले। माननीय धर्मवीर जी ने प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाया और बिना इजाजत लिये वे बोले और उनको रोका नहीं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । मैंने इजाजत नहीं दी है ।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, अगर मैं सही समझा हूं तो आपने यह कहा है कि ये बातें बजट पर कहने की नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि वे कह रहे थे कि आप वैयक्तिक बात कह रहे हैं ।

श्री चरणसिंह—

खैर, मैं यह कहना चाहता हूं और आपको उस पर रूलिंग चाहता हूं कि बजट के सिलसिले में जो बातें मैंने कही हैं, करप्शन वगैरा की—उस स्पीच में था कि करप्शन को मिटाने की उन्होंने कोशिश की है तो मैं, कह रहा हूं कि उन्होंने करप्शन बढ़ाने की कोशिश की है । इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जब ऐसी हालत है एडमिनिस्ट्रेशन की तो ये लेजिस्लेचर से एक भी रुपया मांगने के हकदार नहीं हैं ।

श्री धर्मवीर—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री धर्मवीर—

अभी माननीय नेता विरोधी दल ने....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, देखिये हैरसमेंट किस हद तक है । वह चीजें हो रही हैं जो कभी नहीं हुईं । मऊरानीपुर का जो कस्बा है उसमें एक शख्स का अभी चालान हुआ है । चालान में लिखा हुआ है एस० ओ० ने कि यह शख्स बी० के० डी० का मेम्बर है, एफ़ आई आर मंगा कर देखिये नक्सेअमन का खतरा है । यह रिपोर्ट है और उस आदमी के खिलाफ़ है । (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि शान्ति से सुनें । अगर यह बात है तो आप मालूम कर लें और अगर गलत है तो मैं गलती मान लूंगा । मुझे बहुत जिम्मेदार आदमी ने जो कल झांसी से आया, जो पढ़ा लिखा है, उसने बतलाया । रिपोर्ट है १०७/११७ की दो तरफ़ा होती है । एक तरफ़ा रिपोर्ट है । दूसरा फ़रीक कोई नहीं है । एफ़ आई आर में कि यह आदमी बीकेडी का मेम्बर है इसलिये नक्सेअमन का खतरा है और यह रेस्पांसिबिल आदमी वह है जिसके यहां मैंने जब मैं वहां गया था तो खाना खाया था ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं केवल आपसे यह पूछूंगा कि आप यह एस० ओ० का चार्ज है या रिपोर्ट है ? मैं इसलिये श्रीमन्, जिक्र करना चाहता हूं

श्री चरण सिंह—

जब यह रिपोर्ट भेज दी है तो रिपोर्ट ही कहलाती है । जो चार्ज है उसमें लिखा हुआ है

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

अगर कोई आदमी यह लिख दे कि अमुक आदमी कांग्रेस का मेम्बर है तो उसको नहीं चला सकते....

श्री चरणसिंह---

और इस पर बालान कर दें ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

मैं आपको चुनौती देता हूं, ऐसा कभी नहीं लिखा जायगा। (शोर) श्रीमन्, बहुत अरसे से सुन रहा हूं इस चीज को। मैं किसी आवेश में नहीं आना चाहता। हमारे मित्र ने न जाने कौन सा कांड चलाया है। आज चर्चा हो रही है बजट के सिलसिले में। २३ आदमियों के खिलाफ़ अलग अलग मुकदमा चलाया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कभी प्रैक्टिस की या नहीं। मुझे क्षमा करें एक मिनट के लिये।

श्री चरण सिंह---

मैं जानना चाहता हूं कि यह तकरीर हो रही है या क्या हो रही है ? मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं। (शोर)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

मैं श्रीमन्, इसलिये इस चीज को कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस सदन में हैं। माननीय नेता विरोधी दल आज बजट के सिलसिले में यह सब कह रहे हैं। हम बहुत देर से सुन रहे है इस तरह की चर्चा कि यह भ्रष्टाचार वह भ्रष्टाचार।

(शोर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जनरल डिस्कशन है बजट की सारी चीजे आयेंगी।

चौधरी रघुराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। उधर से किसी मेम्बर को व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार जरूर है लेकिन किसी की स्पीच के दौरान रोका नहीं जा सकता। तो क्या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

मैं तो उनको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन आप बैठ गये। आप बैठ गये, इसलिये इजाजत दे दी। यदि विरोधी दल के नेता न बैठते तो मैं इजाजत नहीं देता। आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तकलीफ़ हुई कि माननीय आचार्य लक्ष्मीरमण जो एक प्वायन्ट आफ़ इन्फ़ार्मेशन पर खड़े हुये थे। उन्होंने एक बात पूछी, मैंने उसका जवाब दे दिया, लेकिन उसके बाद वह व्याख्यान देने लगे और वह भी गर्मी के साथ---(व्यवधान) जो कुछ भी वह अपना जबाव दें उसी में उन्हें अपनी पूरी बात कहनी चाहिये, लेकिन प्वायन्ट आफ़ इन्फ़ार्मेशन के बहाने उन्होंने जो कुछ कहा वह उचित नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष---

इसलिये मैं तो उनको रोक रहा था।

श्री चरणसिंह—

कहां आपने उन्हें रोका ? अध्यक्ष महोदय, बड़ी गर्मी के साथ आचार्य जी ने यह कहा कि यदि ऐसा होगा तो मैं यह कर दूंगा, वह कर दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि कभी किसी गवर्नमेंट के द्वारा सेशन मैजिस्ट्रेट के यहां से सरकार के द्वारा दायर किया गया मुकदमा, वह भी गबन के मामले में वापस लिया गया है ? लेकिन ऐसा हुआ है और हो रहा है। इस पर भी आप कह रहे हैं कि क्या यह सम्भव है। सब कुछ मुमकिन है। आप सब कुछ कर सकते हैं। यदि कांस्टीट्यूशन और रूल्स के मुताबिक सब काम होता तो मुझे कोई शिकायत न होती। कांस्टेबिल्स और अन्य छोटे छोटे मुलाजिमों के ट्रांसफ़र के बारे में जो आर्डर्स हैं कि उनका ट्रांसफ़र नजदीक होना चाहिये, दूर नहीं होना चाहिये, तो इतनी इतनी दूर हुआ है तो यह चीज क्यों नहीं हो सकती। आफ़िसर्स यह जानते हैं, सब यह जानते हैं कि इस मामले में चीफ़ मिनिस्टर का रुख क्या है उनका रुख यह है कि आल दि मेम्बर्स आफ़ दी बी० के० डी० आर क्रिमिनल्स। इसलिये इसमें जो कुछ हो जाये वह थोड़ा है।

आप ही के जिले में ११ आदमी कत्ल होते हैं। आपके जिले के अन्दर जिस रात में कत्ल होते है, उसके अगले दिन जब हमारी पार्टी के एम० एल० ए० श्री चन्द्रपाल जी आजाद एक जर्नलिस्ट के साथ अधिकारियों से ए० डी० एम० से मिलने के लिये जाते है तो वह कहते है कि कहां कत्ल हुआ ? वह ए० डी० एम० था, आफ़िशिएट कर रहा था एस० डी० एम० से। उसके द्वारा वही जर्नलिस्ट जिसने और रिपोर्टें एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ़ भेजी थीं पकड़ा जाता है और पुलिस चौकी में उसे ले जाया जाता है और वहां पर उसको बुरी तरह से पीटा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस एडमिनिस्ट्रेशन में सम्भव है, कहां दुनियां में ऐसा हुआ है ? यह डेमोक्रेसी का खिलवाड़ है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में अपने दोस्तों से दरख्वात की थी कि वह शान्ति से मेरी बात सुनें और यह मान कर चलें कि बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है लेकिन यदि आप यह कहेंगे कि जरूर आप सारी बातें गलत कह रहे है और रुकावट डालेंगे तो यहां पर बहस नहीं हो सकती। यह डेमोक्रेसी का तरीका है, इसमें मुखालिफ़ की बात सब्र के साथ सुननी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ और बातें छोड़ देता हूं। लेकिन मैं अपने माननीय दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी हवा पैदा करना चाहते है कि अपोजीशन न रहे तो यह भी मुमकिन है लेकिन फ़िर मैं यह भी बताता हूं कि एक किनारे की नदी कामयाब नहीं होगी।

मैं अब अपने दोस्तों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह मुमकिन है कि पागल कुत्ता मारा जाय और मुजफ्फ़रनगर के एक पुलिस थाने में यह रिपोर्ट लिखाई जाती है और उसमें कई प्रामिनेंट बी० के० डी० के आदमियों का चालान कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और केस सुनाता हूं। बुलन्दशहर जिले में एक जेवर थाना है। उसमें एक आदमी के यहां डकैती पड़ती है पहुत रिस्पेक्टेबिल आदमी है, चार भाई है, और ८ सौ बीघे खेती है, जिनके पास फ़ायर आर्म्स के लाइसेंस बहुत दिनों से हैं लेकिन वह बी० के० डी० के सपोर्टर थे। जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें एफ़० आई० आर० म ऐसा लिखा जाता है बाद में पोलिटिकल लीडर्स के कहने पर कि वह बी० के० डी० के लोग है जौधरी नबाव सिंह हैं और उनकी साजिश से डकैती पड़ी। एफ़० आई० आर० में नाम नहीं है लेकिन बाद में कहा जाता है कि उनकी साजिश से डकैती पड़ी। उसके बाद इन्वेस्टीगेशन और चालान। जो हेडकांस्टेबिल था वह इत्तफ़ाक से उनकी बिरादरी का था उसका ट्रांसफ़र किया गया। डी०एस०पी० कहता है, सब इन्सपेक्टर कहता है कि यह बात गलत है लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें चालान करना ही होगा। मैंने माननीय गुप्ता जी को चिट्ठी लिखी कि यह क्या हो रहा है कि पोलिटिकल लीडर्स का चालान कराया जा रहा है जिनसे कोई वास्ता नहीं है। अब वह छूटे हैं, जब मैं मेरठ गया था। यह तो हालत है।

[श्री चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, पुलिस के जुल्म की बात कहां तक कहूं। सरोजनी नगर का मामला है, बंथरा थाने की बात है। वहां एक सब इन्सपेक्टर है जो बहुत होशियार आदमी हैं उनके खिलाफ़ यह चार्ज है कि एलेक्शन में जो पबलिक वर्कर्स थे उनके साथ बहुत बेहूदगी से पेश आया था और यह कहता था कि यहां से चले जाओं नहीं तो थाने से कान पकड़कर निकलवा देता हूं। तो वह थानेदार एक आदमी को बुलाता है और जब वह आदमी आ जाता है तो ५० जूते से थाने में पिटवाया जाता है और जब वह पूछता है कि मेरा कसूर क्या है। तब उसको १० जूते और पीटा गया। यह बंथरा में हुआ और हर जगह हो रहा है। मैं लक्ष्मी रमण आचार्य जी से पूछना चाहता हूं कि यह सब जो हो रहा है यह कौन से कानून के मातहत हो रहा है।

मऊनाथ भंजन में जो कुछ हुआ उसको कहते हैं कि वह कम्यूनल रायट था। वह कम्यूनल रायट नहीं था। बी० के० डी० के लोगों से बदला लेने की भावना थी और उसके तहत जो कुछ वहां हुआ वह सब किया गया। उसके बारे में ज्यादा तफसील में तो नौमानी साहब बतलायेंगे लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के सामने बी० के० डी० के जिम्मेदार वर्कर्स को पीटा गया और एक कम्युनिस्ट वर्कर को अच्छी तरह से पीटा गया और सैकड़ों मुसलमान पीटे गये और सबसे यह कहा गया कि और बी० के० डी० को राय दो। वहां ९ आदमियों की जानें गयीं, हमने डिमान्ड किया कि जूडीशियल एन्क्वायरी हो लेकिन रिफ्यूज्ड। जहां एक आदमी की जान जाती है वहां तो जुडीशियल एन्क्वायरी होती है और जहां ९ और ११ आदमियों की जानें चली गयीं वहां के लिये जुडीशियल एन्क्वायरी की डिमान्ड रद्द कर दी गयी। आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्क्वायरी की। आपने उस तरह का बयान दे दिया तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? किसी की हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ कुछ करें या लिखें। जब उनके गवाहों से बात हुई तो न उनसे जिरह की इजाजत और न उनको कुछ बोलने की इजाजत। बस रिपोर्ट आ गई और कुछ आदमियों का उसमें चालान हो गया। वह अफसर ऐसा है कि उसने इतने आदमियों पर अन्याय किया लेकिन उसका ट्रान्सफर भी नहीं हुआ। एक जगह के एक मैजिस्ट्रेट का ट्रांसफर २४ घंटे के अन्दर कर दिया गया। यह हालात है मऊनाथ भंजन के जहां पर इतने आदमियों की जानें गई।

इटावा की बात आप सुनिये। वहां के सत्यदेव गुप्ता हैं। उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैंने होम सेक्रेटरी को लिखा, आई० जी० को लिखा, एस० पी० को लिखा पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मुझे लिखा कि २५ तारीख से मैं कौंसिल हाउस के सामने अनशन करूंगा। मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि यह हमारी पार्टी के उसूल के खिलाफ ह कि ऐसा किया जाय। हम नहीं चाहते है कि कोई अनशन करे। आज जितने भी इस तरह के मामले हैं उनका सामना करने के लिये हम अनशन की हरगिज किसी को इजाजत नहीं देंगे। उसने फिर कहा कि तो बताइये कि क्या करें। हम घर जायंगे तो वहां पर मार डाले जायंगे। उनके गवाह पिट रहे हैं। सुपरिन्टेन्डेन्ट से कहते है वह सुनता नहीं तो फिर क्या किया जाय। लक्ष्मी रमण जी आचार्य को शक हो तो वह जाकर देख सकते हैं कि इस तरह से आपकी पुलिस कर रही है। आई० जी० और होम सेक्रेटरी को लिखते है तो वे सुनते नहीं है।

एक बदन सिंह बी० क० डी० के एम० एल० ए० हैं। उन्होंने एक एस० ओ० के खिलाफ बहुत शिकायत की कोई सुनवाई नहीं। वह एस० ओ० इस तरह से पेश आता है कहता है, निकल जाओ। एस० पी० से कहा जाता है तो उसका कोई ट्रान्सफर नहीं है। उस बी०के०डी० के एम० एल० ए० को धमकी दी जाती है कि तुम्हारी जान ले लेंगे क्योंकि वह बी० के० डी० का आदमी है। तिरमल सिंह, एम० एल० ए० एटा के हैं उनको वाकायदा धमकी है कि उनकी जान को खतरा है। वह अपना बयान दे चुके है लेकिन कोई इन्क्वायरी या जांच नहीं होती है। मैं अपने दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में यह सही नहीं है कि कोई डाइरेक्ट एक्शन लिया जाय या धरना दिया जाय या घिराव किया जाय या अनशन के बल पर सरकार

की पालिसी को बदला जाय या किसी खास मामले में अनशन किया जाय। यह केवल हमारी पार्टी है जिसने यह स्टैन्ड लिया है। गुप्ता जी कहते हैं कि डेमोक्रेसी में सत्याग्रह को कोई स्थान नहीं होगा लेकिन सत्याग्रह या एक कांस्टीट्यूशनल एजीटेशन या डाइरेक्ट एक्शन का भी स्थान नहीं होता है अगर गवर्नमेंट इन पावर भी ला को मानेगी। सत्याग्रह का स्थान तभी नहीं है जब सरकार जो होगी वह ला को, रूल आफ ला को मानेगी और कांस्टीट्यूशन को मानेगी। हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक को समझायें लेकिन जब कोई न्याय नहीं है, लोगों को रिलीफ नहीं है, कोई परवाह नहीं है जैसा कि सत्यदेव गुप्ता ने बताया कि कोई सुनता ही नहीं है, एक एम० एल० ए० के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी मामूली बात भी नहीं सुनी जाती और उसका कोई इन्तजाम नहीं होगा तो फिर क्यों न एजीटेशन हो और देश रसातल को चला जाय। गुस्सा तो जरूर आपको होगा लेकिन उत्तर दीजिये।

कांग्रेस में यह हो गया है कि कांग्रसमैन जो कहता है वह होता है। उसमें यह नहीं देखा जाता कि वह सही है या गलत। बड़े बड़े अफसर को सजा और ट्रांसफर कर दिये जाते हैं। इसके अलावा बहुत से किस्से बताये जा सकते हैं। कांग्रेसमैन की शदीद से शदीद जुर्म की रिपोर्ट हो तब भी उसकी कोई इन्क्वायरी नहीं होती है। अभी मेरठ की बात है। धर्मबीर सिंह बतलायेंगे कि एक एलान में कह दिया कि तहकीकात कर रहे हैं। इन्होंने जबाव दिया कि वह फरवरी की रिपोर्ट है, नामजद दर्ज है ज्यादा सीरियस चार्जेज हैं और सुपरिटेंडेंट पुलिस और सब इन्सपेक्टर चुप हैं, कोई सुनता ही नहीं। या तो वह बतला दें कि हम मजबूर है, हमारा कोई कसूर नहीं है, नहीं तो न्याय करना चाहिये। मुझे मालूम है कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पब्लिकली कह दिया कि बहुत सी बातें अनुचित हो रही हैं, मैं अपना ट्रांसफर करा लूंगा लेकिन अनुचित नहीं होने दूंगा। लेकिन वह कहां तक रोकेगा बेचारा।

अध्यक्ष महोदय, डिस्क्रिमिनेशन यहां तक हो रहा है कि मिर्जापुर में सूखा पड़ा है, हमारे राजा आनन्द ब्रह्मशाह के हल्के में भी सूखा पड़ा लेकिन जहां से कांग्रस मैन चुन कर आये हैं वहां तो टेस्ट वर्क हो रहा है और बी० के० डी० की कांस्टीटुएंसी है वहां नहीं खोला गया। वहां के लोग गुप्ता जी से कहते हैं तो गुप्ता जी पूछते है क्या तुमने बी० के० डी० को राय दी? उन्होंने कहा कि हां। तो कहते हैं कि जाओ बी० के० डी० के एम० एल० ए० के पास। ऐसी बात जो न धरी जाय न उठायी जाय यह दुनियां के किसी भी मुल्क में होती है, आनन्द ब्रह्मशाह मौजूद हैं, वह कहेंगे। अगर गलत समझते हैं तो स्वतंत्र भारत पढ़ कर देखें, मेरे पास दूसरी फाइल में रखा है। कांग्रेस वर्कर्स की मीटिंग में हमारे एक दोस्त गये वहां स्पीच हुई कि पहले टेस्ट वर्क वहां किये जायेंगे जहां से कांग्रेस वाले चुन कर आये है और बाद में किसी और जगह किये जायंगे। यह वर्कर्स की स्पीच अफसरान की मौजूदगी में हुई, अखबार में छपी और आज तक तरदीद नहीं हुई।

मेरठ में एक आदमी चीफ इंजीनियर के पास गया, ट्यूबवेल के मामले में कि जुर्माना वगैरह देना चाहता हूं। चपरासी ने कह दिया कि मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि बी० के० डी० का था। एक और मिनिस्टर के पास गया बुलन्दशहर का आदमी, नाम नहीं लूगा। १३ दफा उसने मिलने की कोशिश की मिनिस्टर साहब से और पर्सनल स्टाफ ने कह दिया कि तुम बी० के० डी० वाले हो बुलन्दशहर के, भाग जाओ और बहुत सी बातें हैं, परसनल हो जायंगी, छोड़े देता हूं। ट्यूबवेल वहां लगेंगे जहां बी० के० डी० के खिलाफ कांग्रेस जीत कर आयी है, बी० के० डी० वालों के यहां नहीं। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन की हवा अफसरों में फैला दी गयी है।

आचार्य जी आपके खिलाफ भी एक रिपोर्ट है। पुलिस की नहीं है, वह तो मेरे पास आ ही नहीं सकती है। मैंने सुना है, अगर तरदीद कर देंगे तो मैं मान लूंगा। किसी मीटिंग में अपने हल्के में तशरीफ ले गये और जिन लोगों ने आपके खिलाफ बी० के० डी० को राय दी वह भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उनसे आचार्य जी ने कहा कि अच्छा अब काम कराने आये हो

[श्री चरण सिंह]

हमसे, जाओ बी० के० डी० को ही वोट दो। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिये उनको कोई सहूलियत आपके जरिये पाने का अधिकार है या नहीं। अगर यह गलत हो तो भी ठीक है। लकिन आज तक कभी भी किसी भी मिनिस्ट्री म ऐसा नहीं हुआ और उनकी तरफ से भी ऐसी बातें नहीं हुई और जो एक्सट्रीम पोलिटिकल अपोनेंट्स थे.....

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन पर खड़ा हुआ हूं।

श्री चरण सिंह—

मैं ईल्ड नहीं करता।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन, मैं प्वाइंट आफ इनफारमेशन के लिए खड़ा हुआ हूं, आप (श्री चरण सिंह से) कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह—

मैं ईल्ड करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन, मैं प्वाइंट आफ इनफारमेशन के लिये खड़ा हूं और यह मेरा वैधानिक अधिकार है कि अपनी बात कहूं। यहां कोई आटोक्रेसी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि जो बोलने वाले हैं अगर वे बैठते नहीं हैं तो आप प्वाइंट आफ इनफारमेशन नहीं पूछ सकते हैं। जिस वक्त आप बोलेंगे तो आप जवाब दे लीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, अब मैं चन्द बातें जिनसे माननीय गुप्ता जी का दृष्टिकोण जाहिर होता है, वह कहना चाहता हूं। मेरे हल्के में ५ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आफिसर हैं। ११ मार्च को यहां से आर्डर होता है। आप विचार करें कि क्या कभी किसी गवर्नमेंट में ऐसा होता है। यह आर्डर ११ मार्च, १९६९ को यहां से निकला जिसका मतलब है कि आर्डर दिया गया फरवरी के आखिर में। सेक्रेटेरिएट में प्रोसेसिंग हुआ, फिर डिपार्टमेंटल हेड के पास गया, और पांचों के लिए ट्रांसफर आर्डर निकल गया जिससे मालूम होता है कि चीफ मिनिस्टर ने ओथ लेने के बाद अखितयार सम्भालते ही यह आर्डर किया। उनके नाम ये हैं:— २ बड़ौत स्कूल के हैं, एक इंटर कालेज गमाल का है, एक इंटर कलेज छपरौली का है, एक किशुनपुर बरावा का है। आखिर के तीन इंस्टीट्यूशन्स जिनका मैंने नाम लिया — मेरे हल्के के हैं। बड़ौत उनसे मिला हुआ एक टाउन है। तो इन पांचों एग्रीकल्चर एक्टेंशन आफिसर का ट्रांसफर एक कलम से, एक हुक्म से कहां को हुआ बांदा, हमीरपुर बस्ती, गोरखपुर और बहराइच को। एक आदमी की बात होती, दो आदमी की बात होती तो कुछ कहा भी जा सकता था, लेकिन पांचों का ट्रांसफर एक साथ ही किया गया। अब मैं कहना चाहता हूं कि उनके ऊपर चार्ज क्या है? वे मेरे हल्के के रहने वाले हैं, किसी साहब ने आपको ये नाम बतला दिये होंगे कि ये ये फलां बिरादरी के हैं लिहाजा ये सजा के मुस्तहक हैं। कोई तहकीकात नहीं, कोई एलिगेशन रिपोर्ट नहीं, किसी आफिसर की रिपोर्ट तो सामने होती।

आप ठंडे दिल से सोचें, माननीय धर्मवीर जी बड़े गर्म मालूम होते हैं। दो महीने के लिए तो इस ट्रांसफर को रोका ही जा सकता था। उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, मई में उनको भेजा जा सकता था लेकिन नहीं गुस्से के मिल्कियत के जजबे में इस तरह का आर्डर माननीय गुप्ता जी ने निकाल दिया बिना इस बात का लिहाज किये हुए कि इसका असर क्या उनके ऊपर होगा और उनका ट्रांसफर कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि किसी गवर्नमेंट में यह मुमकिन है? अगर कोई गलत बात हो तो उसकी तरदीद माननीय गुप्ता जी कर देंगे?

जिस रोज माननीय गुप्ता जी ने ओथ लिया २६ फरवरी को उसी रोज पहला हुक्म आपका क्या निकला—डी० आई० जी० मेरठ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर, सुपरिंटेंडेंट मुजफ्फरनगर का तबादला कर दिया गया। यह क्यों किया गया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक बयान निकाल दिया था श्री सलेकचन्द सिंहल के मर्डर के सिलसिले में। कमिश्नर मेरठ, डी० आई० जी० मेरठ, सुपरिंटेंडेंट पुलिस मुजफ्फरनगर और डी० एम० ये चारों आफिसर मौके पर ११ बजे पहुंच गये थे जब कि वाकया ९ बजे का था। चारों ने मौके का मुआयना किया और उसके बाद सबने मिल कर एक बयान निकाल दिया।

श्री अध्यक्ष—

यह केस सब-जूडिस तो नहीं है?

श्री चरण सिंह—

मैं केस का जिक्र नहीं करूंगा। ३ आदमियों का ट्रांसफर होता है। अब जो उनका बयान होता है और अखबारों में छपा है, उसे मैं पढ़ता हूं:—

"A serious riot took place to-day at Con, Police Circle Jhinjana (Bhawan constituency) in Muzaffarnagar district between sympathisers and supporters of two political parties when they confronted each other in the village *abadi*. One party is reported to have come in jeeps and took position on the roof of a house of a local resident of village Con and fired several rounds from .12 bore gun. Several persons of the Mob in the land below received gun shot injuries and the condition of five is reported to be serious. On hearing the gun shots a Magistrate and a P. A. C. party immediately reached the scene. P. A. C. opened fire towards the roof to stop firing and disperse the crowd. No one was hurt by the P. A. C. firing as men on the roof left their position when they found the P. A. C. party firing towards the roof. Meanwhile all the men of the party on the roof except Sri Salek Chand managed to escape on jeeps. The mob got hold of Sri Salek Chand and inflicted serious injuries to which he succumbed later on.

The Divisional Commissioner, D. I. G., Police, District Magistrate and Superintendent of Police rushed to the spot. The injured persons have been removed to the hospital at Muzaffarnagar. Seventeen persons have been admitted to the hospital out of whom five are seriously injured with gun shot injuries and twenty two other persons were discharged after first aid.

Vigorous Police patrolling is being done at Shamli, Con and Muzaffarnagar and Magistrates deputed to maintain peace. Seventeen empty .12 bore cartridge cells and a loaded .32 bore English revolver recovered so far. Siutation is under control."

यह बयान दिया उन्होंने। गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर हो गये। २६ तारीख को पहले रोज पहला हुक्म चला आपका। कमिश्नर का ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया?

श्री धर्मवीर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने जिस कांड की यहां चर्चा की है क्या यह सत्य है कि यह सब-जुडिस मैटर है और सब-जुडिस मैटर होने के नाते उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती ।

श्री चरण सिंह—

यह मैरिट्स और डिस्प्यूट की बात है । कुछ अंश उनके जो प्वाइन्ट्स सही हैं, जो पब्लिक डाक्युमेंट्स हैं उन्हें ही मैं·····

श्री धर्मवीर—

आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन के वरिष्ठ मंत्री और मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं । आपको मालूम है कि यह केस अदालत में है ।

श्री अध्यक्ष—

आपने प्वाइंट आव आर्डर रेज किया और मेरे सामने किया । आप मुझसे जवाब लेते । आप तो उनसे जवाब लेना चाहते हैं। प्वाइन्ट आब आर्डर में यह सब-जुडिस केस जरूर है । वह ऐसी बात न कहें । मैंने पहले ही पूछ लिया इस संबंध में और आपने कहा कि आब्जेक्शन नहीं होगा । क्योंकि यह केस प्रश्नों में भी आ गया है और मैंने उसका जवाब भी पढ़ लिया था । मैं सोचता था कि यह सब-जुडिस होगा । अगर सब-जुडिस है तो उसको डिटेल में नहीं जाना चाहिये । आप केस में तो जा ही रहे हैं ।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन् यह सब जुडिस जरूर है । पुलिस ने सब लोगों को दे दिया है। इसमें वहीं अंश दिया जा रहा है।

श्री चरणसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और पढ़ने नहीं जा रहा हूं। मैं एक लफ्ज उसके बाबत कहने नहीं जा रहा हूं ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैंने जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था उसके संबंध में मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि यह मैटर सब-जुडिस है, उसकी सैंक्टिटी होती है । अगर सब-जुडिस मैटर की यहां चर्चा करने लगेंगे तो अनर्थ हो जायेगा । आप यह कहकर कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह सच्चा बयान दिया इसलिये उसको ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि इसका तात्पर्य और क्या है ? यदि इसका और कोई तात्पर्य है·····

श्री अध्यक्ष—

आप कोटेशन न दें।

श्री चरण सिंह—

मैं यह कह रहा था कि जैसे गुप्ता जी ने ओथ ली और सेक्रेटेरिएट में आये मेरा ऐलीगेशन यह है कि इनका पहिला हुक्म होता है इन तीनों अफसरों को ट्रांसफर कर दो। कमिश्नर को टांसफर क्यों नहीं किया। मैं किसी अफसर की बाबत कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन यह कमिश्नर वगैरह जो अफसर हैं, जिस तरह अफसर को काम करना चाहिये निष्पक्ष होकर वे काम नहीं कर रहे हैं । उस जमाने में एडमिनिस्ट्रेटर, आगरा ने भी किया·····

श्री अध्यक्ष—

जो अफसर यहां मौजूद न हों····

श्री चरण सिंह—

मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका ट्रांसफर होना नहीं चाहिये । उनकी लिस्ट तैयार करके उनके ट्रांसफर किये गये थे । मेरठ डिवीजन में पहला कमिश्नर था·····

श्री अध्यक्ष—

नीयत पर अटैक न कीजिये ।

श्री चरण सिंह—

कोई जरूरी नहीं था, मोटिव था, कमिश्नर वहां लाया जाता । मेरे दोस्त आग्रह करते थे कि इनका लाना कोई मतलब से खाली नहीं है । उसको छोड़ा गया कोई खास परपज से और वह परपज उसकी चर्चा बहुत की जा रही है, बाकी टीम का ट्रांसफर । मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी स्टेज पर चीफ मिनिस्टर रिपाजिटरी आफ दि फाईनल पावर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल एक्स्टैन्शन आफिसर थे और तीन बड़े अफसर हैं और इतना गुस्सा हो, आखिर वजह बताई जाय, क्यों किया गया ? २६ फरवरी को पहला काम आपने इनके ट्रांसफर का किया । महीने दो महीने के बाद हो जाते तो क्या बुराई थी । अध्यक्ष महोदय, एक मकान यहां लखनऊ में है । उसमें एक आफीसर रहता था, उसका ट्रांसफर हो गया और यह मकान प्राइवेट आदमी को दे दिया गया, जिसके अपने बहुत से मकान हैं । उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता । एक तरफ तो यह है और दूसरी तरफ एक बी०के०डी० के एम०एल० ए० हैं । उनके पास आधी कोठी है । जब वे बी० के० डी० के डिप्टी मिनिस्टर थे, उसमें बी० के० डी० का आफिस है । उनको नोटिस दिया गया है कि मकान खाली करो । उससे मकान खाली कराया जा रहा है, एक एम०एल०ए० से जो पहले से रह रहा है और एक आफीसर का मकान जो दूसरे आफीसर को दिया जा सकता है, वह प्राइवेट आदमी को दिया जा रहा है । माननीय गुप्ता जी के सामने तो कोई कायदा कानून या डेकोरम है ही नहीं । किसी बात का कोई लिहाज नहीं है ।

एक जिले के एक आफीसर को यह आर्डर मिला कि बैंक के एक कैशियर को मकान दिखा दिये जायं । दिखा दिये गये । कोई दरख्वास्त नहीं । उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट जज रहते थे, वह मकान ही उसको पसंद आया और वह उसको एलाट कर दिया गया । बढ़िया से बढ़िया मकान उसको एलाट कर दिया गया । वह मकान उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं क्योंकि उसके स्थान पर भी तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज आयेगा ही । ऐसा कैसे होता है ।

इसके अतिरिक्त मुझे यह मालूम हुआ है कि जब सुल्तानपुर का बाई इलेक्शन हुआ तो हमारे बनारसीदास जी वहां पैरवी करने के लिये गये कांग्रेस के कैन्डीडेट की । उनको जाना चाहिये था । हक था उनका । लेकिन जब वे इलेक्शन की कनवेसिंग के लिये जाते थे तो पी०ए०सी० की पूरी कार उनके साथ चलती थी । बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ चलते थे । जब तक कोई खतरे की रिपोर्ट न हो तब तक ऐसा नहीं होना चाहिये । लेकिन हुआ । ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जब सब इकट्ठी हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ी बात की ओर संकेत करती हैं ।

माननीय गुप्ता जी मेरठ गये और एक प्राइवेट आदमी के यहां ठहरे । इसके बारे में कैबीनेट का एक फैसला है कि कोई मिनिस्टर प्राइवेट आदमी के यहां न ठहरे और अगर ठहरे तो कोई आफीसर उनसे मिलने न जाये । क्या गुप्ता जी ने ऐसा आफीसर्स से कहलाया कि कोई मुझसे मिलने न आये ? मैं जानना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर एक प्राइवेट आदमी के यहां ठहर कर क्या मिसाल जनता के सामने रख रहे हैं ? आपसे आफीसर्स मिलने आयेंगे

[श्री चरण सिंह]

ही और फिर क्या उसके द्वारा आप एक प्राइवेट व्यक्ति को बूस्ट करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं ? कैपिटलिस्ट की कार में चीफ मिनिस्टर घूमता है, जब कि रोडवेज की बड़ी से बड़ी कार उनको मिल सकती थी । मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या नक्शा बनाना चाहते हैं ? मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है लेकिन उसके द्वारा क्या यह साबित होता है कि आप मजदूर किसान की सरकार या सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी में लाना चाहते हैं ? इन कामों से तो ये बातें साबित नहीं होतीं ।

एस० वी० डी० की पालिसीज को बिला लिहाज मंसूख किया जा रहा है, रिवोक किया जा रहा है और वह ठीक भी है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि श्री कमलापति जी त्रिपाठी ने भी १७ जून को अपनी पी० सी०सी० मीटिंग में कहा था कि हम क्या काम इतनी जल्दी करें, एस०वी०डी० सब बिगाड़ कर चली गई है उसके कुकर्मों को उस की खराबियों को ही ठीक करने में सारा समय लग रहा है । कुछ समय तो इस चीज में गुजर ही गया है कि भ्रष्टाचार बढ़ाया गया है। एस० वी०डी० के जमाने में पोलिटिकल प्लेन पर राजनैतिक स्तर पर कहीं और चाहें रेंगलिंग हों लेकिन जहां तक प्रशासन का ताल्लुक था उसमें कहीं ज्यादा सुधार हुआ था, सारी जनता के दिमाग में यह बात बैठ चुकी है ।

दूसरा समय इस में लगाया गया कि बी० टी०सी० कोर्स में जो लड़के लिये जाते थे उसमें कुछ प्रतिशत मिनिस्टर सेलेक्ट किया करते थे, अमीर आदमियों के लड़के या सिफारिश जिन की जबरदस्त हो, बड़े लोगों के कांग्रेस के लोगों के लड़के थर्ड क्लास वाले तक लिये जाते हैं और गरीबों के फर्स्ट क्लास तक रह जाते हैं । ऐसा अब हो रहा है यह बात मुझ से एक कांग्रेस के सदस्य ने ही कही, मैं उन का नाम यहां नहीं लूंगा । उन्होंने ने मुझ से खुद यह कहा । हम ने एस० वी० डी० के जमाने में यह तय किया कि इस अधिकार को सरकार अपने हाथ में नहीं रखेगी और शिक्षा विभाग के अफसरों पर ही यह छोड़ दिया कि मेरिट के हिसाब से जो योग्य लड़के हों वही लिये जायं । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्यों हमारे उस हुक्म को रद्द कर के उस अधिकार को फिर वापस लिया गया ? अब श्री रामजी लाल सहायक, शिक्षा मंत्री जी के पास सिफारिशें आ रही हैं, बहुत से केस आये होंगे, २ केस मैंने भी उन के पास भेजे हैं । आप ख्याल करें कि कितने केस आये होंगे और उनमें कितना समय लगा होगा मंत्री जी का, मंत्री का समय इस तरह से क्यों जाया हो जब आप के पास काबिल से काबिल अफसर हैं, आप क्यों पालिसी निर्धारित कर के उन के हाथ में यह काम नहीं दे देते ? वह मेरिट से सेलेक्ट करते रहें । लेकिन यह बात हमारे कांग्रेस के लोगों को पसन्द नहीं ।

दूसरे आनरेरी मैजिस्ट्रेट का रिवाइवल हो रहा है, कहा जाता है कि शायद हाईकोर्ट ने लिखा होगा.....

गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में सतिया नामक लड़की की गोली से हत्या के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है कि अब नियम ५१ की कार्यवाही का समय हो गया है,आप से निवेदन है कि अब यह कार्य बन्द करके उसकी तरफ़ ध्यान दें ।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन मैं ने तो नियम ५१ का कोई आज के लिए स्वीकार नहीं किया है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फ़ैजाबाद)—

श्रीमन्, विरोधी दल के नेता जो बोल रहे हैं वह सुनाई नहीं पड़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री शिवदास---

हमें यहां बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक अबला की हत्या की गई और उस की इज्जत को लूटा गया और यहां सब की जबान बन्द कर दी जाय और कोई बोल न सके....

श्री अध्यक्ष---

वह बोल तो रहे हैं, जबान बन्द कहां है ?

श्री शिवदास---

मैं आप से पूछना चाहता हूं आप कृपया बताने का कष्ट करें कि आपके सामने जो गोपालपुर फ़ार्म, मिर्जापुर के संबंध में जो श्रीमती सतिया की हत्या के संबंध में सूचना आई है और जिस हत्या में यहां के एक वरिष्ठ मंत्री का हाथ है और उन्हीं की वजह से आप हमें यहां बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं ।.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें ।

श्री शिवदास---

क्या इसी तरह से जनतंत्र की रक्षा होगी ? इस तरह से एक अबला की हत्या मानवता के लिए एक कलंक है और हमारे लिये एक चुनौती है और इस तरह से जनतंत्र कायम नहीं रह सकता ।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

सिंचाई मंत्री, श्री कमला पति त्रिपाठी, वहां पर चोरी से जाते हैं और वहां के अधिकारियों पर दबाव डालते हैं । ये अहिंसा के बड़े पुजारी बनते हैं लेकिन वहां पर एक अबला स्त्री का सतीत्व लूटा गया, और उसकी हत्या की गयी लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंगती है ।

एक सदस्य---

श्रीमन्, मैंने एक तार भी दिया है । यह एक ऐतिहासिक घटना है । मैं चाहूंगा कि इस के संबंध में सदन के सामने तथ्य आ जायें और आप इस संबंध में थोड़ा-सा समय दे दें । यह घटना गोपालपुर फ़ार्म की है । उसके मालिक उप मुख्य मंत्री के साथ २२ जून को १० बजे जाते हैं । लड़की को बुलाया गया था और फ़िर उसे गोली मार दी गयी थी ।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी यह चाहते हैं कि चूंकि यह मामला संगीन है, इसलिये आप कोई तरकीब बता दें कि कैसे यह प्रश्न सदन में उठाया जा सके जिससे इनको जानकारी प्राप्त हो सके ?

श्री अध्यक्ष---

अभी आपका भाषण हो रहा है । मेरे पास यह प्रश्न आया था । चूंकि बजट चल रहा है इसलिए मैंने अलग से समय देने के लिए नहीं कहा । अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो अपने बजट भाषण में उस चीज को कह सकते हैं ।

क्योंकि बजट के वक्त नियम है कि जब बजट शुरू होता है तो उस समय भाषण के मध्य सब सवाल उठाये जा सकते हैं । आपने भी उठाये बहुत से प्रश्न और मैंने नहीं रोका । वह भी उठा सकते हैं और बोलने का समय उनको भी मिलेगा ।

१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री चरण सिंह—

मैं अपने दोस्तों को यह सुझाव देना चाहता था कि उनको जरूर मौका दिया जायगा कल । मैं अर्ज कर रहा था कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स की आर्गनाइजेशन हमने खत्म कर दी थी । माननीय गुप्ता जी उसे पुनर्जीवित कर रहे हैं। जनता ने इसका स्वागत किया था क्योंकि उससे भ्रष्टाचार फैलता है । आप कहते हैं कि रिटायर्ड लोगों को रखेंगे और हाई कोर्ट उनको नियुक्त करेगा । लेकिन जिस तरह का शासन चल रहा है उसमें हर तरह के रिटायर्ड आदमी आपको मिल जायेंगे और हाई कोर्ट गवर्नमेंट के यहां से जो सिफ़ारिश जायेगी उसमें कोई नां, नुकर नहीं करेगा । उनके पास कौन सा तरीका है यह मालूम करने का कि फ़लां आदमी कैसा है ? लिहाजा जो नीचे से नाम आयेगा आप उसे मंजूर करेंगे और फ़िर जो लिस्ट आप हाई कोर्ट को भेजेंगे उसे बिना नां नुकर के हाई कोर्ट स्वीकार कर लेगा आनरेरी मैजिस्ट्रेट के सिस्टम को पुनर्जीवित इसलिये किया जा रहा है कि एरियर बहुत हो गये हैं । लेकिन जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का एक्जिक्यूटिव से सेपरेशन होने के बाद उनका डिसपोजल आफ़ वर्क बहुत कम रह गया है । लेकिन यह अफ़सोस की बात है कि हवा यह है कि काम कम करो चाहे वह जुडीशियरी हो या कोई और । मेरा सुझाव है कि माननीय गुप्ता जी चीफ़ जस्टिस को बुलायें और यह इन्वाल्व करें कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट किस तरह से अच्छा और ज्यादा काम करें । उनके लिए सवा केस का नार्म है । एक एप्लिकेशन भी केस हो जाता है । आनरेरी मैजिस्टेट्स को पुनर्जीवित करना जनहित में नहीं होगा, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

इसी प्रकार मैंने अखबार में पढ़ा कि इंफ़ार्मेशन आफ़िसर्स को पुनर्जीवित किया जा रहा है । गवर्नमेंट के स्पोक्समेन ने कहा है कि फ़लां-फ़लां जगह नियुक्ति होगी । इंफ़ारमेंशन आफ़िसर्स के मुताबिक सर्वसम्मत राय यह थी सारी स्टेट में कि वे कोई यूजफ़ुल सर्विस नहीं कर रहे हैं और उनका पुनर्जीवित करना ठीक नहीं ।

इसी प्रकार एक आदमी की नियुक्ति की बात थी । गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया को एक ईमानदार आदमी का नाम सिफ़ारिश करके भेजा गया जिसका जाती तजुर्बा मुझे था । लेकिन भारत सरकार की तरफ़ से दूसरा नाम आया कि फलां नाम क्यों छोड़ दिया । हमने कहा कि वह आदमी ठीक नहीं । लेकिन उस में कुछ लोग इंटरेस्टेड थे । हमने फ़िर कहा कि यह शख्स ऐसा है जो थर्ड डिवीजन हमेशा पास होता रहा है और एक क्लास कई कई साल में पास होता रहा है । जो सर्कम्स्टांसेज नियुक्ति के थे उनके कारण अब ऊंचा अफ़सर हो गया था लिहाजा इसको करना बिलकुल जनहित के विरुद्ध होगा । गवर्नमेंट आफ़ इंडिया उस बात को मान गयी और उस अफ़सर को अगर्चे वह जूनियर था उसको उन्होंने स्वीकार किया । अब मुझे मालूम हुआ है कि माननीय गुप्ता जी उस आदमी को जो सुपरसीडेड था उसका नाम रेकमेंड कर रहे हैं । क्यों ? सिर्फ़ इसलिये कि संविद ने किया था लिहाजा बिला लिहाज जनहित के आप उसको करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं करीब-करीब खत्म कर चुका, केवल दो बातें कहना चाहता हूं । कोई भी गवर्नमेन्ट केवल डंडे से नहीं चल सकती । आप चीफ़ मिनिस्टर हैं, आपकी गवर्नमेंट चल रही है, आपके डिस्पोजल पर पुलिस है, एग्जीक्युटिव आपका कहना मानेगी, लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट को कामयाब बनाने के लिये जरूरी है कि चीफ़ मिनिस्टर की और गवर्नमेंट के और मेम्बर्स की मजमुई तौर पर एक मारेल अथारिटी हो, केवल लीगल या फ़िजिकल अथारिटी से काम चलने वाला नहीं है । अगर ऐसा काम नहीं होता है कि लोगों के दिल में आदर पैदा हो तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप पांच साल गवर्नमेंट भले ही चला लें लेकिन लोगों की सेवा नहीं होगी, जनता के विश्वासपात्र आप नहीं बन सकते ।

अब मैं जानता चाहता हूं कि एजूकेशनल फ़ीस बढ़ाने के सिलसिले में जो कांड हुआ है कोई गवर्नमेंट जनता या राज्य कर्मचारियों के आदर का पात्र हो सकती है ? माननीय रामजीलाल सहायक एक बयान देते हैं इलाहाबाद में, बहुत क्लियर प्वाइंट है कि फ़ीस हम नहीं बढ़ा रहे हैं। एक कमेटी की तजवीज हैं लेकिन डेसीजन गवर्नमेंट का नहीं है। अगले दिन फ़िर वह इसी बात को रिपीट करते हैं। लेकिन दूसरे दिन जब वह इलाहाबाद में जवाब दे रहे थे तो उसी दिन किसी दूसरी जगह माननीय गुप्ताजी बयान दे रहे थे कि यह बात गलत है। सजेश्चन नहीं है, एक डेसीजन है ऐंड वी आर गोइंग टु इम्प्लीमेंट इट दिस इयर। ५ जून का अखबार है :—

'Mr. C. B. Gupta, Chief Minister told newsmem here today that the decision to raise tuition fees was a Cabinet decision, not a suggesion of a committee. Only the date and time of its implementation had yet to be decided. Talking to newsmen he said that the increase had been recommended by a Cabinet sub-committee and accepted by the Cabinet in its meeting on May 22. Mr. Gupta made it clear that the Government would go ahead with the decision.'

फैसला कैबिनेट का है सब–कमेटी की रेकमेंडेशन पर। उसकी तजवीज का कोई सवाल नहीं है। २२ तारीख का फ़ैसला था और २३ तारीख के अखबार में इन्फ़ार्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ़ से बाकायदा प्रेस रेलीज और उसमें लिखा है कि पहली जुलाई से होने जा रहा है। इस फैसले के कोई माने नहीं कि पहली जुलाई, १९७० से होने जा रहा है। वह तो पहली जुलाई, १९६९ से होना चाहिये। जब चारों तरफ़ से कुछ लोगों ने कहा, लड़कों ने कहा, पार्टी ने कहा, पी० सी० सी० की मीटिंग में कांग्रेसमेन ने कहा कि आप बड़ी गलती करेंगे तो माननीय गुप्ताजी कहते हैं कि हम उसको नहीं करेंगे। कोई हम ऐसे बेवकूफ थोड़े ही हैं जो लड़कों के चक्कर में फंस जायं। कुछ ऐसे ही लफ्ज हैं एक अखबार में। बहुत ठीक। जब आपने डेसीजन लिया था तब आप ने सोचा था या नहीं ? फिर आपने अपने मिनिस्टर को कंट्रेडिक्ट करके कहा कि डिसीजन है। वी बिल नाट हिच। अगर आपके मिनिस्टर ने गलती ही कर दी थी तो सोच समझ लेते। चुप हो जाते। आप चैलेंजिंग स्टेटमेंट देते हैं। इट इज ए स्लर आन दि एजुकेशन मिनिस्टर हिम-सेल्फ़। आप कंट्रेडिक्ट करते हैं क्लियर टर्म्स में।

दूसरी बात यह कि आप अपने डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर के खिलाफ़ बयान देते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता अगर अंदर झगड़ा होता। इत्तफ़ाक से चीफ़ मिनिस्टर ओपेन पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि त्रिपाठी जी एक ही पद पर रह सकते हैं दो पर नहीं रह सकते। यह चीफ़ मिनिस्टर अपने डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर के खिलाफ़ यह बयान देते हैं। क्या यह उनको शोभा देता है ? क्या इससे लोगों के दिल में आदर बढ़ता है ? हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो राज्य कर्मचारी हैं और जो करोड़ों जनता है वह चीफ़ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर के बारे में क्या राय रखेंगे ?

कैबिनेट के एक्सटेंशन का मामला है। उससे भी मतलब है। यह नहीं कह सकते कि अन्दर का मामला है। चीफ़ मिनिस्टर सारी स्टेट के हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। कभी कुछ बयान दिया कभी कुछ, जब जरूरत समझेंगे तक करेंगे। कब जरूरत समझेंगे ? जिस दिन जरूरत समझेंगे उस दिन करेंगे। क्या मतलब हुआ ? करिये या न करिये। न करने को कहते हैं न न करने को कहते हैं। वह अगर चीफ़ मिनिस्टर हैं तो इस स्टेट के हैं। आपका सुन्दर व्यक्तित्व हो, आप का इमेज लोगों के सामने अच्छा हो, आपका हर कदम पब्लिक इंटरेस्ट में हों, आप इस तरह से अमल करें कि लोगों केदिल में आपकी मारल आथारिटी कायम हो। डंडे के जोर के लिये पांच लाख कर्मचारी और ८५ हजार पुलिस आपके हाथ में है। वैसे भी आपके हाथ में डंडा है। लेकिन मारल आथारिटी के बिना कोई सक्सेसफ़ुल चीफ़ मिनिस्टर नहीं हो सकता।

[श्री चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, बावजूद नौजवान श्री धर्मवीर की नाराजगी के और बावजूद माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य के क्रोध में मैं बहुत शान्ति के साथ जितने कांग्रेस पक्ष के आकूपेंट्स हैं सबसे कहना चाहता हूं कि अपनी गवर्नमेंट में सुधार कायम करो। जो बातें मैंने कहीं हैं, हो सकता है कि कुछ में एग्जाजरेशन भी हो लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि १/५० बातें भी नहीं बता पाया हूं। मैं इसके लिये तैयार हूं कि माननीय त्रिपाठी जी को सारा मामला सुपुर्द कर दिया जाए। इन्क्रीजिंग हैरेसमेंट, करेप्शन का, अत्याचार और आतंक का जो आपने पूरा प्रदेश, पूरा प्रशासन चोपट कर रखा है। आप जांच कराइये जो एलीगेशन्स मेरे हैं उन पर। यदि उनमें झूठ होगा तो मैं माफ़ी मांग लूंगा। तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वह अपनी गवर्नमेंट को सुधारने की कोशिश करें।

एक साहब ने पूछा कि क्यों यह स्पीच हो रही है? मेरा निवेदन है कि इसलिये हो रही है कि आपने इतना रुपया, अरबों रुपया बजट में मांगा है और यदि एडमिनिस्ट्रेशन यही रहा, और चीफ़ मिनिस्टर का एटीटयूड यही रहा और भ्रष्टाचार कुछ इसी तरह से बढ़ता रहा और नेपोटिज्म व फेवरिटिज्म इसी तरह से बढ़ता रहा और कुछ लोगों को कास्ट-क्रीड के आधार पर निकाला-पैठाला गया और इसी आधार पर कुछ लोगों के साथ पक्षपात आप करते रहे तो यह बजट भले ही दूना हो जाए, इससे प्रदेश का कतई हित होने वाला नहीं है। इस लिये मैं इस हाउस से अपील करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि एक पैसा भी इस बजट में स्वीकृत नहीं होना चाहिये।

गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में सतिया नामक लड़की की गोली से हत्या के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जो मैं उठाना चाहता हूं। मेरे दल के दो एक सदस्यों ने एक बड़े महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाया था। अभी सदन में माननीय नेता विरोधी दल के भाषण के पश्चात् उनको मौका देने को कहा था। आपने कहा कि यह बजट का समय है, वह अपनी बात उस बजट भाषण के बीच में कह सकते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन श्रीमन्, ऐसा भी हो सकता है कि कोई विषय जनहित की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण हो उसे बिलकुल न टाला जा सकता हो, उस पर तुरन्त विचार किये जाने की आवश्यकता हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि उसके लिये आप हमें समय दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह कहा था कि कल समय दे दिया जायगा। लेकिन पहले से इस बारे में आप मेरे साथ चर्चा कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

तो फिर कल के लिये आप निश्चय कर दें।

श्री अध्यक्ष--

जी हां, कल समय मिल जाएगा, लेकिन बजट के समय के बाद। जब साढ़े पांच बजे सदन समाप्त होगा, उसके बाद आपको समय मिल जाएगा। किन्तु यदि आपको बजट में ही समय मिल जायगा तो अच्छा होगा और यह प्रश्न नहीं उठेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो आप श्रीमन्, के सामने प्रस्तुत किया है इसके लिये क्या आप हमें आध घंटे का समय दे रहे हैं कल ?

श्री अध्यक्ष---

बजट के समय ही हो सकता है, वह कल दूंगा।

श्री विजय बहादुर सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताने का कष्ट करें कि कल फिर आप को क्या मुझे लिखकर देना पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष---

दुबारा नहीं देना पड़ेगा कल। आपकी सूचना मेरे पास मौजूद ही है।

*श्री शिवदास---

अध्यक्ष महोदय, यह मेरा मामला इतना गम्भीर है। फिर भी आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कमलापति त्रिपाठी के लड़के मिर्जापुर में गये हुये थे, जहां उन्होंने आतंक और मनमानी लूट मचा रखी है। सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा करके उन्होंने फर्जी कोआपरेटिव फार्म बना लिया है और वहां के गरीब और भूमिहीन किसानों को जमीन नहीं जोतने दे रहे हैं। कैसे उन्होंने १० हजार बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है, इस सरकार में यह सब अंधेर हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। उन्होंने वहां पर शिकार गाह बना रखी है मनोरंजन केन्द्र बना रखा है, जहां पर गुलछर्रे उड़ाये जाते हैं, रंगरेलियां मनाई जाती हैं (व्यवधान)। त्रिपाठी जी के लड़के और उनके गुंडे साथियों ने एक अबला की इज्जत लूट ली और बाद में उसकी जान भी ले ली---

श्री अध्यक्ष---

अब आप कल बोलें।

श्री शिवदास---

अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपसे सफा बताये देता हूं कि कमलापति त्रिपाठी आपकी जबान रोक सकते हैं और जनता की जबान रोक सकते हैं, लेकिन विधान सभा के अन्दर वह मेरी जबान नहीं रोक सकते हैं। यदि आप जनतन्त्र की दुहाई देकर प्रजातन्त्र की हत्या करने पर तुले हैं और इसी पर तुले रहेंगे तो हम कह देना चाहते हैं कि कोई भी कार्य सदन के अंदर मैं नहीं चलने दूंगा। २६ तारीख को माननीय कमलापति त्रिपाठी वहां पर गये थे, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को और चढ़ा दिया है। पुलिस के साथ मिलकर वहां पर उन्होंने तमाम गांवों में आतंक फैला रखा है और कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है। यह बड़े महत्व का विषय है। इस पर आप मुझे बोलने का समय दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी यदि मुझे बोलने का मौका आपने नहीं दिया।

बहुत-सी आवाजें---

बैठ जाओ, बैठो।

श्री शिवदास---

मैं नहीं बैठूंगा। आप मुझे भी गोली मार दीजिये, मैं नहीं बैठूंगा (व्यवधान)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

(श्री अनन्तराम जायसवाल से) आप इनको जरा समझाइये।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवदास जी ने और कुछ और माननीय सदस्यों ने इस सदन के समक्ष कुछ बहुत गम्भीर आरोपों के बारे में निवेदन किया है कि माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के लड़के किसी कत्ल से सम्बन्धित हैं। यहां सदन में जिस तरीके की उत्तेजना देखने में आयी उसको देखते हुये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन लोगों को जिनके जिले का केस है का और जो विशेष जानकारी रखत हैं उनको आप पहले सुन लें और माननीय कमलापति जी को अगर कोई जानकारी हो जैसा कि वह बताते हैं कि वह २६ तारीख को वहां तशरीफ ले गये तो वह कहें और आप उनकी भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

कहां सुन लें ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

यहीं, इस सदन में सुन लें। समय बढ़ा दिया जाय। जब इस तरह का महत्वपूर्ण विषय हो जिसपर सदन इस बुरी तरह से उत्तेजित हो जाय और अगर आप इसतरह से टालेंगे और लोगों को सुनेंगे नहीं तो यहां पर किस त ह से विवाद हो सकेगा ? मैं और मेरे दल के लोग आपका बहुत आदर करते हैं और मैं चाहता हूं कि यहां की कार्यवाही शान्ति से चले।

श्री अध्यक्ष--

अब, आप तो यह कह रहे हैं लेकिन पीछे से एक सज्जन यह कह रहे हैं कि वह सदन को नहीं चलने देंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उसी के लिये मैं आप से निवेदन कर रहा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सदन में उत्तेजना भी है तो आज आप साढ़े पांच बजे के बाद बैठ जाइये और इन लोगों की आप सुन लीजिये। सरकार आज जवाब देने को तैयार हो वह दे दें।

श्री अध्यक्ष--

(श्री कमलापति त्रिपाठी से) क्या आप जवाब देने के लिये तैयार हैं ?

उप मुख्य मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)--

जवाब जो मेरे पास इस समय होगा वह दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

यह मंत्री जी के पास भेज दिया था। वह तैयार हो कर आवें तो सुनना ठीक रहेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वह स्वीकार करें तो कल के लिये इसको कर लें, लेकिन आज ही अगर वह आग्रह करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष--

(श्री बिजय बहादुर सिंह) क्या आप आज ही साढ़े पांच बजे के बाद पूछना चाहते हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय बहादुर सिंह--

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसाकि माननीय उपमुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर व इस स्थिति में हों कि हमारे सवालों का उत्तर दे सकते हों तो आज ही रख लें और अगर हमारे प्रश्नों के उत्तरों के लिये सूचना मांगना हो तो कल ही रख दें। माननीय मुख्य मंत्री जी रात भर का समय ले कर पूरी सूचना एकत्रित कर लें ताकि हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकें और हमें संतुष्ट करा सकें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इन सब वाकयात की जानकारी प्राप्त न कर ली जाय तब तक कैसे यहां उत्तर दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास लिखित आया है। वह मैं आपके पास भेज दूंगा। आप टेलीफोन पर जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

मैंने भी अपना एक प्रस्ताव नियम ५१ के अन्दर दिया है। वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस दफा बस्ती, गोंडा और गोरखपुर में गन्ना सीजन में गन्ने का सरकारी अनुमान गलत लगाने के कारण खेतों में बहुत-सा गन्ना खड़ा रह गया है। गन्ना उत्पादकों को कीमत कम मिली है। इस विषय पर विचार करने का मौका मिलना चाहिये। २२ लाख गन्ना उत्पादकों में बहुत असन्तोष व्याप्त हो गया है। तो इस विषय पर चर्चा होने के लिये आप कृपया अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

कल आप मेरे कमरे में आकर बातचीत कर लीजियेगा।

१९६९-७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इधर बैठे हुये महानुभावों से और उधर के बैठे हुये महानुभावों से दोनों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बजट के सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्यपूर्ण बातें उनके समक्ष रखना चाहता हूं तो उस ओर जरा ध्यान दें। श्रीमन्, चरणसिंह जी के साथ कांग्रेस में बहुत समय तक और इस विधान सभा में भी १० वर्ष तक मुझे समीप से काम करने का अवसर मिला है। आज जब ७ वर्ष के बाद फिर इस विधान सभा में आया हूं तो हाउस के वातावरण को देख कर मुझे यह आग्रह करना है कि यहां पर जो विचार विमर्श का क्षेत्र है उसको क्या कुछ शान्तिपूर्ण ढंग से हम नहीं कर सकते ? जब मैं चौधरी साहब के भाषण को सुन रहा था तो मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इम्पीचमेंट का भाषण कर रहे थे जैसा कि अविश्वास के प्रस्ताव पर भाषण दिया जाता है ऐसा वह कर रहे थे। बजट के सम्बन्ध में जो आलोचना करनी है उसमें विरोधी दल का काम यह है कि बजट में जो खामियां हों उनको सदन के सामने बतायें।

चौधरी साहब के लम्बे भाषण सुनने के बाद मुझे याद आती है मिस मेयो की पुस्तक 'मदर इंडिया'। वस्तुस्थिति यह थी कि उसमें जो तथ्य लिखे गये थे उनमें बहुत से सही थे, लेकिन जिस तरीके से वह तोड़-मरोड़ करके जिस आशय और लक्ष्य से रखे गये थे उससे प्रभावित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकी नन्दन विभव]

होकर महात्मा जी ने यह कहा था कि "दिस इज दि ड्रेन इंसपेक्टर्स रिपोर्ट"। मुझे तो केवल दो ही तथ्य चौधरी साहब के भाषण में मिले जिनका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हू। एक तो यह जो उन्होंने कहा कि भूमि का भार हटाने के लिए यह जरूरी है कि हम भूमि पर अवलम्बित लोगों की संख्या घटायें और नये रोजगार में उनको लगायें। दूसरी बात यह कि बड़े उद्योगों से हमारी समृद्धि और रोजगारी की समस्याएं हल नहीं हो सकतीं, वह छोटे उद्योगों से हो सकती हैं। उनकी यें बातें कोई नयी नहीं हैं, बहुत पुरानी है और मैं सुनता रहा हूं इन बातों को। लेकिन वे जब ये तथ्य कहते हैं तो उनके पास निराकरण कोई नहीं है, आगे वह नहीं बोलते। सिर्फ यही कहते हैं कि छोटे उद्योगों को चलाया जाय।

जो पुराने सज्जन हैं उनको पता होगा कि मैं छोटे और गृह उद्योगों का हमेशा पृष्ठपोषक रहा हूं, लेकिन यह कहने से ही काम नहीं चलेगा। आज छोटे उद्योगों की परिस्थिति यह है कि वे और जो हमारे गृह उद्योग हैं उनकी हालत गिरती जा रही है। तो उन कारणों को देखना है। मैंने चौधरी साहब को यह बतलाते हुए नहीं देखा कि किस तरीके से भूमि का भार कम होगा। २० साल से चौधरी साहब किसी न किसी तरह सरकार में रहे हैं, चाहें कांग्रेस में हों, चाहे संविद की १०-११ महीने की सत्ता उनके हाथ में रही हो। और मैं कहता हूं कि चौधरी साहब ने अपने इन वाक्यों को पूरा करने के लिये कोई भी योजना सदन के सामन आज तक उपस्थित नहीं की।

उद्योग-धंधों का जो चित्रण वे करते हैं, वह केवल कहने की बातें हैं। मैं केवल दो मिनट तक चौधरी साहब की बातें कह कर बजट पर आ जाऊंगा। चौधरी साहब ने ऐसी बात कही है, मुझे अफसोस है कि वे इस समय सदन में नहीं हैं लेकिन मेरी बात उन तक मेरे मित्र पहुंचा देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो जो बातें उन्होंने तर्कयुक्त यहां कहीं उनकी पूर्ति के लिये उन्होंने स्वयं कोई प्रयत्न नहीं किया। मेरा ख्याल है कि सदन में विरोधी दल का काम यह है कि वह बतलावे कि बजट में क्या-क्या दोष है तथा उसे किस तरह से बनाना चाहिये और साथ ही उसका कोई विकल्प उपस्थित करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश में क्या विरोधी दल का सही तरीका अपनाया है? विरोधी दल का काम केवल क्रिटिसाइज करना ही नहीं होता है।

मुझे याद है कि जब मैं इस सदन के अधिष्ठाता मंडल का सदस्य था तो मुझे कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी कांफ्रेंस, लंदन में भेजा गया था। मैंने वहां के एक पार्लियामेन्टेरियन से यह पूछा था कि विरोधी दल का कर्तव्य क्या केवल क्रिटिसाइज करना ही होता है? इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, उसके लिये कोई विकल्प नीति क्या हो, उसे उपस्थित करना भी उनका कर्तव्य है। यहां से ट्रान्स्फर संबंधी व बहुत सारी व्यक्तिगत बातें कहीं गयीं, उनके कहने का समय इस समय नहीं था। उसे तो बाद में भी कहा जा सकता था। तो मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दल का काम कौन करे? इस संबंध में मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट बनाने का आधार किस बात के ऊपर आधारित होता है। आपके बजट का एस्टीमेट इतना लूज होता है कि उसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं होती है। जहां बजट को ठीक करना है वहां कंटिजेन्सी के लिये जो आपके यहां ५ परसेंट से १० परसेंट तक रकम रखी जाती है वह बिलकुल गलत है। उसके लिये केवल एक परसेंट रकम होनी चाहिये। देखा यह जाता है कि हमारे यहां जो बजट बनाया जाता है वह ज्यादातर डेफिसिट का ही होता है और अंत में जाकर सरप्लस हो जाता है। आखिर इसका क्या कारण है, आपको सोचना है। इसका कारण जानने का क्या आपने कभी प्रयत्न किया? इसका कारण यह आपकी डिफेक्टिव प्लानिंग है, आपकी डिफेक्टिव वर्किंग है। आप योजना का जो रूप बनाते हैं उसके ऊपर चलते नहीं हैं। आपके पास स्टाफ बेकार पड़ा रहता है, कभी आपके पास एक्चेंज नहीं होता तो कभी आपके पास कोई मेटिरियल नहीं है जिससे आपकी सारी स्कीम ठप रहती है। इसके लिये सब से बड़ी जरूरत यह है कि हम अपने प्रदेश की इकोनामी को मजबूत बनावें।

श्री अध्यक्ष––

क्या आप अभी समय और लेंगे ?

श्री देवकीनन्दन विभव––

जी हां ।

श्री अध्यक्ष––

तो आप कल भाषण जारी रखें ।

सभी पार्टियों के सदस्य मैं समझता हूं यहां पर हैं । मैं यह चाहता हूं कि समय का वंटन कर दिया जाय कि किसको कितना समय बोलने के लिये दिया जाय । आज तो माननीय नेता विरोधी दल ही बोलते रहे, हर एक को तो इतना समय दिया नहीं जा सकता । तो आप लोग यह बतायें कि पार्टी के नेता के लिये कितना समय और माननीय सदस्य के लिये कितना समय चाहिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)––

श्रीमन, अकेले मेरी राय से काम नहीं चलेगा । कल सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व, जब कि सब यहां पर होंगे, तय कर लें ।

श्री अध्यक्ष––

तो कल आप लोग पौने दस बजे मेरे कमरे में आ जायें ।

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)––

१५ मिनट का समय विरोधी दल के नेता को और ३० मिनट का समय केबिनेट मिनिस्टर को मिलता रहा है ।

श्री अध्यक्ष––

कल पौने दस बजे आप भी, और सभी पार्टियों के नेता लोग आ जायें, तभी इसको तय कर लेंगे ।

अब हम उठते हैं कल साढ़े १० बजे तक के लिये ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १०–३० बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया) ।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२४ अगस्त, १९६९ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७० पर)

तालिका

घटनाचक्र

(१) २९ मार्च, १९६९ को ढाई बजे दिन कृष्णा टाकीज में टिकट खरीदने के विषय में दो सम्प्रदाय के लड़कों में झगड़ा हुआ। पुलिस कर्मचारी तुरन्त मौके पर पहुंच गए तथा हस्तक्षेप किया। इसी बीच सर्वश्री तारकेश्वर सिंह तथा राजेन्द्र सिंह (कम्युनिस्ट पार्टी) वहां पहुंच गए तथा अल्प संख्यक सम्प्रदाय के लोगों को पुलिस तथा बहुसंख्यक सम्प्रदाय के लोगों के विरुद्ध उत्तेजित करने का प्रयास किया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना में श्री हबीबुर्रहमान नोमानी को गाल पर चोट एक पत्थर से आई। उनको आहत देखकर अल्प संख्यक सम्प्रदाय के लोग उत्तेजित हो गए तथा उन्होंने पथराव किया जिसमें उप पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष व एक सिपाही आहत हुए। परन्तु स्थिति पर शीघ्र ही नियंत्रण पा लिया गया तथा जिला मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक को घटना की सूचना दी गई।

(२) लगभग साढ़े चार बजे शाम मुहर्रम का जुलूस अखाड़ों सहित चौक पहुंचा तथा रौजा की ओर बढ़ने लगा। पहले अधिकारियों ने उसे रोकना चाहा परन्तु इस आश्वासन पर कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी उसे आगे जाने दिया गया। दो अखाड़े रौजा से चौक लौट भी चुके थे। श्री हबीबुर्रहमान नोमानी जिन्हें उनकी चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाया गया था, तथा घर जाकर विश्राम करने के लए सलाह दी गई थी, लगभग पौने सात बजे शाम को चौक में उपस्थित हो गये। उनको आहत अवस्था में देखकर अखाड़े वाले भड़क उठे। अखाड़े वालों की हिंसात्मक कार्यवाहियों से पुलिस, पी०ए०सी० तथा होम गार्ड के कर्मचारियों को चोटें आईं। अतिरिक्त परगनाधीश व उप पुलिस अधीक्षक जो मुहर्रम के जुलूस के पीछे थे, तुरन्त घटनास्थल पर आ गए तथा भीड़ पर काबू पाने का प्रयास किया। भीड़ तितर-बितर तो हो गई परन्दु वे लोग गलियों, मकानों की छतों व पास की एक मसजिद में पहुंच गए जहां से उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। जिला मैजिस्ट्रेट दो अन्य मैजिस्ट्रेटों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। एक मैजिस्ट्रेट पर पत्थर पड़ा जिसके कारण उनकी लोहे की टोपी में गड्ढा पड़ गया। अतिरिक्त एस० डी० एम० ने धारा १४४ के अन्तर्गत आदेश लागू कर दिये। परन्तु भीड़ ने पथराव में कोई कमी नहीं की तथा साम्प्रदायिक नारे लगाये। यह भी साक्ष्य मिला है कि अग्निशस्त्रों से दो-तीन गोलियां फैजे-आम मस्जिद की ओर से चलाई गईं। अतिरिक्त एस०डी०एम० ने चेतावनी के पश्चात् भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को गोली चलाने के आदेश दिये। दो राउंड चलने पर भीड़ तितर-बितर हो गई। कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। १२ मुसलमानों को वहीं गिर-फ्तार किया गया।

(३) लगभग साढ़े सात बजे शाम मुहर्रम के जुलूस का एक उत्तेजित भाग मुहल्ला हरकेशपुरा में संस्कृत पाठशाला की ओर बढ़ा। भीड़ ने हिन्दुओं की गुमटियों, झोपड़ियों व दुकानों को आग लगाई एक सिन्धी की दुकान लूटी तथा उसे आहत करने का प्रयास किया। जुलूस नारे तकबीर तथा अल्लाहों अकबर के नारे लगा रहा था तथा हिन्दुओं के मकानों पर पथराव कर रहा था। जब अधिकारी व पुलिस कर्मचारी घटना स्थल पर पहुचें तो उन पर पथराव किया। मैजिस्ट्रेट ने भीड़ को अनियमित घोषित करने के उन्हें तितर-बितर होने के आदेश दिये। परन्तु जब वे न माने तो चेतावनी के पश्चात् पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने दो राउंड चलाये तथा भीड़ तितर-बितर हो गई। कोई हताहत नहीं हुआ। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए रात १० बजे से कर्फ्यु लगा दिया गया।

(४) २९/३० मार्च की रात में तथा ३० मार्च की शाम तक कोई घटना नहीं घटी। परन्तु लगभग ८ बजे रात को ग्राम जहांगीराबाद में आग की लपटें दिखाई दीं। मैजिस्ट्रेटों तथा पुलिस पार्टी तुरन्त घटना स्थल पर गई। ५ खलिहानों को जला दिया गया था।

(५) मऊ नगर के बाहरी भाग में एक ट्यूबवेल के पास एक अल्प संख्यक सम्प्रदाय के व्यक्ति पर हमला कर उसे आहत किया गया। उसे चिकित्सा हेतु पहले मऊ तथा फिर वाराणसी ले जाया गया जहां तीन सप्ताह बाद उसकी मृत्यु हो गई।

(६) ३१ मार्च, १९६९ को ढाई बजे दोपहर को सूचना मिली कि मऊ से दो मील दूर स्थित बुनकरों की एक कालोनी पर एक भीड़ घेराव करने तथा उन पर हमला करने की तैयारी कर रही है। मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस फोर्स तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे तथा भीड़ तितर-बितर हो गई।

(७) टोंस नदी के पास चार कसाइयों पर कुछ बहुसंख्यक सम्प्रदाय के व्यक्तियों ने हमला किया।

(८) मऊ नगर के बाहर रात के लगभग ८ बजे दो खलिहानों में आग लगाई गई। पुलिस दल तुरन्त घटना-स्थल पर गया तथा ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

(९) ग्राम मदनपुरा में अल्प-संख्यक सम्प्रदाय के दो व्यक्तियों के घरों में आग लगाई गई।

(१०) रात भर दोनों सम्प्रदाय के लोग नारे लगाते रहे जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण रही ११ व्यक्तियों के विरुद्ध नाजायज असलहा रखने के जुर्म में रिपोर्ट दर्ज की गई तथा कार्यवाही की गई।

(११) १ अप्रैल, १९६९ को ११ बजे दिन को डोमिनपुरा तथा गोलवा के अल्प संख्यक सम्प्रदाय के व्यक्तियों की एक भीड़ ने मुहल्ला चकिया में अग्नि तथा अन्य शस्त्रों से सुसज्जित होकर हमला किया जिसके फलस्वरूप बहुसंख्यक सम्प्रदाय के ६ व्यक्तियों को अग्नि शस्त्रों से चोटें आईं जिनमें से एक व्यक्ति दूसरे दिन मर गया। यह घटना कर्फ्यू लगे होने के बावजूद घटी।

(१२) उपरोक्त घटनाओं के तुरन्त पश्चात ग्राम चकिया के एक मजरे में अल्प संख्यक सम्प्रदाय के तीन व्यक्तियों के घरों में आग लगाई गई। एक अल्प संख्यक सम्प्रदाय का व्यक्ति आहत पाया गया जो अस्पताल में जाकर मर गया। धारा १४४ द०प्र०स० के अन्तर्गत आदेश मऊ नगर के चारों ओर तीन मील तक लागू कर दिया गया।

(१३) थाना मुहम्मदाबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि खुरहट रेलवे स्टेशन के पास अल्प संख्यक सम्प्रदाय के दो व्यक्तियों को मार दिया गया है।

(१४) २ अप्रैल १९६९ को अल्प संख्यक सम्प्रदाय के चार व्यक्तियों को पिपड़ी रेलवे स्टेशन के समीप एक गाड़ी में मार दिया गया। उनको छुरों से आहत किया गया था।

(१५) एक पुलिस पार्टी ने चकिया ग्राम में जले हुए एक मकान से एक अल्प संख्यक सम्प्रदाय के व्यक्ति की लाश बरामद की।

(१६) ३ अप्रैल, १९६९ को स्थिति लगभग शान्त रही सिवाय एक घटना के जिसमें नगर के बाहर बहुसंख्यक सम्प्रदाय के एक व्यक्ति को आहत किया गया जिसे मामूली चोटें आईं।

(१७) १० अप्रैल, १९६९ को बहुसंख्यक सम्प्रदाय के एक छात्र पर हमला किया गया।

(१८) १० अप्रैल, १९६९ से १८ अप्रैल, १९६९ तक कोई घटना नहीं घटी तथा पूर्ण शान्ति रही। २१ अप्रैल, १९६९ को बहुसंख्यक सम्प्रदाय के एक व्यक्ति को छूरे से आहत किया गया।

नत्थी 'ख'

(देखिय तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६९ के पहले गुरुवार के लिये श्री गंगा प्रसाद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७ से सम्बन्धित सदन की मेज पर रखने की सामग्री

दिनांक ३० मार्च, १९६९ को सू ना मिलने पर कि ग्राम डोमरिया डीह में निम्नांकित व्यक्तियों के घरों पर अवैध सामान है, श्री शाकिर अली खां, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र २, गोंडा (वर्तमान समय में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र २ गाजीपुर) में बाजाब्ता उनके रहने के मकानों की व उनकी तलाशी ली । आरोपित विवरण निम्न प्रकार है :—

(१) राज्य बनाम—गोमती पुत्र राम गुलाम बरवार, निवासी डोमरिया डीह के मकान की तलाशी दिनांक ३० मार्च, १९६९ को उपरोक्त अभियुक्त व गवाहान सर्वश्री विजय बहादुर सिंह, राम अवध व श्रद्धाराम तिवारी हेड कान्सटेबिल नं० ४९ के सामने लगभग ९—३० बजे दिन में हुई तथा मकान के अन्दर कमरे से एक बोतल में एक छटांक शराब खाम व एक बोतल में आध कतरे शराब खाम बरामद हुये । अभियुक्त को विजय बहादुर सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत १,००० रु० (एक हजार रुपया) की जमानत पर छोड़ा गया । जांच के पश्चात् ८ अप्रैल, १९६९ को अभियुक्त पत्र दिया गया । अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

(२) राज्य बनाम—भगौती पुत्र लोटन बरवार, साकिन डोमरियाडीह की जामा तलाशी दिनांक ३० मार्च, १९६९ को दिन में लगभग १० बजे सर्वश्री विजय बहादुर सिंह, राम अवध व श्रद्धाराम तिवारी हेड कान्स्टेबिल नं० ४९ की मौजूदगी में ली गई तथा अभियुक्त की धोती की फेंट से एक बोतल में करीब ३०० ग्राम शराब खाम बरामद हुई, अभियुक्त को श्री विजय बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत १,००० (एक हजार रुपया) की जमानत पर छोड़ा गया । जांच के पश्चात दिनांक ८ अप्रैल, १९६९ को अभियोग-पत्र भेजा गया । अभियोग-न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

(३) राज्य विपरीत—भदई पुत्र राम राम खटिक निवासी डोमरियाडीह के रहने की मकान की तलाशी दिनांक ३० मार्च, १९६९ को दिन में १० बजे उपरोक्त अभियुक्त तथा गवाहान सर्वश्री विजय बहादुर सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह, राम अवध, पुत्र भुलई तथा श्रद्धाराम तिवारी हेड कान्सटेबिल नं० ४९ की उपस्थिति में लेने पर रिहायशी मकान के अन्दर से एक बोतल भरी शराब खाम, एक घड़ा लहन महुआ तथा एक चढौवा टीन कनस्टर बरामद हुये । अभियुक्त को विजय बहादुर सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह को १,००० (एक हजार रुपये) की जमानत पर छोड़ा गया । जांच के पश्चात दिनांक ८ अप्रैल, १९६९ को अभियुक्त पत्र भेजा गया । अभियोग-न्यायालय में विचाराधीन है ।

(४) राज्य—बनाम राम समुझ पुत्र राम राज खटिक । तलाशी लेने का समय लगभग ११ बजे दिन । राम सुभग की उपस्थिति में तथा सर्वश्री विजय बहादुर सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह ठाकुर साकिन डोमरियाडीह, राम अवध पुत्र भुलई बरवार । निवासी डोमरिया डीह व श्रद्धाराम तिवारी हेड कांस्टेबिल नं० ४९ गवाहान के सामने तलाशी लेने पर अभियुक्त के मकान के कमरे से एक बोतल में करीब ५०० ग्राम शराब खाम व एक चढ़ौआ टीन कनस्टर बरामद हुये । अभियुक्त को श्री विजय बहादुर सिंह पुत्र छत्रपालसिंह निवासी डोमरियाडीह द्वारा प्रस्तुत की गई १ ००० (एक हजार रुपया) की जमानत पर छोड़ दिया गया । जांच के पश्चात दिनांक ८ अप्रैल, १९६९ को इस अभियोग में अभियोग पत्र भजा गया । अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

(५) राज्य—बनाम हुकारे पुत्र जग्गू खटिक निवासी डोमरियाडीह के मकान की तलाशी अभियुक्त व गवाहान विजय बहादुरसिंह पुत्र छत्रपाल सिंह, राम अवध पुत्र भुलई व श्रद्धाराम तिवारी हेड कान्सटेबिल नम्बर ४९ के सामने दिनांक ३० मार्च, १९६९ को दिन में लगभग १२ बजे

की गई, तथा अभियुक्त के रिहायसी मकान के अन्दर से एक बोतल में करीब ५०० ग्राम शराब खाम, एक चढौवा टीन कनस्तर व एक घड़ा लहनबरामद हुआ। अभियुक्त को विजय बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत १,००० (एक हजार रुपया) की जमानत पर छोड़ा गया। जांच के बाद दिनांक ८ अप्रैल, १९६९ को अभियोग पत्र भेजा गया। अभियोग-न्यायालय में विचाराधीन है।

(६) राज्य विपरीत-ननकऊ पुत्र राम गुलाम बरवार, निवासी डोमरियाडीह के रहने के मकान की तलाशी दिनांक ३० मार्च, १९६९ को लगभग १४-३० बजे अभियुक्त तथा गवाहान सवश्री विजय बहादुर सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह ठाकुर, निवासी डोमरियाडीह, रामअवध पुत्र भुलई बरवार, निवासी डोमरियाडीह तथा श्रद्धाराम तिवारी हेड कान्टेबिल नम्बर ४९ थाना वजीरगंज की उपस्थिति में ली गई तथा मकान के अन्दर कमरे की अलमारी से एक बोतल में चन्द कतरे शराब व एक बोतल में ४०० ग्राम शराब खाम बरामद हुई। अभियुक्त को श्री राम अवध द्वारा प्रस्तुत १००० (एक हजार रुपया) की जमानत पर छोड़ा गया। जांच के पश्चात् दिनांक ८ अप्रैल, १९६९ को इस मुकदमें में अभियोग पत्र प्रेषित किया गया। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्त छहों अभियोग दिनांक ३० मार्च, १९६९ को ही पकड़े गये थे।

दिनांक ३१ मार्च, १९६९ को ग्राम डोमरियाडीह में कोई अभियोग नहीं पकड़ा गया।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४ पर)

तालिका

प्रतापगढ़ में १५ फरवरी, १९६९ से ३१ मई, १९६९ तक दर्ज की गई डकैतियों का थानेवार विवरण :—

थाने का नाम	रिपोर्ट की संख्या
१—कोतवाली	६
२—कन्हई	३
३—पट्टी	१
४—रानीगंज	३
५—लालगंज	१
६—भादराय	२
७—कुन्डा	१
८—सांगीपुर	२
९—जेठवारा	४
१०—अंतू	—
११—संग्रामगढ़	—
कुल	२३

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पष्ठ ८६ पर)

जून, १९६८ से मार्च, १९६९ तक जिला सीतापुर के थाना तम्बोर और थाना गांव के डकैती व हत्या के संबंध में वांछित सूचना

	थान तम्बौर				थाना थानगांव			
	डकैती	की गई कार्यवाही	हत्या	की गई कार्यवाही	डकैती	की गई कार्यवाही	हत्या	की गई कार्यवाही
जून १९६८ ..	—	—	२	चालान हुये	—	—	—	—
जुलाई ६८ ..	२	चालान हुए	—	—	—	—	—	—
अगस्त ६८ ..	—	—	१	चालान हुआ	—	—	—	—
सितम्बर ६८ ..	१	चालान हुआ	—	—	—	—	—	—
अक्तूबर ६८ ..	१	चालान हुआ	१	चालान हुआ	१	चालान हुआ	१	अंतिम रिपोर्ट लगी
नवम्बर ६८ ..	२	जेर तफतीश	२	जेर तफतीश	१	चालान हुआ	—	—
दिसम्बर ६८ ..	—	—	१	जेर तफतीश	२	१ चालान हुआ १ अंतिम रिपोर्ट लगी	—	—
जनवरी ६९ ..	—	—	—	—	—	—	१	जेर तफतीश
फरवरी ६९ ..	१	जेर तफतीश	१	जेर तफतीश	—	—	—	—
मार्च ६९ ..	१	जेर तफतीश	२	जेर तफतीश	१	चालान हुआ	—	—
	८		१०		५		२	

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्र० सं० १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१ पर)

जिला बाराबंकी में १–४–६८ से ३०–४–६८ की अवधि में अलग–अलग थानों के अन्तर्गत कत्ल, डकैती, नकबजनी, सरका, और बलवे की वारदातों का विवरण

तालिका

थाने का नाम	वारदातों की संख्या				
	कत्ल	डकैती	नकबजनी	सरका	बलवा
कोतवाली	—	—	३	१६	—
सफदरगंज	—	२	२	२	—
मसोली	—	—	३	२	—
फतेहपुर	२	—	३	९	—
रामनगर	—	—	—	५	१
देवा	—	—	१	८	१
मोहम्मदपुर	—	—	—	१	—
कुरसी	—	—	३	—	२
रामसनेहीघाट	—	२	—	२	—
रुदौली	—	—	३	२	२
टिकैतनगर	—	—	३	३	४
मवई	२	—	—	१	१
पटरंगा	—	—	१	—	२
सोनीकटरा	—	—	६	३	१
असन्द्रा	—	—	१	१	—
सुमेहा	—	—	३	३	—
जैदपुर	—	१	५	१	—
कोटी	—	१	६	—	१
कुल योग	४	६	४३	५९	१५

कत्ल की ऐसी कोई बारदात उक्त अवधि में नहीं हुई जिसमें एक से अधिक व्यक्ति मारे गये हों ।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६२ पर)

ज्ञापन–पत्र जिसमें उन परस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिसके कारण अध्यादेश द्वारा विधान बनाने की तत्काल आवश्यकता हुई

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६ द्वारा उत्तर प्रदेश की महापालिकाओं के अधिकार, कृत्य और कर्त्तव्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों में १ फ़रवरी, १९६६ से दो वर्ष के लिये निहित कर दिये गये थे। यह अवधि राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश से, जिसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिये जाने के पश्चात् उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९६८ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, पहली बार पांच महीने अर्थात् जून, १९६८ के अन्त तक के लिये बढ़ा दी गयी थी। पांच महापालिकाओं में से चार महापालिकाओं के सामान्य निर्वाचन हुए और नई महापालिकायें १ जुलाई, १९६८ से संगठित हो गई। इलाहाबाद में बराबर साम्प्रदायिक तनाव बने रहने के कारण नगर महापालिका, इलाहाबाद का द्वितीय सामान्य निर्वाचन न हो सका और प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक समझा गया। तदनुसार, राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६८ अधिनियमित किया गया जिसके द्वारा इलाहाबाद महापालिका के प्रशासक का कार्यकाल ३१ मार्च, १९६९ तक या महापालिका का पुनर्गठन हो जाने तक इनमें जो भी पहिले हो, अग्रेतर बढ़ाया गया।

२—प्रशासकीय कारणों से इलाहाबाद नगर महापालिका का सामान्य निर्वाचन तब तक न करने का निर्णय किया गया था जब तक कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का मध्यावधि सामान्य निर्वाचन न हो जाय। अब यह निर्णय किया गया है कि उक्त निर्वाचन अक्तूबर, नवम्बर तक के लिये और स्थगित कर दिया जाय तथा म्युनिसिपल बोर्डों और अन्य स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के साथ किया जाय। अतएव, यह आवश्यक है कि प्रशासक का कार्यकाल अग्रेतर नौ महीने अर्थात् ३१ दिसम्बर, १९६९ तक या महापालिका का पुर्गगठन हो जाने तक, इनमें जो भी पहिले हो, बढ़ा दिया जाय।

३—चूंकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिये उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९, २९ मार्च, १९६९ को प्रख्यापित तथा विज्ञापित किया गया और इस प्रकार प्रशासक का कार्यकाल दिसम्बर, १९६९ के अन्त तक के लिये बढ़ा दिया गया।

अतीकुर्रहमान,
स्वायत्त शासन मंत्री।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६९)

[उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत दिनांक २९ मार्च, १९६९ को प्रख्यापित किया तथा दिनांक २९ मार्च, १९६९ के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।]

चूंकि राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है, और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है ।

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम

१––यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ कहलाएगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४, १९६६ का संशोधन।

२––उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६, में धारा २ के प्रारम्भिक पैरा में शब्द "तीन वर्ष और दो महीने" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष और ग्यारह महीने" रख दिये जायें।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६३ पर)

ज्ञापनपत्र जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनके कारण अध्यादेश द्वारा संशोधन करना आवश्यक समझा गया ।

गांव पंचायतों के निर्वाचनों का स्थानीय महत्व होता है अतएव यह वांछनीय समझा गया कि विधान सभा निर्वाचन सूची का सम्पूर्ण रूप से पुनरीक्षण करने के पश्चात् ही गांव पंचायतों के निर्वाचन कराये जाएं । तदनुसार यह निश्चय किया गया कि गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के कार्य-काल की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जाए और विधान सभा निर्वाचन सूची का सम्पूर्ण रूप से पुनरीक्षण करने के पश्चात् निर्वाचन कराये जायें । चूंकि क्षेत्र समितियों का कार्यकाल ४ मई, १९६९ को समाप्त होने वाला था और राज्य सरकार को उनका कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार नहीं था, इसलिये यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ में संशोधन करना और इन निकायों के कार्य काल को बढ़ाने के लिये अधिकार प्राप्त करना तुरन्त आवश्यक था। चूंकि राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था इसलिये ३० अप्रैल, १९६९ को उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) अध्यादेश, १९६९ प्रख्यापित किया गया । उक्त अधिनियमों में कतिपय अन्य संशोधन करने के लिये भी इस अवसर का लाभ उठाया गया।

नारायण दत्त तिवारी,
नियोजन एवं श्रम मंत्री ।

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) अध्यादेश, १९६९

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९६९)

[उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत दिनांक ३० अप्रैल, १९६९ को प्रख्यापित किया तथा दिनांक ३० अप्रैल, १९६९ के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।]

(भारतीय गणतंत्र के बीसवें वर्ष में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ का और संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ,

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) अध्यादेश, १९६९ कहलायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा १२ और ११४ का संशोधन

२—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में—

(१) धारा १२ में, उपधारा (२) में, शब्द 'आठ वर्ष' के स्थान पर शब्द "दस वर्ष' रख दिये जायं,

(२) धारा ११४ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(२) यदि उपधारा (१) के अधीन दिये गये निदेश के कारण प्रधान तथा उप प्रधान, दोनों के पद की रिक्तियां बिना भरे रह जायें,

तो प्रधान के निर्वाचित होने तक, प्रधान के कृत्यों के निर्वहन के लिये नियत प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसा प्रबन्ध कर सकता है जो वह, ठीक समझे ।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९६१ की धारा ७ का संशोधन

३—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ७ में—

(क) उपधारा (१) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति प्रमुख या उप प्रमुख के रूप में निर्वाचन के लिये तब तक पात्र न होगा जब तक कि उसने तीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो ।"

(ख) उपधारा (४) निकाल दी जाय ।

धारा ८ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ८ में—

(क) उपधारा (१) में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द 'एक वर्ष' के स्थान पर 'तीन वर्ष' रख दिये जायं;

(ख) उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ादी जाय, अर्थात्:—

"(५) यदि कोई व्यक्ति, जो धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (३) के अधीन क्षेत्र समिति का सदस्य चुना गया हो या उसकी उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित हो, बाद में उक्त उपधारा (१) के किसी अन्य खण्ड के अधीन पदेन सदस्य हो जाय, तो तदुपरान्त ऐसे सदस्य के पद में जिसमें वह मूल रूप से चुना या अनुमेलित किया गया था, आकस्मिक रिक्ति हो जायगी ।"

धारा ९ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ९ में—

(क) उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द 'प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि' के पश्चात् शब्द 'क्षेत्र समिति के कार्यकाल की समाप्ति के समय' बढ़ा दिये जावें;

(ख) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि क्षेत्र समिति के कार्यकाल की समाप्ति के समय, या ऐसी समाप्ति के ठीक पूर्व छः माह की अवधि में किसी समय प्रमुख और दोनों उप प्रमुखों के पदों में रिक्ति हो, अथवा ऐसी समाप्ति के पश्चात और पुनः संघटित क्षेत्र समिति द्वारा प्रमुख निर्वाचित किये जाने के पूर्व, प्रमुख या प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने वाले उप प्रमुख के पद में रिक्ति हो जाय तो नये प्रमुख के निर्वाचित होने तक, प्रमुख के कृत्यों के निर्वहन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, आदेश द्वारा, ऐसा प्रबन्ध कर सकता है जो वह ठीक समझे ।"

धारा १२ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (२) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति के होने के दिनांक को क्षेत्र समिति का शेष कार्यकाल छः माह से कम ह, चाहे कार्यकाल बढ़ाया गया था या नहीं, तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी ।"

धारा १९ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १९ में, उपधारा (५) निकाल दी जाय।

धारा २० का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा २० में—

(क) उपधारा (१) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द 'एक वर्ष' के स्थान पर शब्द 'दो वर्ष' रख दिये जायें,

(ख) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(५) यदि कोई व्यक्ति, जो धारा १८ की उपधारा (१) के खण्ड (२), खण्ड (४) या खण्ड (५) के अधीन जिला परिषद् का सदस्य चुना गया हो या उसकी उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित हो, बाद में उक्त उपधारा (१) के किसी अन्य खण्ड के अधीन पदेन सदस्य हो जाय, तो तदुपरान्त ऐसे सदस्य के पद में जिसमें वह मूल रूप से चुना या अनुमेलित किया गया था, आकस्मिक रिक्ति हो जायगी।"

धारा २१ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (२) में, उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि परिषद् के कार्यकाल की समाप्ति के समय या उसके पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पदों में रिक्ति हो अथवा पुनः संघटित परिषद् द्वारा अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने के पूर्व अध्यक्ष या अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने वाले उपाध्यक्ष के पद में रिक्ति हो जाय तो नये अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसा प्रबन्ध कर सकती है जो वह ठीक समझे।"

धारा २५ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (२) और (३) में से प्रत्येक में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति के होने के दिनांक को बिना परिषद् का शेष कार्यकाल छः मास से कम हो, चाहे कार्यकाल बढ़ाया गया था या नहीं, तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी।"

नयी धारा २७—क का बढ़ाया जाना

११—मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"२७—क—(१) धारा ७, १९ और २७ में दी हुई किसी बात के होते हुए भी,—

प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने या बने रहने के लिए विधायकों तथा कतिपय पदधारियों पर रोक।

(क) कोई भी व्यक्ति, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित किये जाने या होने के लिए अनर्हित होगा, यदि वह—

(१) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, या

(२) किसी नगर महापालिका का नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख हो, या

(३) किसी नगरपालिका बोर्ड का प्रेसीडेंट या वाइस प्रेसीडेंट हो, या

(४) किसी टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन या किसी नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेंट हो।

(ख) यदि कोई व्यक्ति, प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के पश्चात् बाद में खंड (क) के उपखण्ड (१) से (४) तक में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट हो जाय, तो वह अपने निर्वाचन या अपने नाम निर्देशन की घोषणा के भारत या उत्तर प्रदेश के गजट में प्रथम बार प्रकाशित किये जाने के दिनांक को प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर न रह जायगा और तदुपरान्त प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के, जैसी भी दशा हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायगी,

(ग) ऐसा कोई भी प्रश्न या विवाद कि क्या कोई व्यक्ति खण्ड (ख) के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर है या नहीं, धारा २७ के अधीन न्यायाधीश को न तो अभिदिष्ट किया जायगा और न उसके समक्ष उठाया जायगा,

(घ) ऐसे किसी प्रश्न या विवाद के सम्बन्ध में कि क्या कोई व्यक्ति खण्ड (ख) के अधीन प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर है या नहीं रहा, कोई वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

(२) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय/डिग्री या आदेश के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के पश्चात्, बाद में, उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) अध्यादेश, १९६९ के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व किसी समय उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपखण्ड (१) से (४) तक में उल्लिखित किसी पद पर, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट हो जाय और उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसा पद धारण किये रहे, तो वह उक्त दिनांक को प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर न रह जायगा, और तदुपरान्त प्रमुख, उप-प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के, जैसी भी दशा हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायगी और इस प्रकार पद पर न रह जाने के सम्बन्ध में उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन पद पर न रह जाने के सम्बन्ध में लागू होते हों, और किसी ऐसे प्रश्न या विवाद के सम्बन्ध में उक्त दिनांक के ठीक पूर्व धारा २७ के अधीन न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन कोई अभिदेश या किसी दीवानी न्यायालय में विचाराधीन कोई वाद समाप्त हो जायगा।"

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १४, १९६८ का निरसन

१२—उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अधिनियम, १९६८ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

नत्थी 'ब'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९३ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ प्रख्यापित किये जाने के कारण सम्बन्धी ज्ञापन-पत्र

नैनीताल जिले के तराई-भावर सरकारी आस्थान क्षेत्र में जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के प्रचलित किये जाने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। अब तक इस अधिनियम को इस क्षेत्र में इस कारण प्रचलित नहीं किया गया था कि ऐसा करने से पूर्व यहां की लगान की प्रचलित मौरूसी दर को बढ़ाना आवश्यक समझा गया था, क्योंकि यह दरें, जो चालीस वर्ष पूर्व निश्चित की गयीं थीं, वर्तमान स्थिति में बहुत कम पाई गयीं थीं। लगान की दरों का परिवर्तन बन्दोबस्त द्वारा ही हो सकता है और उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० के प्राविधानों के अनुसार उक्त अधिनियम प्रचलित कर दिये जाने के बाद चालीस वर्ष तक नया बन्दोबस्त नहीं किया जा सकता था।

२—शासन ने हाल ही में यह निर्णय लिया कि तराई-भावर क्षेत्र में उक्त अधिनियम १ जुलाई, १९६९ से लागू कर दिया दिया जावे तथा साथ ही साथ इस बात की भी व्यवस्था कर ली जावे कि वहां की स्वीकृत मौरूसी दरों को इस अधिनियम के प्रचलन के बाद बदला जा सके। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा २५१ में संशोधन करके यह अधिकार ले लिया गया है कि राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र में जहां यह अधिनियम उक्त अध्यादेश के प्रख्यापन के बाद प्रवृत्त किया जावे दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व उस क्षेत्र की मालगुजारी का बन्दोबस्त करने का निदेश दे सके। चूंकि तराई-भावर क्षेत्र में कृषि वर्ष १९६९-७० के प्रारम्भ से (अर्थात् १ जुलाई, १९६९ से) उक्त अधिनियम लागू करना था, अतः यह आवश्यक था कि धारा २५१ में संशोधन १ जुलाई, १९६९ के पूर्व ही कर दिया जावे। इसके लिये विधान मंडल के सत्र के प्रारम्भ होने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी। अतः उक्त अध्यादेश जारी करके उक्त संशोधन करना आवश्यक समझा गया।

३—राज्य सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया था कि उन क्षेत्रों में जहां अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य खातेदार हैं इस प्रकार के खातेदार अपनी भूमि बैनामे अथवा पट्टे आदि करके भूमिहीन होते जा रहे हैं। उनकी रक्षा के निमित्त तत्काल उनके हस्तांतरण अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाना भी आवश्यक समझा गया था। अतः उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० में एक नई धारा १५७-क का बढ़ाना भी अध्यादेश जारी करके आवश्यक समझा गया।

४—उक्त अध्यादेश द्वारा किये गये प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० में संशोधन करने के लिये एक विधेयक शीघ्र ही विधान मंडल में पुरः स्थापित किया जावेगा।

चतुर्भुज शर्मा,
राजस्व मंत्री।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९६९

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६९)

[उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३(१) के अन्तर्गत दिनांक ६ जून, १९६९ को प्रख्यापित किया तथा दिनांक ६ जून, १९६९ के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ]

(भारतीय गणतंत्र के बीसवें वर्ष में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

उ०प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ ई०

चूंकि राज्य विधान-मंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ १९५१ ई० की धारा १३४ का संशोधन

२—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १३४ में शब्द "दस गुना" के स्थान पर "बीस गुना" रख दिए जायें ।

धारा १३५ का संशोधन ।

३—मूल अधिनियम की धारा १३५ में शब्द "प्रार्थी ने पूर्वोक्त दस गुना रुपया जमा कर दिया है" के स्थान पर शब्द "पूर्वोक्त के अनुसार धनराशि जमा कर दी गयी है" रख दिये जायें ।

धारा १३६ का संशोधन ।

४—मूल अधिनियम की धारा १३६ में जहां-जहां भी शब्द "दस गुने" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "बीस गुने" रख दिये जायें ।

नई धारा १५७—क का बढ़ाया जाना ।

५—मूल अधिनियम की धारा १५७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाये, अर्थात् :—

"१५७-क(१)—धारा १५३ से १५७ में उल्लिखित प्रतिबन्धों को बाधित न करते हुए, किसी भी ऐसे भूमिधर, सीरदार अथवा असामी को, जो किसी अनुसूचित आदिम जाति का हो, कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अनुसूचित आदिम जाति का न हो, विक्रय, दान, बंधक अथवा पट्टे द्वारा संक्रमित करने का अधिकार न होगा ।

अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों द्वारा भूमि के संक्रम पर प्रतिबन्ध

(२) नियत रीति से तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जो नियत की जाय ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय में पद "अनुसूचित आदिम जाति" का तात्पर्य राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३४२ के खंड (१) के अन्तर्गत दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अनुसूचित आदिम जाति से है ।

६—मूल अधिनियम की धारा १६३ में शब्द तथा अंक "धारा १५४" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा १५४ अथवा धारा १५७-क" रख दिए जाएं । धारा १६३ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १६९ में— धारा १६९ का संशोधन ।

(१) उपधारा (१) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (२)" के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "उपधारा (२) तथा (२-क)" रख दिये जायं; तथा

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्:—

"(२-क) किसी अनुसूचित आदिम जाति के भूमि-धर की दशा में जित्सा करने के निमित्त धारा १५७-क के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे जीवन-काल के दौरान संक्रमण पर लागू होते हैं।"

८—मूल अधिनियम की धारा २३० में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाये, अर्थात् :— धारा २३० का संशोधन

"(घ घ) धारा १५७-क के अधीन प्रार्थना-पत्र दिये जाने और उसके संबंध में कलेक्टर द्वारा जांच किए जाने से संबंधित प्रक्रिया"—

९— मूल अधिनियम की धारा २५१ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्:— धारा २५१ का संशोधन

"(३) उपधारा (१) तथा (२) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों, जिनमें यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ प्रख्यापन के पश्चात् प्रवृत्त किया जाए, के संबंध में ऐसे प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय, ऐसे क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग की मालगुजारी का बन्दोबस्त करने का निदेश दे सकती है। इस प्रकार किया गया बन्दोबस्त ऐसे क्षेत्र अथवा भाग के संबंध में धारा २५३ में अभिविष्ट 'आरम्भिक बन्दोबस्त" समझा जायेगा और तदनुसार ऐसे क्षेत्र अथवा भाग पर धारा २५२ के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।"

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९३ पर)

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९६९)

[उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने "भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत दिनांक २६ जून, १९६९ को प्रख्यापित किया तथा दिनांक २६ जून, १९६९ के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।]

(भारतीय गणतंत्र के बीसवें वर्ष में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) अध्यादेश, १९६९ का संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ।

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं—

संक्षिप्त नाम

१—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९६९ की धारा १० का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) अध्यादेश, १९६९, जिसे आगे मूल अध्यादेश कहा गया है, की धारा १० की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनःसंख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय अर्थात्—

"(२) उक्त धारा २५ के पार्श्व शीर्षक में, शब्द 'आकस्मिक' निकाल दिया जाय ।"

नई धारा ११-क का बढ़ाया जाना

३—मूल अध्यादेश की धारा ११ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"११-क—धारा ६ या धारा १० की उपधारा (१) की कोई बात किसी जिला परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अथवा किसी क्षेत्र समिति के प्रमुख या उपप्रमुख के ऐसे पद को रिक्ति के संबंध में लागू न होगी जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व हुई हो ।"

संक्रमण कालीन उपबन्ध

बैधीकरण

४—इस अध्यादेश के प्रख्यापन के पूर्व एतद्द्वारा यथा संशोधित मूल अध्यादेश की धारा ११-क में अभिदिष्ट किसी रिक्ति की पूर्ति के लिए हुआ प्रत्येक निर्वाचन वैध समझा जायगा और सदैव से ही वैध समझा जाएगा मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध सदैव प्रवृत्त थे ।

ज्ञापन–पत्र जिसमें उन परस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनके कारण अध्यादेश द्वारा संशोधन करना आवश्यक समझा गया

३० अप्रैल, १९६९ को जारी किए गए उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) अध्यादेश, १९६९ में और बातों के साथ-साथ इस बात की व्यवस्था की गयी थी कि यदि क्षेत्र समिति अथवा जिला परिषद, जैसी भी दशा हो, के प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के दिनांक को, यथास्थिति, क्षेत्र समिति या जिला परिषद् का शेष का काल छः माह से कम है तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जाएगी। निर्वाचनों के फलस्वरूप इन निकायों के प्रशासन में हो सकने वाली अव्यवस्थाओं से बचने के उद्देश्य से और विशेषकर इसलिए कि इन निकायों के सामान्य निर्वाचन शीघ्र ही होने वाले थे, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषदों के लिए उक्त व्यवस्था की गई थी।

अध्यादेश में ऐसे उपबन्धों के होते हुए भी जिनके द्वारा ऐसी क्षेत्र समितियों या जिला परिषदों के, जिनका कार्यकाल छः महीने पश्चात् समाप्त होना हो, प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पदों की होने वाली रिक्तियों का निर्वाचन करने का प्रतिषेध था, कुछ जिलों में जिला मैजिस्ट्रेटों ने जो आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, इन पदों के लिए निर्वाचन कराये। सामान्य क्रम में इन निर्वाचनों को न्यायालय में चुनौती दी जाती और वे अबंध घोषित किये जाते जिसके फलस्वरूप इन निकायों के कार्य में अव्यवस्था होती। यह कार्य ३० अप्रैल, १९६९ को प्रख्यापित किए गए अध्यादेश के उपबन्धों में निहित उद्देश्य के प्रतिकूल होता। अतएव, यह निर्णय किया गया कि अध्यादेश की धारा ६ तथा १० के उपबन्धों की प्रयोज्यता को निर्बन्धित करके दिनांक ३० अप्रैल, १९६९ के पूर्व होने वाली रिक्तियों के लिए किये गये निर्वाचनों को वैध किया जाय।

तदनुसार, उक्त अध्यादेश के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ द्वारा संशोधित किये गए, जिसे दिनांक २६ जून, १९६९ को प्रख्यापित किया गया था।

नारायण दत्त तिवारी,
श्रम एवं नियोजन मंत्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९७ पर)

यूनाइटेड प्राविन्सेज कोर्ट आफ वार्ड्स (निरसन) विधेयक, १९६७

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

यू० पी० ऐक्ट संख्या ४, १९१२

यूनाइटेड प्राविन्सेज कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ का निरसन करने और आनुषंगिक उपबन्ध बनाने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के अट्ठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम यूनाइटेड प्राविंसेज कोर्ट आफ़ वार्ड्स (निरसन) अधिनियम, १९६९ कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० ४, १९१२ का निरसन और आनुषंगिक उपबन्ध

२—(१) यूनाइटेड प्राविंसेज कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी—

(१) उक्त ऐक्ट के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपागत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के संबंध में या उसके निमित्त किसी उपचार या विधिक कार्यवाही के संबंध में जो यूनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्धों के कारण प्रवृत्त की जाय, जारी रक्खी जाय या समाप्त की जाय, सभी कार्यवाहियों में कोर्ट आफ़ वार्ड्स के स्थान पर बोर्ड आफ़ रेवेन्यू (जिसे आगे बोर्ड कहा गया है) रख दिया जाय, या इस प्रकार रख दिया गया समझा जाय ;

(२) कोर्ट आफ वार्ड्स के कार्यों से सम्बद्ध सभी विचाराधीन मामलों का निस्तारण बोर्ड द्वारा किया जायगा।

बोर्ड द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान

३—बोर्ड धारा २ की उपधारा (२) द्वारा अपने में निहित अधिकारों अथवा उनमें से ऐसे अधिकारों को, जिन्हें वह इष्टकर समझे, प्रयोग करने के लिए अपने किन्हीं सदस्यों या अधिकारियों अथवा राज्य सेरकार के अनुमोदन से उक्त सरकार के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।

उद्देश्य तथा कारण

उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कोर्ट आफ वार्ड्स समाप्त हो गया था तथा उसका शेष कार्य चकबन्दी आयुक्त को जिन्हें पदेन प्रेसीडेंट कोर्ट आफ वार्ड्स नियुक्त किया गया था, सौंप दिया गया।

२—यूनाइटेड प्राविंसेज कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ अब भी चल रहा है किन्तु अब इसकी आवश्यकता नहीं है। इस ऐक्ट को निरस्त करने तथा कोर्ट आफ वार्ड्स के शेष कार्य को विधिपूर्वक करने के लिए तथा राजस्व परिषद् या उसके द्वारा प्रतिनिहित किसी अधिकारी को प्रेसीडेंट कोर्ट आफ वार्ड्स के अधिकार दिये जाने के हेतु विधायन की आवश्यकता है। तदनुसार विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

उदित नारायण शर्मा,
राजस्व मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३९ एल० ए०—१९६९—८७०।